राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 19

गुरुवार

29 मार्च, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अनेक माननीय सदस्य : राम-राम सा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले कभी इधर भी कर लिया करें।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, कायदा है, परम्परा यही है कि अध्यक्ष पहले बाईं तरफ, प्रतिपक्ष की तरफ करता है और फिर सत्ता पक्ष की ओर करता है, क्योंकि वह निष्पक्ष है ...(व्यवधान) क्योंकि चेयर निष्पक्ष होता है। इसलिए यदि इधर ही इधर करें तो फिर वह पक्ष नजर आ जायेगा ना।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक दिन इधर, एक दिन उधर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): संस्कृत में एक श्लोक है कि "दुर्जनम् प्रथमम् वन्दे, सज्जनम् तदनन्तरम्"

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यहां कोई दुर्जन नहीं है, दुर्जन-वुर्जन कुछ नहीं है, यह गलत बात कह रहे हैं। सब माननीय सदस्य बराबर हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बराबर तो हैं ही।

श्री अध्यक्ष: नहीं, तुलसीदासजी ने कहा है न सज्जन कहकर छाड़िये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह कह सकते हैं निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। लेकिन आज उपस्थिति इतनी क्षीण क्यों है?

पी.बी.एम. चिकित्सालय बीकानेर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं/उपकरण

173. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): क्या उच्च शिक्षा (चिकित्सा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 01 मई, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006 के मध्य राज्य में मच्छरों के प्रकोप के कारण अनेक बीमारियां यथा-मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों से पीड़ित होकर बड़ी संख्या में रोगी अस्पतालों में भर्ती हुए? यदि हां, तो उक्त रोगों से पीड़ित मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्यावार सूची सदन की मेज पर रखते हुए यह बतायें कि क्या इलाज के दौरान किन्हीं रोगियों की मृत्यु भी हुई ? यदि हां, तो किन-किन अस्पतालों में किन-किन मरीजों की ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में भी उक्त रोगों से पीड़ित अनेक मरीज भर्ती हुए ? यदि हां, तो कितने ?

(3) क्या उक्त/अनेक रोगियों को जांच/इलाज की समुचित सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण भर्ती नहीं किया गया/अन्य अस्पतालों को रेफर किया गया ? यदि हां, तो ऐसी कौनसी जांच थी/कौन से उपकरण थे जो पी.बी.एम. अस्पताल बीकानेर में उपलब्ध नहीं थे ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) 01 मई, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006 के मध्य मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया के रोगी राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में भर्ती हुए रोगियों का मेडिकल कालेजवार विवरण परिशिष्ट 'अ' के रूप में सदन के पटल पर रख दिया गया है। मृतकों की अस्पतालवार सूची परिशिष्ट 'ब' के रूप में सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) जिला बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में उक्त रोगों से पीड़ित जो मरीज भर्ती हुए, उनका विवरण प्रश्न के भाग एक के उत्तर में वर्णित है।

(3) उक्त रोगों की जांच व इलाज की अधिकांश सुविधाएं पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर में उपलब्ध है। अस्पताल में ब्लड सेपरेटर उपलब्ध नहीं होने के कारण डेंगू के दो मरीजों को अन्यत्र रेफर किया गया। चिकनगुनिया वायरस की जांच की सुविधा पी.बी.एम. अस्पताल बीकानेर में उपलब्ध नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि आपने प्रश्न के खण्ड संख्या 3 में उक्त रोगों की जांच व इलाज की अधिकांश सुविधाएं पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर में उपलब्ध हैं। अस्पताल में ब्लड सेल सेपरेटर उपलब्ध नहीं होने के कारण डेंगू के दो मरीजों को अन्यत्र रेफर किया गया, यह बात आपने फरमाई है। मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि ब्लड सेल सेपरेटर वहां पर नहीं है तो क्यों नहीं है ? क्या यह सही है कि ब्लड सेल सेपरेटर के क्रय किये जाने के लिये स्थानीय सांसद ने वर्ष 2004 में आपको राशि उपलब्ध करवा दी थी ? अगर हां, तो वर्ष 2004 में उपलब्ध हुई राशि के उपयोग को करते हुए आपने वहां पर ब्लड सेल सेपरेटर क्यों नहीं स्थापित किया गया ? नम्बर दो, आपने जांच का किट 1.1.2006 से 31.12.2006 के बीच में कितने जांच किट क्रय किये, कितनी राशि के क्रय किये, कितने जांच किटों का आपने उपयोग किया और कितने आपके स्टाक में हैं ? नम्बर तीन, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह जो ब्लड सेल सेपरेटर है उसको इंस्टाल करने की क्या प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया की पूर्ति आप नहीं कर पाये? कृपया आप इसको स्पष्ट करें ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, सेल सेपरेटर बीकानेर में वर्तमान में नहीं है व जयपुर और जोधपुर में उपलब्ध है। बीकानेर के लिये सही है कि वहां के सांसद ने 2004 में 23 लाख रुपये उपलब्ध कराये। चूंकि सेपरेटर के लिये कम से कम 39 लाख रुपये चाहिये थे, उनसे निवेदन किया । उन्होंने उसके काफी समय बाद 16 लाख रुपये उपलब्ध करवाये । अभी हमने वह ब्लड सेल सेपरेटर खरीद लिया है । 18.11.2006 को उसको इंस्टाल भी कर दिया गया है और 1.3.2007 को लाइसेंस के लिये सारा इसंपेक्शन हो गया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वह लाइसेंस मिल जायेगा और यह सुविधा इनके बीकानेर अस्पताल में उपलब्ध हो जायेगी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस राशि का आप जिक्र फरमा रहे हैं, आपको आवश्यक राशि उपलब्ध कराये हुए डेढ़ वर्ष हो गये, उस राशि का उपयोग नहीं करने के लिये क्या किन्हीं अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है ? क्या यह सही है कि डेंगू के अनेक पेशेंट को महज इसलिए जयपुर रेफर किया गया कि आप वहां उनको इलाज की सुविधा नहीं देना चाहते थे? इससे अलग हटते हुए मैं आरोप लगाता हूं उन डाक्टरों के ऊपर कि उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों की प्रेक्टिस कराने के नाम पर यहां पर यह व्यवस्था नहीं

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बनाई और सैकड़ों निर्दोष लोगों के लाखों रुपये आपने खर्च करवाकर उनको पीड़ा पहुंचाई और अनेक लोग मौत का शिकार हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके इलाज की आवश्यकता सिर्फ डेंगू के लिये ही नहीं बल्कि जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं, उनके लिये भी हमें सेल सेपरेटर की आवश्यकता होती है।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि महज डेंगू का नाम लेकर इस सेल सेपरेटर को इंस्टाल नहीं करने के नाम पर जिन प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है, क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? राशि उपलब्ध होने के बावजूद राशि का उपयोग नहीं होने व घोर अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी आप एक जवाब और दीजियेगा । यह दीजियेगा कि 48 पेशेंट डेंगू के आपके विभिन्न अस्पतालों में हुए और 46 मर गये, केवल दो को आप बचा सके। आखिर इसका कोई कारण होगा, डेंगू वाले प्राइवेट अस्पतालों में बहुत से बचे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुल 2568 डेंगू के मरीज भर्ती हुए, उसमें से 35 की मृत्यु हुई । कोई भी सरकार चाहे विपक्ष की सरकार हो या हम हों, कोई भी नहीं चाहता कि किसी की मृत्यु हो। इसलिए डाक्टर उसे बचाना चाहता है और हमने उसकी पूरी व्यवस्थाएं भी कीं। इसलिए बीकानेर में भी किसी की डेंगू से मृत्यु नहीं हुई। केवल दो डेंगू मरीजों को दूसरी जगह रेफर इस सेल सेपरेटर के न होने के कारण किया गया। कोई बड़ी संख्या नहीं थी, केवल दो ही मरीज थे, जिनको हमने रेफर किया है। बाकी जहां तक दूसरों की बात है इन्होंने कई बीमारियों के लिये कहा। मलेरिया के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2993 मरीज जरूर भर्ती हुए, उनमें से 233 की मृत्यु हुई, यह सत्य है। लेकिन इसके पहले भी मलेरिया फैलता रहा है। सन् 2002-2003 में भी फैला। 2002 में 290 मलेरिया के कारण डेथ हुई और 2003 में 178 हुई।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 2002-2003 में मरे इसलिए 2007-2008 में मरेंगे, यह हम नहीं सुनेंगे। (व्यवधान) बार-बार 2002 पर आ जाते हो आप। आप 2006-07 की बात करें। तीन साल से आपकी सरकार है।

(डा. सी.पी. जोशी)

2002 में मर गये इसलिए अब भी मरेंगे। अध्यक्ष महोदय, 2002 में मर गये तो अब भी मरेंगे, यह क्या उत्तर है ? आप अपनी जिम्मेदारी लीजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने कहा कोई भी सरकार नहीं चाहती कि एक भी आदमी मरे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक भी आदमी मरे तो जिम्मेदारी आपकी है। 2002 में आदमी मरे, इससे ...(व्यवधान) यह कोई आर्गुमेंट है ? यह कोई तर्क है ? आप अपनी जिम्मेदारी को ओन करिये। आपकी सरकार आने के बाद एक भी आदमी मलेरिया से मरता है तो जिम्मेदारी आपकी है। पिछले साल में मरे, यह आर्गुमेंट है आपका । ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का जवाब देकर आप सदन में क्या करना चाहते हैं ? सरकार यह मानती है कि 2006-07 में 200 से ज्यादा आदमी मलेरिया से मरे। यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्यों मरे आदमी ? 2004 में इससे कम मरे हैं । मरेंगे, यह क्या तर्क है? आप अपनी जिम्मेदारी को ओन करिये। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कोई भी सरकार नहीं चाहती कि किसी इंसान की डेथ हो । सरकार पूरी तरह प्रयत्न करती है, डाक्टर भी प्रयत्न करते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कोई नहीं करती। यह डेंगू के इतने आदमी मरे हैं। आपका रिकार्ड सही नहीं है । डेंगू के मरीज को पहचान नहीं पाये आप। इतने डेंगू से राजस्थान में मौतें हुई हैं । आपने डेंगू को क्लासिफाई नहीं किया। केवल कहा 37 आदमी मरे हैं। एक-एक जिले के अंदर 37 से ज्यादा आदमी मरे हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आपका विभाग डेंगू को पहचानने में असफल रहा है। यह अखबारों में स्टेटमेंट है विभाग के डाक्टर डेंगू के लक्षण को पहचानने में असफल रहे और डेंगू के मरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाये। राजस्थान में जितनी मौतें डेंगू के नाम पर हुई हैं, उतनी आज तक मौतें नहीं हुई और डेंगू में 37 आदमी मरे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं बन सकती।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने छहों मेडिकल कालेज के बारे में कहा, जो आंकड़े बिलकुल सत्य हैं ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था माननीय मंत्रीजी ने उसका जवाब नहीं दिया । मैंने आपसे यह जानकारी चाही थी कि कितने किट इसके लिये क्रय किये गये, कितने किट का इस्तेमाल हुआ और कितने स्टाक में हैं । इसके साथ-साथ आपने जो जवाब दिया है एक भी मौत नहीं हुई। आपकी सूचना को मैं दुरूस्त करना चाहूंगा आपके दिये जवाब से। आपने क्रम संख्या 12 पर सतवीर सिंह नाम के एक पेशेंट की डेथ बताई है ।

इसके बाद में आपके इस जवाब के अन्दर गलत आपने यह दिया 28 नम्बर पर फिर सतवीर सिंह का ही नाम लिख रहे हैं। एक ही पेशेंट की डैथ को दो जगह लिस्ट कर रहे हैं। एक तो यह आप देख लीजिए। दूसरा, जो यह संलग्न सूची है इसमें जे.के. लोन अस्पताल का आप बता रहे हैं क्रम संख्या 14 पर नोखा का एक 14 साल के बालक की डैथ हो रही है, वो भी डेंगू से डैथ हो रही है।

यह वो डैथ हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह विभाग खुद मान रहा है। मैं पुन: आपको यह कहना चाहता हूं यहां पर गुरु को शिष्य बचा रहा है, अधिकारी को बचाने के अन्दर बहुत से लोग लिप्त हैं। जांच की व्यवस्था का सही चित्रण नहीं हो पा रहा, कितने किट क्रय किये गये, यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें, भाषण नहीं दें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): सैकड़ों लोगों की जांच करके उनको रैफर किया गया प्राइवेट हास्पिटल्स में। और यह जो प्रक्रिया है, क्या यह सही हे कि स्थानीय स्तर पर डाक्टर्स के घरों में अधिकांश पेशेंट ने एप्रोच कर के और अपने आप को वहां इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण डाइरेक्ट रैफर कराया? इसका रिकार्ड भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है।

आप यह बताएं कि कितने किट आपने परचेज किये थे? पी.बी.एम. अस्पताल में अण्डर सी.एम.एच.ओ. कितने किट परचेज किये गये, डेंगू की जांच के कितनी राशि के क्रय किये गये, यह तो आप बताएं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): प्रश्न मेडिकल एजुकेशन का है और मेडिकल कालेज का है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): पी.बी.एम. अस्पताल का बता दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हां, वो मेडिकल कालेज का बता रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): बता दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इस हास्पिटल में डेंगू के 983 लोगों की जांच की गयी और प्रत्येक जांच पर 400 रुपये का खर्चा आया 3,93,200 रुपये, निशुल्क सरकार ने वहां पर जांच की व्यवस्था की है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 983 पेशेंट की जांच वहां की गयी है, 983 पेशेंट की जांच करने के बाद उनको रैफर किया गया है वहां से या उनको छुट्टी दे दी गयी है, उसके लिए इलाज नहीं हो। 983 लोगों ने अपने परिजनों के साथ एस.एम.एस. अस्पताल में इलाज कराने के लिए वहां से पलायन किया है। एक-एक व्यक्ति ने कितने-कितने हजार रुपये खर्च किये हैं, क्या इसके प्रति किसी की जिम्मेदारी बनती है? क्या प्रशासनिक स्तर पर वो डाक्टर्स, जब यह डेंगू अपनी पीक पर था, विदेशों में भ्रमण कर रहे थे, वहां का प्रिंसिपल, वहां का सुपरिन्टेन्डेंट, वहां का डिप्टी सुररिन्टेन्डेंट, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है?

श्री अध्यक्ष: आप भाषण देने लग जाते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): निश्चित रूप से डेंगू की जांच के लिए वहां पर 983 में से 35 लोगों को भर्ती किया गया। इन 35 भर्ती वालों में से इलाज किया गया और वहां पर आई.जी.जी., आई.जी.एम. और डिटेक्शन किट व उपकरण पर्याप्त मात्रा में वहां पर उपलब्ध हैं, इन तीनों के कारण किसी भी मरीज को वहां से लौटाया नहीं गया, सब की जांच की गयी और जो भर्ती योग्य थे उनको भर्ती किया गया। वहां से केवल दो लोगों को बाहर भेजा, कोई अपनी इच्छा से बाहर गया हो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार इसके लिए भी प्रतिबद्ध है कि सरकार सोशल वैलफेयर सरकार है, सरकार सब के चिकित्सा का प्रबन्ध करती है और करने में कोई कोताही नहीं बरती है। लेकिन फिर भी यदि कोई आपके पास इस तरह का प्रमाण हो कि पर्टिकुलर कोई डाक्टर ने या अपने किसी बीमार का कोई केस हो, आप बतायेंगे मैं जांच करवा करके दोषी लोगों को निश्चित रूप से सज़ा दूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्लड सेपरेटर मशीन कब आयी और कितने महीने तक वो वहां पड़ी हुई है, डम्प हुई-हुई है, उसको नहीं लगाने के पीछे कौन दोषी है?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि बीकानेर में कितने लोग डेंगू से मरे, कितनों को रैफर किया?

तीसरा, यह कि आपने मलेरिया और डेंगू के मच्छरों को और उनके लार्वा को एक तरीके से फैलने नहीं देने के लिए क्या उपाय किये? क्या आपने डी.डी.टी. या कोई स्प्रे वगैरह का काम किया?

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए जो स्प्रे का कार्यक्रम होता है वो सरकार ने ड्राप कर दिया। इसके कारण से यह सारी चीज हुई। इसका उत्तर दें कि क्या आपने कोई स्प्रे या डी.डी.टी. छिड़काव कार्यक्रम किया था?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इनके सेपरेटर की बात है, सैपरेटर 18.11.2006 को इन्स्टाल किया गया। 01.03.2007 को इसकी जांच पूरी की गयी ...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आपने खरीदा कब, यह बताएं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): और आज वो लाइसेंस की प्रतीक्षा में है, मुझे लगता है कि जल्दी लाइसेंस उपलब्ध होने पर हम इसकी सेवाएं ले पायेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): खरीदा कब, यह बताएं न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): खरीदा कब था?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आया कब?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): खरीदा, इन्स्टाल करने के साथ ही तो खरीदा है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): जी नहीं। जी नहीं, यह गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह 2004 में 23 लाख आपके पास आ गये और छठे महीने में फिर 16 लाख दे दिये, माननीय लोक सभा सदस्य ने और फिर भी आप नहीं खरीद पाये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 2006 में दिये हैं 16 लाख, तो 2006 में ही तो खरीदा है हमने। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): 2006 में नहीं दिये, 2005 में दिये हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...(व्यवधान) 2004 में फिर भी आप नहीं खरीद पाये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): 2004 में दिये हैं फिर 2005 में दिये हैं। उसको क्रय नहीं करने की, उसको इन्स्टाल नहीं करने की जिम्मेदारी किस की है?

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिम्मेदारी किसकी है जिसके कारण मरीजों को आपको शिफ्ट करना पडा जांच के अभाव में? इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): क्या यह सही है कि जब इमरजेंसी होती है तो ड्यूटीज जो होती हैं, जो छुट्टियों पर होते हैं उनकी छुट्टियों को निरस्त करते हैं? यदि हां, तो क्या वहां पर जो डाक्टर्स से प्रिंसिपल, सुपरिन्टेन्डेंट, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट जो विदेश यात्रा कर रहे थे सरकार के पैसे पर, क्या आपने उनकी ड्यूटीज को निरस्त किया?

श्री अध्यक्ष: आप एक के बाद एक खड़े हो जाते हैं, आने देते नहीं हैं, पहले प्रश्न का उत्तर ही नहीं आने देते हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ है एक।

श्री अध्यक्ष: खड़े हैं न मंत्रीजी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने दो अलग-अलग चरणों में, अक्टूबर, 2004 से जुलाई, 2006 के मध्य धनराशि उपलब्ध करायी। जब जुलाई, 2006 के मध्य उपलब्ध करायी, आर्डर देंगे और नवम्बर तक आ गयी और नवम्बर में हमने उसको इन्स्टाल कर दिया तो निश्चित रूप से कोई अधिक समय नहीं लगा है।

जहां तक डाक्टर्स की बात है, आपने कहा कि डाक्टर्स के लिए क्या किया, हमारे छह मेडिकल कालेज ने बीस दल बना करके बाकी स्थानों के लिए भी रवाना किये ताकि इन तीनों में, जो एक प्राकृतिक आपदा पहली बार डेंगू और चिकनगुनिया का पहली बार हमारे यहां पर यह आये, हमने इसकी व्यवस्था की है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आप तो बीकानेर का जवाब दीजिए न कि आपने क्या किया? वो ठीक है और जो आप फरमा रहे हैं। मैं फिर स्पष्ट कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया, 2004 में 23 लाख रुपया, 23.05.2005 को 13 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति पुन: जारी हो गयी तो आप कैसे कहते हैं कि 2006 में राशि मिली और जिसकी स्वीकृति जारी हो गयी है 2005 में। इसकी जिम्मेदारी किनकी बनती है? यह आप स्पष्ट करें और उन पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह स्पष्ट करें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं निश्चित रूप से आपने जो डेट बतायी है इसका पता करूंगा, यदि कहीं कोई लैप्स हुआ होगा तो मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बस हो गयी बात। नैक्स्ट क्वेश्चन।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई पूरे राजस्थान में एक जगह डी.डी.टी. की और मलेरिया और डेंगू निरोधक दवाओं का कहीं छिड़काव नहीं किया, इसके बारे में तो जवाब दें कि कहां-कहां किया और कितनी-कितनी राशि खर्च की?

श्री अध्यक्ष: डेंगू का मच्छर तो साफ जगह होता है। साफ जगह होता है, यह तो असेम्बलि में भी हो सकता है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है कि मच्छरों को मारने के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, घर-घर, गांव-गांव के अन्दर मलेरिया को रोकने के लिए, डेंगू को रोकने के लिए छिड़काव होता है लेकिन सरकार ने बिलकुल नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: यह डेंगू वाला साफ जगह में रहता है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्ला साहब ने जो पूछा है ...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कह रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी खड़े हैं न।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मच्छर तो हमारे क्वार्टरों में ही इतने ज्यादा हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। मच्छरों पर तो काबू ना पहले हुआ और ना अब हो रहा है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाह रहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनें तो सही मंत्रीजी को।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। आपने मलेरिया के बारे में बात की, आपने मच्छरों के बारे में बात की, मलेरिया, डेंगू के माननीय सी.पी. जोशी साहब ने भी कहा कि राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं सरकार की जिम्मेदारी है। अगर एक भी डैथ चाहे मलेरिया से हो, चाहे डेंगू से हो जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। हम इस जिम्मेदारी से दूर नहीं हो रहे बल्कि इसको मानते हैं। पर निवेदन यह करना चाहता हूं कि डी.डी.टी. स्प्रे के एक नियम-कायदे तय होते हैं सेंटर गवर्नमेंट के स्तर पर। वो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। पहले 2.5 ए.पी.आई. पर डी.डी.टी. का स्प्रे हुआ करता था। 2.5 ए.पी.आई. का मतलब एनुअल पैरासाइट इन्डैक्स वहां उस एरिया का जिसका होता था...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, गवर्नमेंट आफ इंडिया पर स्वास्थ्य का मामला न छोड़ें आप। नो, नो, आपकी भी जिम्मेदारी है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.डी.टी. सप्लाई गवर्नमेंट आफ इंडिया करती है, डी.डी.टी. कभी राजस्थान गवर्नमेंट परचेज नहीं करती है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने मांगी थी क्या भारत सरकार से?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, बिलकुल, मैं वही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरी थोड़ी ही है भारत सरकार से।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सारा मामला भारत सरकार पर छोड़ दिया।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के साथ में मीटिंग में निवेदन किया था जो 2.5 ए.पी.आई. पर डी.डी.टी. स्प्रे हुआ करता था उसके दो राउंड्स हुआ करते थे, उसको 5 ए.पी.आई. पर राजस्थान में कर दिया गया इसलिए बहुत सारा एरिया ऐसा है जो स्प्रे उस पर नहीं हो पाता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, भारत सरकार की तरफ से यह है क्या कि आप खरीद नहीं सकते और आप छिड़काव नहीं कर सकते?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं खरीद सकते, वो ही सप्लाई करते हैं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, तब बात है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वो ही सप्लाई करते हैं और वो उस हिसाब से ही सप्लाई करते हैं इसलिए वो पूरा एक साथ नहीं हो पाता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, लेकिन यदि आप आवश्यक समझो तो क्या नहीं खरीद सकते?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तो मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन भी किया था कि राजस्थान में 2.5 ए.पी.आई. इसको हमको वापस से एप्लाई करें। इसलिए यह जो बात कह रहे हैं यह बात है, बाइलोजिकल कंट्रोल भी हम कर ही रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो साइकलिकल ट्रेंड है, इसमें ऐसे नहीं कि हमारे स्तर में कहीं प्रयास में कोई कमी हुई हो। परन्तु यह बात निश्चित है कि जितना कवरेज डी.डी.टी. का होना चाहिए था, जो राउंड्स होना चाहिए थे वो पूरा कवरेज नहीं हो पा रहा है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): जो सेपरेटर इन्स्टाल के लिये उसके लिए स्टाफ आज तक पी.बी.एम. हास्पिटल में नहीं है। आपके महकमे से उधार लेकर के इन्होंने इंस्पेक्शन करवाये हैं। आज तक इनके पास स्टाफ नहीं है, कहां आप सुविधाओं की बात करते हैं, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री लालचंद कटारिया।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अगला पुकार लिया मैंने। श्री लालचंद कटारिया।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आर्डर कब लिया, किस कम्पनी को दिया, वो कम्पनी भारतीय है या विदेशी है?

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। श्री लालचन्द कटारिया।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): और आर्डर देने और माल सप्लाई करने में जो विलम्ब हुआ वह कम्पनी की तरफ से हुआ या हमारी तरफ से हुआ है ?

श्री अध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): चिकनगुनिया से बाल उड़ रहे हैं। अब सरकार को कम से कम इतनी अनप्रेसिडेंटल घटना हुई, राजस्थान में डेंगू और चिकनगुनिया, आज अख़बार में खबर है, उन पेशेंटस के बाल उड़ रहे हैं। मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि सरकार ऐसी अनप्रेसिडेंटल बीमारियों को मीट आउट करने के लिए अपने लेवल पर आगे आकर ऐसा काम करें जिससे राजस्थान की जनता को एश्योरेंस मिले कि डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, चाहे उसके फाल आउट से कोई भी बीमारी हो, सरकार मुस्तैदी से काम करके इनको बचाएगी, यह आपको तैयारी करने की जरूरत है।

प्रश्न संख्या-174

श्री अध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी एक बात का उत्तर दूंगा, सरकार निश्चित रूप से, हम इसका जन जागरण अभियान भी चलायेंगे, विशेषज्ञ दल भी गठित करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें

175. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत डामरीकृत सड़कें स्वीकृत करने की क्या नीति निर्धारित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान विधान सभा क्षेत्र डेगाना में इस योजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर सड़कें कहां-कहां पर स्वीकृत की गई ? विवरण स्थान एवं राशि तथा सड़कों की लम्बाई सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विधान सभा क्षेत्र डेगाना के कितनी आबादी तक के ग्राम पक्की सड़कों से उक्त योजनान्तर्गत जोड़ दिये जायेंगे? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): (1) केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत डामरीकृत सड़कें स्वीकृत करने की नीति, भारत सरकार के पोत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक आर. डब्ल्यू/ एन.एच. 28030/1/2001-पी एण्ड एम दिनांक 13 जुलाई, 2001 द्वारा राज्य स्तरीय सड़कों के विकास हेतु निर्धारित की गई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क निधि योजना में कोई भी सड़क की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(3) केन्द्रीय सड़क निधि योजना के तहत ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।

(नीति की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय निधि सड़क योजना के तहत डेगाना में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, अन्य जगह कितनी स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं जिले में ? यह भी आप बता दें।

दूसरा, कौन-कौनसी सड़कें केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत डेगाना की आती हैं और उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है ?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): आती नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आती कैसे नहीं है, आपको मालूम है, मंत्रीजी जवाब देंगे कि आप देंगे, आती नहीं है, यहां बैठे हैं सक्षम हैं मंत्री जी जवाब देने में।

श्री अध्यक्ष: बीच में बैठे नहीं बोलें और बात सही है मंत्रीजी की जगह आप कैसे जवाब देते हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): या आप दे दो जवाब, मंत्रीजी दे रहे हैं जवाब बीच में कहते हैं आती नहीं है । मेरे क्षेत्र का मेरे को पता है कि आपको पता है। प्रश्नकाल में ही करने लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं पूछ रहा हूं, प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पूछो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उक्त योजना के अन्तर्गत डेगाना में

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

आने वाली सड़कों के लिए क्या कोई प्रस्ताव बनाये, यदि नहीं बनाये तो क्यों नहीं बनाये, इसका जवाब भी आप दें। जबकि आपके घोषित मापदण्डों के अनुसार मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अन्य महत्वपूर्ण सड़कें आती हैं तो इनके प्रस्ताव आपने क्यों नहीं बनाये? स्टेट हाईवे 59 जो टहला से सूदवाड़ तक जाता है वह कच्ची सड़क है उसको आप कब तक पक्का करने की योजना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि नागौर और डेगाना जिले में कितने किलोमीटर सड़क ऐसी है जो इन सी आर एफ के मापदण्डों के अनुसार जिनका नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में 955 किलोमीटर सड़क स्टेट हाईवे है सी आर एफ के फण्ड से इसमें 419 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नागौर जिले में 377 किलोमीटर है, 113 किलोमीटर का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कर दिया गया है। डेगाना विधान सभा में राज्य राजमार्ग 139 किलोमीटर है और मुख्य जिला सड़क 31 किलोमीटर है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस तरह पहले निवेदन किया कि सी आर एफ के तहत जो मापदण्ड राज्य सरकार के बने हुए हैं इनमें राज मार्ग स्टेट हाईवे, मुख्य जिला सड़क इनका सुदृढीकरण और नवीनीकरण का काम हम लेते हैं, कोई मुख्य ब्रिज अगर टूट गया तो उसको भी लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछले वर्षो में सी आर एफ के तहत जो राशि हमें मिल रही है वह राशि हमारे सैस के तहत जो हमारा हिस्सा है उसके अनुसार मिल रही है। और उस राशि से जो रिन्युअल साइकल में जो सड़कें आती हैं, जिन सड़कों की आयु छह वर्ष से आठ वर्ष स्टेट हाईवे में और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में दस से बारह वर्ष हो गयी है, वह इस मापदण्ड में नहीं आती है। वह राशि कम पड़ती है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, हमने एक योजना बनायी है 325 करोड़ की और 1500 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं राजस्थान के अन्दर जो 1996 में बनी थीं जिनका अभी तक नवीनीकरण हम नहीं कर पाये। इनका स्टेट हाईवे और एम डी आर इन सारी सड़कों का 325 करोड़ की जो योजना बनायी है उनके तहत हम नवीनीकरण भी करेंगे और इनका सुदृढ़ीकरण भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कौन-कौनसी ऐसी सड़कें हैं जो रह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गयीं, मैंने पहले निवेदन किया डेगाना के अन्दर पहले बड़ी घाटी, तिरणाउ, डीड़वाना, चालीस किलोमीटर सड़क, चार करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जो काम पूरा हो गया और नौ किलोमीटर सड़क इसी में इस पर 42 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे और इसी तरह नागौर जिले के अन्दर भी इस सी आर एफ के तहत अब तक 42 करोड़ की स्वीकृति हमने जारी की है।

अध्यक्ष महोदय, जो हमने योजना बनाई है उस योजना के तहत माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इनकी जो भी सड़कें आएंगी इस बार जो हमने 325 करोड़ की योजना बनायी है...

श्री अध्यक्ष: सी आर एफ की एक दो सड़कें इनकी भी ले लीजिए। बात तो इतनी सी है और क्या है बहुत बड़ी बात थोड़े ही है कुछ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): कहां ले रहे हैं, इसकी तो पीड़ा है मेरे को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नीतिगत प्रश्न पूछ रहा हूं। रिन्युअल करने का समय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत डेगाना में स्टेट हाईवे 59 व 82 किलोमीटर स्टेट हाईवे 60 की 64 किलोमीटर इस योजना के अन्तर्गत आती है? रिन्युअल की क्या समय सीमा है? लंगोर से बामणा आठ मिलोमीटर सड़क ग्यारह वर्ष पूर्व रिन्युअल की गयी थी, बाद में क्यों नहीं हुई ? स्टेट हाईवे डेगाना किरोधा सड़क की चौड़ाई तीन मीटर है जबकि इनके मापदण्डों के आधार पर 3.75 मीटर होनी चाहिए, एम डी आर 24 जैतारण, मेड़ता, डेगाना सड़क की चौड़ाई तीन मीटर है जबकि कम से कम 3.75 मीटर होनी चाहिए। इन सड़कों की चौड़ाई तीन मीटर ही क्यों है? इनके मापदण्डों के अनुसार अध्यक्ष महोदय, 3.75 है तो इसका जवाब दे दें कि इन सड़कों की चौड़ाई कम क्यों है ? यह भी बता दें और आपने अब जो तीन सौ और कुछ करोड़ रुपये की योजना बनायी है उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी सड़कें आप ले रहे हो, कृपा करके यह भी बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो सड़कें हैं यह स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं यह दो प्रकार की सड़कें इस योजना के अन्दर हम ले सकते हैं। यह सारी सड़क जो पहले आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड होती है उससे क्रमोन्नत करके वह सैंसस जो हम करते हैं ट्रेफिक का उसके अनुसार मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाते हैं और मेजर डिस्ट्रिक्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रोड पर जब यातायात का दवाब ज्यादा होता है तो उन्हीं में क्रमोन्नत करके हम स्टेट हाईवे बनाते हैं।

इसमें यह भी बात सही है कि कई ऐसी सड़क भी हैं जिनका क्रमोन्नयन तो हो गया परन्तु जिनकी चौड़ाई इन मापदण्डों के अनुसार नहीं हो रही या नवीनीकरण नहीं हुआ। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि हमने राज्य स्तर पर जो योजना बनायी है उस योजना के अन्दर हम इन सारी चीजों को शामिल कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले निवेदन किया राज्य उच्च मार्ग में छह वर्ष आठ वर्ष के बीच में जो सड़क बन जाती है उनको रिन्युअल करने का काम होता है उसकी आयु निर्धारित की हुई है। और मुख्य जिला सड़क में आठ दस वर्ष तक, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं इन्होंने कुछ सड़कों का नाम लिया है, उन सड़कों की कैटेगरी क्या है, इसकी पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है परन्तु उन सारी सड़कों में जो-जो सड़कें इस मापदण्ड के अनुसार आती हैं, निश्चित तौर पर उन पर विचार करेंगे और नये प्रस्तावों में हम उनको शामिल करके हम भारत सरकार को निश्चित तौर पर भेजेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी आपने स्वयं ने जो सवाल के उत्तर के साथ दिया है All State roads including State Highways, Major District roads and other roads of importance….तो अदर रोड आफ इम्पार्टेंस हो सकती है तो उस कैटेगरी के अन्तर्गत माननीय सदस्य के क्षेत्र में आप सड़क कर सकते हैं। आप यह क्यों बहाना ले रहे हैं कि क्राइटेरिया में नहीं आती हैं? Any other important roads, you can take any road.

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय मंत्री महोदय, यह बताएं कि चार से छह वर्ष जो स्टेट हाईवे या स्टेट हाईवे के रिन्युअल का टाइम है और एम डी आर का आठ से दस का जो आप बता रहे हैं अतिवृष्टि से भीलवाड़ा, गंगापुर, कांकरोली मार्ग जो पूरा खतम हो चुका, छह महीने में सौ एक्सीडैंट हो चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष: करौली बीच में कहां आ गया डेगाना के ?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): जो स्टेट हाईवे है और राजस्थान के स्टेट हाईवे ...

श्री अध्यक्ष: No. I will not allow.

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): केन्द्रीय रोड नीति का मैटर है, राजस्थान की रोड नीति की बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है, अलग से प्रश्न है ।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि क्या चार से छह वर्ष का जो रिन्युअल टाइम है उससे पहले जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको भी आप ठीक करने का केन्द्रीय रोड नीति में विचार रखते हैं ? रखते हैं तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय, अदर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाली रोड हैं, उनके बीच में जो आबादी बसी हुई है, गांव बसे हुए हैं। गांव के बीच में रोड इतनी खराब है कि उसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकता तो उनको सी.सी. रोड में बनाने का इस वर्ष में प्रावधान है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष: वह एम.एल.ए. को कहते हैं बनाओ अपनी सीमेंट की सड़क।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो डेगाना के बारे में बताइये। आप तो डेगाना ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और स्टेट हाइवे हैं, जो आबादी क्षेत्र से गुजरते हैं यह सही है कि आबादी क्षेत्र में इनकी हालत खराब रहती है इसीलिये हमने 100 करोड़ रुपये की योजना बनायी है। और जितने भी राजस्थान में स्टेट हाइवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं जो किसी भी आबादी क्षेत्र से गुजरती है उन सब को आगामी वित्तीय वर्ष के अन्दर हम सीमेंट रोड में बदलने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक जो हमें राशि प्राप्त हुई है सी.आर.एफ. के तहत वह राशि लगभग हमें 80 करोड़ से लेकर 102 करोड़ के बीच प्राप्त होती है। यह हमारा सैस में हिस्सा है वह है। हमें 635 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और उसमें से 522 करोड़ रुपये हमने व्यय कर दिये हैं। 7431 किलोमीटर सड़क का रिन्युअल कर दिया, 112 काम प्रगति पर हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने कहा, 8000 किलोमीटर सड़कें ऐसी थीं स्टेट हाइवे की जिनको योजनाबद्ध तरीके से सी.आर.एफ. में और हमने जो सैस में लिया है उस राशि में इन सबको मिलाकर सारा रिन्युअल करने के काम को हाथ में लिया था। 1500 किलोमीटर आगामी वित्तीय वर्ष में करेंगे और उसमें माननीय सदस्य ने जो कहा और यह सही है जैसा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो गाइड लाइन है उस गाइड लाइन के अन्दर हम अदर इम्पोर्टेंट रोड, जो बहुत महत्वपूर्ण रोड हैं उनको भी ले सकते हैं। तो निश्चित तौर से रोड की सूची मैं आपसे ले लूंगा और उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार करके जो कर पाऊंगा वह करूंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब आपने तो स्वयं ने हमको दिया है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय मंत्रीजी, सी.आर.एफ. से ही जुड़ा हुआ है। 40-45 गांव मेरी कांस्टीट्वेंसी के इससे प्रभावित हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: No. I will not allow.

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नौ-नौ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): क्या यह सही है कि भादरा झासर सड़क सी.आर.एफ. में मंजूर हुई ? यदि हां, तो इसकी मंजूरी कब मिली ? इसका कार्य कब तक होना चाहिये था? अब तक कार्य पूरे नहीं होने के क्या कारण रहे ?

श्री अध्यक्ष: No. I have called next question.

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): और तीसरा स्पेसिफिक है मंत्रीजी कि अब तक जो भी कार्य, आगे यह सड़क कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो यह गवर्नमेंट सी.सी. रोड बनाती है। एम.एल.ए. फण्ड से जो भी बना उनको भी बंद कर दिया। कम से कम यह तो बता दें कि सी.सी. रोड बनाएंगे कि नहीं?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो रिन्यूअल का जिक्र किया। ग्यारह साल से जो सड़क पर रिन्यूअल नहीं हुआ

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

उसका तो मंत्रीजी कृपा करके कह दें कि इस साल करवा देंगे अपन। (व्यवधान) सड़क का नाम भी बताया। सड़क ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी आप ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1996 तक के जो भी स्टेट हाइवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होगी उन सारी को हम इसी वित्तीय वर्ष में ले लेंगे। 1996 तक की उसमें आपकी सड़क भी काफी आ रही है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। आ जाएगी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): ठीक है साहब।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह सी.सी. रोड का भी जवाब दें माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है। गांवों में न यह तो सी.सी. रोड बनाते हैं और एम.एल.ए. ने बनाकर दिया उसको भी बंद कर दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यहां न तो मरने देते हैं और न जीने देते हैं। (व्यवधान) उनसे कहें वहां पर बनायें और नहीं बनायें तो इनको कम्प्लीट तो कर दें। न तो जीने देते हैं और न मरने देते हैं।

श्री अध्यक्ष: No. I have called next question.

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): सी.आर.एफ. का ही है माननीय मंत्रीजी, जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तरराज्यीय सड़क का मामला है। राजस्थान और हरियाणा से जुड़ा हुआ मामला है और राजस्थान की इज्जत और बेइज्जती का भी मामला है।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा कि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। आपका सप्लीमैंट्री मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): हरियाणा से जब भी राजस्थान में प्रवेश करते हैं भादरा-दुमपर रोड से तो उस समय यह रोड बीच में आती है और हरियाणा से आने वाला हर व्यक्ति ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) नो-नो ... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्न से संबंधित आपका सप्लीमैंट्री नहीं है इसलिए मंत्री के लिए कोई आवश्यक नहीं है। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। (व्यवधान) कह दिया न उन्होंने। मंत्रीजी।

राजस्व कार्यालयों का गठन/पुनर्सीमांकन

176. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पटवार-मंडलों, राजस्व मंडलों, उप-तहसीलों व तहसीलों का पुन: सीमांकन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार नये पटवार-मंडलों, राजस्व निरीक्षक मंडलों, उप तहसीलों व तहसीलों के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से दो प्रश्न निवेदन करना चाहूंगा। मेरे प्रश्न के दो भाग थे। एक भाग तो क्या सरकार पटवार-मंडलों, राजस्व मंडलों, उप-तहसीलों व तहसीलों का पुन: सीमांकन करने का विचार रखती है? और दूसरे भाग में यदि नहीं तो क्यों नहीं। इन दोनों प्रश्नों में दूसरे भाग का उत्तर क्यों नहीं दिया? पहला मेरा प्रश्न तो यह है। नहीं करने का तो जी, नहीं कर दिया पर क्यों नहीं करना चाहते हैं इसका कोई उत्तर नहीं दिया।

मेरा पहला प्रश्न आपके माध्यम से है कि जो मेरा हाफ द क्वेश्चन है उसका ऑनसर नहीं दिया। उत्तर नहीं देने का क्या कारण है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू, लैंड रिकार्ड रूल्स के कौन से प्रोविजन के

(श्री जोगाराम पटेल)

तहत आखिरी बार राजस्थान में पटवार सर्कल, आर.आई. सर्कल और तहसीलों का गठन और पुनर्गठन किया हुआ इन दोनों का जवाब दें। एक प्रश्न मेरा पेंडिंग रहेगा।

श्री अध्यक्ष: दें, क्यों का जवाब दीजिए। क्यों नहीं का बता दें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पुन: सीमांकन का काम हो ही नहीं रहा है। सरकार के संसाधन और वित्तीय स्थिति को देखते हुए और क्षेत्र के सारे मामले को देखते हुए जितनी अभी व्यवस्थाएं हैं उनको ही ठीक समझा जा रहा है। व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त माना जा रहा है। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सैकिण्ड में मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि दूसरे प्रश्न में इन्होंने यह पूछा है कि क्या सरकार नये पटवार-मंडलों, राजस्व निरीक्षक मंडलों, उप तहसीलों व तहसीलों के गठन का विचार रखती है? और मैंने इसके उत्तर में भी जी नहीं कहा है। वर्तमान में सरकार के सामने जो स्थिति है उसमें किसी प्रकार का भी विचार नहीं किया जा रहा है। फिर भी माननीय सदस्य और जनता की जगह-जगह से आ रही मांगों पर जो फार्मलिटी वगैरह है उनके लिए तहसील नये पटवार मंडल बनाना है या नहीं बनाना है, यह निरीक्षक मंडल बनाने हैं इस सारे की जहां-जहां से भी एप्लीकेशन वगैरह तहसील, उप तहसील की आयी हैं, उनका एग्जामिनेशन राजस्व है, यह मण्डल स्तर पर किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बढ़िया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा दूसरा प्रश्न का जवाब नहीं दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आखिरी बार राजस्थान में पटवार सर्कल, आर.आई. सर्कल और तहसील का गठन या पुनर्गठन कब हुआ? अब इसके साथ ही मैं एक प्रश्न और एड कर लेता हूं कि आर.आई. सर्कल, पटवार सर्कल, तहसील सर्कल के गठन या पुनर्गठन की बेसिक रिक्वायरमैंट कौन से प्रोविजन में किया है? यह बेसिक रिक्वायरमैंट है कि एरियावाइज हो, खातेदारवाइज हो व ऐसी कोई बेसिक पॉलिसी या लॉ में कोई रिक्वायरमैंट जिसको बेसिक रिक्वायरमैंट बोलते हैं वह जो बेसिक रिक्वायरमैंट फुलफिल करता है वही गठन या पुनर्गठन एक पटवार सर्कल के दो हो सकते हैं तो बेसिक रिक्वायरमैंट क्या है? आखिरी मेरा प्रश्न है कि इस बेसिक रिक्वायरमैंट

(श्री जोगाराम पटेल)

के अनुसार राजस्थान में, मैं यह भी पूछ रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में कितने पटवार सर्कल, आर.ई. सर्किल और तहसीलें गठन या पुनर्गठन करने योग्य हैं?

श्री अध्यक्ष: कह दिया न कोई विचाराधीन नहीं है उनके।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह जवाब नहीं दिया। इसमें विचाराधीन नहीं, का जवाब नहीं दिया। आखिरी बार कब हुआ? बेसिक रिक्वायरमैंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमैंट में हमारे यहां पर बनते हैं या नहीं बनते हैं यह तीन बात है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन इकाइयों के गठन ... (व्यवधान) मैं बताता हूं। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मंत्री महोदय, एक मिनट मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे रेवेन्यू पटवार सर्कल जहां पर नक्शे फट चुके हैं बिलकुल और नक्शे फट जाने की वजह से वहां पर किसानों में बहुत भारी विवाद रास्ते को लेकर, सीमांकन को लेकर रहता है। जहां नक्शे फटे हुए हैं ऐसे रेवेन्यू सर्कल्स का आप सीमांकन करवाने की कृपा करेंगे? नक्शे बनाएंगे या ठीक करेंगे?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): पॉलिसी की नीतिगत बात पूछ रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): पहले जोगारामजी के, मूल प्रश्नकर्ता हैं, उनका जवाब दे दें तब ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप केवल उन्हीं के प्रश्न का जवाब दीजिए।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल इसी से संबंधित है। पटवार सर्कल, कानूनगो सर्कल और तहसील बनाने की सरकार की क्या नीति बनी हुई है? क्या पॉलिसी बना रखी है उस पॉलिसी के अन्तर्गत कैसे बना है? वह बता दें।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का जवाब तो आने दीजिए। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भनोत कमेटी एक बनी हुई थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भनोत कमेटी बनी हुई थी, उसकी 1995 में सिफारिशें आयी थी उसमें 771 नये पटवार मंडल जिसमें उपनिवेशन भी शामिल था, सृजित करने की अभिशंसा की गयी थी और उस वक्त में 1996-97 में 140 और 1998-99 में 100 और 1999-2000 में 175 कुल 415 पटवार मंडल स्वीकृत किये गये थे और उसके पश्चात 263 पटवार मंडल स्वीकृत नहीं किये जा सके 415 में से। इसी प्रकार भनोत कमेटी ने 406 भू-अभिलेख सर्किलों के सृजन की सिफारिश की थी और 1996-97 में 77, 1998-99 में 50 और 1999-2000 में 23 कुल 150 भू-अभिलेख निरीक्षक सर्किल स्वीकृत किये गये थे। उसमें भी 256 भू-अभिलेख सर्किल स्वीकृत नहीं किये जा सके और जो संसाधन सरकार के पास और जिस हिसाब से फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से 256 भू-अभिलेख सर्किल नहीं बन पाये, केवल 150 भू-अभिलेख सर्किल ही बनाये गये ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): कितनी आबादी हो गयी, कितने सर्किल होंगे, कितनी तहसीलें ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): 1956 से लेकर 1989 तक तहसीलों, उप तहसीलों की संख्या में वृद्धि होती रही। इस प्रकार से 1989 को आधार मानकर मजीठिया कमेटी का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1991 में 213 तहसीलें, 87 उप तहसीलें कार्यरत थी और उसी के आधार पर इस कमेटी के द्वारा तहसीलों, उप तहसीलों के पुनर्गठन के संबंध में इस प्रकार सिफारिश की गयी थी। सामान्य क्षेत्र में एक नयी तहसील के सृजन हेतु 40 पटवार सर्किल, रेगिस्तानी क्षेत्र में 30 तथा अनुसूचित जाति, जनजाति ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता, संतुष्ट हो गये ना आप। आप संतुष्ट हो गये ना। नेकस्ट क्वेश्चन लूं ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट, वह इनफोर्मेशन दे रहे हैं, खड़े कैसे हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी तो 1956 पर आये हैं यह, 1956 से कहना चालू किया है 2007 तक तो पता नहीं कब आयेंगे।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं बता रहा हूं ना। इन्होंने कहा है कि एक तहसील में कितने पटवार सर्किल होने चाहिए तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि 40 पटवार सर्किल होने चाहिंए।

श्री अध्यक्ष: आप इसकी डिटेल क्यों पढ़ते हैं। आप सीधी सी बात बतायें, ना कोई प्रस्ताव है, ना कोई आवश्यकता है, खतम हुई बात।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): इन्होंने कहा है कितने चाहिए। एक तहसील के लिए कितने पटवार सर्किल चाहिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पटवार सर्किल के लिए, आर.आई. सर्किल के लिए और तहसील के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि यह मिनिमम होनी चाहिए। वह क्लियर कर दें, वह बता दें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): वही तो बता रहा हूं कि एक तहसील के लिए 40 पटवार मंडल की जरूरत है और रेगिस्तानी और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में 30 पटवार मंडल की जरूरत है और पहाड़ी क्षेत्र के अंदर 20 पटवार सर्किल होने चाहिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पटवार सर्किल बताये हैं, एक पटवार सर्किल और आर.आई. सर्किल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): इसी के आधार पर किया जाता है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जानकारी प्राप्त करने का ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी 241 तहसीलें काम कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा हो जाये फिर आप पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता संतुष्ट हैं।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): बांसवाड़ा जिले में 5 तहसीलों में से 3 तहसीलों में ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पटवार मंडल में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न है उसका उत्तर आ जाये।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): 5 में से 3 तहसील में सैटलमेंट हुआ है और दो तहसीलों का बाकी है।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न नीतिगत है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनको रोको ना ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): क्या मंत्रीजी, जिनका सर्वे बाकी है वह कराना चाहते हैं या नहीं? 5 तहसीलों में से 3 का सैटलमेंट हो चुका है, 2 का बाकी है, क्या मंत्रीजी उसमें सैटलमेंट कराना चाहते हैं, 2 तहसीलों का बाकी है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा प्रश्न है कि पटवार सर्किल और आर.आई. सर्किल के गठन या पुर्नगठन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वह बता दें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इसी से संबंधित है मेरा प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: वह कह रहे हैं जी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई प्रस्ताव नहीं है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, यह क्राइटेरिया तो कांग्रेस सरकार के टाइम का बताया है। इस सरकार में आप बैठे हैं इनका क्राइटेरिया क्या है। यह जरा बता दीजिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, बेसिक रिक्वायरमेंट पटवार सर्किल और आर.आई. सर्किल की क्या है ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का भी जवाब दिला दें ...(व्यवधान) 5 तहसीलों में से 3 का सैटलमेंट हो चुका है, 2 का बाकी है और वहां से पूरा स्टाफ ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी गठन का कोई मामला ही नहीं चल रहा है और पूर्व में दो कमेटियां बनी हुई थी, एक तो

(श्री रामनारायण डूडी)

भनोत कमेटी के आधार पर और एक मजीठिया कमेटी के आधार पर, पूर्व में जो गठन किया गया था, वह किया गया है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी साथ-साथ ले लें।

श्री अध्यक्ष: आप यह कमेटी कब बैठाते हैं, यह बतायें कि कब बैठायी जाती है कमेटी, जब आवश्यकता अनुभव करते हैं तब ना ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): एक तो पूर्व में बनाई हुई थी और उसी के आधार पर सिफारिश आयी थी, राजस्व मंडल के चेयरमैन उन पर विचार करते हैं।

श्री अध्यक्ष: वही तो मैं कह रही हूं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): वह किस प्रकार से होते हैं, अभी कोई विचार नहीं है बनाने का, इसलिए कोई मामला ही नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा इसमें निवेदन है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू रूल्स में कौन से प्रोविजन ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अल्प सूचना काल प्रश्न है मेरे पास, शोर्ट नोटिस क्वेश्चन और वह आवश्यक है पूछा जाना, इसलिए मैं अब उसे कॉल कर रही हूं।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): अध्यक्ष महोदय, सैटलमेंट की बात है, मंत्री जी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। 5 में से 3 का हो गया, 2 का बाकी है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप अलग से पूछ लेना सैटलमेंट का।

अल्प सूचना प्रश्न

गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु राज्यकर्मियों को पुनर्भरण की सुविधा

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1.

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूरा पढ़ूं, 2. यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सबके पास नहीं जाता है इसलिए, या खंड ही पढ़ दूं? मेरा निवेदन यह है इसमें कि पूरा पढ़ूं और फिर जवाब दूं। पहले प्रश्न पूछें फिर जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष: पहले प्रश्न पूछें, औरों को मालूम नहीं है इसलिए प्रश्नकर्ता पहले अपना प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद आप अपना जवाब दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): पढ़ेंगे, तब मैं जवाब दूंगा। ठीक है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, क्या चिकित्सा (शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो गुर्दा प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय के पुनर्भरण के लिए क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के कितने चिकित्सालयों में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है एवं उसके लिए क्या नियम एवं शर्तें निर्धारित हैं?

(3) क्या यह सही है कि राज्य से बाहर गुर्दा प्रत्यारोपण करवाने वाले राज्य कर्मचारियों को व्यय का पुनर्भरण किया जाता है? यदि हां, तो विगत 8 वित्तीय वर्षों में ऐसे कितने मामलों में पुनर्भरण किया गया? राज्य कर्मचारी का नाम, भुगतान राशि तथा भुगतान तिथि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मरीज के निकट संबंधियों के अलावा अन्य किसी दानदाता से गुर्दा दान करने की स्थिति में राजस्थान के किसी राजकीय चिकित्सालय में प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं है? यदि हां, तो उक्त परिस्थिति में राज्य से बाहर प्रत्यारोपण करवा कर राज्य सरकार से पुनर्भरण प्राप्त करने हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगने के कितने प्रकरण राज्य में विचाराधीन हैं?

श्री अध्यक्ष: फरमायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): (1) जी हां। राज्य कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के गुर्दा प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय के संबंध में पुनर्भरण के वही नियम लागू होते हैं जो अन्य रोगों के उपचार के संबंध में लागू होते हैं। संबंधित नियमों की प्रति परिशिष्ठ 'अ' के रूप में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) राजकीय क्षेत्र में केवल सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में ही गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है। गुर्दा प्रत्यारोपण के संबंध में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के नियम लागू होते हैं। जिसके अनुसार रोगी के निकट संबंधी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा गुर्दा दान करने की इच्छा व्यक्त करने पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित ऑथोराइजेशन कमेटी की अनुशंसा पर ही ऐसा किया जाना सम्भव है।

(3) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार राज्य के राजकीय अस्पतालों में किसी विशेष उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य अथवा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान द्वारा राज्य से बाहर के मान्यता प्राप्त अस्पताल में उपचार हेतु अनुशंसा करने पर चिकित्सा व्यय पुनर्भरण देय है। इन नियमों के विपरीत बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के राज्य से बाहर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में गुर्दा प्रत्यारोपण करवाने वाले राज्य कर्मचारियों को नियमों में शिथिलता देते हुए सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में गुर्दा प्रत्यारोपण पर व्यय होने वाली राशि की सीमा तक पुनर्भरण किया जाता है।

राज्य से बाहर मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुर्दा प्रत्यारोपण कराने के लिए एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा जिन व्यक्तियों को स्वीकृति प्रदान की गयी हैं उनका विवरण परिशिष्ट 'ब' के रूप में सदन के पटल पर रख दिया गया है। राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुर्दा प्रत्यारोपण पर व्यय की गयी राशि के पुनर्भरण के संबंध में मेडिकल कॉलेजों में कोई विवरण संधारित नहीं किया जाता है, क्योंकि पुनर्भरण की कार्यवाही सम्बन्धित कर्मचारी के प्रशासनिक विभाग द्वारा ही वित्त विभाग की सहमति से की जाती है। समस्त प्रशासनिक विभागों से वांछित विवरण प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु इसमें पर्याप्त समय लगना अवश्यम्भावी है। विस्तृत सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जाएगी। दिनांक 28.3.2007 तक प्राप्त हुई सूचना परिशिष्ट 'स' के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। गुर्दा प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के नियम लागू होते हैं। जिसके अनुसार रोगी के निकट सम्बन्धी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा गुर्दा दान करने की इच्छा व्यक्त

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करने पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित ऑथोराइजेशन कमेटी की अनुशंसा पर ऐसा किया जाना सम्भव है। राज्य के बाहर गुर्दा प्रत्यारोपण करवाकर राज्य सरकार से पुनर्भरण प्राप्त करने हेतु मेडिकल कॉलेज, जयपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने का कोई प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(नियमों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुर्दा काम करना बंद कर दे तो मानव शरीर की क्या स्थिति है, हम सब उससे परिचित हैं।

श्री अध्यक्ष: यह छोड़ो आप, प्रश्न पर आओ आप तो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इसलिए ऐसे मामले में सरकार और सरकार के अधिकारियों को कितना संवेदनशील होना चाहिए इस बारे में ज्यादा बात करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। खण्ड चार के अंत में जवाब दिया गया है, 'पुनर्भरण प्राप्त करने हेतु मेडिकल कॉलेज, जयपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने का कोई प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।' यह सूचना आंशिक रूप से सही है। वर्तमान में जो पेंडिंग था लगभग साल भर से, कल शाम 28 तारीख को निकला है, इसलिए मैंने कहा कि आंशिक रूप से सही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य से बाहर जब मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में करवाते हैं इलाज तो खर्चा बहुत भारी आता है और उस बड़े खर्चे को यदि पुनर्भरण नहीं करें तो उस छोटे कर्मचारी पर बहुत वज़न पड़ जाता है जिसको वह इलाज का खर्चा भी वहन करना पड़ता है उसके बाद फोलो अप पर लगभग 10-11 हजार रुपए प्रति माह खर्चा होता है, वह भी उनको मेन्टेन करना होता है तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है उनके लिए। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जितना खर्चा बाहर के इन्स्टीट्यूशन में हुआ है उतना पूरा पुनर्भरण करे। सरकार ने किया भी है, जितनी उपलब्ध सूचना माननीय मंत्रीजी ने मुझे परिशिष्ट-स पर बताई है...

श्री अध्यक्ष: भाषण दे रहे हैं, प्रश्न तो पूछ नहीं रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उसमें 14 लोगों की सूची है। मैं यह पूछ रहा हूं सरकार से कि इन 14 लोगों में से 5-6 लोगों को तो आपने 50 हजार रुपए का पुनर्भरण कराया जबकि उनका ज्यादा हुआ, बाकी को अलग-अलग कराया। एक पांचू लाल चौधरी है जिसका खर्चा हुआ 5 लाख 43 हजार, पुनर्भरण 50 हजार, लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित, 3 लाख 07 हजार, पुनर्भरण 50

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

हजार, रामगोपाल शर्मा, 2 लाख 12 हजार, पुनर्भरण 50 हजार, इसी प्रकार के केस हैं। उसके विपरीत दूसरा उदाहरण है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सीताराम जांगिड़, 4 नम्बर पर, 2 लाख 7 हजार, पूरा पुनर्भरण, राजगोपाल राजपुरोहित, 3 लाख 23 हजार, पूरा पुनर्भरण, जगदीश प्रसाद 3 लाख 24 हजार, पूरा पुनर्भरण, श्रीमती सारम्मा, 1 लाख 92 हजार, उसको पूरा पुनर्भरण। यह पिछले आठ साल के आंकड़े हैं, जिसमें पांच साल आपके हैं और तीन साल हमारे। यहां तो कम से कम पार्टीबाजी नहीं, गुर्दे तो दोनों एक जैसे होते हैं, एक कांग्रेस और एक बी जे पी नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक यह निर्णय आपकी सरकार करे, ऐसे केस कोई हजारों में नहीं होते हैं, कुछ सौ केस होते होंगे, एक साल में कोई दस-बीस केस मुश्किल से आते होंगे। मुख्य मंत्री सहायता कोष भी हमारे पास इतना बड़ा उपलब्ध है, अन्य भी कई सारी मद सरकार के पास होती हैं तो ऐसे केस में भेदभाव नहीं हो, सबको एक समान राशि मिले जिसका जितना खर्च हुआ है उतना सारा मिले। यदि एस एम एस में इलाज कराया है तो जितना खर्चा लगा है उतना मिले और बाहर करवाया है तो जितना खर्चा लगा है उतना मिले, यह बात सरकार करने की मंशा रखती है? यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मेरा भी एक प्रश्न है। एक व्यक्ति को तो आप 5 लाख 38 हजार रुपए स्वीकृत करो और दूसरे को आप 50 हजार रुपए करो, यह इतना भेदभाव कैसे हुआ?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय मंत्रीजी ने जो सूची दी है उसमें कई कर्मचारियों को तो पूरा पुनर्भरण किया गया है। एक अपने विधान सभा का एम्प्लोयी है उसको 50 हजार दिए हैं। तो मेरा निवेदन है कि वह अपनी विधान सभा का एम्प्लोयी है, जब दूसरों को पूरा पुनर्भरण कर दिया है तो उसको भी पूरा का पूरा पुनर्भरण करना चाहिए, काफी समय से उसकी फाइल चल रही है।

श्री अध्यक्ष: यह तो होना ही चाहिए। एक को तो 5 लाख 38 हजार और एक को 50 हजार।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गुर्दे और मुर्दे में भी भेदभाव करते हैं। (व्यवधान) गुर्दे और मुर्दे में तो भेदभाव बंद करो कम से कम।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस भेदभाव की प्रवृति को समाप्त किया जाए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जिस व्यक्ति को सर्टिफिकेट कल जारी किया गया है, वह शिक्षा विभाग में अध्यापक है, उसका एक बेटा 10 साल पहले 15 साल की उम्र में गुर्दा फेल्योर से मर चुका और दूसरा बेटा उसका 5 साल का, दूसरे बेटे के भी गुर्दे फेल हुए। उनके इलाज में ताबड़ तोड़ जहां उपलब्ध हुआ उसका इलाज करवाया, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम संवेदनशील नहीं हो सकते? उसको आपने एक लाख रुपए रिकमण्ड किया है और उसका खर्चा है 4 लाख 35 हजार तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को भी पूरा पुनर्भरण करें और भविष्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि सैंकड़ों मरीज ऐसे हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाना है और यह जो मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 है, यह पूरे देश में लागू है। यहां कई मरीजों को मना कर दिया जाता है, वही मरीज पड़ौसी राज्यों में जाकर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं तो ऐसे क्या कारण हैं कि इनकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन एस एम एस में नहीं हो पाता है, उनको बाहर जाना पड़ता है।

दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है। आप अभी अगर कुछ बता देंगे, आप इतने विद्वान हैं कि पूरे 8 राज्यों के अंदर, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, यहां पर केडेवर ट्रांसप्लांटेशन लॉ लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट के कारण ब्रेन डेथ हो जाती है तो उसके रिश्तेदार उसके गुर्दे को दूसरे व्यक्ति को लगाने की परमिशन दे देते हैं तो क्या राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है कि यह कानून लाएंगे, यदि लाएंगे तो कब तक लाएंगे जिससे कि यह हजारों मरीज जो इधर-उधर भटक रहे हैं उनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन में सहायता मिल जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जोगेश्वर गर्ग के प्रश्न पर मैंने सारे तथ्य एकत्रित करवाए तो मुझे स्वयं को भी यह लगा कि इसमें एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है और नियम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विभिन्न है। लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग पुनर्भरण नहीं करता है, पुनर्भरण उसका पेरेंट डिपार्टमेंट करता है। हमारे यह नियम है कि जो चिकित्सा हमारे यहां उपलब्ध नहीं है उसके लिए हम बाहर रिकमण्ड करते हैं जो हमारे यहां उपलब्ध है उसका भी इलाज कोई बाहर करवाना चाहता है तो जितना खर्चा हमारे यहां हॉस्पिटल में लगता है उतनी राशि के पुनर्भरण की चिकित्सा शिक्षा विभाग रिकमण्ड करता है। यह बात सही है कि जो 14 की सूची मैंने प्रस्तुत की है विभिन्न विभागों से लेकर, उसमें यह भेदभाव है। कुछ लोगों को तो 50 हजार रुपए ही दिए गए हैं, कुछ लोगों को 10 लाख रुपए भी दिए गए हैं, 1 लाख भी दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: 1 लाख भी दिया गया है, 10 लाख तो किसी को नहीं है लेकिन 5 लाख 38 हजार दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 5 लाख भी है। (व्यवधान) नहीं 10 लाख नहीं है ...(व्यवधान) 10,65226 भी है नम्बर दो पर, मदनलाल वर्मा, सहायक लेखाधिकारी, आवासीय आयुक्त, बीकानेर का है, वह दिया है तो इसमें वह जो विभाग होता है पेरेंट, वह विभाग, इसमें मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, यह सारी सरकारों के समय का है, इन तीन साल का मामला नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें उसका विभाग रिकमण्ड करता है, अपने वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर जारी करता है। हम इसमें इतना ही कर सकते हैं कि प्रश्न अभी तो माननीय सदस्य, जोगेश्वरजी गर्ग ने पूछा यह बात सही है कि हमारे शिक्षा विभाग के ही एक कर्मचारी का हुआ था, उसकी हमने सारी जांच करवाई। वह ऐसा था कि उनकी तबियत अचानक खराब हो गई और उनको गुजरात में भर्ती होना पड़ा तो कल हमने इस बात की जांच करवा ली, मेडिकल बोर्ड से, उन्होंने कहा कि वह जयपुर लाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उनको इमर्जेन्सी में वहीं उनका इलाज करवाना पड़ा। तो हम उसको रिकमण्ड करेंगे कि इसका भी पुनर्भरण पूरा किया जाए। और शिक्षा विभाग भी चूंकि मेरे पास है तो मैं उसको पूरा कराने की ..(व्यवधान)

(समय : 12.00 बजे)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने जो राइडर डाल रखा है मेडिकल कालेज, जयपुर का उसको क्यों नहीं हटाते? जब आपने दो चीजें फिक्स कर लीं, नम्बर एक, कि जितना आपका रिएम्बर्स का अमाउंट है उतना ही रिएम्बर्स

(डा. सी.पी . जोशी)

करेंगे तो जो आदमी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से रेफर होकर जयपुर आये फिर बाहर भेजे उसकी बनिस्बत आप नियम में परिवर्तन कर दीजिए कि वहां का डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल का डाक्टर बाहर के लिए रिकमण्ड कर रहा है तो आपको उसको यहां एसएमएस में लाकर रिकमण्ड करने की जो कंडीशन है उसको वेव करना चाहिए।

नम्बर दो, विभाग के बनिस्बत जो एक्चुअल खर्चा माननीय सदस्य ने बताया, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में विभाग जितना पैसा दे बाकी जो पैसा बच रहा है वह मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से टाई-अप कर ले जिससे उनको पूरी राशि मिल सके। इसके संबंध में आपको नियम बनाने चाहिए, बाकी आपकी व्यवस्था में कोई गलती नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था यह बात ठीक है, गुर्दा का जो रोगी है एक बार उसका इलाज हो जाता है उसके बाद भी ट्रांस्प्लांट के बाद भी रेगुलर रूप से उसको जो खर्चा उठाना पड़ता है वह किसी भी सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। और सरकारी कर्मचारी तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं जो भावनाएं आई हैं उनसे माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराऊंगा कि एक्चुअल जितना खर्चा होता है उतना विभाग दे सकते हैं तो चिकित्सा शिक्षा विभाग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसमें मदद करेंगे और इस केस में भी हम पूरी मदद करेंगे। दूसरी जो अभी माननीय बैद साहब ने कहा है ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): एक मिनट पूरा कर लूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): विधान सभा का एम्प्लोई है उसके लिए भी तो बताओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बता रहा हूं, सबके लिए लागू होगा वह तो। इसमें एक और चाहते हैं जो मानव अंग के बारे में 1994 के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करते हैं, नये नियम बनाने के लिए आपने जो बात कही है, विभिन्न राज्यों में भी कानून बना है। कानून तो बहुत आवश्यक है उससे मृतक का कोई रिश्तेदार अपने गुर्दे, आँख डोनेट करना चाहता है तो इस संबंध में विचार करके आवश्यक कानून जल्दी से जल्दी लाया जा सकता है। मरीज

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के हित में ऐसा कानून लाने में राज्य सरकार बिलकुल तत्पर रहेगी और ऐसा कानून हम बनाना चाहेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस मामले में भी हम रिकमण्ड करेंगे।

जहां तक एसएमएस का सवाल है एसएमएस मेडिकल कालेज स्वयं, हमने किसी का भी, केवल एक मामले को छोड़कर जिसमें एक भूतपूर्व विधायक की पत्नी का सवाल था एक लाख 50 हजार की रिकमण्ड की है, बाकी हमने 50 हजार के अलावा किसी की रिकमण्ड नहीं की। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राइडर क्यों लगा रखा है? वहीं डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल में पता पड़ जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): किडनी के लिए विशेषज्ञों की समिति बनकर उसकी जांच करके रिपोर्ट करती है। मैं देख लूंगा अगर डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल के माध्यम से किया जा सकता है तो उस पर विचार कर लेंगे और उसमें विशेषज्ञों की समिति से ही जांच करना हो तो वहां करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: एक बात और है, जिन्होंने गुर्दा प्रत्यारोपण करवाया है इनमें से सर्वाइव कितने लोगों ने किया है? क्योंकि सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है। पांच-छह महीने बाद मोस्टली चले जाते हैं, मैं अपनी जानकारी जैसी रखती हूं, तो आप यह भी करें कि इतने लोगों ने किया है, अब सर्वाइव कितने कर रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे यह नहीं है, मैं इनके बारे में तो नहीं कह सकता, मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन 5-5, 8-8, 10-10 साल तक के, 10 साल का तो मुझे भी ध्यान है, हमारे पड़ौस के हैं, मेहताजी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कराकर आये थे। बहुत लोग हैं, ऐसे लोग हैं ..(व्यवधान) इनके बारे में मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन अब दवाइयों के कारण से, जो नई दवाइयां निकली हैं ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जानकारी करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह जानकारी कर लेंगे। जो लोग कराकर आये थे उनमें कितने लोगों की सर्वाइवल रेट कितने साल की रही है, वह पता कर लेंगे। बाकी आजकल जो दवाइयां निकल गई हैं उसके कारण से रेट बढ़ गई है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, जिस मरीज की मैं बात कर रहा हूं सौभाग्य से वह सर्वाइव कर रहा है और उसने ठीक रिकवर कर लिया है। लेकिन उसके पिता अब आर्थिक रूप से बहुत टूट चुके हैं और तत्काल उनको मदद नहीं मिली तो आगे उस बच्चे को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आप वित्त मंत्रालय को अग्रेषित कराएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनको तत्काल मदद कराएंगे, जितनी मदद करा सकते हैं तत्काल कराएंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): पूरी-पूरी मदद करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ और मंत्री घूम रहे हैं और आप खड़े हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. डा. बुलाकीदास कल्ला एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से पैराटीचर्स को नियमित अध्यापक नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

दिनांक 6 मार्च, 2007 को इस विषय पर मंत्री महोदय ने विस्तृत रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी थी, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से चिड़ावा में मंदिर माफी की जमीन खसरा नं. 618 में छुट्टियों का फायदा उठाकर चार दुकान बना दिये जाने के संबंध में।

स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। कल दिनांक 28 मार्च, 2007 को नगरीय विकास की मांग पर चर्चा के समय इस विषय में माननीय सदस्य बोल सकते थे, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री हरिमोहन शर्मा एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा निजी भोज पर लगभग 75000 रुपये की राशि खर्च करने के संबंध में।

इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(श्री अध्यक्ष)

4. डा. सी.एस. बैद एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से सर्वशिक्षा अभियान में राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा समुचित राशि उपलब्ध करवाने के बावजूद भी दोहरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर बच्चों को सहायता से वंचित करने के संबंध में। इस प्रकार स्वयं वहां के टीचर्स द्वारा उन रुपयों का घालमेल करने के संबंध में।

हालांकि शिक्षा की मांग पर चर्चा हो चुकी है, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी विषय की गम्भीरता को देखते हुए माननीय सदस्य डा. सी.एस. बैद को तीन मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

एक तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि विशेष उल्लेख के अंदर 250 शब्दों तक अपनी बात को सीमित रखें। कई माननीय सदस्य 250 नहीं बल्कि 1000 से अधिक शब्दों का उसमें प्रयोग करके बहुत लम्बा-चौड़ा बना देते हैं। इसलिए मेहरबानी करके इस बात को मैं कई बार कह चुकी हूं, भविष्य में ध्यान रखें।

1. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी के दुन्दाड़ा, डोली, झंवर, सालावास, लूणावास कलां आदि विद्यालयों में वाणिज्य व विज्ञान संकाय शुरू करने के संबंध में।

2. डा. सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से विकलांग प्रमाण पत्र बनाने वाले चिकित्साधिकारियों के पद को क्रमोन्नत कर कनिष्ठ विशेषज्ञ करने के संबंध में।

आप पदों को क्रमोन्नत करवा रहे हैं या जो आलरेडी कनिष्ठ विशेषज्ञ हैं उनके ही द्वारा इन प्रमाण-पत्रों को देने की बात कह रहे हैं।

3. श्री टीकम चन्द कान्त, सदस्य की ओर से परम्परागत समय से रास्ते मौके पर उपलब्ध होते हुए भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री हीरालाल मीणा, सदस्य की ओर से ईसरदा बांध के ओवरफ्लो पानी को ढील व मोरेल बांध के भराव हेतु देने के संबंध में।

5. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से जिला करौली के पांचना

(श्री अध्यक्ष)

बांध का पानी आसपास के गांवों को लिफ्ट द्वारा उपलब्ध करवाने के संबंध में।

6. श्री पूंजी लाल परमार, सदस्य की ओर से डूंगरपुर के सार्वजनिक चिकित्सालय को ''ए'' श्रेणी का करने के संबंध में।

7. मो. माहिर आजाद, सदस्य की ओर से 129 मदरसा पैराटीचर्स को 5 वर्ष का मानदेय तथा प्रशिक्षण दिलवाने के संबंध में।

8. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से जिला झुंझुनूं के भापर निवासी एक व्यक्ति को उसकी जमीन व कुएं से पीटकर निकाल दिये जाने की घटना के संबंध में।

9. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की चिकित्सा सुविधा में विस्तार करने के संबंध में।

10. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से बालेसर की ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ के उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम परिवर्तित करने के संबंध में।

11. श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से ईस्ट-वेस्ट कारीडोर (नेशनल हाइवे-76) के चार लेन निर्माण कार्य में पीली मिट्टी आपूर्ति हेतु ठेकेदार द्वारा चरागाह भूमि एवं तालाबों का स्वरूप नष्ट करने के संबंध में।

12. श्री लालचन्द, सदस्य की ओर से गंगनगर प्रणाली की नहरों के किनारे काटे गये पेड़ों के स्थान पर नये वृक्ष लगाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई उपरोक्त विषयक सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। डा. चन्द्रशेखर बैद।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपके चेम्बर में बात हुई थी, आपके चेम्बर में हम मिले थे आपको उसके बारे में देना है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पैराटीचर्स की जो बात उठायी है ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष आप क्या फरमा रहे हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय बी. डी. कल्ला साहब ने पैराटीचर्स की समस्याओं को उठाया है, उनको रेगुलर करने के बारे में आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उसको आपने आउटराइट रिजेक्ट करके 5

(श्री रामनारायण चौधरी)

मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया। कृपा करके इसमें पुनर्विचार कर बी.डी. कल्ला को बोलने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, 6 मार्च को इस बारे में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है और शिक्षा मंत्रीजी जवाब दे चुके हैं, अब पुन: कैसे उठाया जाएगा वह प्रश्न, आप तो पुराने बहुत, जिसे कहना चाहिए वरिष्ठ सदस्य हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उस वक्त घोषणा नहीं की, उन्हें नियमित ...

श्री अध्यक्ष: आप कहें तो शिक्षा मंत्रीजी ने सुनिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप स्वयं भी उठाती रही हैं पैरा टीचर्स की समस्याएं।

श्री अध्यक्ष: बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप कहें तो, आप लोग बोलते हैं और बोल कर चले जाते हैं। ...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

धौलपुर में एक व्यक्ति के नकेल डालने विषयक

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): साहब, पति के नकेल डाल कर पत्नी से बलात्कार बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: No, the Chair is on legs. (व्यवधान) I say sit down. Sit down ...(व्यवधान)

आप कहें तो जो शिक्षा मंत्री ने कहा है वह मैं पढ़ कर सुना दूं आपको ? क्या कहा है उन्होंने, अब क्या चर्चा करना चाहते हैं और शिक्षा मंत्रीजी से जो उस दिन वह क्या कहेंगे शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षा की मांग के रोज जो कुछ यहां पर सदन में कहा है, आप कहो तो पुनरावर्ती कर दूं? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): शिक्षा मंत्रीजी मौन धारण करके क्यों बैठे हैं? (व्यवधान) आप क्या करेंगे उन पैरा टीचर्स के बारे में?

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी क्यों बोलेंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पैराटीचर्स को आप नियमित कर रहे हैं क्या ? सीधा सा इतना सा सवाल है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनका जवाब दे दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): संविदा टीचर्स को नियमित किया गया, शिक्षा कर्मियों को नियमित किया गया, क्या अब पैरा टीचर्स को नियमित करेंगे तो कब तक करेंगे, चलो हम इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। सीधी सी बात यह है कि पैरा टीचर्स दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज 7-8 वर्षों से उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही जानना चाहता हूं कि उनको कब तक नियमित कर दिया जाएगा? वह एक जैसा काम कर रहे हैं, बराबर पाठशालाओं में अध्यापकों की तरह पढ़ा रहे हैं और उनको वेतन जो दिया जा रहा है वह बहुत कम है। जो पूर्व में शिक्षा कर्मी आपकी सरकार ने लगाये थे लेकिन उनको हमने प्रोत्साहन दिया और वह नियमित हो गये बाद में धीरे-धीरे।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको कब समय दिया बोलने का? (व्यवधान) मैंने आपको कब समय दिया बोलने का ? ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, आपकी लिबर्टी लेते हुए।

श्री अध्यक्ष: कैसे ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं तो इतना ही कहता हूं कि इनको कब तक नियमित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: वह तो ठीक है आपकी बात।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं, सरकार को स्वयं को ही आगे होकर इस घटनाक्रम पर प्रकाश डालना चाहिए था, अपना वक्तव्य देना चाहिए था। लेकिन यह शर्म की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि धौलपुर में बलात्कार के आरोपियों ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, सिट डाउन, अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, नो, सुनिए, अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर न करें। I will name you. I will name you. माननीय सदस्य, आप शेर की तरह दहाड़ रहे थे। और सुबह मैंने इनसे कहा, मैंने खुद कहा, मैंने कहा इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज को आपको समझ में आता नहीं है और इस पर आप लोग कुछ उठाते नहीं हो और आप ऊटपटांग यहां पर देते हो स्थगन प्रस्ताव ऊटपटांग पर्चियों पर देते हो। यह इश्यु आपको उठाना चाहिए था जब इन्होंने कहा हां, बात तो सही है और अब आप दहाड़ रहे हो यहां पर। जो भी आपका काम है, आप करते नहीं हो और सरकार का भी काम था, आपको भी जब अख़बार पढ़ा तो इस राज के अन्दर जिसे कहना चाहिए असामाजिक तत्व और ऐसे लोग हों जो गुनहगार हों उनकी इतनी हिम्मत हो जाए कि दुबारा जाकर के नाक में नकेल डाल लें, हाथ तोड़ दें और अपन अपनी तरफ से कुछ न करें, गृह मंत्रीजी। लेकिन यह इश्यु आपको स्थगन प्रस्ताव के जरिए लाना चाहिए था, आपको पर्ची के जरिए लाना चाहिए था, आपको और किसी तरीके से लाना चाहिए था। लेकिन आप अब आकर के जब मैंने याद दिलाया तो शेर बन गये आप यहां आकर और कोई नोटिस दिया नहीं आपने और यों ही खड़े होकर कहने लगे। (व्यवधान) मंत्री जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने भी इस गम्भीर विषय पर चिंता जाहिर की।

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने भी इस गम्भीर विषय पर चिंता जाहिर की और जैसा अख़बार में जिसने भी हम सब ने पढ़ा, हमको भी इसके बारे में काफी गम्भीर लगा।

श्री अध्यक्ष: दिल दहला देने वाली बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): हमने तुरन्त यह घटना जो 25 तारीख रात की बताते हैं, 28 तारीख सवेरे पत्रिका के वहां के महेन्द्र मंगल के साथ ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए एस पी के पास आए, लगभग साढ़े 11 बजे, एस पी ने स्वयं इनको थाने पर भेजा और 2 बजे, 1.45 पर इनकी एफआईआर दर्ज हुई। दर्ज होने के साथ इनको मेडिकल के लिए धौलपुर भेजा और इसके पति के साथ और इसकी मां के साथ जो मारपीट हुई, लोकल जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वहां का स्वयं जिस गांव के हैं, वहां मेडिकल कराया इनका। और क्योंकि बात सुनने में एकदम ऐसी लगती है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई है धौलपुर की उसमें किसी प्रकार का कोई बलात्कार होना प्रमाणित ही नहीं है, मुकदमा इनके कोई आपसी रंजिश होगी, किसी कारण से एक मुकदमा 10.1.2007 को ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, गृह मंत्री जो अख़बार में फोटो आई है, वह पति को यहां पर नाक के अन्दर रस्सी डाले हुए दिखाया है तो मतलब यह गलत है, वह बात ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि एक विषय तो हो गया कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ, उस विषय का तो मेडिकल रिपोर्ट से अपनी जगह प्रमाणित हो गया कि नहीं हुआ। रहा सवाल यह कि नकेल डाली नहीं, स्वयं एस पी इस समय मौके पर हैं। सवेरे मेरी बात हुई है, वह स्वयं ही सारे के सारे प्रकरण को देख रहा है कि यह नकेल डालने वाली जो बात आई है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या तथ्य किस तरह से हैं। क्योंकि इस तरह के दो तीन प्रकरण पहले भी इस सदन में बड़े सनसनीखेज मामले उठे। एक, कुछ लोगों ने जो पिछले वाला प्रकरण था उसमें स्वयं ने अपने नकेल डाली। इस प्रकार एस पी स्वयं मौके पर हैं, अगर वस्तु स्थिति में वास्तव में नकेल डाली गई है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। लेकिन प्रमाणित होने के बाद। केवल कह देने मात्र से किसी को मुलजिम बना दिया, यह सम्भव नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसी घटना की रिपोर्टिंग आज तक किसी अख़बार में नहीं हुई और ऐसी घटनाएं लाखों ....

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। (व्यवधान) लो अब आप बैठ गये ...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष आपके सदस्य खड़े हो जाएंगे तो आप बैठ जाओगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी तरफ से मुझे थोड़ा डर था। मैं यह कहता हूं कि ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत, बहुत, बहुत कम होती हैं और होती ही नहीं हैं। इस घटना की मेडिकल रिपोर्ट को ही आधार मान कर आप इसका निर्णय नहीं कर सकते। आसपास के वातावरण से मालूम करना चाहिए कि क्या घटना वास्तव में घटी है? और घटी है तो महिला के

(श्री रामनारायण चौधरी)

बयान के आधार पर और पति के बयानों के आधार पर केस बनना चाहिए और उनका चालान होना चाहिए, उन्हें सज़ा कराई जानी चाहिए। और आसपास की घटना, आसपास के वातावरण से साबित हो जाए तो इनका चालान होना चाहिए। आप मुझे यह बताइए कि उस थाने में क्यों नहीं गये यह रिपोर्ट कराने के लिए, उनको एस पी के पास क्यों आना पड़ा ? थाने में जाकर रिपोर्ट इनको करानी चाहिए थी, वह क्यों नहीं कराई ? क्योंकि थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वह थाने में क्यों नहीं गये इसका जवाब मैं नहीं, वह स्वयं ही दे सकते हैं कि वह थाने में क्यों नहीं गये। पर मेरा यह है कि थाने में नहीं गये, सीधे एस पी आफिस में गये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, वह थाने में गये लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं ऐसा नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसी कोई चीज छिपाने की कोई मंशा नहीं, न अगर उसने अपराध किया है तो उसको बचाने की मंशा है, अगर घटना हुई है तो उसको दण्ड मिलेगा। मुकदमा दर्ज है, मुकदमे की तफ्तीश हो रही है, स्वयं एस पी इस मौके की गम्भीरता को समझ कर के स्वयं तफ्तीश के लिए वहां गया हुआ है, उसकी जो वह रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्य, इस प्रकार के जघन्य अपराध को न तो कोई मैं बचाना चाहता हूं, न सदन और जिसने भी पढ़ा वह उसको बचाना नहीं बचाता है, जो अपराध हुआ है, उसकी निश्चित रूप से जांच हो रही है। और जांच होने के बाद अगर यह प्रमाणित होगा कि उसने नकेल डाल कर उसके साथ यह बर्ताव किया है या उसको ले भी गये हैं, वहां पर अभी तक की उस रिपोर्ट से जो कुछ भी आया नहीं आया फिर जांच चल रही है। उसमें नहीं आया पर जांच चल रही है, 62/07 मुकदमा दर्ज है उसकी कार्यवाही हो रही है। इस रंजिश के कारण ये ही तीन मुलजिम इन्होंने फिर लिखाये हैं जिनके ऊपर 156 (3) में इसी परिवार ने इन्हीं तीन मुलजिमों के ऊपर एक केस बनाया था जो कोर्ट में चालान हो चुका है। उसी केस के रेफरेंस में यह घटना, वो के वो मुलजिम वापस हैं, अगर इसमें सत्यता आयेगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इतना मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं। और एस. पी. स्तर पर ही करा रहा हूं किसी नीचे के स्तर पर भी नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से, आपने इस घटना की निंदा की और इसको बहुत गम्भीर माना तब मंत्री महोदय अनिच्छा के साथ खड़े हुए। अन्यथा आपको एज ए होम मिनिस्टर, आपको अख़बार को देखते ही पूरी रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी और जब प्रश्न आया था माननीय सदस्य का तो बात करनी चाहिए थी और आपको सुओमोटो स्टैटमेंट देना चाहिए था। आप जैनी हो, जैनी होकर के क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपसे पहले.....

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप जैन धर्म को कलंकित कर रहे हो, आप जैन धर्म को कलंकित कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरी आत्मा कमजोर नहीं है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे हैं? जैन धर्म को कलंकित करने की क्या बात हो गई?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं जैनी हूं या मुख्य सचेतक हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आत्मा झकझोर रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नेता, प्रतिपक्ष खड़े हैं, बैठो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष को यह अधिकार नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता को यह अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ... समाचार पत्र पढ़कर के ये अपने कार्यकर्ताओं को तथा वहां के एम एल ए को... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ... यह कहना कि जैन धर्म को कलंकित कर रहे हैं, यह क्या है? (व्यवधान) यह क्या बात हुई अध्यक्ष महोदय? ये क्या कह गये? जैन धर्म को कलंकित करने की बात कह गये आप।

श्री अध्यक्ष: आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): .... ये केवल सरकार के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, प्रतिपक्ष की भी कोई भूमिका है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो न।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये सारे राम के पुजारी हैं और माननीय होम मिनिस्टर भगवान महावीर के पुजारी हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ... अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने कहा जब तो इनको होश आया है, प्रतिपक्ष को होश आया है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): भगवान महावीर के पुजारी और भगवान राम के पुजारी हो तो सुबह-सुबह यह अख़बार में खबर पढ़ी तो आपका हृदय क्यों नहीं हिला?

श्री अध्यक्ष: आपके नेता खड़े हैं और आप भी खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): नेता खड़े हुए हैं तो ये खड़े होते हैं, इनको आप बिठाते नहीं हो। हम तो आपको यही कह रहे हैं कि इनको बिठाइये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या कर रहे हो आप? राजस्थान का होम मिनिस्टर अख़बार की खबर पढ़ ले और चिंतित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके एम एल ए क्या कर रहे हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने सम्भाल लिया नहीं तो आप क्या करते? जैसा होता वैसा हो जाता, यह तो अध्यक्ष महोदय ने सम्भाल लिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो मन की चिंता जाहिर की, मैं बहुत दुःखी मन से इस बात को कह रहा हूं कि आज आपके... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर, डोंट टॉक।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कितने सदस्यों ने चाहे स्थगन लगाया, चाहे ध्यानाकर्षण लगाया, चाहे पर्ची लगाई, उसमें आपका किसी का भी ध्यान नहीं गया। मैंने फिर भी जैसे ही घटना की जानकारी मिली, मैंने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कल ही इसके बारे में सारी जानकारी ली और जानकारी लेकर के यहां आपके सामने उपस्थित हूं। यह जरूर है कि मुझे चलकर देना, क्योंकि अभी जीरो ऑवर की व्यवस्था हो रही थी, मैंने मेरी तरफ से कोई चीज की कमी नहीं रखी। अब तक की जो जानकारी है वह मैंने हाउस में रख दी है। और यह मेरा धर्म भी है कि इस प्रकार का अपराध हो जाए और उसकी जानकारी मुझे नहीं हो तो मेरे लिए और कोई अफसोस की बात नहीं हो सकती। दुर्भाग्य यह है कि इतनी तैयारी के साथ और घटना की जानकारी के बाद सारी डिटेल और वहां के आई जी से मेरी बात हुई....

श्री अध्यक्ष: शांत रहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वहां के एस पी से बात हुई, मौके पर एस पी है उस समय उससे और बात हुई, कल जो मेडिकल हुआ उसके बारे में बात हुई। अब तक की सारी घटना की जानकारी मैंने ली है वही आपके सामने रखी है। केवल राजनीतिक दृष्टि से कि हमें चिंता ही नहीं है, हमें इस घटना का कोई अफसोस ही नहीं हो, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो और एक इंसान के नाते भी मेरा धर्म है कि अगर इस प्रकार का कुकृत्य हो जाए और उसको सज़ा नहीं मिले, यह कभी सम्भव ही नहीं है। इसलिए मैंने एस पी को स्वयं को वहां पर भेजा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बलात्कार की घटना झूठी है तो यह नाक में नकेल डालने की भी झूठी निकलेगी आप जांच करा लेना भले ही। खुद ने ही डाली होगी उसने, यह गारंटेड बात है, बिलकुल सही बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि अभी तक की जानकारी के हिसाब से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कम्पलीट करने दो। लेट हिम कम्पलीट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी तक की जानकारी कि नाक में नकेल डाली या नहीं डाली इस विषय के लिए मैंने किसी छोटे-मोटे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं मंत्रीगण। मंत्रीगण, ये क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने किसी थाने के अधिकारी को नहीं दिया, स्वयं एस पी को मौके पर भेजा है कि यह जो नाक में नकेल डालने वाली बात है इसकी सच्चाई को वो स्वयं अपनी बातों से, वहां पर जो भी एविडेंस है उसके आधार पर तय करें और यदि डाली है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगा। मैंने और किसी को नहीं, एस पी स्वयं मौके पर है और अभी घंटे-आधे घंटे में अगर वहां से रिपोर्ट होगी तो मुझे भेजेगा। मेरी जब बात हुई थी उस समय वह स्वयं मौके पर था। आई जी से मेरी बात हुई है, प्रद्युम्न सिंहजी ने भी मुझे टेलीफोन किया, मैंने उनको कहा कि मैंने सारी चीजों की जानकारी ली है और मैं चाहूंगा कि इसकी सच्चाई का पता लगे। और किसी ने अगर केवल एक सनसनीखेज खबर बनाने के लिए काम किया तो उसके खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और सीरियस है। मंत्री महोदय ने जो बात कही है कि पिछला मुकदमा जो चालान हुआ है वह भी 156 (3) में इस्तगासे में हुआ है। इसका मतलब पिछली बार जब रेप हुआ था तब भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और उसको 156 (3) में कोर्ट में जाना पड़ा। यह बहुत सीरियस बात है गृह मंत्रीजी, जिसका आपको नोटिस लेना चाहिए कि पहले बलात्कार के मुकदमे में थाने में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, क्यों उसको 156 (3) में कोर्ट में जाना पड़ा?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनो आप, थोड़ा आंखों से देख लिया करो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): .... आपकी पुलिस ने पहले भी पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: या तो उन्हें सुन लें या आप कह दें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): .... वह आपसी झगड़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई बलात्कार का नहीं हुआ, क्यों सनसनीखेज बना रहे हो इसको?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी मुझे माफ करेंगे। आज सुबह-सुबह आकर के आप ऐसे बैठे थे जैसे आप भगवान महावीर का तीर्थ करके आये हो। कोई चिंता नहीं, कोई गम्भीरता नहीं। और अध्यक्ष महोदय बोले उसके बाद भी आपके ऊपर कहीं शिकन नहीं आई, मैं आपका चेहरा देख रहा था। मैंने आपको कई बार अख़बार दिखाये हैं,

(श्री रामनारायण चौधरी)

राष्ट्रदूत मैंने आपको दिया है कि होम मिनिस्टर साहब, आपके राज में यह क्या हो रहा है। बोले, हां छाप रहे हैं अख़बार, देख रहा हूं। अख़बार छाप रहे हैं तो अख़बार वालों से ही बात करो न कि क्यों छाप रहे हो झूठे। आप होम मिनिस्टर हो राजस्थान के, अख़बार पर आप काग्नीजेंस नहीं लेंगे तो किस पर लेंगे? अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब अख़बार पर आ गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि यह प्रतिपक्ष के....

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महावीरजी, आप बात तो होने दीजिये, बीच में उठकर के कुछ भी कहते रहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, इसको भी दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष: बैठो आप, ऐसा मत किया करो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, महावीरजी नहीं थे तो 10-15 बड़ी शांति से चला। कल से आये तो कल से ही यहां माहौल खराब होना शुरू हो गया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्या बकवास कर रहे हैं महावीरजी। इसको एक्सपंज कराइये। यह क्या तरीका है? महावीर प्रसाद इन्वॉल्व हैं... (व्यवधान) क्या तरीका है? कांग्रेस के लोग इन्वाल्व हैं, ये हल्की बात करते हैं यहां बैठे हुए। मामले को शांत नहीं होने देते। कह रहे हैं कांग्रेस वाले इन्वॉल्व हैं, शर्म आनी चाहिए आपको।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह जनता अगली बार आपके भी ऐसे ही नकेल डालेगी। एक साल बाद महावीर प्रसादजी, आपके भी सब के नकेल डलने वाली है, ये हालात रहे आपके। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): .... अभी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और खुद ही वो यह कह रहे हैं कि यह बनावटी है। अब यदि वो कह रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, बैठिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, शर्म आनी चाहिए इनको।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मैं कल से कह रहा हूं कि काल्पनिक आधार पर आप कोई चार्ज न लगायें। स्वयं की जिम्मेदारी के आधार पर लगायें। इसलिए मैं कहता हूं और मैं कल से कह रहा हूं कि यह केवल काल्पनिक आधार पर... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना तो धौलपुर में हुई है तो धौलपुर के विधायक से पूछा जाए कि इसकी सही स्थिति क्या है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये। नेता, प्रतिपक्ष खड़े हैं और ये कुछ भी बकवास करते रहते हैं। यह कोई तरीका है क्या इनका? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ... मैं प्रमाणित कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह नई परम्परा मत डालिये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यदि प्रतिपक्ष यही व्यवहार करेगा और मुख्य सचेतक यही व्यवहार रखेंगे...

श्री अध्यक्ष: प्लीज सिट डाउन।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): अध्यक्ष महोदय, यह घटना धौलपुर की है इसलिए धौलपुर के विधायक से ही पूछा जाए। धौलपुर के विधायक ही बता सकेंगे, अथेंटिक तो धौलपुर के विधायक हैं, उनको ज्यादा जानकारी है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य और प्रतिपक्ष के माननीय मुख्य सचेतक अगर यही व्यवहार करेंगे तो मान्यवर आप हमें बुरा मत कहना।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नहीं हैं, वो सत्ता पक्ष के हैं। प्रतिपक्ष के नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, इनकी भाभी इनकी माता के समान थी और उनको मरे हुए महीना नहीं हुआ और यहां पर ये दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं, इनको कुछ तो लिहाज रखना चाहिए दिवंगत आत्मा के प्रति। शांति से बैठे रहना चाहिए। क्या उथला देंगे ऐसे कूदकर के आप? आप मलंग जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या कर देंगे? मान्यवर, ये तो +++ हैं। गृह मंत्री तो +++ है, किसी बात का असर होता नहीं है। अख़बार का भी नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

होता। भगवान जाने क्या इनका मन है, क्या इनका चित्त है। (व्यवधान) आप तो आप ही हो।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नेता, प्रतिपक्ष कौन से मूड में आये हैं पता ही नहीं चल रहा है। कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी से इस सिलसिले में सुबह जैसे ही मैंने अख़बार पढ़ा, मैंने टेलीफोन किया। पूजा से जैसे ही उठा तो मैंने इनको अवगत कराया, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मुनासिब समझें, मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता हूं, आप इस मामले की गहन जांच करा लें। और बेहतर यह होगा कि आपके आई जी वहां बैठे हुए हैं, भरतपुर के अंदर, अगर आप उनको भी कह दें वो भी मौक़े पर चले जाएं, सच्चाई आ जाए हम भी चाहते हैं सच्चाई आ जाए, दोषी को सज़ा मिले।

श्री अध्यक्ष: एस पी गये हैं न मौक़े पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): गये हैं वहां पर, अगर मुनासिब समझें एक वरिष्ठ अधिकारी और आयेगा। क्योंकि एस पी तो ज़िले का अधिकारी है, कल अंगुलि भी उठ सकती है कि किस प्रकार की जांच हो? अगर आई जी वहां पहुंच जाएगा तो सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। मेरा सुझाव है अगर आप इसको मुनासिब समझें तो आप यह स्वीकार कर लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): प्रद्युम्नसिंहजी, मैं आपकी बात का सम्मान करते हुए आई जी को भी बताऊंगा, वो भी जाकर के मौक़े की वस्तु-स्थिति देखें, उसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि बलात्कार वाली घटना तो झूठी है तो नकेल वाली भी झूठी है। मैंने उस फोटो को देखा है, हाव-भाव को देखने से यहां मैं यह बात ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनको भिजवा दो आप जांच करने वहां माननीय सदस्य कर लेंगे पुलिस का काम अब ...(व्यवधान) चाहे जो ही कह रहे हो, जो जानकारी में है पुलिस अपना काम कर रही है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं जांच की बात नहीं कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं यह नहीं कर रहा हूं, फोटो चेहरा देखने से आदमी के मनोचरित्र का उसके चेहरे से पता लगता है। तो यह बात कह रहा हूं कि पत्रिका में जो फोटो छपी है उस फोटो को देखने से ऐसा लग रहा है कि उसके साथ जबरदस्ती कोई सुआ से नकेल डालकर के नाथ डाल दे और ऐसे बैठा-बैठा हुआ कोई आदमी दिखा नहीं सकता। प्रथम तो उस नाथ को उसी टाइम में उसके कोई परिवार के सदस्य या खुद अध्यक्ष महोदय दर्द नहीं होता है क्या नाथ का? और निकालने का प्रयास नहीं करते, इस तरह की घटना (व्यवधान) मैं चेलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे विवेक के हिसाब से, मैं तो मेरा आईडिया और मेरा विवेक है...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आईडिया है आप पुलिस अफसर हैं क्या?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं पुलिस अफसर नहीं हूं (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो फोटो देखकर के पहचान लिया आपने अब तो सारा काम मंत्रीजी राजस्थान के आई जी को हटाकर के इनको दे दो ताकि ये फोटो देखकर के क्राइम का पता लगा लें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं अगर इस तरह की घटना घटी है तो उसको दण्ड मिलना चाहिए। पर इसके साथ-साथ (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के लिए यह (व्यवधान) घटना है इसकी वस्तु-स्थिति की भी जांच कराई जाए माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस तरह से पूरे राजस्थान में झूठी कहानी गढ़-गढ़ के सनसनीखेज बनाना बहुत ही, राज्य के हित में नहीं है यह।

श्री अध्यक्ष: निंदनीय काम है, ऐसी घटना निंदनीय है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, परसों आपसे मिले थे चैम्बर में, उसके संबंध में व्यवस्था दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: उसके बारे में मैं चाहूंगी कि मुख्य मंत्रीजी, आप भैस-रोडगढ़ वाले मामले की बात कह रहे हैं, उस भैस-रोडगढ़ वाले मामले में मैं

(श्री अध्यक्ष)

चाहूंगी कि, मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं है लेकिन पी ए डी मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगी कि मुख्य मंत्री स्वयं उस मामले को देखें और उस मामले में जांच करने की आवश्यकता हो तो जांच कराएं, ठीक है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य हैं उन तथ्यों के संबंध में आपने एक पक्ष कहा है मतलब दो तीन ईश्यू इसमें इन्वॉल्व हैं। टोटल ईश्यूज के संबंध में मुख्य मंत्रीजी से जांच कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: तो आप क्या चाहते हैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम भी यही कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं उसमें जो मुद्दा उठाया है उसमें दो मुद्दे हैं अलग-अलग संपूर्ण... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यही तो कह रही हूं मैं। मुख्य मंत्रीजी देखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके सामने बात हुई है, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि वह देख रही हैं कि क्या तथ्य हैं? अभी तो उनके सामने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जांच करने लायक हैं या नहीं, यह देख तो रही हैं... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं राजेन्द्रजी, please don't misquote. पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर महोदय, जो आपकी प्रजेंस में मुख्यमंत्रीजी से बात हुई है वह बात..

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए, आप बैठें स्थान ग्रहण करें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में जो चर्चा हुई है जिसमें पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर भी मौजूद थे। और उसके बाद में आप आये उस समय यह बात कही गई है कि सम्पूर्ण घटना के संबंध में मुख्य मंत्रीजी जांच करवा रही है, आप क्या कह रहे हो? आप दिखवा रहे हो, दिखवा रहे हो का सवाल नहीं है। दिखवा रहे हो तो चर्चा करवा लीजिए। यदि आप मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हमको सदन में, आपके यहां यह बात कहे तो मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, ऐसा है कि आपको भी मौका मिल जाए और उनको भी मिल जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो शुरू कराइए आप, शुरू कराइए। आप कहें तो, अध्यक्ष महोदय, आज के बाद मुख्य मंत्रीजी से कोई वार्तालाप नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: क्यों नहीं करेंगे?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जब ये पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर इसमें से विदड्रा करते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): विदड्रा नहीं कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): विड्रो ही कर रहे हो आप. Please don't misquote it. Call the Chief Minister and we will resign from the House. हम हाउस को रिजाइन कर देंगे मुख्य मंत्रीजी को, यह कोई तरीका है मुख्य मंत्रीजी के सामने बैठकर आप, 26 तारीख की बात हो, 28 तारीख की बात हो, विश्वास लेकर बात कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं आपकी उपस्थिति में क्या बात हुई, और आज मुख्य मंत्रीजी की अनुपस्थिति में मिस-गाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं हो सकती। मैं मौजूद था, माननीय रामगढ़ से आने वाले सदस्य मौजूद थे, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य मौजूद थे। उनसे चैम्बर में बात करके, आपके चैम्बर में आये, आपके सामने बात हुई है और आपको अधिकृत किया है हमने। यह अधिकृत करने के लिए कहा है हमने, मैं समझता हूं इससे बड़ी दुर्भाग्य मन:स्थिति मुख्य मंत्रीजी की न मैंने आज समझी है और कभी कल्पना की है कि मुख्यमंत्रीजी के कहने के बाद पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर उस चीज को डिस्टोर्ट कर दे। इस तरह से मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। आप चर्चा करवा लीजिए, हमें तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, चर्चा कराइए इसमें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चर्चा करा लीजिए हमें कोई तकलीफ नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी और आपके बीच में आपके स्वयं के कक्ष में भी बात हुई है, पहले भी बात हुई है। जो बात हुई उसमें डिस-ऑन करने की बात है ही नहीं। इन्होंने कुछ तथ्य रखे हैं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं इन तथ्यों को प्राईमरी तौर पर अभी देख रही हूं, आवश्यकता पड़ेगी, अगर जांच का विषय बनता है तो जांच कराएंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Please don't misquote it. Please don't

(डा. सी.पी. जोशी)

misquote it. अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा कराइए हम तथ्य रख देंगे सामने। We want to state facts.

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय, आपके स्वयं के चैम्बर में मुख्य मंत्रीजी ने कहा है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम आपके चैम्बर में चार मिले हैं, आज जो डिबेट चल रही है उसमें मुख्य मंत्रीजी के सामने बात नहीं करना चाहते। अन-फोरच्युनेट, वहां पर ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय कल भी आपके चैम्बर में बात हुई है। यह कोई तरीका नहीं है अध्यक्ष महोदय। मतलब, मुख्य मंत्रीजी के विश्वास में लेने के बाद हाउस को डिस्टोर्ट करना चाह रहे हैं यह कोई तरीका नहीं है। आप चर्चा कराइए अध्यक्ष महोदय. कोई तकलीफ नहीं इस बात के लिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके कक्ष में हम उस पर ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक कागज...

श्री अध्यक्ष: आप पी ए डी मिनिस्टर को पहले कह लेने दो, क्या कहना चाह रहे हैं वो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पहले बात तो सुन लीजिए उसके बाद कह लेंगे..

श्री अध्यक्ष: बात तो सुन लूंगी उनको सुन लो पहले आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बात हुई तब वहां विराजमान थे। एक-एक कागज ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनको पहले सुन लो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री को दिखाया एक-एक कागज ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब आप स्वयं बता दीजिए क्या बात तय हुई थी? हम आपके, आसन के ऊपर छोड़ते हैं आप स्वयं बता दीजिए क्या बात तय हुई थी आपके कक्ष में, आप स्वयं मौजूद थीं। आप वहां से फैसला लेकर के आये कि आप क्या व्यवस्था देंगे?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपको कौन रिफ्युज कर सकता है आप उसके बाद सीधे चैम्बर में आये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने यही तो कहा है कि मुख्य मंत्रीजी इसको देख रही हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, नहीं यह बात नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय फिर हम सॉरी कह देते हैं।

श्री अध्यक्ष: पहले मुझे पूरा तो कह लेने दीजिए। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन कर रही हूं कि मुख्य मंत्रीजी के सामने यह बात हुई है। मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा मैं इसकी जांच कराऊंगी। ठीक है, करा लो जांच इसमें क्या दिक्कत है? बात हो गई। यदि आप इस बात पर एग्री है तो मुख्य मंत्रीजी जांच कराएंगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, जांच की समय सीमा भी तय होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: और यदि आप इस पर एग्री नहीं हैं तो आप अपनी बात कह दें और ओम बिड़लाजी को मैं टाइम दूंगी वह अपनी बात कह देंगे, खतम हुई बात, ठीक है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने व्यवस्था दी थी ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप शुरू कराइए बहस, हम तैयार हैं। आप शुरु कराइए, इसमें क्या तकलीफ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के बीच में आपकी उपस्थिति में जो बात हुई उसमें आपने आसन से जो निर्देश दिए वह ठीक है। उसके बावजूद भी माननीय सदस्य यह सिद्ध करना चाहे कि दूसरे आदमी का पूरा दोष है। आप समय तय कर देना न अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अभी-अभी चर्चा शुरू कराइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दो तारीख को सदन है, दो तारीख को करा लें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में चर्चा कराइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है इस बात की।

श्री अध्यक्ष: अब कृपया स्थान ग्रहण करें नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ऐसा है। कि मैं, आप 295 वालो को तो पढ़ा हुआ मान लिया जाए, वो तो पढ़े हुए मान लिए गए। और तीन मिनट का समय चूंकि मैं व्यवस्था दे चुकी हूं श्री चन्द्रशेखर बैद बोलेंगे और उसके बाद यदि आप तैयार हैं इस बारे में चर्चा करा ली जाए।

(नियम 295 के विशेष उल्लेख के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दो तारीख को रख दें, कागज भी ले आएंगे, यह भी अपने कागज ले आएंगे।

श्री अध्यक्ष: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज ही इनके जवाब से पहले होगी, आज ही चर्चा होगी, अभी चर्चा होगी। यह कोई तरीका है? आप मुख्य मंत्रीजी को बुला लीजिए और चर्चा होगी, आज फैसला होगा उसके बाद मुख्य मंत्रीजी (व्यवधान) ऐसे थोड़े ही होगा?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आज ही करा लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा अभी कराइए ... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): चर्चा कराइये। मुख्य मंत्रीजी के विश्वास को तोड़कर हाउस में इस तरह से बातें करते हैं। मुख्य मंत्रीजी के साथ ऐसे करते हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा करा ली जाए। माननीय सदस्य, जवाब देने को तैयार हैं आज चर्चा करवा लें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री के विश्वास को तोड़कर इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं ...(व्यवधान) इन्हें क्या तकलीफ है?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप चाहें तो टाइम फिक्स कर दें माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बोल लिये हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कोई बहुमत के आधार पर आप भ्रष्टाचार रोक सकते हैं क्या? हमने मुख्य मंत्रीजी पर विश्वास रख कर ... (व्यवधान) इन्हें क्या तकलीफ है? चर्चा कराइये, इन्हें तकलीफ है क्या? बातें करना चाहते हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): ...(व्यवधान) आप आज चर्चा करो इस पर।

श्री अध्यक्ष: संसदीय सचिव तैयार हैं यदि वार्ता को। अब इनको बोलने दीजिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): हमने मुख्य मंत्रीजी से बात की। मुख्य मंत्रीजी चर्चा शुरू करवायें ...(व्यवधान) मैं राजेन्द्र राठौड़ साहब की बात नहीं मानता।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): चर्चा करने के लिए तैयार हैं न वो। तैयार हैं, वो। तैयार हैं वो खुद तैयार हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कौन होते हैं? बैठिये आप। आप कौन होते हैं?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं भी पार्टी में हूं। मैं हाउस का पार्ट हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कौन हैं, किसके पीछे बात कर रहे हैं? आप कौन हैं, किस बात पर बातें कर रहे हैं? मुख्यमंत्री से बड़े हो क्या आप?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): वो कह रहे हैं मैं तैयार हूं चर्चा कराइये न आप।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्री से बड़े हो क्या आप? मुख्य मंत्री से बड़े हो क्या? मुख्यमंत्री से बड़े आदमी हो क्या ? बातें कर रहे हैं। अपनी लोयल्टी शो कर रहे हैं । मुख्य मंत्री से बड़े हो क्या आप? बातें कर रहे हैं खड़े होकर। मुख्य मंत्री से बड़े हो क्या आप? .

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): वो तैयार हैं आप चर्चा करवा लो।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बड़े हो क्या आप? बातें कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं आप? बातें कर रहे हैं खामख्वाह। मुख्य मंत्री से बड़े हो क्या आप?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं तो यह कह रहा हूं जोशी साहब कि वो तैयार हैं आप चर्चा करो न। मैं मुख्य मंत्री से बड़ा नहीं हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) बैठ जाओ फिर क्या तकलीफ है जिस चीज का मालूम नहीं है और बोल रहे हैं अपने आप में। मालूम ही नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मुझे सब मालूम है भैंसरोड़गढ़ का मामला है मुझे सब मालूम है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्री से बड़े हो क्या आप? मुख्य मंत्री से बड़े हो क्या आप?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय सदस्य तैयार हैं आप चर्चा तो करायें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्यमंत्री से बड़े हो क्या आप?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं मुख्य मंत्री से बड़ा तो नहीं हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): हमने मुख्यमंत्री के सामने बात करके अपने तथ्य रखे और मुख्य मंत्री से सहमत हुए हैं। बातें करने लग जाते हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं तो आपकी ही बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इनकी ही बात कर रहा हूं। माननीय सदस्य तैयार हैं चर्चा करवा लें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सब तैयार हैं । मुख्य मंत्री से बड़े हो क्या आप?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं मुख्य मंत्री से बड़ा तो ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्री का ...(व्यवधान) खतम करना चाहते हैं। बातें करना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष का अजीब नक्शा है। हर मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष: क्यों बने हुए हो मुख्य मंत्री?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप हैं या आपके पीछे वाले हैं या वो या वो हैं या ये इधर वाले हैं कौन सा मुख्य मंत्री है? सब मुख्य मंत्री बन रहे हैं । जब बात यह हो गयी, अध्यक्ष महोदय की बात जब हो गयी मुख्य मंत्री से, और जांच करवाएंगी, व्यवस्था दे दी, वो आएंगी तब बात

(श्री रामनारायण चौधरी)

करेंगे। अभी चर्चा कराओ तो अध्यक्ष महोदय, चर्चा प्रारम्भ मुख्य मंत्रीजी करेंगी चर्चा प्रारम्भ मुख्य मंत्रीजी करेंगी। ये उछल रहे हैं इनका क्या भरोसा है ये तो कोई जिम्मेदारी की बात नहीं करते। मुख्य मंत्रीजी खुद चर्चा करें।

श्री अध्यक्ष: इनको आप जिम्मेदार नहीं समझते किसी को भी?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): नहीं, भगवान है इनका तो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में यह लाये हैं कि उनके कार्यालय का इस प्रकरण में दुरुपयोग किया गया है। इसलिए इस पर चर्चा उनकी उपस्थिति में हो यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: तो ठीक है। जब चर्चा होगी तो मुख्य मंत्रीजी आ जाएंगी यहां पर, क्या दिक्कत है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ठीक है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का मामला बता रहे हैं, इसमें कुछ पार्ट वन विभाग से संबंधित भी है। मुख्य मंत्रीजी के सामने आपने चर्चा की है। बात हुई है। तो मेरा निवेदन है कि ये आप स्थगन प्रस्ताव के द्वारा या किसी माध्यम से अगर आप चर्चा ही कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दो तारीख को आप रख दें, चर्चा कर लेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...(व्यवधान) दो तारीख को सरकार भगेगी। भगेगी सरकार दो तारीख को।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान) आज ही आपने व्यवस्था रखी है और आज चर्चा कराइये ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): Mr. Parliamentary Affairs Minister, do you want to backtrack the decision?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): क्योंकि चर्चा में मुझे भाग लेना है और अकस्मात आपका स्थगन प्रस्ताव था नहीं ...

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप क्या कहना चाहते हैं बोलिये, स्पीकर के सामने फिर क्या करना चाहते हैं?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आपकी पर्ची कोई थी नहीं और किसी और माध्यम से आप लेकर नहीं आये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं-नहीं, माननीय मंत्रीजी विराजिये एक मिनट। आज सुबह माननीय मुख्य मंत्रीजी के चैम्बर में वार्ता हुई है हमने अपने तथ्य मुख्य मंत्रीजी के सामने रखे, उन तथ्यों के आधार पर मुख्य मंत्री जी ने हमें कहा कि मैं इसकी जांच कर रही हूं । हम संतुष्ट हैं। यही बात अध्यक्ष महोदय के वैश्म में हुई है और क्या चर्चा की बात करना चाहत हैं ? न हमने आरोप लगाया किसी पर कल न पूछेंगे रूल, तो क्या हमने आरोप लगाया किसी पर ? तो फिर किस बात की चर्चा हो रही है? मुख्य मंत्रीजी के विश्वास को तोड़ने का काम पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, यह काम आप मेहरबानी करके न करें अन्यथा हम मुख्य मंत्रीजी के चैम्बर में कभी आकर नहीं मिलेंगे। दो बात नहीं हो सकती और अध्यक्षजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं, आप तो उस वार्ता के बाद उठ कर सीधे चेयर पर आ गयी फिर चेंज करने की आवश्यकता क्या पड़ी? जब हमने आपको ट्रेस करके कहा कि अध्यक्षजी जो व्यवस्था देंगी, मानेंगे। उसके बाद यह कौनसी स्लिप आ रही हैं और कौन इसको प्रभावित कर रहा है? और फिर भी आप चर्चा कराना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है आप रूलिंग कर दीजिये। हमने आपको पहले ही पूरे अधिकार दे रखे हैं । आप कह कर गईं थीं चर्चा कर लेना मेरी एब्सेंस में । हम डिप्टी स्पीकर साहब से मिल लिये। कल हम प्रद्युम्न सिंहजी और सब आपके चैम्बर में मिले। हमने आपको कल कंविंस किया फिर भी आप चाहते हैं चर्चा कराने का। चर्चा का हमारा अधिकार है हमने किसी पर आरोप लगाया जो खड़े होकर बोल रहे हैं? हमने किसी पर आरोप लगाया, लिख कर दिया हमने क्या? हमने क्या लिख कर दिया? तथ्यों से हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वहां मौजूद हैं और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, जो बात मुख्य मंत्रीजी ने कही है Do you stand by this or not?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): Yes.

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): That's all. फिर क्या इश्यु बन रहा है? फिर स्लिप लिखकर क्यों भेज रहे हो मुख्यमंत्री के पास?

श्री अध्यक्ष: डा. चन्द्रशेखर बैद।

सर्वशिक्षा अभियान में बच्चों को दिये जा रहे मिड-डे मील में विसंगतियां

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सालों से बार-बार लगातार यह सवाल उठ रहा है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिड डे मील में जितना पैसा केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार को उपलब्ध करा रही है उसके बारे में राज्य सरकार अलग-अलग तरीके से अलग अलग प्रतिवेदनों में गलत आंकड़े प्रस्तुत करके और यह जताने की कोशिश कर रही है कि हम मिड डे मील एक करोड़ दो लाख बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं वहीं रूरल डवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है ..

श्री अध्यक्ष: आप मेरे और इनके बीच में क्यों आ रहे हो? फिर वो ही बात। समझायें नेता प्रतिपक्ष, अपने माननीय सदस्यों को।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ... उसमें यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि 74 लाख बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध करा रहे हैं तो यह विवाद शुरू से चल रहा है कि बच्चे कितने हैं, नामांकन कितने हैं, उनके नामांकन कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हैं, कहीं उनके नामांकन आंगनबाड़ी में भी हैं और सरकारी स्कूल में भी है, प्राइवेट स्कूल में भी हैं और तीनों जगह मिड डे मील का पैसा उठाया जा रहा है। इसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी खबरें..

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीगण, बातें कर रहे हैं और वो कोई बात कह रहे हैं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: नहीं वो सुनने लायक बात है कि एक ही बच्चे का तीन जगह मिड डे मील उठाया जा रहा है। तीन जगह नाम है बहुत गलत बात है आप कम से कम सीरियसली लें इसको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बिलकुल गलत कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: गलत कह रहे हैं तो आप बता दीजियेगा, उन्हें कहने तो दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: खाद्य आपूर्ति में थोड़े ही आएगा यह। यह तो मिड डे मील में आएगा।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन साल में जितने नामांकन दर्ज किये गये और जितने बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराया गया है तो

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सरकार के अलग-अलग आंकड़ों में अलग-अलग प्रतिवेदनों में नामांकन की संख्या अलग-अलग दी गयी है। अनेक बार समाचार पत्रों में ...

श्री अध्यक्ष: एक बच्चे का नाम यदि तीन जगह हो तो आप दृष्टांत दो।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं बता रहा हूं वो एक मिनट मैं मेरी प्रस्तावना तो बना दूं मैडम। तो इससे जाहिर होता है कि जो केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार को मिड डे मील के तहत पैसा उपलब्ध करा रही है उसका सही प्रकार से सदुपयोग नहीं हो रहा है। और इसके बारे में अनेक बार शिकायतें भी आ गईं। और यह मामला उठाने का मुख्य कारण यह था कि एक जो ब्लॉक है, नोखा ब्लॉक। नोखा ब्लॉक में स्पष्ट परिणाम मिल गये हैं और वो प्रमाणित परिणाम हैं और उनको मैं टेबल भी करना चाहूंगा कि जो स्कूलें बंद पड़ी हैं जिन बच्चों का नामांकन रजिस्टर में अंकित हैं उन्हीं बच्चों का प्राइवेट स्कूल में भी है उन्हीं बच्चों का नामांकन आंगनबाड़ी में भी है तो एक ही बच्चे का ..

श्री अध्यक्ष: हां, नोखा में तो है यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): प्राइवेट स्कूल को नहीं मिलता है मिड डे मील।

श्री अध्यक्ष: उनको नहीं मिलता हो लेकिन उनके नाम दूसरी जगह हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): एक नाम के दस आदमी मिल जाते हैं साहब यह बकवास है बिलकुल।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं-नहीं।

श्री अध्यक्ष: वहां पर जब नाम है इसका मतलब यह है कि वो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये बिलकुल राज्य को बदनाम करने का दुष्प्रयत्न है कांग्रेस पार्टी का। ये बिलकुल बर्दाश्त की बात नहीं है। बिलकुल राज्य सरकार बिलकुल ठीक काम कर रही है एक दो जगह किसी बच्चे का गलत नाम हो उसमें आप राज्य सरकार को बदनाम करना चाहते हो।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नोखा के अन्दर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, कहीं नहीं है। ये फर्जी हैं और हैं भी तो आपके बनाये हुए हैं फर्जी हैं ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं-नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): डायस के द्वारा जांच हुई है डायस के द्वारा जांच है प्रमाणित आंकड़े हैं ऐसे थोड़े हैं, अध्यक्ष महोदय। राज्य सरकार जो काम कर रही है राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में तो कुछ मिलता नहीं है और एरीगैरी कोई बात लेकर सदन में बिना मतलब समय खराब करना चाहते हैं। कोई मतलब ही नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये मिड डे मील में जो पहले स्कूलों में मिड डे मील बनता था अब वो सेटल्ड किचन से बन रहा है उसके कारण कुछ लोगों ने जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता ऐसे लोगों ने षड्यंत्र करके ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): षड्यंत्र है बिना मतलब बकवास है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): .. ऐसा केस भी बनाया है और ऐसा भी है अध्यक्ष महोदय, जहां अच्छा खाना मिल रहा है ताजा खाना मिल रहा है उसको भी उन्होंने पता नहीं कहां से सड़ा गला खाना, रोटी कबाड़ी और उसमें कीड़े पड़े हुए और ऐसा टीवी में दिखाया ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, गलत है ये आंकड़े गलत हैं फर्जी आप भी फर्जी हो और कांग्रेस भी फर्जी है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): .. मुझे आश्चर्य हुआ कि सर्दी के दिनों में कीड़े पड़ते नहीं। सर्दी में कीड़े नहीं पड़ते ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बिलकुल फर्जी है आपके खिलाफ तो पुलिस में केस रजिस्टर होना चाहिए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और उसमें कीड़े पड़ रहे थे ...(व्यवधान) ये सारा षड्यंत्र उन लोगों का है जो कि पहले मिड डे मील का बहुत बड़ा दुरुपयोग करते थे अब एक पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, जितने बच्चों का नामांकन कितना ही हो जितने उपस्थित होते हैं उतना ही पर डे भोजन बनता है। एक बच्चे का भी ज्यादा नहीं बनता है और हमारी प्रशंसा भारत सरकार ने की, और बिलकुल

(श्री कालूलाल गुर्जर)

यह कहा है, महाराष्ट्र सरकार तो यहां इस पैटर्न को सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए यहां पर अधिकारियों को भेज रही है। और हमारे यहां एक अच्छा कार्य हो रहा है जिसकी प्रशंसा सर्वत्र हो रही है। हिन्दुस्तान के सब राज्य कर रहे हैं। भारत के सब राज्य कर रहे हैं और उसके लिये जान बूझ कर षड्यंत्र पूर्वक इसको बदनाम करने के लिये ऐसे मामले उठाये जा रहे हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी खाली सिरोही जिले में मिड डे मील में एसीडी ने 5 मुकदमें दर्ज किये हैं, आपकी जानकारी में है या नहीं है और आपके 5-5 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। किस मुंह से आप अपने आपको सर्टिफिकेट दे रहे हो । (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ... (व्यवधान) आपको इस्तीफा दे देना चाहिये आप काहे के जनप्रतिनिधि हो ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मिड डे मील के मामले में एक जांच समिति बनाई थी, आपके मिड डे मील के मामले में कोई जांच ही नहीं की।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिए । (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमारा राज आने के बाद की कोई शिकायत नहीं है और करोडों रुपये का इनके टाइम का घोटाला निकला है ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य, बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य । जिस माननीय सदस्य ने अपना स्थगन प्रस्ताव दिया है और आसन ने यदि बोलने का मौका दिया है तो उन्हें आप बोलने दें और सरकार को इस बात का पूरा अधिकार होगा कि सरकार जवाब दे । लेकिन बात तो सुनिए आप। आप खडे होकर ऐसे ही कहने लग जाते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, सुनो बात ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): अध्यक्षजी, मैं ज्यादा नहीं कह कर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नौखा ब्लाक में एक एक बच्चे का तीन-तीन जगह, एक बच्चे का नाम दो जगह हो सकता है तीन-तीन जगह पर। आंगनबाडी में भी वह लाभ उठा रहा है और सरकारी स्कूल में भी लाभ उठा रहा है, प्राइवेट स्कूल में भी लाभ उठा रहा है । तीन-तीन जगह उसका मिड डे

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

मील का खर्चा उठाया जा रहा है और आंगनबाडी की सुविधाएं भी उठाई जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष: दो ही जगह उठाया जायेगा.. (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ऐसी स्थिति में जो अभी तक यह आरोप लगते रहे हैं कि बच्चों का नामांकन भी कितना है एक करोड दो लाख, बच्चों की संख्या और रूरल डवलपमेंट डिपार्टमेंट में कितने बताते हैं 74 लाख। आपके मिड डे मील प्रोग्राम के जो अधिकारी हैं वह बताते हैं कुछ और । आपके नामांकन की संख्या जितने बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है, जितने बच्चों का नामांकन एक जगह नहीं अनेक जगह अंकित है उसके स्पष्ट प्रमाण मिलने के बावजूद, और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यही कारण है कि डब्ल्युएचओ की रिपोर्ट में केन्द्र सरकार ने जब दो बार इसमें संशोधन करके प्रोटीन की मात्रा बढा दी, गेहूं की मात्रा बढा दी और पोषक तत्वों की मात्रा बढा दी । 43 प्रतिशत बच्चे आज भी राजस्थान में कुपोषित हैं क्योंकि उनको सही समय सही तरीके से यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आपकी परमिशन हो तो मैं यह नौखा ब्लाक के जो कागज आये हैं जिस पर मंत्रीजी इतने उत्तेजित हो रहे हैं कि यह असत्य है, गलत है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिये । बिना जांच किये आप स्वत: ही यह कह रहे हो सारा सही चल रहा है । एक भी बच्चे का नामांकन दो जगह नहीं है तो फिर यह जो अख़बार में पिछले एक साल से खबर आ रही है कि मिड डे मील में जो गेहूं जाना चाहिये वह सीधे फ्लोर मिल में पहुंच गया । एसीडी में इतने मुकदमें दर्ज हुए यह सब असत्य है, सारी चीज असत्य है । जितने नामांकन हैं उतने ही बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है । मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो वाजिब बच्चों को जिनको मिड डे मील मिलना चाहिये उसकी एवज में कुछ स्वार्थी तत्व एक ही बच्चे का नामांकन तीन-तीन जगह करा कर जो अनावश्यक लाभ उठा रहे हैं उसको रोका जाये जिससे कि उन गरीब बच्चों को जिनको मिड डे मील मिलना चाहिये। उनको यह सहायता उपलब्ध हो सके और आपकी परमिशन से मैं यह टेबल भी कर रहा हूं जिससे कि आप जांच करवा कर स्वयं देख लें कि इसमें ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्षजी, मिड डे मील की जांच के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

लिये आपने विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बनाई थी । मिड डे मील में घोटाले का मामला विधान सभा में गत वर्ष भी उठा था । उस समिति की जांच की रिपोर्ट क्या है? उसकी एक मीटिंग भी आज तक नहीं हुई और कई बार आरोप लग चुके, कई बार बात हो चुकी। आपने जो निष्पक्ष निर्णय करके वह समिति बनाई थी उस समिति की मिड डे मील के मामले में एक मीटिंग नहीं हुई, एक चर्चा नहीं हुई तो वह समिति बनाने से क्या फायदा और उस आश्वासन का क्या फायदा? माननीय मंत्रीजी आपके सामने वह समिति बनी थी और आपने कहा था कि यह समिति जांच करेगी, आज तक कोई जांच की क्या आपने, कोई जांच नहीं की ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): समिति कहां बनी ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): संसदीय समिति बनी थी, विधान सभा की समिति बनी थी ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक रेस्पोंसेबल एनजीओ ने 400 स्कूलों की जांच कराई उन 400 स्कूलों में सब में गड़बड़ आई है और वह रिपोर्ट भारत सरकार को उस एनजीओ ने भेजी है ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि सदस्यों की समिति बनाई है, कोई जांच समिति नहीं बनी पता नहीं आपने कहां-कहां से, आज तक जब से मेरे पास मिड डे मील आया है तब से तो कोई समिति है नहीं पहले कोई जांच समिति बनी हो तो माननीय सदस्य जानें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): रिकार्ड उठा कर देख लें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह सही है कि जितनी भी शिकायतें हमको मिली हैं उनकी हमने जांच करवाई, भ्रष्टाचार की भी मिलीं और भी मिलीं लेकिन वह सब आपके टाइम की थीं, हमारे टाइम की नहीं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं विधान सभा के सदस्यों की बात कर रहा हूं ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले

(श्री कालूलाल गुर्जर)

आप सुन लीजिए । अध्यक्ष महोदय, आपने स्पेशली अभी जिस पंचायत समिति नौखा का नाम लिया अगर नौखा में कोई भी बच्चे का नाम दो या तीन स्कूलों में लिखा गया और अगर वहां किसी प्रकार का घोटाला है तो मैं आज घोषणा करता हूं कि उसकी जांच करवा लूंगा और अगर उसमें किसी का दोष होगा तो निश्चित रूप से सज़ा देंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, जो समिति आपने बनाई थी उस समिति की जांच होनी चाहिये । मिड डे मील में जो भ्रष्टाचार हुआ है और सदन का काफी समय उस पर चर्चा में गया है और आपने ही समिति बनाई थी उस समिति की आज तक मीटिंग क्यों नहीं हुई और मिड डे मील में पर्चेज में इनमें जो हुआ उसकी जांच भी होनी चाहिये ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोई समिति बनी ही नहीं फिर कहां से मीटिंग होगी । इनको गलत ध्यान है वह तो एमएलए लैड के बारे में समिति थी और वह बन गई और उसकी मीटिंग भी हो गई। मुझे याद है विधान सभा में एक समिति की जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी वह एमएलए लैड की थी, मिड डे मील की जांच की कोई कमेटी नहीं बनी। आप सरासर असत्य भाषण कर रहे हैं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको याद ही नहीं है, आपको याद ही नहीं है। यहां विधान सभा के फ्लोर पर बनी थी ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): पंचायत ब्लाक पर जो कमेटीज बनी हैं उसका जिक्र कर रहे हैं माननीय सदस्य ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर विधान सभा के फ्लोर पर यहां समिति बनाई हो तो फिर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे फिर?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप तो बता देना, मान लेंगे ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप क्या करोगे, असत्य तो आप बोल रहे हैं । जानकारी ही नहीं है आपको । यहां विधान सभा की समिति बनी थी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं कहता हूं मुझे पूरी जानकारी है आपको नहीं है । मैं विभाग चला रहा हूं मुझे पूरी जानकारी है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको कतई जानकारी नहीं है, A-B-C-D की भी जानकारी नहीं है । आप चैलेंज स्वीकार करो कि बनी थी या नहीं बनी । मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप असत्य बयान कर रहे हैं, आपको जानकारी ही नहीं है। समिति बनी थी पर्चेज के मामले में जांच करने के लिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपसे पहले मैंने वकालत शुरू की है और आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूं । माननीय सदस्य आपको ग़लतफ़हमी हो तो उसको निकाल दो आप ही विद्वान नहीं हो इस सदन में और भी कई विद्वान बैठे हैं और जानकारी रखने वाले बैठे हैं । आपके पास ठेका नहीं है जानकारी का, आप विराजिए ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं तो आपकी विद्ववता का क़ायल हूं लेकिन सच्चाई यह है कि यहां पर समिति बनी थी । मंत्रीजी आप बोलो ना। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोलो ना समिति बनी थी कि नहीं बनी? बोलो आप जांच समिति बनी थी यहां।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, कोई कमेटी नहीं बनी । आप कह रहे हो उनको बोलो, क्या बोलेंगे जब कमेटी बनी ही नहीं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): संसदीय सचिव ओम बिरलाजी जानते हैं बनी थी समिति ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मिड डे मील की कोई कमेटी आज दिन तक नहीं बनी आप जबरदस्ती बोल रहे हो ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं आपको बता देता हूं वह ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां बता देना ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, नौखा में तो मिड डे मील ही नहीं पशुओं के चारे के जो डीपो हैं उसमें भी मृतकों को चारा बांटा जा रहा है । नौखा में तो भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया । करोड़ों लाखों रुपये जो आदमी 15-15 साल से मर गये उनको भी पशु चारे के डिपो चल रहे हैं दो साल से और एडीएम मान रहा है कि हां यह गलती हुई है और उसकी अभी तक जांच चल रही है । दो साल से जांच ही पूरी नहीं हो रही है । मुद्दा क्यों नहीं है?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मंत्री महोदय यह सूचना भी एक साथ ही दे देना यह सूचना भी आपकी ही है ।

(अध्यक्षपीठ द्वारा संकेत द्वारा अंकित नहीं करने के आदेश प्रदान किये गये)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह जो दोहरा नामांकन की बात है, मिड डे मील की मंत्रीजी बताएंगे। राज्य के समस्त विद्यालयों को 30 सितम्बर को आधार मानते हुए नामांकन की सूचना एकत्र की जाती है। साथ ही मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल अभियान के दौरान 30 सितम्बर सन्दर्भ तिथि को आधार मानते हुए विद्यालय से वंचित बालक-बालिकाओं के निजी विद्यालयों में नामांकित बालक-बालिकाओं तथा ब्रिज कोर्स में जाने वाले बच्चों का सम्पूर्ण लेखा-जोखा चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के अन्तर्गत प्रपत्र में विद्यालय में रहता है। इस प्रकार किसी भी राजकीय विद्यालय से संबंधित आसपास के क्षेत्र में रहने वाले समस्त बच्चों के द्वारा कहां अध्ययन किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है इसका विस्तृत विवरण रहता है। चूंकि इस चाइल्ड ट्रेकिंग रजिस्टर में बालक बालिकाओं के नाम के आगे दो विद्यालयों में अध्ययन की प्रविष्टि नहीं हो सकती तथा डाइस सर्वे द्वारा प्रत्येक बालक बालिका द्वारा किस विद्यालय में अध्ययन किया जा रहा है इसका विस्तृत विवरण रहता है। और ऐसी स्थिति में दोनों सूचनाओं की तुलना से ज्ञात हो जाती है कि किसी बच्चे का नामांकन दो स्कूलों में तो नहीं है। ऐसी स्थिति में अपवाद स्वरूप, यदि ऐसी स्थिति सामने आने पर बालक-बालिकाओं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का नाम जिस विद्यालय में वास्तविक रूप से अध्ययनरत है वहीं रखा जाता है तथा अन्य विद्यालय से उसका नाम हटा दिया जाता है। चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम एवं डाइस सूचना संग्रहण के समय यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि किसी विद्यालय में बालक-बालिकाओं का दोहरा नामांकन नहीं हो।

अब अपवाद स्वरूप अगर किसी कारण से किसी आंगनबाड़ी में या किसी दूसरी स्कूल में 5-10 बच्चों का नाम अगर एक्स्ट्रा रख लिया जाता है तो उसको आधार बनाकर, सारे राज्य में अपने को जो फायदा मिल रहा है वह राज्य के बच्चों को जो फायदा मिल रहा है उसको अकारण से हम बदनाम न करें। हमको जिस प्रकार काम में फायदा मिल रहा है, गरीब व्यक्ति के पोषण में, इसमें कोई दो नाम आ भी गये तो कोई बच्चा भूखा है और उसने दो नाम लिखवा लिए तो, गरीब आदमी का बच्चा है दो नाम लिखेगा या कोई खर्चा चलाने वाला आदमी खर्चा नहीं निभा पा रहा होगा तो मुश्किल से काम होगा, यह अपवाद स्वरूप होगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा इस अपवाद स्वरूप काम को बिना मतलब, यह जो बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है इसमें हमको मदद करनी चाहिये, यह मुझे माननीय सदस्यों से कहना है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इश्यू यह है आईसीडीएस का प्रोग्राम भी चल रहा है बच्चों के लिए, प्री स्कूल के लिए, आप दो बातें समझिये। वह लोग भी आइसीडीएस का पैसा उठा रहे हैं प्री स्कूल के बच्चों के लिए, उन बच्चों का नाम इस स्कूल के मिड डे मील में लिखा हुआ है। मिड डे मील स्कीम ठीक चल रही है यह इश्यू नहीं है, इश्यू यह है कि वह लोग मिड डे मील के नाम से भी जो भारत सरकार से गेंहू आ रहा है वह उसमें इन्क्ल्यूड हो रहा है और आइसीडीएस के नाम से हो रहा है वह भी हो रहा है। तो आइसीडीएस का पैसा भी 100-200 करोड़ रुपये आ रहा है, उसका भी पैसा इनवेस्ट हो रहा है, इसका भी हो रहा है इसलिए निश्चित तौर पर आपको, हम सरकार को इसलिए नहीं कह रहे, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन यहां पर स्टूडेण्ट आपके पास पैसा आता है भारत सरकार से, पर स्टूडेंट आपको गेहूं आता है तो यह दोहरा एडवाटेंज उठ रहा है। वह आइसीडीएस के नाम से भी उठा रहा है और उसको भी उठा रहा है उसको चैक करने की जरूरत है। आइसीडीएस के संबंध में इसी विधान सभा में माननीय अध्यक्ष महोदय, याद कीजिए आपने आइसीडीएस कमेटी को, एक कमेटी को इंक्वायरी करने का

(डा. सी.पी. जोशी)

काम किया था। जब यह कुरकुरे, मुरमुरे की बात आई थी तब आपने यह कहा था और वह स्थिति आज भी सदन के सामने वापस नहीं आई कि रिपोर्ट क्या हुई? इसलिए आइसीडीएस का पैसा भी राजस्थान सरकार का जा रहा है, भारत सरकार का जा रहा है। मिड डे मील में भी, यह जो ओवर लैपिंग हे उस ओवर लेपिंग के आधार पर जो आपके नामांकन है, उसमें जो इश्यू आ रहा है उसको आप चैक करवाएं, यह इश्यू है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): देख लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: नोखा का ही बताया, और कहीं का नहीं बताया, नोखा का दिखवा दो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, यह दिखा लेते हैं। उसको दिखा लेते हैं कि जो आइसीडीएस का पैसा आता है उसको और स्कूलों में दोहरा नामांकन नहीं हो, उसका कोई लाभ नहीं उठा रहा हो यह बात दिखा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: हां वह दिखा लीजिए, नोखा का ही मामला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नोखा का पर्टिकुलर दिखा लेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दिखा लेंगे।

संदेश

राज्यपाल महोदया का कृतज्ञता ज्ञापन

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करती हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर दिनांक 7 मार्च, 2007 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदया से प्राप्त हुआ है।

प्रिय अध्यक्ष महोदया, आपके अर्द्धशासकीय पंत्राक f/10 (1) सदन, विधान सभा 2004-7, 1373 दिनांक 7 मार्च, 2007 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनकी आभारी हूं और आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें। सदभावी, प्रतिभा पाटिल।

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पर्ची के माध्यम से, श्रीमती सूर्यकांता (अनुपस्थित)। श्री हीरालाल निवाई (अनुपस्थित) ।

श्री तगाराम चौधरी। (व्यवधान) No. You have lost your turn. तगाराम चौधरी। नहीं, बिलकुल नहीं। जिनको मालूम था कि पर्ची आने वाली है और इस तरह से मटरगश्ती करते फिरते हैं उनको मैं बोलने का मौका नहीं दूंगी।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं बाहर गया था, इनके बाद बोल दूंगा।

श्री अध्यक्ष: तगाराम, चलिए तगाराम।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को आपने समय दिया बहुत-बहुत आभारी हूं ।

श्री अध्यक्ष: अब आप बोल दो जो बोलना है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपके माध्यम से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू में राजकीय बालिका...

श्री अध्यक्ष: आपका बालिका आई टी आई खोलने के बाबत में है आपकी पर्ची उस पर बोलो।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): वह ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: वह ही बोलो।

बायतू में राजकीय बालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाडमेर के तहसील मुख्यालय बायतू में राजकीय बालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: लड़कियां तो पढ़ती नहीं वहां पर आई टी आई में कौन आएगी आपके। पढ़ती तो हैं नहीं लड़कियां।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): शिक्षा की मांग के दिन भी शिक्षा मंत्री महोदय ने जिस तरह से घोषणा की थी कि तहसील मुख्यालय पर...

श्री अध्यक्ष: कोई सैकण्डरी वैकण्डरी खुलवा लो, आई टी आई में कौन आएगी?

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ...कि प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर आई टी आई खोल दी जाएगी। मैं विशेष तौर से क्योंकि महिला वर्ष और महिलाओं के बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय बहुत ही, महिलाओं को तरह-तरह से सम्बल देने के लिए मातृशक्ति को भी आगे लाने के लिए इस तरह से कार्यक्रम है उसी के तहत मैं भी निवेदन करूंगा कि बालिका, मेरा बायतू तहसील मुख्यालय है वहां पर उनके आसपास बालिकाएं बहुत पढ़ रही हैं। मैं यह भी धन्यवाद दूं मुख्य मंत्री महोदय को और शिक्षा मंत्री महोदय को कि उन्होंने सरकार का पद सम्भालने के बाद में, वसुन्धराजी ने जो राजस्थान के

(समय : 13.08 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मुख्य मंत्री का ताज सम्भाला, उसके तुरंत बाद मेरे वहां पर बालिका माध्यमिक विद्यालय था उसको सीनियर बालिका विद्यालय भी किया है। इस तरह से इसी कड़ी में...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): मेरे का उल्टी हो गई थी मैं गई थी, जब तक आपने नाम बोल दिया मेरा।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से कि इन्होंने वहां बालिकाओं के रोजगार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत कराकर अनुग्रहित कराया, धन्यवाद आपने टाइम दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बाड़मेर जिले में पहले से ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जिनमें 25 प्रतिशत स्थान बच्चियों के लिए आरक्षित है। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमश: बाड़मेर, बालोतरा, सिवाणा, शिव तहसील में है। माननीय सदस्य ने जो बायतु की मांग की है बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र के बायतू पंचायत समिति के लिए निजि निवेशक यूनिटी एंड वालेन्टरी एक्शन संस्थान आचार्य तुलसी मार्ग, बायतु, तहसील बायतु जिला बाड़मेर को महिला ओद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने आशय पत्र जारी कर दिया गया है। इस संस्थान की स्थापना हेतु नि:शुल्क भूमि आबंटन हेतु भी जिला कलक्टर महोदय को निदेशालय, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर की ओर से पत्र लिखा जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष: हाथों-हाथ ही। श्री जोगाराम पटेल।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं राजकीय बालिका औद्योगिक संस्थान खुलवाने के लिये निवेदन कर रहा था। आपने निजी में किया, तो भी धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है, मेरी पर्ची है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, एक पर्ची आई है, उसमें भी।

श्री उपाध्यक्ष: हां, अभी देंगे, अभी बोलने दें। (व्यवधान)

जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज की आर्किटेक्चर शाखा को मान्यता

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन माननीय शिक्षा मंत्रीजी को, शिक्षा से सम्बन्धित समर्पित है, सारे विषय शिक्षा के सम्बन्ध में ही आ रहे हैं। मैं भी उस सम्बन्ध में ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाऊंगा। वर्तमान युग में टेक्निकल एजुकेशन का कितना महत्व, यह कई बार सदन में और सदन के बाहर भी चर्चा हो चुकी है, उसके बारे में वापस नहीं बताऊंगा। इस टेक्निकल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए जोधपुर में बहुत पहले एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की गई थी जो जोधपुर विश्वविद्यालय, वर्तमान में जयनारायण विश्वविद्यालय है उससे सम्बन्धित है और जोधपुर विश्वविद्यालय के एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज में वर्ष 98 में एक नई फेकल्टी, जिसका नाम आर्किटेक्चर शाखा के नाम से स्थापना की और उस वक्त नियमों के अनुसार जितनी इजाजत लेनी चाहिए थी, परमीशन लेनी चाहिए थी वह परमीशन ली गयी थी तथा पंचवर्षीय आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स प्रारम्भ किया गया। और प्रथम वर्ष कोर्स में और सबसिक्वेंटली अनेकों विद्यार्थियों ने उसमें एडमिशन लिया और 98 में जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, 2003 में उन्होंने अपना पाँच वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर दिया। जो आर्किटेक्ट्स में डिग्री प्राप्त करता है, पंचवर्षीय डिग्री, उसका रजिस्ट्रेशन AICTE में करवाना जरुरी है और उसके बाद कोंसिल जो है उसमें भी कराना जरुरी है और उन्होंने C.O.A. में एप्लाई किया। वहां यह कहकर मना कर दिया कि आपका जो एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज का आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन

(श्री जोगाराम पटेल)

नहीं हुआ है। यह विवाद की जड़ यहां से प्रारम्भ हुई और जो विद्यार्थी 2003 में पाँच साल का डिग्री कोर्स लेकर के यूनिवर्सिटी आफ जोधपुर से निकले थे वह आज दिन तक इंतजार कर रहे हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके बाद कई बेच और निकल गये, 2 या 3 बेच और निकल गये। वह सारे के सारे बेच, जो डिग्री लेकर निकल रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने से उन्होंने जो डिग्री ली हुई है वह मान्यता प्राप्त नहीं है। और उनकी डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं होने से उनके भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है।

मैं इस सम्बन्ध में दो तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला यह कि एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज जयनारायण विश्वविद्यालय का एक विभाग है। ऐसा नहीं है कि वह प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज हो या कोई प्राइवेट हो, उसके बारे में कोई जांच करें तो विद्यार्थियों ने जो एडमिशन लिया तो वह जोधपुर विश्वविद्यालय में, तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय में और वर्तमान में जयनारायण विश्वविद्यालय के एम.बी.एम. में इंजीनियरिंग के लिये एडमिशन लिया। उन्होंने एडमिशन लिया उस वक्त इसका एप्रूवल AICTE से था और सबसिक्वेंटली उनका एप्रूवल वह कोंसिल आफ आर्किटेक्चर से था, जैसे मेरी जानकारी के अनुसार, यह तथ्य गलत भी हो सकता है। परन्तु बीच में उनका रेगुलर, कंटीन्यू एप्रूवल नहीं रहा और यह डिग्री कोर्स बंद करने के सम्बन्ध में आदेश आये। एक रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष हुई जो एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4466/2001, और उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया "Bachelor degree in the Architecture awarded by the Indian University established by the Act of Central-State Legislature, or it should not be closed and it should be continued." और उसके बाद यह डिग्री कोर्स बराबर चल रहा है। परन्तु यह जो कोंसिल आफ आर्किटेक्चर है, COA, यह रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। यह रजिस्ट्रेशन नहीं करने से जिन विद्यार्थियों ने आज दिन तक 5 साल का बैचलर आफ आर्किटेक्चर, बी.आर., की जो डिग्री प्राप्त की है, वह डिग्री लिये हुए फिरते हैं, उसकी कोई मान्यता नहीं है और आज तक वह विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे हैं। कई बार इस सम्बन्ध में जोधपुर में हड़ताल भी हुई विद्यार्थियों की, समझाया भी गया और सरकार की ओर से भी प्रयास किया गया। परन्तु मैं इसमें मैं इतनी बात एड करुंगा कि मेरे प्रतिपक्ष के जो साथी हैं वह सहायता करें, यह केन्द्र सरकार के अधीन आता है, C.O.A., और वह रजिस्ट्रेशन कर

(श्री जोगाराम पटेल)

लेंगे तो इन विद्यार्थियों का भविष्य सुधर जाएगा, अन्यथा 70 विद्यार्थी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। 5 साल उन्होंने अपने खराब कर दिये, लाखों रुपये उन्होंने खर्च कर दिये। विभिन्न क्षेत्रों से मां-बापों ने उनको वहां भर्ती करा दिया उसके बावजूद भी उनके पास मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं होने से आर्किटेक्चर का जो फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का यह एक मात्र विभाग है और भारत में इस एम.बी.एम. कालेज की इतनी मान्यता थी। और यह जो C.O.A. द्वारा मान्यता नहीं देने से, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करने से जोधपुर यूनिवर्सिटी की भी बदनामी हो रही है, एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज की भी बदनामी हो रही है और अनावश्यक रूप से राजस्थान सरकार के सामने भी विवाद की बात आ रही है। मेरा आपके मार्फत अनुरोध है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने प्रयास बहुत किये होंगे, उसके लिये मैं धन्यवाद भी उनको दूंगा। परन्तु साथ ही उन विद्यार्थियों के भविष्य का विषय है वह 70 विद्यार्थी पिछले 3 सालों से बराबर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पांच साल बर्बाद करने के बावजूद भी इनके पास वह डिग्री है जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई न कोई, उनकी जो समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर की आर्किटेक्ट संकाय की जो बात माननीय सदस्य ने उठाई है, वास्तव में वह एक समस्या है। इस विश्वविद्यालय का इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट विभाग अभी कौंसिल आफ आर्किटेक्चर से मान्य नहीं है। क्योंकि कौंसिल आफ आर्किटेक्चर ने अपने निरीक्षण में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने तथा शैक्षिक स्टाफ की नियमित नियुक्ति नहीं करने आदि, बताते हुए तथा कौंसिल आफ आर्किटेक्चर द्वारा इस विभाग को वर्ष 06-07 के लिये नो-एडमिशन केटेगिरी में रखा गया। राज्य सरकार ने, जांच के बाद यह तय कर दिया था कि इसको नहीं रखेंगे। लेकिन क्या किया गया कि विद्यार्थियों ने या विभाग ने कोर्ट में जाकर रिट कर ली और रिट करके आदेश ले लिया कि इसको कंटीन्यू रखा जाए। तो वह कोर्ट के आदेश से वह तो कंटीन्यू हो गया लेकिन आर्किटेक्चर कौंसिल ने मान्यता नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दी। दो काम, एक तो हमने किया कि हमने जो सिफारिश की, उसके हिसाब से विश्वविद्यालय को 3 प्रोफेसर के पद, 4 एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 6 पद प्रवक्ता के, उनको लगाने की, उनको स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय ने उनकी भर्ती नहीं की। दूसरा, 70 लाख रुपये उनको भवन बनाने के लिये दिये और विश्वविद्यालय ने अभी भवन भी नहीं बनाया। तो इन सब कारणों से यह समस्या पैदा हो रही है। हमने कोंसिल आफ आर्किटेक्ट से पत्राचार भी किया, राज्य सरकार ने पत्र भी लिखा है। राज्य सरकार पूरा प्रयत्न करेगी। लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जब तक फेकल्टी पूरी नहीं हो, जब तक भवन नहीं बने और मानदण्डों के हिसाब से अगर कोंसिल आफ आर्किटेक्चर, इसको मान्यता नहीं दे तो हम तो प्रयत्न ही कर सकते हैं, क्योंकि यह बच्चे जो पढ़े हैं वह उच्च न्यायालय के स्टे के कारण से पढ़े हैं। उन्होंने तो मना कर दिया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, उससे पहले भी हैं। उससे पहले भी हैं। उससे पहले भी सन् 98 से हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ठीक है। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि उनको मान्यता मिल जाए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विष्णु मोदी, सभापति, याचिका समिति, 2006-07 समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे। (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति (संख्या 4)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति, 2006-07 के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या...मेरे को अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अध्यक्षजी की तरफ से व्यवस्था दी जा चुकी है। अभी समय नहीं दूंगा मैं। स्थान ग्रहण कीजिये।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री भंवरलाल राजपुरोहित, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

मकराना विधान सभा की विभिन्न लिंक सड़कों के निर्माण बाबत

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मकराना विधान सभा की विभिन्न लिंक-सड़कों के निर्माण बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उप-स्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 । श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2007 । श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान वित्त्त विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2), विधेयक, 2007

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खंड-11 में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 77 की विद्यमान उप-धारा (1)" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "के स्थान पर" के पूर्व अभिव्यक्ति "उसके स्पष्टीकरण को छोड़कर", अन्त:स्थापित की जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह अमेंडमैंट सर्कुलेट करना चाहिए कम से कम।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2007

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी-मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जो यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं।

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था, टोटल देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखना लाजिमी है। देश की जी.डी.पी. में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी सिग्नीफिकेंट बढ़ोतरी हुई है देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडेक्ट के अन्दर, राज्य के जी.डी.पी. के अन्दर स्टेट जी.डी.पी. के अन्दर बढ़ोतरी हुई है और केन्द्र सरकार के राजस्व के अन्दर लगातार इस साल और उसके पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2006-07, 2005 -06 के अन्दर रफली 19.9 परसेंट की दर से टैक्सेशन का कलेक्शन बढ़ा है और उसके ही अनुरूप राज्यों को केन्द्र सरकार के टैक्सों में जो हिस्सा है टैक्सेशन का रेगुलेशन प्लस ग्रांट इन एड, दोनों के अन्दर बड़ी सिग्नीफिकेंट बढ़ोतरी हुई है।

मैं आपके सामने आंकड़े बाद में प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मुझे खेद है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो वित्त विभाग का कार्यभार भी सम्भाल रही हैं भारत सरकार के धन्यवाद के लिए एक शब्द भी अपने बजट के अन्दर, बजट भाषण के अन्दर नहीं कहा है जो कहना चाहिए था। क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे, सेवाएं हैं जिनके अन्दर जब हमारी सरकार थी उसके मुकाबले के अन्दर बहुत बड़ी ब़ढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखेंगे, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, मिड डे मील हो, इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, हैल्थ प्रोग्राम हो, ड्रिंकिंग वाटर का हो, राजीव गांधी विद्युत मिशन का हो, इन सबके अन्दर राज्य सरकारों को भारत सरकार ने दिल खोलकर, हाथ खोलकर पैसा दिया है। मैंने पिछले साल इस सदन के अन्दर आंकड़े प्रस्तुत किये थे, अब मैं एक-एक करके लेता हूं।

जो भारत निर्माण योजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, जिसके तहत राज्य सरकारों को पैसा दिया जा रहा है, उसके तहत आज शिक्षा विभाग को ही ले लीजिए। यह बात सही है कि हम अपने वक्त में हमारी माली हालत खराब थी और हम शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे थे। आज 75 फीसदी पैसा प्रारम्भिक शिक्षा के मास्टरों के लिए, अध्यापकों के लिए जो आपने इतनी बड़ी संख्या में राज्य के अन्दर भर्ती किये हैं, भारत सरकार तनख्वाह के रूप में आपको दे रही है। आपको कमरों के निर्माण के लिए, हालत यह थी कि आपके स्कूल बिना कमरों के चल रहे थे, उसके अन्दर पैसा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दिया है और 2007-08 का जो बजट वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसके अन्दर भी दो लाख अध्यापक लगाने की बात है। निश्चित रूप को राजस्थान को राज्य के अध्यापकों के पेटे संख्या मिलेगी। आपकी कितनी मांग है, क्या उनका फार्मूला है और इस साल फिर पांच लाख स्कूलों के निर्माण की बात चल रही है तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि पहले यह राज्य का कार्य क्षेत्र था, राज्य को अपने संसाधनों से अध्यापकों की नियुक्ति पर पैसा खर्च करना पड़ता था। स्कूल के कमरों का निर्माण करना पड़ता था लेकिन आज केन्द्र सरकार भरपूर राज्यों को मदद दे रही है।

इसी प्रकार यहां पर मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने बहुत सारी योजनाएं, इर्रिगेशन की योजनाएं हमने पूरी कीं। पिछले साल के जो मेरे पास आंकड़े हैं ए.आई.बी.पी. के तहत आपको 150 करोड़ रुपया मिला। मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं। इसी प्रकार सड़कों के लिए टी.एफ.सी. की रिकमण्डेशन के ऊपर शायद इतिहास में कभी नहीं मिला। टी.एफ.सी. की रिकमण्डेशन के ऊपर 150 करोड़ रुपया आपको सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए आपको मिल रहा है लेकिन इसके बाद भी यह बात दूसरी है कि सड़कों की हालत खस्ता है।

आपने सेस लगा रखा है। सेस आता है उससे आपको 200 करोड़ रुपया आ रहा है, आपके पास। वह पैसा आपको खर्च करना चाहिए था सड़कों की रख-रखाव और मरम्मत के लिए लेकिन आप उसको रिडकोर के अन्दर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो सड़कें बना रहे हैं वह दूसरी किस्म की सड़कें बना रहे हैं। आप इस पैसे का उपयोग उसके अन्दर कर रहे हैं जो कि अनुचित है। मेरे जिले की सड़कों की मैं बात करना चाहता हूं। मैंने आपको कहा है मैं उस बारे में विगत में नहीं जाऊंगा। सड़कों की हालत, कुल मिलाकर सड़कों की मेंटिनैंस पूअर है। आपको 200 करोड़ रुपया करीब, मैं अन्दाज कर रहा हूं कि सेस के रूप में मिल रहा है। 150 करोड़ रुपया आपको टी.एफ.सी. का मिल रहा है और आपके अपने बजट से भी है, उसके बाद आपकी सड़कों की हालत खराब हो, वह बात अनुचित लगती है, ठीक प्रतीत नहीं होती है।

वह बात छोड़ दीजिए आप कि आज पांच सौ की आबादी के गांव केन्द्र सरकार की मदद से, केन्द्र सरकार पूरा पैसा 500 की आबादी है, गांवों को जोड़ने के अन्दर दे रही है। ट्राइबल एरिया के अन्दर और डेजर्ट एरिया के अन्दर 250 ... (व्यवधान) क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सड़कों का रिन्यूअल भी हमने किया है। 4500 किलोमीटर सड़क ऐसी थी जो डब्ल्यू.बी.एम. की आप बनाकर चले गये तो उनका रिन्यूअल भी हमने किया है। स्टेट हाई-वे और एम.डी.आर. के अन्दर सी.सी. रोड का काम भी हम कर रहे हैं और 12 फाइनेंस कमीशन का पैसा अगर हमें मिल रहा है तो कोई अहसान थोड़े ही है? सारे स्टेट्स को हिन्दुस्तान में मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर आप देखेंगे ... (व्यवधान) एक मिनट रुकिये आप। देखिये, आप मेरी बात सुनियें। यह बात भी गलत आप कह रहे हैं कि टी.एफ.सी. का पैसा सारे राज्यों को मिल रहा है। आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैंने 12 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है। स्पेसिफिक नीड के अन्दर राजस्थान को दिया इन्होंने 150 करोड़ रुपया जो कि अन्य राज्यों को नहीं मिला है। कुछ ही राज्यों को मिला है, सारे राज्यों को नहीं मिला है अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। Please go through it. जवाब देंगे मुख्य मंत्रीजी। आप मुझे करेक्ट करा दीजिएगा। इसी प्रकार से एक्सिलरेटेड इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स के तहत आपने जो द्रुत गति से जो आपके प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए थे इर्रिगेशन के, उसके लिए आपको पैसा मिला। राजीव गांधी ड्रिकिंग वाटर मिशन के तहत, आपको यह पिछले साल फाइनेंशियल ईयर के अन्दर आपको करीब 500 करोड़ रुपया मिला था। इस साल वह रुपया आपका बढ़कर कहीं ज्यादा होने वाला है। राजीव गांधी विद्युत मिशन के तहत जो इलैक्ट्रिफाई राजस्व गांव थे उसके तहत आपको पिछले साल के अन्दर 375 करोड़ रुपया मिला है। इस साल तो और बढ़कर मिलेगा।

कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जिन मदों के अन्दर आज राज्य सरकार को अपने स्वयं के संसाधनों से पैसा खर्च करना था उन मदों के अन्दर केन्द्र सरकार मुक्तहस्त से राज्य सरकार को और राज्य सरकारों को रुपया दे रही है। यह आपका कहना ठीक है कि कोई अहसान नहीं कर रहे हैं लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के अन्दर जो सुधार आया है, आज उसका ही नतीजा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक फिगर पेश करना चाहता हूं। वर्ष 2003-04 के अन्दर राज्य को, राजस्थान को ग्रांट और टोटल सेंटर का जो टैक्स का डिवोल्यूशन है उसके तहत 6106 करोड़ रुपया मिला है टोटल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दोनों मिलाकर?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यस। अब आप देखिये, वर्ष 2006-07 के अन्दर 10357 करोड़ 34 लाख रुपया मिला है। कहां 6 हजार और कहां 10 हजार? और वर्ष 2007-08 के अन्दर जो उनके प्रोजेक्शन है, जो उन्होंने बजट एस्टीमेट मंत्रीजी ने केन्द्र में पेश किया है, उसके मुकाबले के अंदर फिर इजाफा होने जा रहा है। आपको इतना रुपया मिल रहा है उसका ही नतीजा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं आपके सामने केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी का जो उन्होंने पार्लियामेंट में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं टोकना नहीं चाह रहा था। आप यह बता दें हमारा हिस्सा नहीं बढ़ा हो और हमारी ग्रांट नहीं बढ़ी हो। आप बता दो, आपकी सरकार में ही बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, आप बिलकुल सही कह रहे हो। मेरे पास वह फीगर्स भी हैं, लेकिन जिस तेजी से रुपया बढ़ाया राज्य को, जिस तरह से रुपया बढ़ा है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। यह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं वित्त मंत्रीजी का जो लोक सभा में एक वक्तव्य है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके मैं कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं ''Shri P. Chidambram, the Finance Minister:- The most important thing is that the Government must spend." Now who is not spending? "I am sorry to say that the States are not spending. As on day, before yesterday, the State Governments cash balances were Rs. 45,000 crores." अनस्पेंट मनी, जो कि ट्रेजरी में खर्चा किया हुआ था 45 हजार करोड़ रुपया राज्य का पडा हुआ था, वह मैं आपको फीगर देता हूं । राजस्थान के बारे में भी बताना चाहूंगा। यहां मुख्य मंत्रीजी ने बहुत गर्व के साथ कहा था कि राजस्थान बीमारू स्टेट से बाहर निकल गया। आज की तारीख में, आज की क्या पिछले साल यह मैं आपके अक्टूबर-नवम्बर का उनका भाषण बता रहा हूं, आज देश के अंदर कोई भी राज्य बीमारू राज्य नहीं है। पिछले साल ही सब निकल गये थे। आपको जानकर खुशी होगी कि आज की तारीख में कोई भी राज्य बीमारु राज्य नहीं है। बड़े गर्व से एक ही बात को बार-बार कहते हैं। एक ही असत्य बात को आप बार बार कहते जाइये कि हम ओ.डी. में नहीं हैं। कौनसा राज्य ओ.डी. के अंदर है ? ओ.डी. तो बहुत दूर की बात रही, आज की तारीख में कोई भी राज्य वेज एण्ड मींस के एडवांस में नहीं है । मैं आपको एक फीगर पढ़कर सुनाना चाहता हूं, चौंकाने वाले तथ्य हैं। उनके बारे में मैं आगे कहूंगा, करीब 17 राज्यों का 18 जनवरी, 2006 को 35,582 करोड़ रुपया आप कहें तो राज्यों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के नाम पढ़कर सुनाना चाहूंगा, दो मिनट लगेंगे जिससे रिकार्ड पर आ जाये । आन्ध्र प्रदेश 253 करोड़ रुपये, आसाम बीमारू स्टेट थी 854 करोड़ रुपये जमा है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं पांच पर्सेन्ट का। बिहार 3,931 करोड़ रुपये जमा है, छत्तीसगढ़ 711, हरियाणा 3894, गुजरात 3166, कर्नाटक 971, मध्य प्रदेश 2300, पंजाब 1080, राजस्थान 911, आज आपका रुपया ट्रेजरी के अंदर पडा है और आपको जानकर ताज्जुब होगा यह स्थिति तो है 18 जनवरी की और उसके बाद क्या स्थिति बनती है। उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च के दिन आपका यही रुपया बढ़कर 46 हजार करोड़ हो जाता है 2006 को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 46 हजार, पूरे हिन्दुस्तान में न?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां-हां, पूरे देश का 31 मार्च को, आज 14 दिन के ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर रही हैं सरकारें, आप एट्टी डेज के ट्रेजरी बिल में लगा रहे हैं इन रुपयों का ब्याज खाने के लिये और फिर आपने जाकर उसको नाइंटी वन डेज के अंदर किया। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आज राज्यों के पास इतना पैसा हो गया है कि राज्य उस पैसे को खर्च करने की स्थिति के अदंर नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर कहा कि हमारा प्लान साइज बहुत बढ़ गया। हर राज्य का प्लान साइज बढ़ा । 2007-2008 के मेरे पास जो आंकड़े हैं जिसमें जितने राज्यों का प्लान साइज अप्रूव हुआ है। अप्रूव्ड प्लान साइज की बात कर रहा हूं। हर राज्य का प्लान साइज बढ़ा है। इस साल आपकी सिगनेफिकेंट इसलिए कि आपका 36 प्रतिशत के करीब प्लान साइज बढ़ा। लेकिन पिछले साल 2006-07 का आपका जो प्लान साइज था, उसके अदंर 1.8 की वृद्धि हुई थी। न के बराबर आपके प्लान साइज की वृद्धि हुई थी। आज आपके सामने मैं बता रहा हूं कि छोटे-छोटे स्टेट, बड़ी स्टेट्स सबके प्लान साइज के अंदर पर्सेन्टेजवाइज वृद्धि हुई है। यह मेरे पास फीगर्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छी बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अच्छी बात है न। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं कि आप खाली अपने ऊपर श्रेय लेने की कोशिश न कीजिये कि हमने प्लान साइज बढ़ा दिया है। यह नेशनल फीचर है। यह राष्ट्रीय फीचर है कि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सारे देश के जो प्लान साइज अप्रूव हुए हैं और कोई स्टेट बीमारू स्टेट नहीं रही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक्सपेंडिचर भी बता दो साथ में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): किसकी ? हां-हां, वह भी है मेरे पास। एक्सपेंडिचर भी है मेरे पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अपना भी बता देना और हमारा भी बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपसे कह रहा हूं प्लान एक्सपेंडिचर का जहां तक सवाल है, यूं तो आपने 2006-07 का आपका जो प्लान साइज था, आपने प्लान साइज बढ़ाकर दिया था। थोड़ा बहुत 50-60 करोड़ से कम हो गया। अगर इतना आप कह रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा 31 मार्च, 2006 और 31 मार्च, 2007 को आप फीगर्स दे दीजिये आपका ट्रेजरी बिल्स के अंदर कितना रुपया पडा हुआ था ? यह कोई साहूकारों की सरकार तो नहीं है कि आप ब्याज खा रहे हो उस रुपये के ऊपर बैठकर । जन आकांक्षाओं के ऊपर आप पैसा खर्च कीजिये, यह मेरा आपसे अनुरोध है। यह आज इतना पैसा पडा हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण किताब नहीं है, हिन्दुस्तान की बहुत ही रेपुटेड मैगजीन है इकोनोमिकल एण्ड पॉलिटिकल वीकली ..(व्यवधान) रिजर्व बैंक में होते हैं और कहां रहेंगे ? रिजर्व बैंक के अंदर वहां पड़े हुए हैं। यह इकोनोमिकल एण्ड पॉलिटिकल वीकली है मेरे पास, आप इसको देख लीजिये, पढ़ लीजिये, आपको मालूम पड़ जायेगा।

अब सवाल यह आता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आखिर स्थिति पैदा क्यों हुई ? इसके ऊपर दो सोच है । यह आपने एफ.आर.बी.एम. एक्ट जो पास किया है, केन्द्र सरकार ने पास किया। करीब-करीब सभी राज्यों में एफ.आर.बी.एम. एक्ट पास कर दिया। एफ.आर.बी.एम. एक्ट पास आपने कर दिया उससे आप बंध गये। यह चिन्ता का विषय है, डिबेट का विषय है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पास नहीं किया, क्योंकि आप बंध जाते हो, आप खर्चा नहीं कर पाते हो। जो वित्त मंत्रीजी ने कहा ''the States are unable to spend the money." और उन्होंने दिये हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है 2003-04 के अंदर जहां केन्द्र सरकार से राज्यों को ग्रांट और टैक्स के पेटे 01 लाख

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

08 हजार करोड़ रुपये मिले, वहीं बढ़कर 2005-06 1 लाख 82 हजार करोड़ रुपया हो गया। सेंट्रल प्लान, जो पिछले साल 01 लाख 72 हजार करोड़ का था, वही 2007-08 के अंदर 2 लाख 5 हजार करोड़ का हो गया तो निश्चित रूप से राज्यों को पैसा अधिक तो मिलना ही है सेंट्रल ग्रांट और असिसटेंस के रूप में । मैं कह रहा था माननीय मुख्य मंत्रीजी एक शब्द तो कह देतीं कि केन्द्र सकरार के सहयोग से हम करने वाले हैं। आपने यहां घोषणाएं कीं । यहां पर उसके पेटे ही आपने दुनिया भर की घोषणाएं कर ली, वाहवाही लूट ली, लेकिन केन्द्र सरकार की सराहना आपने कहीं किसी रूप के अंदर नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष: बुराई भी नहीं की।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बुराई कहां है इसके अंदर ? One should be grateful.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई अहसान तो नहीं है।

एक माननीय सदस्य: बीच में नहीं बोलें आप। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसको एक शब्द में उस बात को कहना चाहता हूं कि आज राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति सुधारने की बात की जाती है, उसके अंदर केन्द्र सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको कि हम नकार नहीं सकते। आपके वक्त में थी आपकी सरकार, आपने क्या हमको निहाल किया था, वह हमको सब मालूम है। फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सारे राज्य रो रहे थे, उस वक्त हम बार-बार कहते थे कि राज्य की आप कोई मदद कीजिये। लेकिन केन्द्र सरकार ने एक पैसा फिफ्थ पे कमीशन के तहत राज्य को नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य, आप माफ करेंगे इसकी बुनियाद रखी थी तो तत्कालीन प्रधान मंत्री, अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार ने रखी थी । ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन उन्होंने बनाया था और ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन पर ही हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अच्छा, हो-हो। ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन उन्होंने बनाया था। फाइनेंस कमीशन मुकर्रर होता है वह तो संविधान का प्रावधान है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): स्टेट का जो हिस्सा रखा, विधान तो इलेवंथ फाइनेंस कमीशन में भी बना था, तो बनेगा। हर पांच

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साल में बनेगा कमीशन तो। और उस कमीशन में जो सोच था अटल बिहारी वाजपेयीजी का, उन्होंने इस तरह की डिवोल्युशन की है कि आज सारे हिन्दुस्तान में राज्यों के अन्दर पैसा ज्यादा मिला है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): फाइनेंस कमीशन मुकर्रर होता है, वो तो संविधान का प्रावधान है। (व्यवधान) हमने भी मेमोरेण्डम पेश कर दिया था। आप छोड़िये, आप बीच में इन्ट्रप्ट करते हैं, आप जवाब दे दीजियेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जो भी योजना हैं, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, किसी की योजना हो उसमें ज्यादा पैसा लगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी हंसी आती है कि वाजपेयीजी ने अपोइण्ट किया था, वो तो कोई सरकार होगी पाँच साल के अन्दर फाइनेंस कमीशन तो मुकर्रर करना ही पड़ेगा। किसी की भी सरकार हो यह तो कांस्टीट्युशन का मेंडेटरी ऑब्लिगेशन है, आप उससे बच कैसे सकते हो। वाजपेयीजी ने किया था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसके बंधे हुए हैं। सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस उनको देती है और ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन के सामने हमने मेमोरेण्डम किया था। यह बात जरूर है कि इस सरकार के आने के बाद इन्होंने सप्लीमेंट्री मेमोरेण्डम उसके सामने दिया था। सारे देश में वो घूमते हैं, सब की बातें सुनते हैं, यहां भी आये थे, हमने भी उनसे बात की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने केस प्लीड ही नहीं किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जी हां, आप आ गये थे, यहां बैठे हमने केस प्लीड नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दोषी आप हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप विराजें। ज्यादा आप मक्खन और *** करने की कोशिश न करें, समझ गये आप।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन का जब आया था तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं और देवपुराजी एपियर हुए थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप ही थे, यह नहीं थे।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): सुनिये, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वो सरकार से अलग मिलते हैं, पता कुछ है नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको ज्ञापन नहीं देना था, आप वित्त मंत्री थे ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बात सुनो पूरी आप, जानते कुछ हो नहीं।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): मेरी बात सुनिये। पार्टी की तरफ से मैं गया था। पार्टी की तरफ से मैं और देवपुराजी एपियर हुए थे। हरिशंकरजी भाभड़ा आपकी तरफ से एपियर हुए थे और जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज थीं, सब ने यह कहा कि माथुर साहब ने जो रिप्रजेंट दिया है उसमें हम एग्री करते हैं। तो यह तो हमने, हमारा कैसे नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माथुर साहब, आपकी बात को तो हम वर्षों से एग्री करते हैं परन्तु यह आपके साथ वाले एग्री नहीं करते वरना आपका स्थान यहां थोड़ी था। आप अगर होते यह हालात थोड़ी होते। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ऐसा है कि बीच में इन्ट्रप्ट कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जब फाइनेंस कमीशन आता है तो सरकार, मुख्यमंत्री के निर्देशन में तमाम अधिकारी होते हैं, मैं भी उसमें था, हमने अपना पक्ष रखा उनके समक्ष उसके बाद एक प्रक्रिया, यह एक सैट प्रोसीजर है कि वो राज्य के राजनीतिक दलों से भी मिलते हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सम्माननीय माथुर साहब और देवपुराजी गये थे और आपकी पार्टी की तरफ से भाभडाजी गये थे। वो भी उनसे मिले थे। वो एक अलग प्रक्रिया है। सरकार अपना पक्ष अलग रखती है और राजनीतिक दल अपना पक्ष अलग रखते हैं। वो अलग से मिलते हैं जाकर के और भी कोई उनसे मिलना चाहे, राज्य के अर्थशास्त्री उनसे मिलते हैं, जाकर के अपना पक्ष रखते हैं और राज्य के हित के अन्दर बात करते हैं और यहां बैठ कर के कि यह नहीं मिले, यह खुद रिकार्ड है, रिकार्ड की बात है। यहां बैठ कर के बरगलाना चाहते हैं, यहां बैठ कर बीच-बीच में फुदक-फुदक कर खड़े हो जाते हैं, कुछ जानते हैं नहीं और कि आप नहीं मिले थे। आप रिकार्ड उठा कर देखो, सरकार आपकी ही है, कौन-कौन था उस मीटिंग के अन्दर, डैलिब्रेशन के अन्दर। आपको पता ही नहीं कि आप नहीं मिले थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया था, केस अच्छी तरह से प्लीड नहीं किया था। हमने जो सप्लीमेंट्री मेमोरेण्डम दिया, आज उसी की परिणति है...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह असत्य है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमने जो सप्लीमेंट्री मेमोरेण्डम दिया, आज उसी की परिणति है कि राजस्थान राज्य को ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन का पैसा मिला है, ज्यादा पैसा मिला है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह आपका कहना बिलकुल असत्य है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): कांग्रेस ने किसी भी विषय को कभी भी गम्भीरता से नहीं लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बात हुई। यह प्रोफेसर बोल रहे हैं, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को फिर मैं नहीं बोलने दूंगा अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो I will not let the Chief Minister to speak.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चलो नहीं बोलेंगे, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं इतने सवाल दागूंगा, इतने सवाल दागूंगा उनके ऊपर कि आप परेशानी में आ जायेंगे। फिर आप कहेंगे ...(व्यवधान) आप इनको रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ नहीं ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको जवाब देना है आप जवाब दिलवाएं। कौन मना कर रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ठीक है, ठीक है। अब बिलकुल नहीं बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यहां अनर्गल बातें, असत्य बातें ...(व्यवधान) मिसलीड करने की बातें इस किस्म की हरकत कर रहे हैं यहां बैठे हुए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप गुस्सा मत हो, बिलकुल गुस्सा मत करो, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): गुस्सा क्या बात है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देखो चेहरा लाल हो रहा है, अब आप गुस्सा मत करो। बोलेंगे ही नहीं, साहब। बोलेंगे ही नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): असत्य बोलने की सीमा होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलेंगे नहीं पर गुस्सा मत करो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): असत्य, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यहां की स्वस्थ परम्पराओं का आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं। बैठे हुए यहां पर। आप बार-बार उचक-उचक कर खड़े हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। एक सीमा है मक्खन लगाने की। इस पूरे सदन के अन्दर एक महीने से जिस प्रकार से आपने व्यवहार किया है यह चिंता का विषय है, मैं आपसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह माननीय मुख्य मंत्रीजी टी वी पर देख रही हैं इसलिए जानबूझकर के बार-बार खड़े हो रहे हैं जिससे कि आपके नम्बर बढ़ जाएं। मुख्य मंत्रीजी देख रही हैं टेलीविजन पर कि राजेन्द्र कित्तोक बार खड़्यो होवै है। थारा नम्बर बढ़ रया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राठौड़ साहब, प्रद्युम्न सिंहजी ने यह तो आपको बता दिया कि यह फाइनेंस कमीशन संवैधानिक प्रावधान है और संविधान कब बना था, सुनिये, वो भी आपको पता है, 1950 में और वो कब, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र आप बार-बार कर रहे हो, +++ न उसके आठ साल बाद संविधान बना।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप काहे पर ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उसके आठ साल संविधान बना था। यह ध्यान रखना आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): कम से कम ऐसा असत्य बयान तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं दिया जाए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इतना असत्य बोलते हैं, +++ यह प्रमाण हो तो सदन की मेज पर रखो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इन्होंने आग लगाने का काम किया है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): देश के टुकड़े करवा दिये। अटलजी तो वो हस्ती हैं...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास प्रमाण हो तो सदन की मेज पर रखें आप। इस तरह अनर्गल आरोप राष्ट्रीय नेता पर लगाना उसका अपमान करना है ...(व्यवधान) माफी मांगें यह।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये, कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य .....

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह तय हो चुका था जब कि जो भी हमारे केन्द्रीय नेता हैं, राष्ट्रपुरुष हैं, उनके बारे में न इधर से न उधर से माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं करेंगे, उनके राजनीतिक कार्यों को छोड़ कर तो उसके बाद में इस प्रकार की बात क्यों की जा रही है ? फिर हजार प्रकार की बातें इधर से आएंगी तो एक बार जब व्यवस्था हो चुकी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो अभद्र टिप्पणी की है उसको तो कार्यवाही से निकाल दीजिए और जिन माननीय सदस्य ने की है उनको इसके लिए क्षमायाचना करनी चाहिए।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप सुनिये, बात सुनें आप पहले।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्षजी, यह तय हो चुका है

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): एक मिनट शांतिजी, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब बैठे हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय बैठे हैं, इन्होंने कई बार हाउस में भी कहा है कि जो केन्द्र के, सदन के जो मैम्बर नहीं हैं उन पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगायें। यह कई बार आपने ही कहा है यहां पर, हमने नहीं कहा, कई बार कहा है, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए ...(व्यवधान) माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी इस सदन के सदस्य नहीं हैं और देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वह सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। और यहां तक उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नरसिम्हारावजी प्रधानमंत्री थे, यू. एन. ओ. के अन्दर भारत को रीप्रजेण्ट करना था और नरसिम्हारावजी ने कांग्रेस के किसी मिनिस्टर को नहीं भेजा रीप्रजेण्ट करने के लिये। विदेश मंत्री को नहीं भेजा, माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी को स्पेशली भेजा यू. एन. ओ. में भारत को रीप्रजेण्ट करने के लिए। उस व्यक्ति के बारे में ...(व्यवधान) वह संस्कृति तो सबकी एक है आपकी और हमारी संस्कृति तो ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मेरी बात मुझे कम्पलीट करने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माहिर साहब आप बोल लेना, मेरे बाद बोल लेना। आप विराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप बोलते हैं तो नहीं बोलता हूं, न मैं अनर्गल टिप्पणी करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी अनर्गल टिप्पणी किसी भी नेता के बारे में नहीं की इसलिए आप मुझे तो बोलने दीजिए, कम्पलीट करने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं एक बात आपको निवेदन करना चाहता हूं जिससे हाउस में रिकार्ड ...(व्यवधान) महावीरजी, एक मिनट, मैं हाउस में रिकार्ड पर लाने के लिए एक बात कहना चाहता हूं। माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी जब नये-नये पहली बार सांसद बनकर पार्लियामैंट में गये थे और पीछे की सीट उनको दी गयी थी, खंभे के पीछे की, मैं भी जब पार्लियामैंट में पहली बार गया था। खंभे के पीछे की सीट, नये मैम्बर आते हैं पीछे बैठते हैं, उन्होंने विदेश नीति के ऊपर भाषण दिया। और उस समय रूस के राष्ट्रपति भारत आये थे और भारत आने के बाद अटल जी को वहां बुलाकर के पण्डित नेहरू ने, नेहरूजी हमारे सबके सर्वमान्य नेता रहे हैं, उस समय हम भी उनका आदर करते हैं, उन्होंने बुलाकर इण्ट्रोड्यूस करवाकर के कहा था कि यह सांसद ऐसा है जो भारत का भविष्य है, यह नेहरूजी ने कहा था। उस व्यक्ति के बारे में जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, वह व्यक्ति जो इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वह व्यक्ति जिनकी विदेशों में भी कद्र की जाती है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी कहा। उनके प्रधानमंत्री आये तो अटल बिहारीजी से मिलकर गये हैं और कहा अटलजी, आपको बधाई देता हूं आपने एक प्रक्रिया शुरू की थी जो आज भी चल रही है। जिस प्रधानमंत्री के बारे में हम ही नहीं, हमारी पार्टी नहीं, कांग्रेस के नेता जिनकी इज्जत करते हैं, उस प्रधानमंत्री के बारे में मेरे माननीय साथी इस तरह की टिप्पणी करें, हमने कभी भी नेहरू जी ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): एक मिनट सुनो ना, रिकार्ड पर चला जाए, रिकार्ड में तो आने दीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): बस मैं आधी मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय सदस्य, आधा मिनट, प्लीज विराजो ना।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): एक मिनट रिकार्ड में तो आने दो। उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि देश ही नहीं और मुझे एक घटना और याद आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यहां सदन में रिकार्ड पर लाना चाहता हूं ...(व्यवधान) बोलने तो दो ना एक मिनट, क्या बीमारी है? एक मिनट सुनो ना, क्या हो रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी .

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): बैठो ना, एक मिनट मैं बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी ...(व्यवधान) एक मिनट सुनो ना, क्या बीमारी है? अटल बिहारीजी वाजपेयी विदेश नीति पर भाषण दे रहे थे, पण्डित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे ।

(समय : 14.00 बजे)

उस समय नेहरूजी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे। अटल बिहारीजी वाजपेयी विदेश नीति पर बोल रहे थे तो कांग्रेस के माननीय सदस्य हाउस के अन्दर कुछ हो-हुल्लड, टोकाटाकी की तो नेहरूजी ने खड़े होकर, यह पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में है जो मैं बोल रहा हूं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में है कि पंडित नेहरू ने खड़े होकर

(डा. एन.एस. गुर्जर)

कांग्रेस के माननीय सदस्यों को डांट लगाकर बैठाया और यह कहा कि जो तैयारी करके आते हैं उनको आप बोलने नहीं देते हो, खुद तो तैयारी नहीं करते हो और तैयारी करके ... (व्यवधान) एक मिनट साहब। प्रद्युम्न सिंहजी, आप बोलते हैं तो मैं कभी इंट्रप्शन नहीं करता हूं। आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप बिराजो ना। मैं तो कभी आपको इंट्रप्ट नहीं करता हूं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप बिराजो ना। बीच में कहां आ गये आप ? मेरे बीच में आप कहां आ रहे हो। कई ऐसी बातें होती हैं जो थोड़ा सोचना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय जब ... (व्यवधान) एक मिनट बैठिये ना ...

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): समझा दूंगा। उनको भी समझा दूंगा। बैठो ना तो आप। प्रद्युम्न सिंहजी से बात करनी है बिराज जाओ आप ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रद्युम्न सिंहजी को तकलीफ नहीं है आप तो बेकार ही ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपके हाथ जोड़कर ... (व्यवधान) आप विद्वान आदमी हैं। आप सबसे ज्यादा विद्वान हैं। बिराजो ना। मेरे को तो माफ करो। बैठ जाओ। प्लीज ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): बिराज जाओ। मैं आपको इंटरफियर नहीं करता हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब सुनिये ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं एक घटना बताता हूं। वह

(डा. एन.एस. गुर्जर)

विदेश नीति पर भाषण कर रहे थे। उधर से टोकाटाकी होती है। अटलजी ने केवल एक शब्द कहा। वह शब्द था कि अध्यक्ष महोदय, बोलने के लिये वाणी चाहिये मगर चुप रहने के लिये वाणी और विवेक दोनों चाहिये। यह कहते ही नेहरूजी उठे और नेहरूजी ने अपने सदस्यों को डांटते हुए कहा कि तैयारी करके आते नहीं हो और जो माननीय सदस्य तैयारी करके आकर सदन में बोल रहे हैं उनकी बात सुनते नहीं हो। उस व्यक्ति के बारे में, मैं आज भी इधर से भी यदि नेहरूजी के बारे में कोई अनर्गल टिप्पणी माननीय सदस्य हमारी तरफ से करेगा मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। किसी राष्ट्रीय नेता के बारे में चाहे इधर का सदस्य हो, चाहे उधर का सदस्य हो, कोई भी अनर्गल टिप्पणी करते हैं तो उस नेता का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। चाहे इधर के नेता हो, चाहे उधर के नेता हो। यह हमारे सबके नेता हैं इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि जो माननीय सदस्य ने बोला है, सदन की कार्यवाही से आप निकालिये वर्ना यह उत्तेजना समाप्त नहीं होगी। आपने अवसर दिया ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। बैठिये ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये ... (व्यवधान) कल्ला साहब, आप एक बार बिराजिये। बैठिये आप ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब पहले की बात इसमें रहेगी क्या ? अभी वर्तमान में जो विषय चल रहा है उससे आप उनमें ज्ञान बांटिये ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सब निकाल दी। सब निकली हुई है ... (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, यह बात सही है कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अन्दर प्रद्युम्न सिंहजी अपनी बात कह रहे थे और आपने बिना कोई कारण एक उत्तेजना की बात ... (व्यवधान) सुनना आप ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: राठौड़ साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है। राठौड़ साहब कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। आप बैठिये ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप। आप इंट्रप्ट कर रहे थे। प्रद्युम्न सिंहजी ने अपने आप जो कहना था वह कह दिया था। आपको बीच में इस प्रकार की उत्तेजित टिप्पणी नहीं करनी चाहिये थी। मैंने उसी वक्त कह दिया अंकित नहीं होगा और आपको उसके लिये ... (व्यवधान) अच्छी बात नहीं है यह। शोभा नहीं देता। बड़े अच्छे वातावरण में ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, इंट्रप्शन खड़े होकर मत करिये आप।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो रहा है ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आरोप अंकित नहीं हुआ है। बैठ जाएं ... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, टिप्पणी अंकित नहीं हुई ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वैसे भी भद्दी टिप्पणी करने से राष्ट्रीय नेता का कद कम नहीं होता। हम जो करते हैं हमारा ही कद कम होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रख रहा था ... (व्यवधान) एक मिनट, महावीरजी अब बहुत हो गया। अगर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आप नहीं चाहते हैं तो मैं बिलकुल कतई नहीं बोलूंगा। If you want, I would not. बीच में नहीं। क्या मतलब है? अगर आप चाहते हैं कि ठीक है आप कह दीजिये ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खेदजनक स्थिति सदन में इसलिये बनी, मैं बहुत दुःख के साथ कह रहा हूं सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी है लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की ज्यादा जिम्मेदारी है। उनका दायित्व है कि सदन के अन्दर आर्डर बना रहे। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है पुराने सदस्य हैं, कई दफा हमारे साथ रहे हैं जिस प्रकार से कोई बात होती है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बुरे मन से नहीं कहा आपको। बुरे मन से नहीं कहते हैं ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप मेरी बात सुन लें। बुरा मन नहीं है, इंट्रप्शन तो था ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग दिखती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इंट्रप्शन तो था। मेरी बात सुनें आप, इंट्रप्शन तो था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं आपको करेक्ट कर रहा था। अब नहीं करूंगा ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बिलकुल असत्य तरीके से करेक्ट कर रहे थे तथ्यविहीन ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, अब नहीं करेंगे ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने कह दिया कि वह ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन तो वाजपेयीजी ने अपाइंट किया था। कोई प्रधानमंत्री होगा उसे अपाइंट करना पड़ेगा ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह उस साल के लिये कहा था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): It is a constitutional requirement. It is a mandatory thing. मैंने टी.एफ.सी. की बात कही थी। किसने अपाइंट किया, किसने अपाइंट नहीं किया, नहीं कही मैंने यह बात। तो It is a mandatory obli-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

gation. Constitutional obligation है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो हंसी भी आ रही थी कि उन्होंने किया था। वह नहीं होते, कोई और नहीं करता अपाइंट ? तो उससे पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं फिर टोक रहा हूं। उनके टाइम में हुआ था माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उनके वक्त में यह अपाइंट हुआ था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यहां कहीं डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी बात इफैक्टिव तरीके से नहीं कह पाये। He was just trying to derail me that I lose my temper and I conclude my speech. That was a modus operandi altogether.

श्री उपाध्यक्ष: आप लूज करते नहीं हैं। आप लूज करते नहीं हैं ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं भी बहुत पुराना हूं। मैं इनकी बातों से ... (व्यवधान) आपको मैं निवेदन करूं, एक प्रश्न यह उठाया कि हमेशा डिवोल्यूशन आफ ग्रांटस हर साल में बढ़े। तो मैं आपको यहां से फिगर देता हूं। एब्सल्यूट टर्मस की जब मैं बात करता हूं, मैं 2000-01 से शुरू करता हूं। 200-01 के अन्दर राज्य में राजस्थान को 5413 करोड़ 84 लाख रुपया मिला और नेक्स्ट ईयर के अन्दर ही 2001-02 के अन्दर 4973 करोड़ रह गया। जो मिला था उससे भी कम हो गया। आप जो कह रहे थे कि बढ़ा था तो मैं उसके लिये दोष नहीं देता हूं। उस वक्त जो अर्थव्यवस्था देश की थी उसके अन्दर जो सेण्ट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन था वह पूअर था। इस कारण से नहीं वह दे सके अदरवाइज तो कांस्टीट्यूशन आब्लीगेशन पूरा करने के लिये देना पड़ता यह फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि उस साल जो बढ़ रहा था कभी 400 करोड़ रुपये, कभी 500 करोड़ रुपये लेकिन यहां क्वांटम जम्प हुआ है 1000 करोड़ रुपये की गति से बढ़ रहा है। 2000 करोड़ रुपये की गति से टैक्स डिवोल्यूशन बढ़ रहा है। कहने का मेरा अभिप्राय यह था। फिर आपको एडवांटेज मिला डैट् स्वेप की स्कीम का। डैट् स्वेप के तहत जो हाई इंटरेस्ट रेट थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा 14.50 प्रतिशत रेट आफ इंटरेस्ट थी आज 9.50, 7.50 प्रतिशत पर राज्य सरकार को डैट् स्वेप के तहत लाभ मिल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रहा है तो कितना बड़ा फर्क आ गया ब्याज के पेटे। यह ब्याज का राज्य को चुकारा करना पड़ रहा था उसके अन्दर एकाएक कमी आयी। वह भी भारत सरकार ने योजना दी सारे राज्यों की माली हालत को देखते हुए कि राज्य कठिनाई के अन्दर हैं। उस चीज को भूल गये। यहां बैठकर हमने ही किया है सारा का सारा, अब इसकी जड़ में मैं जाना चाहता हूं। चाहे डैट् स्वेप की स्कीम हो, अब आपने एफआरबीएम एक्ट जो पास कर दिया है, उस पर मेरा मानना है और यह चर्चा का विषय है, यह मेरा विचार हो सकता है, इससे राज्यों को समस्या आने वाली है कि 2008-09 तक आपको रेवेन्यु डेफिसिट को समाप्त करना पड़ेगा। लालच क्या है, टीएफसी की रिपोर्ट है कि आपको इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव पाने के लिए सबने होड़ मचा रखी है। फिर आपका यह है कि सरटेन लोन्स जो हैं राज्यों के, वह राइट आफ हो जायेंगे। उसकी होड़ मची हुई है। लेकिन मैंने जो पढ़ा है, विचार चल रहा है देश के अंदर, एक वर्ग कह रहा है कि इससे देश के और राज्यों की जो विकास की गति है, गरीबों की जो आकांक्षाएं हैं, जब राज्य सरकार सोशल सेक्टर के अंदर, इकानामी सेक्टर के अंदर पैसा खर्च नहीं करेगी तो गरीब की आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके दो-तीन उदाहरण देता हूं। इस प्रकार का सिमिलर अमेरिका के अंदर पास हुआ। इसी प्रकार का यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वहां पास किया है और जर्मनी इसका सबसे बड़ा प्रवर्तक था कि करिये और नतीजा यह है कि आज जर्मनी में और फ्रांस में रेशेसन आ गया। फिर वहां विचार हुआ कि क्या होगा इसके अंदर। फिर वहां अमेंडमेंट हुए अमेरिका के अंदर, अमेंडमेंट इस प्रकार के कर दिये हैं, डिफरेंट नाम से एक्ट हैं वहां पर, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ देता हूं ''It may be useful here to look at the experience of the countries that has passed the implementation the fiscal responsibility legislation in the USA. The Gram Holding Act of 1985." वहां पास हुआ था। इसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन के लोगों ने पास किया था तो आज मैं चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी अर्थशास्त्रियों से चर्चा करें। यह भविष्य के लिए चेतावनी है कि आप अर्थशास्त्रियों से चर्चा करके इसके अंदर भविष्य में किस प्रकार के अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य के हित में और गरीब के हित में और राजस्थान के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

विकास के हित में इसमें चर्चा की जाती है। यह विचार चल रहा है। वेस्ट बंगाल ने पास नहीं किया, एफआरपीबी एक्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पास नहीं किया। यह मेरा आपको सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां मुख्य मंत्रीजी से एक बात और कह दूं, प्रधानमंत्रीजी ने मुख्यमंत्रीजी को पत्र लिखा कि राज्यों को भी महंगाई पर काबू पाने में सहयोग देना चाहिए। कह दिया कि हमारे राज्य की क्या जिम्मेदारी है यह तो उनका विषय है। यह सोच गलत है। राज्य भी तो थोड़ा-बहुत योगदान दे सकते हैं। मैं आपके सामने दो बातें कहना चाहता हूं कि आपका पीडीएस सिस्टम अफेक्टिव है। यह मेरा आरोप है कि राज्य में आपका पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम करप्सन की भेंट चढ़ गया है। सब मनों में जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। किस प्रकार मिट्टी के तेल का क्या हो रहा है, गेहूं का क्या हो रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अगर आप पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम को टूफेक्टिव कर देंगे तो निश्चित रूप से गरीब आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी। इसमें असेंसियल कमोडिटी एक्ट के तहत, व्हीट कंट्रोल आर्डर आप ले सकते हैं, केन्द्र सरकार ने छूट दे दी। आप चाहें इस तरफ भी काम करें। इसकी तरफ भी आप कर सकते हैं लेकिन अभी तक राज्य में व्हीट कंट्रोल आर्डर, प्लस कंट्रोल आर्डर किसी किस्म का कोई आर्डर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, होल्डिंग की सीमा तो आपको तय करनी पड़ेगी। होल्डिंग की सीमा जब तक आप तय नहीं करेंगे तो राज्यों का योगदान नहीं होगा। आपने आठ आने लीटर का सेस लगा रखा है, भारत सरकार दो दफे रेट कम कर चुकी है। आपकी सेल्स टैक्स की रेट डीजल पर, पेट्रोल पर पहले से ही ज्यादा है। अगर आप इसमें थोड़ी बहुत राहत दे दें, 50 पैसे की जगह 25 पैसे कर दें तो भी किसान को इससे राहत मिलेगी, राज्य सरकार की नीतियों से, अपने प्रशासनिक कदमों से निश्चित रूप से महंगाई पर थोड़ी-बहुत रोक लगेगी। बाकी तो आप जानते हैं हिन्दुस्तान में खेती आज भी बहुत बड़े भू भाग में पानी पर डिपेंड करती है। पानी के अलावा कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं ओले पड़ जाते हैं, अकाल पड़ जाता है तो इसके कारण से भी कीमतों में फलेक्चुवेशन आता रहता है। कीमतें बढ़ती रहती हैं। मेरे कहने का अभिप्राय

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है कि मुख्य मंत्रीजी का यह कहना कि महंगाई पर कंट्रोल करने में राज्य सरकार का कोई इफेक्टिव रोल नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात रिफाइनरी के बारे में यहां पर कोई चर्चा नहीं हुई। राज्य में ...(व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): रिफाइनरी के बारे में, राज्य से बाहर क्यों जा रही हैं? सवाल यह है कि राज्य से बाहर क्यों जा रही है? जो हमने अख़बार में पढ़ा है, बाकी किसी को कांफिडेंस में तो लिया नहीं। कहा गया कि जरूरत से ज्यादा कनसेशन भारत सरकार के उपक्रम ओएनजीसी मांग रही है। यह बात भी निश्चित ही है कि आज आपको बात करनी चाहिए थी उनसे, आपकी सोच के अंदर फर्क था। आपने यह सोचा चूंकि तेल के कुए यहां पर हैं, तेल का उत्पादन यहीं होगा तो उनको झक मारकर के रिफाइनरी राजस्थान में लगानी पड़ेगी। इस सोच की वजह से आप पिछड़ गये। आपसे कनसेशन मांगे, मैं आलोचना नहीं करूंगा, मैं उदाहरण देना चाहता हूं राज्य के अंदर हुंडई मोटर कंपनी की स्थापना हो रही थी, प्लांट लगने वाला था। तत्कालीन मुख्य मंत्री सम्मानीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने उनको 13 साल का टैक्स कनसेशन देने की बात की, 13 साल तक टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। राज्य एक दूसरे के खिलाफ खिलाते हैं। वह मद्रास गये, तत्कालीन मुख्य मंत्री मद्रास ने 18 साल का टैक्स समाप्त कर दिया। वह फैक्ट्री वहां लग गयी। आप यह भूल जाते हैं कि आपके राज्य के अंदर आप बात करते कितना कनसेशन मांग रहे हैं, आप कनसेशन के ऊपर आ गये कि इतनी आमदनी खत्म हो जायेगी। लेकिन आप भूल गये कि कितनी सारी सहायक इंडस्ट्री लगनी हैं, सहायक उद्योग कितने लगेंगे, सर्विस सेक्टर के माध्यम से कितने हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। आप यह एनविसेज करने के अंदर भूल गये। कितने आदमी वहां नौकरी करेंगे। उनको तनख्वाह मिलेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। उसके जरिये टैक्स आपके पास आयेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी पार्टी आपके साथ इस मामले में खड़ी है। राजस्थान का हित सर्वोपरि है। आपको रिफाइनरी लाने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए और कुछ बातचीत के जरिये हल निकालना चाहिए। अन्यथा राजस्थान के लिए वह काला दिन होगा अगर राजस्थान के अंदर रिफाइनरी नहीं लगती। आप अपनी सोच को बदलिये। आप यह मत

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सोचिये कि उन्हें मजबूर होकर के राजस्थान के अंदर रिफाइनरी लगायेंगे। आपको अपनी सोच बदलकर के कुछ ले-देकर के जो मांग रहे हैं उसमें कुछ कम-ज्यादा करके आपको रिफाइनरी लगाने के लिए राज्य के अंदर प्रयत्न करना चाहिए। यह मैं रिफाइनरी के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर में जो बड़े उद्योग हैं उनमें दो-तीन उद्योग हैं उनमें एक्सप्लोसिव की फैक्ट्री लगी हुई हैं। वहां पर एक्सप्लोसिव पर राज्य में साढ़े 12 प्रतिशत की दर से वैट की डयूटी है। यह बात सही है कि जो वैट की फ्लो रेट तय हुई थी उसका वायलेशन राज्यों ने बहुत किया है। राजस्थान भी उसका अपवाद नहीं हो सकता है। यहां भी किया है। आपने एक कमेटी बना दी, एक्सट्रा संवैधानिक कमेटी बना दी, सत्यनारायणजी गुप्ता की अध्यक्षता में, मैं उसको एक्सट्रा संवैधानिक बाडी कहता हूं। वह रिकमंड करती है और आप करते हैं। मैं उस विगत में नहीं जाना चाहता कि लोग क्या बातें करते हैं, क्या बातें नहीं करते हैं। I do not want to go in those details, लेकिन आपने फ्लो रेट का इस मायने में उल्लंघन किया, वायलेशन किया, वह बात दूसरी है कि आगे जाकर के आल इंडिया की मीटिंग होगी, फाइनल एम्पावर्ड कमेटी की तो सारे देश के बारे में क्या व्यू लिया जायेगा, यह बात दूसरी है कि सारे देश का कितना होगा। उस उद्योग को बचाने के लिए, वह उद्योग आज बहुत परेशानी में है और 900 परिवारों का मामला है, 900 लोगों को उसमें एम्प्लायमेंट मिला हुआ है। अगर वह बंद हो गया, बड़ी मुश्किल से हमने उसको चालू करवाया था। वह बंद होने के कगार पर आ गया था। उसको बड़ी मुश्किल से चालू करवाया है। मैं चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। राजस्थान में बहुत थोड़ी ऐसी इंडस्ट्री हैं। ज्यादा कोई भार भी नहीं आयेगा और नेबरिंग स्टेट्स में कई जगह इसी प्रकार के वायलेशन किये हुए हैं तो कृपया भावना रखते हुए आप उसको चार परसेंट की रेट में लायें, मेरा आपको यही सुझाव है।

यहां पर एम्प्लायमेंट की बात पर एक ही बात कहता हूं आखिर में। मैनिफेस्टो में कहा गया कि एक लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। क्या हुआ उसका? रिफाइनरी लगेगी नहीं, भारत सरकार के पैसों से आप मास्टर लगा रहे हैं, आपका कुछ है नहीं। आपने कह दिया कि हाड़ी रानी आई आर खड़ी करेंगे। माननीय गृह मंत्रीजी, आई आर राजस्थान में रहेगी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं, आई आर का पैसा भारत सरकार देगी, तनख्वाह के पेटे, बड़ी होशियारी से वाहवाही पा ली, ताली बजवा ली आई आर पर। यह नहीं कि आर ए सी, आर ए सी होती तो राजस्थान को पैसा देना पड़ता, बहुत खूबसूरती से कह दिया कि रानी हाड़ी के नाम पर आई आर, महिलाओं को खुश कर दिया कि एक बटालियन हजार महिलाओं के करीब उसमें नौकरी होगी, पुलिस के लिए आपको मिलती नहीं है, उसी सांस में मुख्य मंत्रीजी कह रही हैं, क्या? जो पद पुलिस में महिलाओं के रिक्त हैं उनको पुरुषों से नहीं भरा जाएगा। उन्होंने खुद ने एडमिट किया है कि हमको महिलाएं मिल नहीं रही हैं इसलिए वह रिजर्व रखे जाएंगे। दूसरी तरफ एक हजार महिलाओं की आई आर खड़ी करने की बात कह दी। कितनी हार्ड लाइफ होती है पैरा मिलिटरी फोर्सेज की, आपके आर ए सी भी एक तरह से पैरा मिलिटरी फोर्सेस की श्रेणी में आती है। देश के कई कोनों में कई आई आर बाहर है, कहीं त्रिपुरा में, कहीं आसाम में, कहीं दिल्ली में पड़ी हुई है, आप भेजेंगे क्या? फिर महिलाओं के वैवाहिक जीवन का क्या होगा? एक उम्र के बाद उनके बाल बच्चों का क्या होगा? कौन उनको पालेगा, कौन उनको रखेगा? यह एक चिंतनीय विषय है। यह एक ऐसी योजना बना ली जो शायद टेक आफ ही नहीं कर पाए। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप टेक आफ करें। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में विचार करें, अगर आप में इतनी सीरियसनेस है तो आप आर ए सी करा दीजिए और उनको मिलिटरी की तरह कोई करवा दीजिए कि 15 वर्ष, 20 वर्ष में वह रिटायर हो जाएंगी जिस तरह से आर्मी से सिपाही रिटायर होकर आ जाता है। नई महिलाओं को भी मौका मिलेगा उससे। लेकिन आपके तो पैसा दूसरों की जेब से आता है, तनख्वाह भारत सरकार देगी, वाहवाही हम लेंगे इसलिए उनको अपोइण्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक यहां पर बड़े जोरों से मेजें टूटती टूटती बची। ग्रेजुएट अनएम्प्लायड महिलाओं को और लड़कों को सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी, बहुत खुशी की बात है, हमने भी शुरू किया था। लेकिन राज चला गया, टेक आफ नहीं कर पाए, आप करें। अब आपने ग्रेजुएट की बात कही जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में 2 साल से दर्ज हो। आजकल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में 90 प्रतिशत बेरोजगार नाम ही दर्ज नहीं करवाते। क्यों नहीं दर्ज करवाते क्योंकि आजकल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के मार्फत कोई महकमा सलेक्शन के लिए विज्ञापन ही सालों से नहीं छपाता और सरकार ने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कोई नौकरी ही नहीं निकाली है, कोई एक चपरासी नहीं लगाया है, कोई एक क्लर्क नहीं लगाया है, सिवाय पुलिस के जो इनकी आवश्यकता है कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, हर साल दो हजार, बाइस सौ आदमी रिटायर होते हैं। आपने उनकी भर्ती के लिए कह दिया, यहां नम्बर बढ़ाने के लिए दो साल में जितने हर साल रिटायर होंगे, हम दो साल भी भर्ती कर देंगे। हमने भी किया था, कहां दिक्कत आ रही है। तो आपने वाहवाही लेने के लिए 5 हजार लोगों की भर्ती करेंगे, नम्बर बड़ा दिखे इसलिए दो साल का आपने अनाउन्स अभी कर दिया। बहुत होशियारी और बहुत खूबसूरती के साथ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, भारत सरकार के लिए कम से कम दो शब्द तारीफ के तो कह दीजिए। देश की अर्थव्यवस्था में जो बूम आया है उसके कारण से और भारत सरकार जिन आवश्यक मदों में, जो आवश्यक सेवाएं हैं, चिकित्सा, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क में मुक्त हस्त से आपको सहयोग दे रही है, पैसा दे रही है उसके कारण से आपका यह बजट इतना सुन्दर बन सका है। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया। रिफाइनरी के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाए क्योंकि मैंने हर क्वाटर में इसकी चर्चा की है। मैं यह मानता हूं कि अगर ओ एन जी सी ने आपको कोई ऐसा आफर देने के लिए कहा है तो दूसरे बहुत से लोग हैं, आप लैटर आफ इन्टेंट निकालिए, ग्लोबल टेण्डर्स इन्वाइट कीजिए। मुझे मालूम है कि आज देश में ओ एन जी से बड़े प्लेयर मौजूद हैं लेकिन आप यह कहकर कि ओ एन जी सी ने हमसे बहुत सी ऐसी छूटें मांगी हैं जो सम्भव नहीं है, और कह दें कि भारत सरकार उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है। मैं समझता हूं कि यह गलत है। 4.8 बिलियन टन्स यहां पर तेल भण्डार मिल चुके हैं जिनके आधार पर आराम से 10 मिलियन टन कैपेसिटी की एक रिफाइनरी आप 20 साल तक लगा सकते हैं। और यह कहना कि राजस्थान के अंदर तेल मिलता है तो यहां लगानी पड़ेगी यह जरूरी नहीं है। आज मथुरा में

(श्री शिवचरण माथुर)

कहां तेल मिलता है, भटिण्डा में कहां तेल मिलता है? इसलिए बहुत ढंग से, और मैं सोचता हूं कि व्यावसायिक तरीके से इस प्रश्न को लेकर भारत सरकार से चर्चा करनी चाहिए। मुरली देवड़ाजी, जो केन्द्र में मंत्री हैं, वह भी आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन आप गाली देते रहो, आलोचना करते रहो और सब कुछ भारत सरकार पर ही डालते रहो तो मैं सोचता हूं कि यह अच्छी नीति नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 21 जनवरी को एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, हमारे दल की तरफ से मैं, चौधरी साहब और कल्लाजी गए थे और उन्होंने एक बात कही थी कि हम आपको पूरा अधिकार देते हैं, जिससे भी आप चर्चा करना चाहते हैं करें, आप हमारा जो सहयोग लेना चाहें, हम सहयोग वह देने के लिए तैयार हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि मेरे पास आंकड़े हैं, मैं कोई लम्बी स्पीच नहीं दे रहा हूं, अगर स्पीच दूं तो मैं आपको कंवीस भी कर देता कि राजस्थान में केवल 10 मिलियन टन की ही नहीं 15 मिलियन टन कैपेसिटी की रिफाइनरी लग सकती है और देश के अंदर 375 मिलियन रिफाइनरी की कैपेसिटी है, जो कम है, उसको 10 मिलियन टन के हिसाब से हर साल बढ़ाना पड़ेगा वरना तो आपको बाहर भेजकर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आपका जो इम्पोर्ट बिल है वह इतना अधिक बढ़ रहा है कि 30 प्रतिशत यहां पैदा होता है और 70 प्रतिशत आपको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, आपका कितना फोरेन एक्सचेंज इसमें जा रहा है। इसको बहुत महत्वपूर्ण समझ कर, प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर और मुख्य मंत्रीजी अपने लेवल पर, मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि राजस्थान में किस विभाग ने इसमें कितनी देर की और किस प्रकार की चर्चा यहां हुई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा एक अनुरोध के तौर पर जिसमें हम सबका आप जो भी सहयोग लेना चाहें वह ले सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी को मैंने अपने तौर पर एक पत्र भी लिखा था, इसमें यह कहा था कि 9 हजार करोड़ रुपये कुल मिलाकर इस रिफाइनरी पर लगेगा। और कोई भी गवर्नमेंट 21 जनवरी को हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने यह बात कही और रामदासजी अग्रवाल ने भी यह बात कही कि 50 प्रतिशत से ज्यादा कोई भी पार्टी कंसेशन मांगने के लिए हकदार नहीं होती है। 9 हजार करोड़ रुपये का मतलब होता है साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की रियायत हम ओ एन जी सी को कई तरह से दे सकते हैं। मैंने दो-तीन सुझाव भी उसमें दिए थे कि रायल्टी एक साल की हमने खो दी, जो 20 प्रतिशत रायल्टी हमें पहले साल मिल

(श्री शिवचरण माथुर)

सकती थी उसका डेढ़ प्रतिशत कम हो गया। साढ़े अठारह प्रतिशत हो गया, एक साल निकलने के बाद 17 प्रतिशत हो जाएगा और दो साल निकलने के बाद में साढ़े पन्द्रह प्रतिशत हो जाएगा। ऐवरी डे राजस्थान गवर्नमेंट रॉयल्टी के पैसों को जो घर बैठे उसको आ सकते हैं, उसको खो रही है और भी केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर और यह कहकर कि भारत सरकार इसमें कुछ नहीं करना चाहती। ओ एन जी सी एक कामर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आप बैठकर बात कीजिए और आमने सामने बैठकर एक लेवल पर बात होनी चाहिए। आप कहिए कि साहब, विभाग के अधिकारियों से कह दीजिए, वह उनसे बात करें, मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं होगा। एक लेवल होता है हर चीज का। माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं बैठें और जो कुछ भी सम्भव हो, हम उनको हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार के स्तर पर अगर कोई जरूरत हो तो हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन रिफाइनरी का राजस्थान में होना बहुत जरूरी है। उससे करीब-करीब इतना पैसा यहां पर आएगा, मैं तो कहता हूं और कई बार मैंने कहा भी है कि राजस्थान को आप टैक्स फ्री स्टेट बना सकते हैं, एक पैसा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा सुझाव देने के बावजूद आप उसको केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर भारत सरकार की आलोचना करते रहे, यह आपकी मर्जी है। मैं फिर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रश्न को आप गम्भीरता से लेकर एक व्यावसायिक ढंग से निपटाया जाना चाहिए, तय करना चाहिए, उसकी कोशिश राज्य सरकार करे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक, 2007 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2007 पर आज यहां सदन में चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 9 मार्च को राज्य का बजट प्रस्तुत करने के बाद और अनुदान की मांगों पर चर्चा के बाद, मुखबंद होने के बाद पारित हो गया, यह विनियोग विधेयक जिन अनुदान की मांगों को सदन में पारित किया है उसकी पूर्ति के लिए कंसोलिडेट फण्ड से पैसों का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है।

वित्त विधेयक के बारे में मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना कहना है कि बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने जो कर प्रस्ताव किये हैं, करों में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सरलीकरण या कुछ कर लगाये जाने का, वित्त विधेयक पारित होने के बाद विधिक रूप से राज्य में उसको प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 9 मार्च को जब से सदन में बजट पेश हुआ है बजट की चर्चा से लेकर अनुदान की मांग तक कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे और कई प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप की राजनैतिक शैली का उपयोग भी किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस बजट को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की विधान सभा में रखा है उस बजट पर प्रतिक्रिया का प्रसंग आया, चाहे वो सदन में चर्चा का अवसर आया हो, बजट में कोई कमी-खामी निकालने की बजाय माननीय प्रतिपक्ष के पास इसके अलावा कोई विषय नहीं है। मैंने अख़बार भी पढ़े और चर्चाएं भी सुनीं कि मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्र की योजनाओं के आधार पर बजट बनाकर सावधानी से विकासोन्मुखी इसका दर्शन कराने का प्रयास किया है।

आज अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेते समय कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी को भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि बारहवें वित्त आयोग में भारत सरकार ने राजस्थान पर जैसे मानो कृपा की हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब बारहवें वित्त आयोग का गठन हुआ तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार यह मंतव्य वित्त आयोग के सामने रखा कि बारहवें वित्त आयोग की तमाम सिफारिशों के अंदर उसका केन्द्र बिन्दु गांव और गरीब होगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मंशा के अनुरूप बारहवें वित्त आयोग ने हिन्दुस्तान के तमाम राज्यों को पैसा देने की व्यवस्था की और उसी का परिणाम है कि आज राज्यों को पैसा मिल रहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): The Commission is a constitutional body. It is not on the mercy of the Prime Minister or someone else. यह बात सही है कि उस सरकार ने कांस्टीट्यूट का गठन किया, उसका अधिकार प्रधानमंत्री को ही होता है, लेकिन कांस्टीट्यूशनल बाडी बनने के बाद उसको निर्णय लेने के लिए किसी प्रकार की गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं वे कांस्टीट्यूशनल बाडी के संबंध में प्रधानमंत्री ने कही हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): सरकार का मंतव्य ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इन्होंने जो इन्फरेंश निकाला, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सदन में चर्चा कर रहे हैं तो इसको समझें बाकी आप इन्फरेंश निकालें आपको छूट है, आप जो चाहे कहें, क्या तकलीफ है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): टर्म्स आफ रेफरेंस तय होते हैं, उसके अंदर अपनी मंशा जाहिर की जा सकती है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राठौड़ साहब, मैं कांस्टीट्यूशन को कोट करूं क्या? कांस्टीट्यूशन कोट करने में ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन है। उसमें प्रोविजन है, पर उसके टर्म्स आफ रेफरेंस भी तय होते हैं, कभी गाडगिल फार्मूला था, कभी दूसरी बात थी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): फिर आप राठौड़ साहब, कम से कम चर्चा करें अच्छी चर्चा करें, सम्यक चर्चा करें, संवैधानिक चर्चा करें, यह अपना सब का कर्तव्य है। अपन पोलिटिकल लाइन पर बात करें उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। आज ज्युडिशरी हमने बनायी, कांस्टीट्यूशन का प्रोविजन है और ज्युडिशरी हमें गाइड कर रही है। कांस्टीट्यूशनल बाडी बनाने का काम अपना है, बाडी बनाने के बाद उसका जो नियत पावर है उसके अंतर्गत वह अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। मेरा निवेदन यह है कि आप अपना इन्फरेंश निकालें, माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने कहा, धन्यवाद, उनकी गाइडलाइन है। फिर तो इस कांस्टीट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, फिर तो किसी को आर्डर निकालकर पास कर दो, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर कि ये काम करने हैं, वह काम हो जाता। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आने वाले समय में वरिष्ठ सदस्य बनेंगे, हम तो चाहेंगे मंत्री बनें। पर वरिष्ठ सदस्य बनेंगे तो कम से कम यह चीज समझ लें कांस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट में बाडी बनाने के बाद it is purely on the wisdom of that constitutional body, जो रिकमण्ड करती है, मैं खाली यही निवेदन करना चाहता हूं बाकी आपकी इच्छा है जो आप निकालें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, तत्कालीन उस समय जो भी अथोरिटी होती है उसका रेफरेंस देने के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रेफरेंस नहीं किया, इन्होंने तो कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कमीशन लागू किया।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): यह नहीं कहा मैंने।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप अपने आपको करेक्ट कर लें। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैंने कहा कि मंशा जाहिर की।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I withdraw it, आप अपने विचार रखें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैंने यह कहा कि मंशा जाहिर की।

श्री उपाध्यक्ष: अब आदरणीय मनमोहन सिंहजी का भी कोई रेफरेंस आये तो ऐसी कोई आब्जेक्शन वाली बात नहीं होती।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Manmohan Singh or no Manmohan Singh, Atal Behari Vajpayee or no Atal Behari Vajpayee, it is the requirement of the Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर कांस्टीट्यूट करता है। Whosoever is the Prime Minister, he will have to do it. That's all. हम यह कहें कि मनमोहन सिंहजी कर रहे हैं या अटल बिहारी वाजपेयीजी कर रहे हैं, यह इश्यू नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था इस तरह की है कि जो प्रधानमंत्री होंगे उनको कांस्टीट्यूट करना है। कांस्टीट्यूट करने के बाद जो उनका कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन है वह डिवोल्युशन में फाइनेंशियल पावर होना चाहिए, यह बात मैं कह रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा है, आप विचार रखें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं आभारी हूं ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सबको शिक्षा देंगे, सबको चिकित्सा देंगे, सबका इंतजाम करेंगे, लोगों को ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूं आपको क्या समझाऊं, मैं कांस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट बता रहा हूं, मैं कांस्टीट्यूशन के फंक्शन नहीं बोल रहा हूं। आप नहीं समझना चाहें तो आपकी इच्छा है, रखो, मुझे कोई तकलीफ थोड़े ही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फंक्शन होते हुए भी आपने नहीं किये और अटल बिहारी वाजपेयीजी ने किया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): फिर वही बातें कर रहे हैं। हर प्रधानमंत्री, अगर देवेगौड़ाजी प्रधानमंत्री होंगे तो उनको भी वही काम करना है,

(डा. सी.पी. जोशी)

महावीरजी जैन होंगे तो उनको भी करना है. These are constitutional requirements जिसको फुलफिल करना पड़ता है। ऐसी कोई सरकार है जो कमीशन नहीं बनाती है? These are the compulsions.

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, एक तो उन्होंने क्रियान्विति की और उसमें अपना एक विजन डालकर काम किया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): धन्यवाद, ऐसा ही विजन रखना आप। बहुत अच्छा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक आप थे जो केवल कांस्टीट्यूशन पढ़ते थे, किया कुछ नहीं आपने।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रहलादजी, आप बोलिए। भैंस के आगे तंदूरा बजाने से कोई मतलब नहीं। आप बोलें, गलती हो गई।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे करेक्ट करने की कोशिश की। मेरे खयाल से मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बारहवें वित्त आयोग को डिक्टेट करके ऐसी व्यवस्था की। गरीब को गणेश की भारत सरकार की उस समय की प्राथमिकता थी। बारहवें वित्त आयोग ने उस मानसिकता को समझा और उसके अनुरूप प्रावधान तय करके हिन्दुस्तान के राज्यों के लिए राशि का अलोकेशन करने की बात तय की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस बजट की आलोचना का कोई विषय प्रतिपक्ष के पास नहीं बचा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने महिला दिवस के एक दिन बाद इस बजट को राजस्थान की विधान सभा में रखा। पहली बार ऐसा लगा कि राजस्थान की महिलाओं के कल्याण के बारे में धरातल पर किसी ने सोच खड़ी करने का प्रयास किया है। बजट में उसका व्यापक वर्णन है, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। जिस प्रकार से चालू वित्त वर्ष की, आगामी वित्त वर्ष 2007-08 की वार्षिक योजना का आकार 11638.86 करोड़ अनुमोदित किया। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि किसी भी राज्य का विकास का आधार उसकी योजना बनती है। उसकी वार्षिक योजना का आकार, उसकी पंचवर्षीय योजना का आकार विकास के मापदण्ड तय करता है। और दुर्भाग्य से कई ऐसे भी उदाहरण राजस्थान में उपस्थित

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हुए कि इस पवित्र सदन ने जिन योजनाओं को पास किया, जिन वार्षिक योजनाओं को अनुमोदित किया उन योजनाओं का आकार घटा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें जनता लोकतंत्र में चुन कर भेजती है और सरकार में हमको जनता के धन का ट्रस्टी बना कर भेजती है कि हम ईमानदारी से उसके धन का सदुपयोग करें। और सदुपयोग करके राजस्थान में कल्याण की योजनाएं लागू करें। इससे बड़ी उदासीनता, इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र के इतिहास में दूसरा नहीं हो सकता कि हम जिस पवित्र सदन से जिस योजना को अनुमोदित कराया और सरकार उस योजना का आकार घटा दे। पिछले शासन में कई बार योजनाओं का आकार घटा। मैं उस वृत्तांत में आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आई, योजनाओं का आकार बढ़ रहा है और राज्य का वित्तीय कुशल प्रबंधन ठीक तरीके से चल रहा है। और उसका प्रभाव हमें इस बजट में देखने को मिला कि इन तीन साल में कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रभाव रहा कि बजट के अन्दर 214 करोड़ 77 लाख का राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है। और 12वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुरूप जहां 2003-04 में राजकोषीय घाटा आगामी वित्त वर्ष में 5321 करोड़ रुपये का अनुमानित है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में राजस्व खाते में सरप्लस होना और राजकोषीय घाटा विकास की नीति को दर्शाता है और मुख्य मंत्रीजी की इस सोच का परिणाम रहा उनका कुशल वित्तीय प्रबंधन राजस्थान को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने और योजना को निर्धारित समय पर लागू किया जाना। उसी से प्रभावित होकर योजना आयोग ने जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया, लोकतंत्र के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी योजना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको सब लोग बार-बार कह चुके हैं लेकिन इसमें से जो बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हर बार हम यहां सदन में बजट पर चर्चा, अनुदान की मांगों पर चर्चा करते हैं, अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन हमारे नजरिये और दृष्टिकोण से सरकार उस बजट और योजनाओं से राजस्थान के गांव और गरीब का कितना कल्याण होता हो, यह विश्लेषण भी ईमानदारी से होना चाहिए। और जब हम इस विषय में विचार करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के आज 60 साल बाद भी हम राजस्थान के गांवों को ठीक तरीके से बिजली नहीं दे पाते हैं। जब कभी बिजली की चर्चा इस सदन में होती है, यह हम सब लोग

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जानते हैं कि बिजली के करंट के झटकों से सरकार बदलती है। लेकिन जब बिजली की चर्चा होती है तो हम केवल 8 घंटे किसान के लिए बिजली मांगते हैं, कभी हमने आगे जाने की कोशिश नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और आज राजस्थान में केवल खेत के लिए बिजली नहीं चाहिए, गांवों में कई प्रकार के लघु उद्योग चलते हैं, गांव में बैल्डिंग की मशीन लगा कर कोई रोजगार पैदा करता है, गांवों में कोई फ्लोर मिल चला कर कोई रोजगार पैदा करता, नाना प्रकार की योजनाएं जो रोजगार का आधार बनती, उनकी बिजली पर निर्भरता रहती। लेकिन कभी हमने गांव के रोजगार को सुदृढ करने के लिए, गांव के उस लघु उद्योग, ग्रामोद्योग को सुदृढ़ करने के लिए बिजली देने की योजना नहीं बनाई। क्या हम किसान के कल्याण के लिए 8 घंटे बिजली मांगते रहे ? हमने कभी इस विषय पर विचार नहीं किया कि शहरों की तरह गांव को भी 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। और पहली बार इस दिशा में राजस्थान की सरकार ने प्रयास किया और 11वीं पंचवर्षीय योजना का 36 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा जो 25 हजार 221 करोड़ रुपये और 75 लाख रुपये का राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिए तय किया है और इस आगामी वित्त वर्ष में 5320 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के प्रति विकास की भावना को प्रदर्शित करता है कि 2010, 2012 तक राजस्थान में बिजली सरप्लस होगा और बिजली में सरप्लस होगा, रोजगार के अवसर जनरेट होंगे। किसी भी स्टेट के विकास का आधार पर्याप्त बिजली बनती है, चाहे वह उद्योग लगाने का मामला हो, चाहे किसान को बिजली देने का मामला हो। और यहां तक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कम्पीटिशन का जमाना है। कई बार गांवों में हम लोग जाते हैं, इस प्रकार की शिकायतें सामने आती हैं लोग चिंता करते हैं, आज बोर्ड की परीक्षाएं हैं, 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं, 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं और इस कम्पीटिशन के जमाने में जब गर्मियों में परीक्षाएं होती हैं। तो गांव के बच्चे को भरपूर बिजली मिलनी चाहिए। आज बिजली सुविधा के लिए नहीं, बिजली आज जरूरत बन गई और इस जरूरत को हमने ठीक तरीके से समझने की कोशिश नहीं की। पहली बार इस बजट में ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस बिजली को हम केवल सुविधा के रूप में गांव के सामने रखना चाहते हैं। और जिस बिजली को केवल किसान की पूर्ति के लिए मांग करते थे, वह गांव की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करना किसी भी लोक कल्याणकारी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सरकार के लिए आवश्यक होता है। इसलिए आज मैं इस मौके पर राजस्थान के मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने प्राइवेट निवेश के साथ-साथ सरकारी निवेश को भी पहली बार इतना बिजली के क्षेत्र में बढ़ाया और राजस्थान इस दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। यह राजस्थान के विकास के शुभ लक्षण नजर आ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी सदन में बजट पेश होता तो ऐसा लगता है कि बजट में कई करों का भार राजस्थान की जनता पर पड़ेगा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाये गये हैं। मैं इस मौके पर मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा करते समय कहा था कि आज राजस्थान में एक भयानक समस्या खड़ी है। हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो अधिकारी यह कह कर हमको जवाब देते हैं कि फाइलों का अम्बार लग रहा है, मैन पावर की कमी है। लेकिन उसी मैन पावर की कमी मिलती है और बाहर आकर हम सड़क पर बात करते हैं लाखों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। यह कौन सी नीति है कि बेरोजगार को संसाधन बनाने की जो चिंता मैंने अभिभाषण में की थी, मैं आज इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैंने निवेदन किया था कि ग्राम को ग्राम रोजगार के लघु उद्योग को ग्रामोद्योग तक पहुंचाओ और उन्होंने बजट में इस बारे में प्रावधान किया। परम्परागत उद्योग बुनकरी, हस्तशिल्प कला और बेरोजगारी भत्ते सहित कई प्रकार के अनाउंसमेंट किये और शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, कई क्षेत्रों में नौजवानों के लिए भारी रोजगार के अवसर पैदा किये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ते का अनाउंसमेंट किया, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी का फिर, इसलिए नहीं कि कोई अनाउंसमेंट हो गया। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी सरकार के समय भी अनाउंसमेंट हुआ था लेकिन घोषणा हो गई उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बजट में आपने नवाचार घोषणाओं को लागू करने के लिए 1251 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। स्वागत योग्य कदम है। और बजट में अतिरिक्त करों को फिर राजस्थान की जनता पर नहीं डाला, यह स्वागत योग्य कदम है। अब यह योजनाएं कोई हवा में तैरने वाली नहीं हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, नवाचार योजनाओं को लागू करने के लिए बजट के प्रावधान बजट में तय कर दिये गये।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के साथ-साथ 28 फरवरी को देश का बजट भी पेश हुआ। अखबारों में रोज समाचार आ रहा है, महंगाई को रोकने के लिए केन्द्र ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्रीजी ने पत्र लिखा कि केन्द्र महंगाई की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रहा है। मैं प्रधानमंत्रीजी के उस बयान को पढ़कर के सुना रहा हूं। ''आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के नियंत्रण में राज्य सरकार की अहम भूमिका है और उसके लिए उन्हें सभी सम्भव नियम-कानूनों का इस्तेमाल करना चाहिए- डाक्टर मनमोहन सिंह, भारत के प्रधान मंत्री।'' माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधानमंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी ने अंजान तरीकों से राज्य सरकारों से महंगाई पर नियंत्रण की अपेक्षा कर राज्य सरकारों के माथे पर महंगाई का ठीकरा फोड़कर के बराबर की भागीदार बनाने की चेष्टा प्रदर्शित की जब कि हम सब जानते हैं। अच्छा होता कि महंगाई रोकने के प्रबन्ध करते। अन्तरराष्ट्रीय नीति और गेट समझौतों के प्रभाव में सरकार ने इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और गंभीर बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुद्रा स्फीति की दर बढ़ रही है, जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और देश का मध्यम तबका लगातार प्रभावित हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान चाहूंगा, मुद्रा स्फीति की बढ़ती दरों के कारण से महंगाई की मार से गरीब तबका प्रभावित हो रहा है। अच्छा होता कि भारत सरकार बजट में चिंता करती, 80-80 रुपये किलो दालें हो गईं उस पर रोक लगाने के नियोजित प्रयास करती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने पढ़कर के कोट कर रहा हूं कि यह किस प्रकार की मानसिकता का प्रदर्शन करता है। मैं वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण के पैरा संख्या 137 का उल्लेख कर रहा हूं। मेरे पास कुत्ते और बिल्ली प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार है। मैं पालतू जीवों के भोजन पर शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। भारत के बजट के पैरा नम्बर 137 पर इसका उल्लेख है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुत्तों के खाने पर, विषय गंभीर नहीं है, मानसिकता की बात कर रहा हूं। हिन्दुस्तान के गरीब को दाल नसीब नहीं, हिन्दुस्तान के गरीब को तेल नसीब नहीं है और पूंजीपतियों के बंगलों में पलने वाले कुत्तों को उनके खाने पर जो कस्टम ड्यूटी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लगती है उसको घटाने की चिंता भारत सरकार के वित्त मंत्री कर रहे हैं, यह किस मानसिकता का परिचय देता है? इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। रईसों के कुत्तों की चिंता हो गई, उनके लिए लगने वाले कस्टम को कम करने की भारत सरकार के वित्त मंत्री को चिंता हो गई लेकिन वह राजस्थान का, हिन्दुस्तान का गरीब जो 80 रुपये किलो की दाल नहीं खरीद पा रहा, जो तेल नहीं खरीद पा रहा उसके सामने खाने का संकट खड़ा है। महंगाई की मार से उसका जीवन त्रस्त हो रहा है और उसको सुधारने के लिए भारत सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आपने बजट भाषण में कहा कि हम कर मुक्त आय को एक लाख से एक लाख दस हजार कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। 15 हजार रुपये महीने के बिना कोई साधारण परिवार नहीं चलता और कर मुक्त आय एक लाख से एक लाख दस हजार करके हिन्दुस्तान की जनता को कौनसा झुनझुना देना चाहते हैं? अच्छा होता कि भारत के वित्त मंत्री कर मुक्त आय को दो लाख की सीमा तक पहुंचाते।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह स्टेट का मामला है? किस पर बोल रहे हो यहां? केन्द्रीय बजट पर बोल रहे हो या राजस्थान के विनियोग विधेयक पर बोल रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: उसी रेफरेंस पर बोल रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): उसी पर बोल रहा हूं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): भारत सरकार के कारनामे उजागर कर रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): भारत सरकार ने जो कृपा करने की बात कही है उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय हेमारामजी, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने कहा था कि सारा का सारा भारत सरकार से जुड़ा हुआ है तो उसकी समीक्षा कर रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सारा का सारा है तो फिर आपके पास क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप हो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हां, हम हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 छोटी-छोटी बात भारत सरकार के बजट की चर्चा करना चाहता हूं। भारत सरकार का बजट पेश होता है, हिन्दुस्तान का एक-एक व्यक्ति उस बजट से प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के बजट के प्रावधान राजस्थान पर एप्लाई नहीं होंगे या केवल केन्द्र शासित राज्यों में एप्लाई किये जाएंगे। एक ऐसा निर्णय जो किया है, मैं वित्त विधेयक भारत सरकार का पढ़कर के आपको बताना चाहता हूं जो लोक सभा में पेश हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय भारत के वित्त मंत्रीजी ने यह आय कर अधिनियम की धारा, मैं वाजिब बात बता रहा हूं, जो संशोधन किया उस पर चर्चा करना चाहता हूं। आपने संशोधन किया है कि हम एक करोड़ रुपये तक की कम आय वाली कम्पनियों से सरचार्ज हटा रहे हैं। आयकर के इतिहास में इससे बड़ी विसंगति पिछले 50 सालों में पैदा नहीं हुई कि आप एक करोड़ रुपये की आय वाली कम्पनी पर से तो टैक्स हटा रहे हो, सरचार्ज हटा रहे हो और इंडिविजुअल आय जिस व्यक्ति की है 10 लाख पर आप सरचार्ज लगा रहे हो। यह किस मानसिकता से आपने ऐसा प्रावधान किया? कम्पनी एक करोड़ रुपये कमाये उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा और कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये कमाये उस पर सरचार्ज लगेगा यह भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अब की बार एम. पी. बनकर के चले जाओ। वहां लोक सभा में भाषण देना। आप उसके लायक हो।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): राजस्थान की जनता पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। राजस्थान में जिस व्यक्ति की इन्कम 10 लाख रुपये है उस पर सरचार्ज है लेकिन जो करोड़ रुपये कमाने वाली कम्पनियां हैं, मैं आरोप लगा रहा हूं कि हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री ने उन कम्पनियों की झोली में बैठकर के आयकर के इतिहास की एक बड़ी विसंगति कायम की है। पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है। करोड़ रुपये की कमाई करने वाली कम्पनियों को सेस से मुक्त कर दिया और गरीब आदमी जो साधारण व्यक्ति, व्यापारी 10 लाख रुपये कमाता है उस पर सरचार्ज लगाने का प्रावधान बजट में कर दिया है। इतना ही नहीं, यह किस प्रभाव में किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख करना चाहता हूं आपके सामने। आयकर अधिनियम की धारा 292 (ख) में संशोधन करते हैं। संशोधन क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयकर अधिनियम की धारा 292 (ख) के पश्चात् निम्नलिखित धारा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अन्त:स्थापित की जाएगी। संशोधन करें, कोई तकलीफ नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, 1 अक्टूबर, 1975 से लागू होगी। मामला क्या है? 292 (ग) में जहां कोई व्यक्ति लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण, अन्य मूल्यवान वस्तु, चीज, किसी तलाशी की आस्तियां दौराने व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई जाती हैं वो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही की उपधारणा की जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं..... (व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): माननीय उपाध्यक्षजी, प्रहलादजी, थोड़ा राजस्थान सरकार का भी ध्यान करो जो डीजल पर डेढ़ रुपया सरचार्ज लगा रखा है। हिन्दुस्तान के किसी भी स्टेट में नहीं है। आप इस पर भी आकर्षित करो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, ये प्रतिपक्ष वाले बार-बार टोक रहे हैं, आपको पता है कि हमारी सरकार दिल्ली में थी तब गैस और ये, आपको पता है गैस के कनेक्शन लेने में कभी आपने सोचा है कि आपकी जब सरकार आती है तो सब कुछ बंटाढार हो जाता है। गरीब, गांव, किसान और मजदूर विरोधी है आपकी सरकार। आज दिल्ली की सरकार आते ही तबाही मच गई है। गरीब को दाल नसीब नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कालाबाजारी बढी है, देश की हमारी जो उपज होती है उनकी कमी मार्केट में आई है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): कहते हैं कि गरीब खाता है दाल-रोटी लेकिन दाल-रोटी ही नसीब नहीं हो रही है। देश का क्या हो रहा है? (व्यवधान) आप खुश हो रहे हो कि अगले चुनाव में हम जोर-शोर से आ जाएंगे, आपकी दिल्ली की सरकार के कारनामे आपको डुबो देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसमें बीच में नहीं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): गैस का क्या हो गया पता है आपको?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात को आज रखना चाह रहा हूं 1975 से लागू होने की, आज भी यह

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एक्ट का प्रावधान लागू है। किसी व्यक्ति के पास आय कर के सर्वे के समय कोई ऐसा कागज मिलता है

(15.00 बजे)

जिसका कोई जवाब नहीं तो सात साल की शास्ति उस पर लगाई जाती है। अब आपने कर दिया 1975 से लगाएंगे। किसी के व्यापार की उम्र 28 साल नहीं हुई, 32 साल व्यापार करते हुए जिसको 32 साल नहीं हुआ कोई कागज उसके पास अनुत्तरित मिल गया और आप जिसके व्यापार को 32 साल नहीं हुए एक कागज के टुकड़े के आधार पर 32 साल का टैक्स और पेनल्टी उससे वसूल करोगे, इससे बड़ा अन्याय कोई करदाता के साथ नहीं हो सकता। करदाता ईमानदारी से कर का भुगतान करता है और देश के भंडार भरता है, खजाने भरता है। लेकिन उस करदाता को मोटिवेट करने के बजाय, कर क़ानूनों में सरलीकरण करने के बजाय, ताकि वह ईमानदारी से पैसा कमाकर सरकार को पैसा देने के बजाय, आपने उसका गला पकड़ कर उसको निचोड़ने का जो कानून बनाया है 1975 से यह निंदनीय था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, केन्द्र का बजट पास हो चुका है उसमें ज्यादा आपको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह जो भाषण है वह राजस्थान विनियोग विधेयक, 2007 का एक भी शब्द उसके बारे में नहीं बोला है।

एक माननीय सदस्य: ललित किशोरजी का जो भाषण था वह इनको पकड़ा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र का हर कदम प्रत्येक प्रदेश को, प्रत्येक राज्य को प्रभावित करता है। उसका बजट हमें प्रभावित करता है, यहां के गरीब को प्रभावित करता है, स्वाभाविक है जब बजट पर कोई चर्चा हो तो उसके अंदर इसकी तुलनात्मकता आनी ही चाहिए क्योंकि हमारा बजट प्रभावित होगा, राजस्थान का एक-एक व्यक्ति प्रभावित होगा, गरीब प्रभावित होगा, ग्रामीण प्रभावित होगा जब भी ऐसा अगर केन्द्र का बजट रहा तो हमारा कर्तव्य बनता है कि, इसलिए हम यह बात कहें और अगर प्रतिपक्ष, यानी दूसरी सरकार है प्रतिपक्ष वालों को उसके प्रति सहानुभूति है तो उनको जाकर के वित्त मंत्रीजी से कहना चाहिए कि राजस्थान का गरीब इससे त्रस्त हो जाएगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने गेहूं और चावल को वायदा कारोबार से मुक्त कर दिया। अच्छा होता माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमाम खाद्यान्न और तिलहनों को भी वायदा कारोबार से मुक्त करते। वायदा कारोबार के कारण बाज़ारों की दरों में जो फ्लेग्जिबिलिटी बनती है, रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूते हैं लेकिन फिर भी गेहूं और चावल को वायदा कारोबार से मुक्त करने के लिए मैं भारत के वित्त मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज आपके माध्यम से राजस्थान सरकार की मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने एक गंभीर समस्या है जिसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। विश्व व्यापार समझौते के तहत हमने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को व्यापार करने के लिए लाइसेंस दे दिये, बहुत अच्छी बात है। हमारे पहले कई अन्य प्रांतों ने यह लाइसेंस दिये इसी आशा और मंशा के साथ कि किसान का फायदा होगा। लेकिन उन प्रांतों में चाहे वह आंध्रा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, किसानों का फायदा हुआ न हुआ, लेकिन किसानों की आत्महत्या की प्रवृत्ति उन प्रांतों में सबसे ज्यादा बढ़ी है। और यह बात तो ठीक है अपनी फसल को बेचने के लिए किसान के सामने खुला बाजार मिल गया, ऑप्शन मिल गया। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कंपनियों के वित्त का दायरा बढ़ा है इसलिए उनके स्टॉक का दायर भी बढ़ जाता है और जब बड़ी कंपनियां अपना स्टॉक बढ़ाती हैं तो मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ता है और इसका सीधा का सीधा प्रभाव गरीब आदमी पर जाकर पड़ता है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को वह लिखे जरूरी हो अगर कानून में प्रावधान की, स्टेट इस प्रकार का कोई एक्ट बना सकती है। भारत सरकार इनकी स्टाक सीलिंग का कानून बनाये, बहु-राष्ट्रीय कंपनियां कितना स्टॉक रख सकती हैं और जब तक स्टॉक सीलिंग का कानून नहीं बनेगा यह बहु-राष्ट्रीय कंपनियां अपने स्टॉक की मात्रा को बढ़ाकर एकाधिकार करेंगी, मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ेगा। और जब मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ेगा तो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा...

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैट को लाने वाले इस देश में प्रवेश करवाने वाले और वैट के कारण आज जो हम भुगत रहे हैं, उसका पुरोधा कहूं या आमंत्रणकर्ता कहूं माननीय मनमोहन सिंह्जी थे।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): बाजार दरों को आम आदमी की पहुंच के अनुरूप रखने के लिए स्टॉक सीलिंग कानून बनाना चाहिए। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और केन्द्र के बजट में घोषणा की है राष्ट्र मण्डल खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद के होटलों को कर मुक्त किया जाएगा, स्वागत योग्य कदम, हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने भी पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं और एक होटल पालिसी भी जारी की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं राजस्थान, जो हमारा मरू प्रदेश है वह हमारी लोक संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान के कारण देश का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केन्द्र बनता जा रहा है। अच्छा होता कि जो देश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में हिन्दुस्तान में विकसित हो रहा है और ज्यादा यह बढ़े, राजस्थान की सरकार की मंशा के साथ भावना जोड़ते हुए भारत सरकार राजस्थान के होटल व्यवसाय को भी कर मुक्ति का प्रावधान करती तो निश्चित रूप से सारे राजस्थान की जनता उनके इस कदम का स्वागत करती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2-3 छोटी-छोटी बातों पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जो उन्होंने बजट में जो घोषणाएँ की हैं उन पर करना चाहता हूं। यह जो हमारी योजना बनी पंचवर्षीय योजना, जिसमें पैसे का जो आवागमन है, सार्वजनिक उपक्रम से 20,662 करोड़ रुपये, उधार 25,948 करोड़, राज्य के स्वयं के संसाधनों से 15,953 करोड़ और केन्द्रीय सहायता 5,858 करोड़ रुपए चिंता का विषय एक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम 18 करोड़ रुपए ब्याज दे रहे हैं रोजाना और जब यह 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी हमारी ब्याज दर रोजाना की 22 से 23 करोड़ रुपये पहुंच जाएगी और इसलिए हमको हमारे वित्तीय संसाधन बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति इसमें है, ऊर्जा पर आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट 36 प्रतिशत किया है लेकिन कृषि और सहायक सेवाओं पर जो 1.85 का प्रोविजन किया यह कमजोर है, सुधार करना चाहिए इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर राशि के प्रावधानों को बदला जाना चाहिए। हम ईमानदारी से जो विश्लेषण इस पंचवर्षीय योजना के बाद निकल कर आ रहा है जहां पंचवर्षीय योजना के बाद भारत की विकास दर 9 प्रतिशत होगी, राजस्थान की विकास दर 7.40 प्रतिशत रहेगी। हम भारत के मापदण्डों के अनुरूप अगर खड़े हो जाएं तो हमको हमारी समुचित मुद्रा बढ़ाने के लिए कृषि पर भी निवेश बढ़ाना चाहिए।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कृषि पर पैसे का प्रावधान अधिक किया जाना चाहिए 1.86 हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा भाग कृषि है, एग्रीकल्चर है। और हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसकी आजीविका और सारा का सारा रोजगार, अब प्लानिंग कमीशन ने भी पांच साल पहले अपनी एक रिपोर्ट में कहा है अब हिन्दुस्तान में रोजगार के साधन अगर कहीं जनरेट करने हैं तो डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर है। इसलिए हमारे एजेंडे में ऊर्जा के और पानी के साथ-साथ एग्रीकल्चर को मोटिवेट करके बहुत बढ़ाने का भी होना चाहिए ताकि हमारी विकास की दर को हम जीडीपी और सहारा पूंजी बढ़ाकर भारत के समकक्ष लाकर 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होते-होते हम कर सकें। ऐसी उम्मीद मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी से करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सदन में चर्चा करने का विषय नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह बात कहना चाहूंगा तो शायद अभी माननीय सदस्य इस बात को कहेंगे, आपने भी फरमाया केन्द्र का बजट पारित हो गया। लेकिन मैं जो बात आज राजस्थान के सैकड़ों किसानों के सामने जो खड़ी हो गई है उस पर चर्चा कर रहा हूं कि सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी को पत्र लिखे, सीटीबीटी को पत्र लिखे कि जो अन्याय आयकर विसंगति के कारण हो रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल पहले आयकर विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि जो होल्डिंग रखेगा टेलीफोन की होल्डिंग, चार पहिया वाहन की होल्डिंग और जिसके पास किसी 25 हजार के सदस्यता वाली क्लब मेम्बर शिप होगी या हवाई यात्रा करेगा, उस व्यक्ति को आयकर विवरणी का संधारण करना पड़ेगा। राजस्थान के सैकड़ों किसान टेलीफोनधारक हैं, राजस्थान के सैकड़ों किसान चार-पहियाधारक हैं और इन्कम टैक्स ने उनके टेलीफोन, चार-पहिया वाहन का रिकार्ड लेकर नोटिस देकर उनका सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप पता कर लीजिये राजस्थान के सैकड़ों किसानों के लाखों रुपयों की पेनल्टीज लगा दी कि आप विवरणी ठीक से दाखिल नहीं कर पाए। आप अपनी आय का ठीक से उल्लेख नहीं कर पाए जब कि भारत के संविधान में एग्रीकल्चर को सातवीं अनुसूची में दर्शाया है जो केन्द्र का सब्जैक्ट नहीं है और किसी भी प्रकार से केन्द्र सरकार उसको टैक्स के परव्यु में नहीं ला सकती लेकिन इस विसंगति के कारण आज राजस्थान के सैकड़ों किसानों को, मैं उसको हजारों की संख्या भी कह सकता हूं, पेनल्टी और टैक्स की मार झेलनी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पड़ रही है। इसलिए इस पर भारत सरकार के वित्त मंत्री और सीटीबीटी को लिखा जाना चाहिए कि जो किसान केन्द्र के आयकर के परव्यु में आ ही नहीं सकते और जिसमें केवल कृषि की आय दर्शाने का ये जो सरल फार्म है इसके क्रम संख्या 24 पर लिखा है एड एग्रीकल्चर इन्कम फार रेट परपजेज। टैक्स का जो स्लेब है वो बढ़ाने के लिए इन्कम टैक्स में इसको दिखाना जरूरी है वरना दिखाना भी जरूरी नहीं है और आप उन लोगों के पेनल्टीज लगाते जा रहे हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी से दो तीन, जो उन्होंने बजट में घोषणाएं की हैं बहुत स्वागत योग्य कदम और बहुत राजस्थान के लिए कल्याणकारी साबित होंगी। एक घोषणा की है कि कृषि में पीएचडी करने वाली छात्राओं के लिए दस हजार रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके साथ मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के कितने जिलों में, कितनी स्कूलों में एग्रीकल्चर विषय पढ़ाया जाता है? पचास प्रतिशत जिलों में एक भी विद्यालय में एग्रीकल्चर विषय नहीं पढ़ाया जाता। मैं उम्मीद करूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी जो इस बजट में सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोल रही हैं प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से एक-एक एग्रीकल्चर के सब्जैक्ट की स्कूल खोल कर इस बात का प्रावधान किया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेट धनलक्ष्मी योजना लागू की पैरा नंबर 22 । और वेट धनलक्ष्मी योजना में आपने लिखा है कि वेट स्कीम लागू होने के उपरांत उपभोक्ताओं एवं खरीददारों द्वारा केश मीमो पर खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए मैं वेट धनलक्ष्मी नाम की एक योजना आगामी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ करने का प्रस्ताव करती हूं। इस योजना के तहत सौ रुपये या सौ रुपये से अधिक के मूल्य के माल वेट इन्वोइस पर लाटरी द्वारा उपभोक्ता को उपहार दिया जाएगा। बहुत स्वागत योग्य कदम है सौ रुपये की इन्वाइस पर देंगे। लोग इन्वाइस बनायेंगे टैक्स का दायरा बढ़ेगा। सरकार के पास पूंजी बढ़ेगी लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी बैठे हैं मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो आपने वेट फार्म नं. 9ए लागू किया है उसमें उपभोक्ता का नाम नहीं है व्यवहारी का नाम दर्ज है। क्या आप उस फार्म को बदलेंगे? उसमें उपभोक्ता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

का रखेंगे या फिर उपभोक्ता को लाटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए, आज राजस्थान में तीन से पांच लाख व्यवहारी पंजीकृत हैं। और सौ रुपये की इन्वाइस उसको जारी होगी तो रोजाना पचास लाख इन्वाइस जारी होगी। क्या आप पन्द्रह करोड़ कूपन्स मंथली प्रिन्ट करवायेंगे? यह योजना किस प्रकार से व्यावहारिक बनेगी इसके बारे में भी मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान की जनता के साथ क्या डिस्ट्रिक्टवाइज प्लान में लेंगे या किस प्रकार से हम कूपन जारी करेंगे या फिर वेट फार्म नं.9 में उपभोक्ता का नाम दर्ज करके नया फार्म जारी करेंगे? किस प्रकार आधार बनायेंगे? यह भी मैं उम्मीद करूंगा कि बजट के समय माननीय जो वित्त मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे इस विषय में जरूर प्रकाश डालेंगे।

एक और जो कमिश्नर को आपने वित्त विधेयक में जो राजस्थान सरकार के उद्देश्यों और कारणों में सरकार की शक्तियां कमिश्नर को देने का तय कर लिया, बहुत अच्छी बात है। फैसलों में विलंब होता है सरकार के पास पत्रावली आने में मंत्री को समय होता, नहीं होता। लेकिन मैं इसमें दो बात कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अधिनियम की धारा 21 की उप धारा 3 राज्य सरकार को विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख में बढ़ोतरी करने या व्यवहारी के, व्यवहारियों के वर्ग द्वारा कोई भी या सशक्त विवरणी फाइल करने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करने के लिए सशक्त करती है। बाढ़, अग्नि या दंगें इत्यादि जैसे मामलों में इस प्रकार का आकस्मिक घटित होता है कि व्यवहारी विहित समय विवरणी दाखिल नहीं कर सकता । अपने बहुत अच्छा इसमें उल्लेख किया है यह पहले भी प्रावधान था कि कोई बाढ़, दंगें और उसमें अग्नि की चपेट में आ गया तो सरकार की शक्ति जो टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने की और तारीख बढ़ाने के साथ-साथ आपने कमिश्नर को यह भी पावर दे दी कि यह जरूरी समझे तो टैक्स भरे न भरे, इस बात से भी मुक्ति दे सकता है। कोई तकलीफ नहीं है बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़, अग्नि, दंगे इत्यादि में बाढ़, अग्नि, दंगे की बात तो समझ में आती है लेकिन इत्यादि का आशय क्या है? जब आप नियम बनायें तो इस बारे में स्पष्ट उल्लेख करें कि किस-किस प्रकार की परिस्थितियों में कमिश्नर को स्पेसिफिक पॉवर होगी वरना इस कानून का कमिश्नर के स्तर पर कितना दुरुपयोग होगा इस बारे में भी कल्पना कर लेनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): कर रहा हूं। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में अंबार लगा दिया और एक सपना राजस्थान को दिखाया है कि पहली बार किसी ने गरीब, महिला, नौजवान, बेरोजगार, आदिवासी के साथ जुड़कर विकास करने का काम किया है। लेकिन दो चार जगह जो विषय बजट भाषण में आया है कि हम एनजीओ के माध्यम से विकास करना चाहते हैं। मैं एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि देश की पृष्ठभूमि में एनजीओ की भूमिका ठीक नहीं रही। भारत सरकार में कितने एनजीओ काम कर रहे हैं जो करोड़ों रुपये की राशि का आज किस प्रकार से गबन कर रहे हैं। मुझे याद है कि महामहिम उपराष्ट्रपति जब यहां राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो उदयपुर के वन विभाग की पन्द्रह एनजीओज की जांच करायी थी। वो एनजीओ कागज में थी लेकिन उनको संचालित करने वाला व्यक्ति कोई संसार में नहीं था। मानिटरिंग और उसके रजिस्ट्रेशन की सुदृढ़ व्यवस्था हो यह भी निश्चित रूप से आपकी इस भावना में प्रकट किया जाना चाहिए। और एक अंतिम बात इस बजट में बहुत कुछ स्वागत करते हुए वित्त विधेयक ओर विनियोग विधेयक का, अंतिम बात आज आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से विनती करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं शायद वो मेरे विधान सभा क्षेत्र और कोटा संभाग के सबसे बड़े लघु उद्योग पर कृपा करेंगी। पिछले वेट एक्ट में कोटा स्टोन को चार प्रतिशत और साढ़े बारह प्रतिशत की दो प्रकार की स्लेब में रख दिया । 15 एमएम से मोटे पर चार प्रतिशत और उससे पतले माल पर साढ़े बारह प्रतिशत। इस कारण हाड़ौती का सबसे बड़ा लघु उद्योग जो लाखों लोगों को रोजगार जेनरेट करता है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है वहां पूंजी का निवेश बढ़ रहा है लगातार इंडस्ट्रीज आ रही हैं। आज रामगंजमंडी, कोटा, झालावाड़ में मिलाकर एक हजार से ज्यादा कोटा स्टोन की फैक्ट्रियां हैं। मैं समझता हूं कि कोटा के इस सबसे बड़े लघु उद्योग को मोटीवेट करने के लिए यह वहां का पूंजी आधार बन रहा है कोटा का मनी रोटेशन का आधार बन रहा है और वहां के मजदूरों को रोजगार का आधार बन रहा है। इसलिए इसको मोटीवेट करने के लिए सारे के सारे कोटा स्टोन को चार प्रतिशत की स्लेब में रखा जाना चाहिए। यही बात कहते हुए इस बहुत अच्छे बजट वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक का समर्थन करते हुए, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक विशाल प्रान्त है। भौगोलिक दृष्टि से यहां विसंगतियां भी यहां अपनी-अपनी विविधताओं में मौजूद हैं। इस समस्त प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना सरकार और समाज दोनों के लिए एक चुनौती है । तीन वर्ष से प्रजा के आशीर्वाद से जिस तंत्र को प्रजातंत्र के स्वरूप में जिस दक्षता से इस चुनौती को स्वीकार किया है मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पचपन साल से प्रत्येक सरकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए समस्त प्रभावों से इस जनता का लालन पालन करने की सत्यता से चेष्टा करती है । अगर उन समस्त सरकार का या सियासी व्यवस्था का इस सरकार से तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम एनलाइज करना चाहें तो ऐसी कौनसी विशेषता है जिसकी वजह से हम यह बात महसूस करते हैं और हमें इस बात का गर्व होता है । उपाध्यक्ष महोदय, आज की सरकार, आज का तंत्र, आज की व्यवस्था कोई महाजन का बहीखाता नहीं कि हरेक वित्तीय वर्ष के उपरांत, हर कारपोरेट सैक्टर आंकडों से अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक स्थिति को परिलक्षित करता हो । कुछ भावनाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ आशाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं इनको हम आंकडों से नहीं कह सकते ।

(15.26 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देकर एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। किसी व्यक्ति ने यह बात पूछी कि आखिर ऐसी कौनसी विशेषता है इस सरकार में कि जिसके बारे में आप सब हर्षित और पल्लवित महसूस करते हैं? हमने उनसे यह कहा कि ऐसी बात नहीं कि आज से पहले कोई सरकार रही हो उन्होंने जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही नहीं किया हो । यह मान लिया जाये कि निवेश पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जनता की उन्नति के प्रति किया, there was an investment in the shape of funds. तो आखिर हमने क्या किया, उस निवेश में हमने विजडम आफ एक्सपीरिएंस लगा दिया । We invested with the wisdom of labour, with the wisdom of reality. किसी ने यह कहा है कि अगर कोई, दौलत के साथ मेहनत लग जाये तो उस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

दौलत का अंजाम और परिभाषा दोनों बदल जाती है । That was the difference. They invested and they achieved. We invested with the wisdom of reality, we invested with the wisdom of dignity of labour. They passed their time. We are creating history. The difference between the two is that. How you amplify it, how you define it, it is up to you. किसी ने यह पूछा कि ठीक है और क्या बात थी । आम आदमी को राहत महसूस हो, आम आदमी राहत महसूस करे, आनंदित हो यह बात पूर्ववर्ती सरकारों में भी कही । लेकिन आम आदमी आनंदित हो, राहत महसूस करे और अंतर आत्मा का जो निवेश किया है वह इस सरकार ने किया है । जो आनंद अंतर आत्मा से आता है वह आनंद उन सारे आनंदों से ज्यादा है जो सिर्फ अर्थ संजन से नहीं हो सकता, भावनाओं से नहीं हो सकता, जागृति से नहीं हो सकता और चरित्र का निवेश जब इसमें हो जाता है तो कहते हैं कि आत्मा इस तरीके से पारदर्शित होती है जिसको हम यह कहते हैं कि अंतर आत्मा से छूटा हुआ वह तीर वाकई में जन सामान्य के मन को भेदता है ।

किसी ने कहा कि आखिर इतनी सारी स्कूलें आपने भी खोलीं पूर्ववर्ती सरकारों ने भी खोली थीं। आखिर इन स्कूलों के खोलने में और आपके स्कूलों के खोलने में क्या अंतर था । हमने कहा कि इन स्कूलों के माध्यम से हम ज्ञान का सृजन तो करा रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी राजीव गांधी पाठशालाओं के नाम पर ज्ञान का सृजन कराने के लिये पाठशाला तो जरूर खोली लेकिन चरित्र का सृजन इन पाठशालाओं को जब हमने प्राथमिक दर्जा देकर सुव्यवस्थित तरीके से यहां अध्ययन की कार्यशैली का प्रतिपादन किया तो हमने चरित्र का निवेश किया जो शायद उस पाठशाला में पढने वाला वह विद्यार्थी ग्रहण नहीं कर रहा था । किसी ज्ञान में अगर चरित्र का निवेश हो जाये तो वह अपने आप में एक सर्वोपरि हो जाता है ।

कहा व्यापार, पंच वर्षीय योजना आती है, वार्षिक योजना आती है और हर बार योजना का आकार बढता है, स्वाभाविक है । अभी राजगढ़ से आने वाले सम्माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने भी यह बात कही और मैं इस बात को महसूस करता हूं लेकिन अगर व्यापार में कामर्शियल एटीट्युट जो होता है, जो कामर्शियल निवेश होता है उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश हो जाये तो उस व्यापार का जो परिणाम होता है वह सिर्फ अर्थ संचन नहीं होता एक सोशियल इक्नोमिक कंस्ट्रक्शन होता है । मैं विस्तार से तब बताऊंगा जब सीडीएम का आपको बताऊंगा लेकिन बचपन से मैं यह सुनता था कि, "**उदार चरितानां**

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

वसुधैव कुटुम्बकं'' न तो मुझे समझ में आता था कि इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। लेकिन सूक्ष्म परिभाषा में यह बात समझाई जाती थी कि संपूर्ण संसार हमारे लिये एक परिवार है इसलिए अपनी चिंता भी करनी चाहिये और संसार के उन लोगों की भी चिंता करनी चाहिये। और जो कुछ भी हम कर सकें, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी दशा में हो हमें अपना उत्तरदायित्व उनके प्रति निभाना चाहिये। और शायद जो क्लीन डवलपमेंट मैकेनिज्म की बात इस बजट भाषण में कही है उसको प्रतिपादित करके ही यह बात कही गई है, ''उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकं'' की परिभाषा को हमने पूरा कर के अपना संस्कारिक और संस्कृति का गौरव शास्त्रोचित तरीके से हमने पूरा किया है ।

किसी ने कहा कि साहब कालेज तो पहले भी खोली थी, साइंस की फैकेल्टी उनमें भी थी । आप भी मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं आखिर ऐसी कौनसी बात है । डाक्टर तो पहले भी एमबीबीएस करके एमडी करते थे और फिर स्पेशलाइज के लिये जाते थे । किसी ने यह कहा कि अगर साइंस के साथ इंसानियत जोड़ दी जाये तो उस साइंस की परिभाषा बदल जाती है । डाक्टर पहले भी थे, आप और हम जो यह बात आज कह रहे हैं कि रूरल हैल्थ सर्विसेज के नाम पर डाक्टर को गांवों तक भेजने की जो इंसानियत के स्वरूप में हम पहल कर रहे हैं इसमें यह कहा जाये कि साइंस के साथ-साथ हमने इंसानियत का निवेश किया । मैं निवेश शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि बजट की वोकेब्लरी में कहीं कोई मुझे यह नहीं कह दे कि आखिर आप बात किस चीज की कर रहे हो । The budget is all bout investment and 'appropriation' is all about spending. क्योंकि सरकार की व्यवस्था के बारे में चर्चा हो रही है इसलिए सिर्फ नंबर से बात नहीं हो सकती । व्यवस्थाओं के साथ-साथ भावनाओं के साथ जब बात होगी तब जाकर कहीं उस नंबर की या उस अक्षर की सार्थकता है ।

आखिर में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में सरकार का प्रतिपादन राजनीतिक उद्देश्य के परिपूर्ण चरित्र के साथ प्रतिपादित होता है और हर सरकार का कोई न कोई राजनीतिक एजेंडा होता है । लेकिन अगर राजनीतिक एजेंडा में सिद्धांत का निवेश हो जाये तो वह राजनीतिक एजेंडा वास्तविक मानव छवि को चरितार्थ कर देता है । इन सारे निवेशों के साथ

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अगर इसको एक सूत्रधार में बांधा जाये तो यह कहना कतई अनुचित नहीं होगा कि अगर इस सरकार का आकलन इन शब्दों से किया जाये कि जनप्रतिनिधि का वास्तविक चरित्र उसके परिणाम और उसके कर्म पर आधारित है और अगर इनका समावेश किसी सरकार में देखते हैं तो वर्तमान में आदरणीय वसुंधराजी की सरकार में इसका निवेश दिखता है । इसलिए हम यह कहते हैं कि कुछ हम में और आप में फर्क है । मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि करुणा जनित सहानुभूति का उद्देश्य जनप्रतिनिधि का सहज धर्म है। पर दुखार्द्रता एवं परोपकार में संलग्नता उसका क्रियात्मक प्रतिफलन है । जन सामान्य की व्यथा और वेदना के समाहार के लिये जब उच्च और पवित्र मनोभावों से प्रेरित, प्रभावित और संचालित होकर पुण्य आत्माएं और परोपकारी जीव संग बंधे होते हैं और सामाजिक संताप के परिहार के लिये सकारात्मक कार्यक्रमों का सृजन करते हैं, तब जाकर कहीं प्रजातंत्र के वास्तविक स्वरूप का उदय होता है। जो इस सरकार ने पिछले तीन वर्षों के अंदर यह पूरा करके आज यह कीर्तिमान स्थापित किया।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि 21वीं शताब्दी की यह सरकार आमजन को रोटी कपड़ा और मकान की परिभाषा तक सीमित रखेगी या उसका कहीं दायित्व उससे भी ज्यादा है, उससे भी परे किसी परिधि तक पहुंचने का है। आदरणीय मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कुछ महीने पहले आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का एक वक्तव्य था 21वीं शताब्दी के अंदर 2020 और 2030 के दशक के बीच के अंदर भारत का क्या स्वरूप कैसे प्रदान होगा, और क्योंकि भारत के संघीय स्वरूप में राजस्थान का एक विशेष स्थान है और राजस्थान के विशेष स्थान के अंदर जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है और जिस तरीके से आंकी गई है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं, क्योंकि हो सकता है कि राजस्थान गवर्नमेंट अगर यह आंकड़े दे तो कहीं न कहीं इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आंकड़े हैं वह यह है कि "With the Net State Domestic Product of 12.5 billion, Rajasthan's economy is today the eighth largest economy of the country." This is of Government of India's website. "During the decade ending 2005, the State's NSDP.." That is again the Net State Domestic Product. "… grew at a compoundable average growth rate of over 6 per cent, increasing from US $ 6.5 billion to $ 12.5 billion." यह हम नहीं कह रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

की स्टेटिस्टिक्स कह रही है। “Rajasthan’s per capita income which stood at US $ 327 today stands at 522.” It is a quantum leap. “Industrial sector has grown by 6.9% and services by 7.4%. The GSDP stands at over 16%.” स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट आफ इंडिया की है। अब अगर इसके साथ में जो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा वह जोड़ लिया जाए तो शायद हमें यह पता पड़ेगा कि आखिर राजस्थान सरकार का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि अंग्रेजी में है इसलिए I am forced to read it. “I have studied India’s scientific and technological work after independence. There has been some excellent areas of basic research in every advanced topic, right from 1950s to 1960s. For example, we had excellent work on aero science, material science and also excellent work on semi conductor research. Some world class scientists published papers also later in the liquid crystal display … areas of some original work was done by Raman Research Institution. We should now work to realise the world class material.” बाद में वह लिखते हैं – “However, when one studies the technology in commercial aspect of these areas, results have been not very commensurate. ऐरो स्पेस डवलपमेंट बहुत कम किया। एल सी डी, आज की तारीख में आप टी वी खरीदते हैं और यह पूछते हैं कि प्लास्मा है या एलसीडी है। इसके बारे में जब आप बात करते हैं करें। यह रिसर्च हमारे यहां हुआ लेकिन इसके कामर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए हम ऐसी कोई बात नहीं कर सके कि रिसर्च का कामर्शियली वायबल कर ले इसलिए ताइवान जैसे देश, कोरिया जैसे देश एलसीडी यह स्क्रिन बेच रहे हैं। ऐरोस्पेस में हमें आज तक एरोप्लेन और हैलीकाप्टर बाहर से खरीदने पड़े। 20, 30, 40 साल पहले जब इनकी स्पेस रिसर्च हुई थी क्योंकि कामर्शियल वायबिलिटी को हम जन्म नहीं दे पाए इसलिए जो रिसर्च हमने की वह हमारे यहां अर्थ संचन के काम में नहीं है। वह समय था निकल गया। उनका यह कहना है कि अगर आज हमें यह चीज करनी है तो .. “We never produced an indigenous aircraft until very recently. Also we have missed the micro electronic revolution of the 1970s. Similarly, in liquid crystal display, Taiwan and South Korea have become world leaders in commercial production of these things.” इन सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखे तो it is indicating now, वह समय निकल गया जिसका जो समय था अगर उस वक्त हम पीछे रह गए तो हमें इस बात के लिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। “Now we should not repeat the same mistakes but venture into nano-technology and the conversion of nano-technology with ICT and BT and do it.” और इस बात के लिए मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस सरकार

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

की हम बात कर रहे हैं बायो टैक्नोलोजी, माइक्रो टैक्नोलोजी, नेनो टैक्नोलोजी, कार्बन कैरिज जिसकी बात, जिसकी सोच कभी किसी सरकार के आसपास नहीं थी, हम न तो इसकी यह बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ सोच रहे हैं। इसको करके, लागू करके राजस्थान को इसका अर्थ संचन भी मिले सिर्फ एक रिसर्च लेबोरेट्री न हो। रिसर्च लेबोरेटरी से कामर्शियल प्रोडक्शन भी हो इसके लिए हम कटिबद्ध हैं।

श्री सभापति: कृपया आप कनक्लूड करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): वह तो मैंने, राठौड़ साहब का इशारा मैंने देख लिया। वैसे भी इन्होंने मुझे पिछले सात दिन से लगातार आगे करते करते आज तक ले आए। आज भी मैं तो चाह रहा था कि मेरे को चौथा-पांचवां नम्बर पर बोलने को दे दिया जाए तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि बोल कर अपनी व्यवस्था को प्रतिष्ठापित करने की आदत मुझ में नहीं है। अगर मैं कहीं इर्रिलेवेंट बोल रहा हूं और किसी चीज से बाहर बोल रहा हूं तो आप मुझे टोक दें। बहुत बड़े-बड़े लोग बाग़ बैठे हैं टोक दें, मुझे कोई बात नहीं है।

श्री सभापति: आप बिलकुल रिलेवेंट बोल रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): लेकिन संसदीय मंत्री से इतना संरक्षण तो यह चाहता हूं कि आपकी सोशल जाति का हूं इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरा कोई हैण्डीकैप हो गया। आप फरमाएं तो मैं तो कनक्लूड कर दूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हम आपको सुनने ही आए हुए हैं। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): I am not habitual of going against the rulings of the Chair.

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हम तो आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): If he feels that I have overstepped my limits, I will pull back. ...(व्यवधान) ऐसा है परमीशन मैं वहां से लूंगा, आपसे तो लूंगा नहीं। आपका तो एक्शन, if that is converted into words, I have got the message. सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं लूंगा because I don't want to unnecessarily embarrass or harass anyone. दो-तीन चीजें हैं, आदरणीय वित्तीय राज्य

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मंत्री बिराजे हुए हैं । मैं सिर्फ दो-तीन चीजें नहीं समझ पाया क्योंकि इसमें हो सकता है कि बात मेरी समझ से परे हो।

एक तो हमने वैट के माध्यम से 4 प्रतिशत का जो पैकेजिंग मैटेरियल का हम टैक्स एक्सपोर्ट ओरियंटेंड यूनिट से ले रहे थे उसको हमने मांफ करने की बात, जहां तक मेरी जनरल नॉलेज है, I am subject to correction, I am not an authority to talk about it. This facility is already being availed by the exporters. इसको वापस क्यों रिप्रोडयूस किया गया है यह मुझे नहीं मालूम।

दूसरा, पैरा 197 में, this is also subject to correction, जो कुछ मैं समझ पाया हूं इसका, वर्तमान में आढ़तियों द्वारा प्रिसिंपल का माल बेचने पर वेट चुकाने का दायित्व आढ़तियों का है जबकि इस माल का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रिसिंपल को मिलता है। अब नियमों में संशोधन कर माल पर वैट चुकाने का दायित्व भी प्रिसिंपल का किया जाना प्रस्तावित है ताकि आढ़तियों को रिफण्ड की समस्या, अब आढ़तियों को जहां तक मैं समझता हूं प्रिसिंपल तो फार्मर है। इसमें अगर और कोई कामर्शियल या टैक्नीकल लैंग्वेज है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, आढ़तिये तो मण्डी में हैं और मण्डियों में लाने वाला माल जो प्रिसिंपल है वह फार्मर है या एग्रीकल्चरिस्ट है। आप उसको वैट के कानून में लाना चाहते हैं वह वैट के इनवाइसेज रखेगा वह वैट के.... I don’t know, I fail to understand. In case this is something different from what I have said, I can correct it on that. यह दो चीजें ऐसी थी जो मुझे लगा जो ईपीसी की रिपोर्ट आई 2006 की उसमें बायोफ्यूल रूरल डवलपमेंट में बायोफ्यूल और दूरदराज के गांवों को सोलर एनर्जी से उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का है।

75 remote villages have been electrified by RREC through 10 kw to 20 kw stand alone solar photo-voltaic systems. फोटो वोल्टेइक सिस्टम के जो सेल्स हैं, their capacity is only 15 per cent. मैं इसलिये यह बात फिर कर रहा हूं कि हम क्योंकि सोलर रिन्यूएबल एनर्जी हैं, दो चीजें, फिर सोलर एनर्जी से अगर हम बिजली पैदा कर रहे हैं तो सी.डी.एम. के अन्दर हम क्वालिफाई कर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकाल के उन नार्म्स को हम क्रेडिट करवा सकते हैं। लेकिन जैसे टेक्नालाजी है, मैं फिर वहीं जाऊंगा कि अगर मैं टेक्नालाजी, जिसके आधार पर हम बिजली पैदा करके या सोलर बिजली को हम गांव तक पहुंचा रहे हैं, जिस टेक्नालाजी को हम यूज करना चाह रहे हैं उसमें इतना करना चाहूंगा कि keeping this requirement in mind, can we find an innovative solution for the use of nano-technology, using higher efficiency CNT based solar

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

photo voltaic cells? अगर यह सी.एन.टी. कोटेड, कार्बन कोटेड अगर वोल्टेइक सेल्स हैं, जो कि नहीं हैं, इसमें जो एनर्जी को कंजर्व करने का रेशो है, the efficiency is 45 per cent. उनमें 20 प्रतिशत है, 25 प्रतिशत है, आप खेंच लेंगे तो 30 प्रतिशत होगा। क्योंकि हम इसमें वेंचर कर रहे हैं। क्योंकि यह एक ऐसा सोर्स आफ एनर्जी है जिसकी पर्सेण्टेज ग्लोबल स्ट्रेन्थ पर, और आपके नेशनल स्ट्रेन्थ पर सिर्फ एक प्रतिशत है, बाकी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और बगैर इलेक्ट्रिसिटी से आप 21वीं शताब्दी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। Everything in the next decade or so will be based on electricity. But if the power you are producing is through renewable energy sources, you get credits into carbon market also और C.E.Rs. जो सर्टिफाइड इमिशन रिड्यूसर्स हैं, उनकी परिकल्पना है कि जो 10 ट्रिलियन डालर्स का बिजनस है, जिसमें भारत का शेयर 12.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच में होगा, हालांकि चायना उसमें से 47 प्रतिशत लेकर जाएगा। उसमें से डेढ़ ट्रिलियन डालर्स का ट्रेड सिर्फ कार्बन क्रेडिट लिस्ट में होगा। यदि आपने यह गांव-गांव में प्रस्थापित कर दिये और सी.एन.टी. बेस कर दिये तो वह सारा का सारा क्रेडिट आप वापस रिपंडलिंग करके और गांव के विकास में रुरल डवलपमेंट में आप ले जा सकते हैं। This is one technology which probably Minister of Forests and Environment will need to go into.

दूसरा, सेफ वाटर, आज मंत्रीजी मौजूद नहीं हैं, फ्लोरीन से कंटेमिनेटेड डिटोक्सीकेटेड डिसेलिनेशन, इसके लिये 50 प्रतिशत ऐसे उपभोक्ता हैं जो इस तरीके का पानी पी रहे हैं। कार्बन नेनो टयूब्स के फिल्टर प्लांटस, आप बना रहे हैं, आप लाएंगे, आप कह रहे हैं हम फ्लोराइड की कमी के लिये, डाक्टर साहब भी यहां पर विराजे हुए हैं, हर चीज के लिये, मैं डाक्टर साहब को एक निवेदन और करना चाहूंगा अभी मैं सुबह कोई चीज दिखा रहा था, अगर आपने इस चीज को, लेकिन आप यह करेंगे कैसे? अगर आपने विदेश से यह टेक्नालाजी लेंगे तो पेटेंट तो वह यू.एस.ए. में हो जाएगी और कामर्शियल प्रोड्यूस आपके यहां आएगा, मतलब you will have to pay through your nose. आप सिर्फ कंज़ूमर मार्केट हो जाएंगे। इस चीज के नीचे के लिये, रिसर्च के लिये आपको अलग से फण्ड क्रियेट करना पड़ेगा। यह रिसर्च भी यहां हो, यह पेटेंट भी राजस्थान में बने और राजस्थान से ही इसका कामर्शियल प्रोडक्शन चालू हो, जिसमें आपको तो फायदा हो ही हो, आपकी जनता को तो फायदा हो ही हो। आपकी अर्थव्यवस्था में भी चार चांद लग जाएंगे। इसमें एक नेनो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सांइस टेक्नोलाजी कंसोर्ट्रियम, which is at the national level and international level. The Government of Rajasthan should get itself accredited to this. आपको एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। जितने आपके रिसर्च हो रहे हैं, इतने रिसर्च को ग्राण्ट की फंडिंग भी होगी. There are big trusts and NGOs who are prepared to do it. एक बात यह कह रहा था कि पेस मेकर हार्ट-पेशेंट्स के लिये लगता है और पेस मेकर सेल से चलता है। एक इजहार किया है इन्होंने जो आपके अभी एक्जीबिशन आफ सांइस कांग्रेस हुई थी उसमें कहा, through CNT tubes, pace-makers can work from the energy derived from the blood. हर ह्यूमन बीइंग में ब्लड है। ब्लड के फ्लो से जो एनर्जी आयेगी उससे वह पावर जनरेट कर लेगी और वह पेस मेकर उससे चल जाएगा। आपको बिजली के सेल से उस पेस मेकर लगाने, लाखों लोग आज की तारीख में इस बीमारी से ग्रस्त हैं, पेस मेकर लगवाते हैं। बार-बार उसके सेल बदलाने का और दुनिया भर की चीजों का झंझट होता है। और यहां तक हिदायत दे दी जाती है कि सेल्यूलर फोन मत रखो। बिजली के खटके को ज्यादा सीधा हाथ नहीं लगाओ। अगर आप इस चीज को कर लेंगे तो यह भी एक अपने आप में है, because these are the fields where innovations are involved and where initiation is required. अगर आप यह ले लेंगे जो ऐरो-स्पेस के सामने जो प्रसीडेंट आफ इण्डिया बात कर रहे थे, वह नहीं होगी। आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, आपकी लिबर्टी का मैंने बहुत ज्यादा अनुचित फायदा उठा लिया। एक बात मैं जरुर अर्ज करना चाहूंगा. This is directly related again to the revenue of this State. आपने महाराष्ट्र के अन्दर आपका जो सबसे बड़ा रेवेन्यु सोर्स है वह कामर्शियल टैक्सेज के माध्यम से है। और कामर्शियल टैक्सेज के अन्दर जो सबसे बड़ा सोर्स है, वह पेट्रोलियम प्रोडक्टस हैं। मैंने एक प्रश्न किया था, जिसका उत्तर आया। बड़ी विचित्र सी बात है, आल इण्डिया ग्रोथ स्टेण्डर्ड एवरेज 6 प्रतिशत के आसपास है, 5.5 आ जाती है, 6 हो जाती है। आपकी ग्रोथ जो राजस्थान की है, 2002 में ढाई प्रतिशत थी, 03 -04 में 3.2 है, 04-05 में 2.7 है, 04-05 के पहले 3 महीने में 2.8 है और आखिरी में -4.5 हो गयी। रेवेन्यु के जब यह स्टेस्टिक्स देंगे तो उसमें बढ़ोतरी आयेगी। क्योंकि जब रेट बढ़ जाएगी तो अपने आप ही रेवेन्यु बढ़ गयी लेकिन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ग्रोथ इन लीटर्स आपकी घट गयी। और आपके बगल वाले, अगर हरियाणा को ले लें तो उसकी ग्रोथ रेट जो आयी है, 13.2 प्रतिशत। आपकी इस साल बढ़ी है 6.2 प्रतिशत लेकिन 4.7 पर पहले माइनस हुई फिर उससे यह 6.2 प्रतिशत हो गयी, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट तो 2 प्रतिशत ही हुई और हरियाणा ने अपनी पिछली ग्रोथ रेट से साढे 13 प्रतिशत, 13.6 प्रतिशत की है। यह आप ही का तो पेट्रोल है जो आपका आदमी हरियाणा जाकर ले रहा है। महाराष्ट्र में, इसमें यह प्राब्लम थी, उन्होंने करेक्ट कर दी। मुंबई, ठाणे और न्यू मुंबई का रेट रखा 28 प्रतिशत, बाकी का रखा 25 प्रतिशत। जब ड्यूल टैक्सेशन पालिसी महाराष्ट्र में हो सकती है, it's a developed State तो यह पालिसी हम क्यों नहीं अडोप्ट कर सकते हैं। आप जोनल ब्लाक्स कर दें, जो नेबरिंग ब्लाक्स हैं उन ब्लाक्स की रेट अलग कर दें जिससे कम से कम वह आदमी बाहर नहीं जाए और रोज पकड़े जाते हैं, सैंकड़ों कृषक वहां से जाते हैं और ड्रमों के अन्दर डीजल भरकर लेकर आते हैं। बेरियल पाइंट से वह डीजल बिकता है। स्पुरियस डीजल होता है। आपकी रेवेन्यु लॉस हो रही है। और अगर यह रेवेन्यु लॉस है, हमें देखनी हो तो फिर एक अलग बात है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया का एक सर्कूलर और आ गया है। आदरणीय मंत्रीजी, खाद्य आपूर्ति मंत्रीजी नहीं हैं, बेरियल पाइंटस को बंद करने की इन्होंने कह दी है। अब आप बेरियल पाइंट बंद कर देंगे तो आप लोग, कारपोरेट सेक्टर आ रहा है इसमें। आई.ओ.सी. ने साढे तीन हजार आउटलेट्स बेरियल पाइंट की जगह तैयार करने के लिये पूरा नक्शा भी बना दिया है। एच.पी.सी. भी फालो करेगा, आई.बी.पी. भी फालो करेगा। जब बेरियल पाइंट को कारपोरेट वर्ग लेने जा रहा है, आप भी कर दो। एक काश्तकार को ईमानदारी से कमाने का कर दो। कारपोरेट वर्ल्ड वहां जाएगा, इससे तो बेहतर है कि अपने स्तर पर, क्योंकि लाइसेंसिंग आथोरिटीज सिविल एण्ड पेट्रोल सप्लाई गवर्नमेंट आफ राजस्थान है। अगर यह ले लेता है तो उसकी ग्रोथ आपकी हो जाएगी, किसी को ईमानदारी से, क्योंकि कोई राशन की दुकान से ईमानदारी से नहीं कमाकर खा सकता है। लेकिन अगर किसान विकास केन्द्र के नाम से अगर यह लग जाएंगे और यहां बेरियल पाइंट है वहां यह लग जाएगा, इसके साथ में चार चीज और क्लब की है।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। इसके साथ में उन्होंने जो क्लब किया है, सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड फर्टिलाइजर एण्ड पेस्टिसाइड, तीन चीजों को इसके साथ और क्लब किया है। तो यह तो एक ऐसी चीज है जो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आप कर सकते हैं। कारपोरेट आइल कम्पनी अपने स्तर पर बैठकर मनमाने तरीके से इस चीज को दे रही है, उनकी अपनी फैसेलिटीज हैं, वह कैसे कम्प्रोमाइज होती है, उसके बारे में मैं ज्यादा बखान नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अगर गवर्नमेंट आफ राजस्थान यह करने लग जाए तो एक आम आदमी, जिसको आज व्यवसाय की आवश्यकता है, स्वाभिमानपूर्वक जो व्यवसाय करना चाहता है, उसको आप यह करके बैठा दीजिए। वह और उसका परिवार आये दिन आपको वाह-वाही देता रहेगा। इस चीज को अगर, यह मालूम नहीं कि जब ऐसी कोई बात आती है तो why does the bureaucracy develop butterflies in the stomach? किसी आदमी को कोई लेना पड़ेगा, उसमें अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो it is always… मैं तो एक, किसी ने कहा है कि अगर हमको कुछ करना है तो you will have to take risks. And if you don't take risks, you will be nowhere.

आखिरी में एक बात निवेदन करना चाहूंगा वैट के अन्दर आपने चार परसेंट पेकेजिंग मैटीरियल जो आप दे रहे हो वह तो आपने कर दिया। इस वैट के अन्दर 12.5 परसेंट आप टैक्स उनसे कलेक्ट कर रहे हो जो हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जो नोएडा के सेज में रजिस्टर्ड है वह तो एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं वहां से सर्टिफिकेट ले आएंगे। आपकी टोटल स्ट्रेंथ की पाइंट जीरो फाइव परसेंटेज रजिस्टर्ड है वहां और आपकी खुद की जो यहां हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, पहले आप उनसे कहते हो कि 12 परसेंट जमा कराओ। 12 परसेंट जमा कराने के बाद में तीन महीने के बाद जब उनका कंटेनर जाता है तब वे अपनी इंवाइसेज रेज करते हैं। इंवाइसेज रेज करके फिर आपको वे देते हैं। फिर एक महीने में या तीन महीने में आप रिफंड करते हो और क्योंकि उनको यह रिफण्ड नहीं मिला और उनकी इंवाइस रेज नहीं हुई तब तक उनको जो रॉ-मैटीरियल सप्लायर है वह भी इस कंसेशन का लाभ नहीं उठा सकता। तीन महीने तक उसका भी 12 परसेंट जमा रहता है। यह छोटे-छोटे लोगबाग हैं जो रॉ-मैटीरियल सप्लाई करते हैं और सब अन-आर्गेनाइज सेक्टर के अन्दर 8 से 10 लाख लोगबाग हैं जो इससे रोजगार कमा रहे हैं। I am not talking about these industrialists or these export houses but those people who are directly or indirectly dependent on these things. तो नोएडा में 1 परसेंट आप ले रहे हैं। आप 1 परसेंट लेकर छोड़ दो इनको। वे आपके कॉमर्शियल टैक्सेज के आफिस में जाएं, तीन महीने के बाद में इंवाइस रेज

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

करवायें। इन्वाइस रेज करके पेश करें और फिर रिफण्ड के लिए चक्कर खाता फिरे इसकी क्या आवश्यकता है? और अगर वह एक्सपोर्ट अगर कर रहा है तो इस भारत के लिए ही तो विदेशी मुद्रा लेकर आ रहा है और जब लेकर आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम किसको है? आप इसको तीन महीने बाद छूट दे रहे हैं। आप दे दें और एक बात मैं तो कहते-कहते परेशान हो गया। पता नहीं किसी को समझ में आती है या नहीं आपने लोजेस्टिक पार्क क्यों नहीं बनाया ऐसा? जब वैट आ गयी, उसके बाद में यह जो हर रीजन पर, हर स्टेट में जो सी. एण्ड एफ. एजेंट्स हैं, यह खतम हो जाएंगे। सिर्फ रीजन्स में बट जाएगा। नोर्थ, वेस्ट, साउथ एण्ड ईस्ट और जो फर्स्ट स्टेज पर लॉजेस्टिक पार्क होगा, वह फर्स्ट स्टेज का जो लॉजेस्टिक पार्क है वह टैक्स लेता है। वैट का सारा टांजेक्शन टैक्स और जिस स्टेट में जाकर, जब वह वापस बिकता है तब वह वहां से वापस डिमांड रेज करता है। तीन-तीन महीने तक, चार-चार महीने तक आपके पास में बगैर इण्ट्रेस्ट का फ्लोटिंग केपिटल रहेगा। यह आये दिन चर्चा होती रहती है कि कभी हमको ओवरड्राफ्ट नहीं लेना पड़े। हम लोग यह कहते हैं कि हमने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया। पिछली सरकार ने कई बार ओवरड्राफ्ट लिया। आपके पास में आपके खुद के एनुअल प्लान का फ्लोटिंग केपिटल क्रिएट हो जाएगा। तीन महीने बाद, चार महीने बाद जब वह डिमांड रेज करेगा तब आप जाकर उसको दोगे वरना आपके तो फर्स्ट पाइंट पर आपको टैक्स मिल गया, उसका कम्पलशन है, वह देगा यहां और जब वह रेज करेगा इंवाइस तब लेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, कहने को तो बहुत कुछ था लेकिन अब आपकी जैसी मर्जी, एक बात क्योंकि आदरणीय माथुर साहब एक बात फरमा रहे थे ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नहीं-नहीं, आप बोलिये। आपको सुन रहे हैं हम ... (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): एक मैं निवेदन करना चाहूंगा इसमें, मेरी कोई गलती हो सकती है। आपने रिफाइनरी के लिए फरमाया कि रिफाइनरी के अन्दर कामर्शियल पोटेंशियलिटी इतनी है कि अगर हम ग्लोबर टेंडर इंवाइट करें तो there are larger players than ONGC but मैं एक बात निवेदन करता हूं कि R.S. Sharma is supposed to be the Chairman of the ONGC. उन्होंने एक बात कही है – "Describing his alternatives, he said that

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ONGC could think of reducing the capacity of the refinery. Earlier it was declared that refinery in Barmer would be of 7.5 million tonne capacity but in current situation, it could be of 3 million tonne capacity. This would reduce the cost also. However, the quality of the Barmer crude is not good and will need extra realisations for setting up the refinery in the desert. We are ready to negotiate but the Rajasthan Government has to decide which way it wants to go. Sharma said adding that if they come forward, Corporation will follow. That is the reason, we have set up Rajasthan Refinery Limited. In the end, he said that stocks will only last for 8 to 12 years." 8 से 12 साल का स्टॉक ओ.एन.जी.सी. बता रहा है।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): It's wrong. 4.8 billion tonnes. It will last for at least 15 years. As on today, only 30 per cent search has been done in the area. 70 per cent is still to be done. If this entire area is completely surveyed and implemented, Rajasthan could have 20 million tonne capacity refinery.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इससे ओ.एन.जी.सी. का जो टेम्परामैंट है यह पता लगता है, very well refuted by the hon'ble member there. They just don't went/wish to set it up. जब वह पब्लिकली डिनाउंस कर रहे हैं कि केपेसिटी ही नहीं है। हम साढ़े सात मिलियन टन की लगाएंगे ही नहीं, हम तो तीन की लगाएंगे वरना हमारे तो आठ से 12 साल में पूरा खनिज भण्डार ही खतम हो जाएगा। जब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में वे यह कर रहे हैं, अब हमारे लिए यह कौनसी मुश्किल है? जैसा आपने फरमाया, let us invite global tenders. If we have the capacity, there will be 101 people coming to you. They will not only look towards your economic gains and commercial gains, they will also give you social and economic obligations. और आखिरी में एक बात और है, मैं तो कुछ दिन पहले एक अख़बार पढ़ रहा था। आदरणीय उद्योग मंत्रीजी कलकत्ता पधारे थे for promotion of industrial investment in Rajasthan. वहां एक बात सामने आयी कि पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बाड़मेर के अन्दर इतना ऑयल मिल जाएगा। फिर किसी ने कल्पना नहीं करी कि बाड़मेर में बाढ़ आ जाएगी। उन्होंने तो इससे भी आगे कर दिया कि 1977 से 80 के दशक के अन्दर आदरणीय भैरोंसिंहजी ने यह बात कही थी कि बाड़मेर में समुद्री बंदरगाह भी बन सकता है।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): It is a fact.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): अब यह जब बंदरगाह बन सकता है तो जब हम सब बैठ कर इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि कच्छ के मार्शी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

लैंड से 100 किलोमीटर अन्दर लेकर आना है उस पानी को। आपके रिकार्ड में यह सौ किलोमीटर है। नक्शा भी है उसका। इसमें यह थार में बनेगा समुद्री बंदरगाह, इसका था और इसमें यह लिखा है कि- 1977-80 के प्राथमिक अध्ययन में कराया गया है। इसके बारे में तकनीकी ज़रूरतों के लोड-फेक्टर वगैरह की सारी जानकारी की गयी है और जिस वक्त यह चर्चा हुई अभी यह 26.11 का है, 26.11 ... (व्यवधान) चर्चा हुई तो दो कारपोरेट हाउसेज ने तुरन्त इस चीज को स्वीकार किया कि हम इसका सर्वे करेंगे। तो मैं यह चाह रहा हूं कि यह रिफाइनरी भी लग जाए और अगर इस सरकार के समय में यह बंदरगाह की भी बात हो जाए तो बाड़मेर जिसको कभी लोग सिर्फ देखने आते थे कि वहां पर कैसे धोरे हैं, कैसे सेंड-ड्यूंस हैं, अपने आप में टूरिस्ट वेंचर पाइंट ही नहीं, पूरा का पूरा एक कामर्शियल वेंचर पाइंट हो जाएगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री बी. डी. कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 और वित्त विधेयक, 2007-08 के बारे में अपने विचार रखता हूं और इसके विरोध में कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूं।

किसी भी प्रदेश का और देश का विकास उसकी विकास दर के ऊपर निर्भर करता है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1998-99 से लेकर 2003-04 तक पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही। उस वक्त जब हमने यह सरकार छोड़ी थी उस वक्त राजस्थान के विकास की दर 26.75 प्रतिशत थी। जो आज घटकर 12.66 प्रतिशत रह गयी। मुझे यह माननीय मुख्य मंत्रीजी करेक्ट कर दें यदि इसमें एक परसेंट भी कोई असत्यता हो तो वह करेक्ट कर दें। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान का विकास कांग्रेस के राज की तुलना में लगभग आधे से कम हो गया।

दूसरा, किसी भी प्रदेश और देश का मानवीय संसाधन का विकास कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह प्रदेश कैसे आगे बढ़ रहा है। हमारे वक्त में साक्षरता का प्रतिशत निरन्तर बढ़ा लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है कि अभी तीन साल और चार महीनों में राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत 3 प्रतिशत कम हो गया और उसके कारण राजस्थान में बेरोजगारी, किसी जिले

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

में दो प्रतिशत, किसी में 3 प्रतिशत, किसी में चार प्रतिशत और किसी में पांच प्रतिशत तक बेरोजगारी बढ़ गयी। यह तथ्य मैं इस आधार पर दे रहा हूं कि राजस्थान में आजीविका मिशन बना, उसके लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और बड़े जोर-शोर से कहा गया कि 1 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने के लिए यह आजीवका मिशन काम करेगा। 35 करोड़ का बजट, 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गयी लेकिन वही ढाक के तीन पात। आज तीन वर्ष और चार महीने का विश्लेषण करें तो रोजगार के अवसर कोई आपके अकाल में और इनमें इनको छोड़ दीजिए और सर्व-शिक्षा अभियान को छोड़ दीजिए, जो केन्द्र सरकार का है, जिसके अन्तर्गत 41 हजार अध्यापक लगे हैं और उसके बाद अब आपके अध्यापक और उसमें लगने वाले हैं आगे और लगेंगे लेकिन राज्य सरकार ने कुछ पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती और कुछ मृत कर्मचारियों के आश्रितों के अलावा कुछ भी नहीं किया। और यह कहा था -

(समय : 16.00 बजे)

'रोजगार मिलेगा हर घर के लिये और
कहां रोजगार मयस्सर नहीं है शहर के लिये।
यहां दरख्तों के साये में धूप पड़ती है,
कहीं और चलें उम्र भर के लिये।।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कितनी बार सुना दिया। सभापति महोदय, पन्द्रहवीं बार सुना दिया।

एक माननीय सदस्य: एक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने अभी भी बीच में गड़बड़ करने का सबक नहीं सीखा क्या ? आपको सीखना चाहिये, समझना चाहिये कि बीच-बीच में नहीं बोलना चाहिये, नहीं तो क्या स्थितियां बनती हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आज प्रद्युम्न सिंहजी ने कह दिया मक्खनबाजी में सारे रिकार्ड संसदीय कार्य मंत्रियों के तोड़ दिये आपने कि आप कितने मक्खनबाज हो, यह सारा सदन देख रहा है। मैंने शुरू ही नहीं किया, उससे पहले ही आपने व्यवधान शुरू कर दिया। आपका नाम व्यवधान मंत्री रख दें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने तो आपने सड़ा-गला शेर सुनाया, इसलिये कहा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, सड़ा-गला शेर नहीं है। आपने वादा किया था कि एक लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। कहां गया वह वादा, कितने लोगों को नौकरी दी आपने स्टेट सैक्टर में ?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक लाख से ज्यादा दी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चिकित्सा मंत्रीजी, पहले तो आप अपने स्थान से बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी गणित आप देखोगे, मैं ऐसे आंकड़े लेकर आया हूं कि आपकी सारी पोल खोल दूंगा। सभापति महोदय, अब इन्होंने अपने योजना के आकार की बात की कि पिछले वर्ष की योजना 8500 करोड़ की थी, जिसको इन्होंने 11,638 करोड़ की योजना बना दी और 37 प्रतिशत वृद्धि की। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि वर्ष 1998-99 में 1,964 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में अंशदान मिलता था, जो बढ़कर अभी 8002 करोड़ रुपये हो गया, लगभग चार गुना। उसके बाद केन्द्रीय सहायता के इस हैड में हमको 1322 करोड़ रुपये 1998-99 में मिले थे और इनको मिल रहे हैं 4301 करोड़, लगभग तीन गुने से ज्यादा। हमारे कार्यकाल की तुलना में आपको चार गुना केन्द्रीय करों में हिस्सा बढ़ गया, तीन गुना केन्द्रीय सहायता में हिस्सा बढ़ गया। इसके बावजूद भी आपकी जो योजना है, वह 37 प्रतिशत बढ़ी। मैं समझता हूं कि इसका आपको खुद आत्मविश्लेषण करना चाहिये कि इन योजनाओं में वृद्धि की बार-बार आप जो बातें कर रहे हैं, यह बातें मैं समझता हूं कि बिलकुल थोथी हैं। और फिर आपको मैं बताना चाहता हूं हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर आपने इस चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 51 लाख रुपये की कमी की है और स्वायत्त शासन विभाग के बजट में लगभग 500 करोड़ की कमी की है। जब एक तरफ आप योजना का आकार बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ शिक्षा, ग्रामीण, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वायत्त शासन विभाग, इनकी योजनाएं कम क्यों हो रही हैं ? इसका मतलब रुपया कहां जा रहा है ? इसकी बातें मैं आगे करूंगा।

अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान ऋणग्रस्तता का शिकार हो रहा है, इनडैटनैस का। उसका कारण क्या है कि हम लोग जो कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर उत्पादन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऋण लेकर घी खाना, ऋण लेकर विकास नहीं करना या ब्याज चुकाना, यह उचित नहीं है। ऋणग्रस्तता से उबरने के लिये राजस्थान को सबसे पहले ब्याज की अदायगी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

को कम करने का प्रयास करना चाहिये। इसके लिये कर्जे कम लिये जायें और जो ब्याज पर पैसे लिये हुए हैं, उसका भुगतान ज्यादा किया जाये। हमारे वित्त आयोग ने इनसे एक वादा लिया हुआ है। वह वादा यह है कि आप 2009-2010 तक राजस्थान में रेवेन्यू रिसीप्ट्स और ब्याज अदायगी जो करते हैं, इसका अनुपात 15 प्रतिशत तक ले आयें । इस वर्ष तक यह 23.52 प्रतिशत है। सभापति महोदय, केवल मात्र पिछले वर्ष की तुलना में पाइंट 32 प्रतिशत कम हुआ है । इसका मतलब साफ है कि अब 2007-08, 2008-09 और 2009-10 तीन साल हैं। इन तीन वर्षों में इसी गति से यदि हम अनुपात को कम करना चाहेंगे तो 32 साल की जगह आप पाइंट 5 से भी गिन लो तो आप 1.5 प्रतिशत यह कम करेंगे। यह 23.52 का मतलब 22 प्रतिशत से ज्यादा यह अनुपात नीचे नहीं आयेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपने रेवेन्यू रिसीप्ट्स और ब्याज के भुगतान का दोनों का अनुपात कम नहीं करेंगे तब तक निश्चित रूप से राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा और केवल कर्ज के बोझ से बढ़ता चला जायेगा।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राज्य में सी ए जी की जो अभी रिपोर्ट आई, उसके अन्तर्गत हमारी 472 योजनाएं लम्बित हैं और उन योजनाओं में लगभग 3,459 करोड़ की राशि अवरूद्ध हुई है और इनमें भी यदि आप जायें तो पिछले वर्ष की जो योजनाएं हैं, वह 298 हैं और तीन वर्ष और 4 महीने का कार्यकाल आपका है। इसका मतलब जो योजनाएं अवरूद्ध हो चुकी हैं, मतलब योजनाएं नई-नई आती रहती हैं, लेकिन पीछे कोई उनको सम्भालता नहीं है जिसके कारण योजनाओं पर जो पैसा खर्च होना चाहिये, जो योजनाएं पूर्ण होनी चाहिये, उसकी जगह योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं और उनका पैसा ब्लॉक होता जा रहा है। इसके अलावा सी ए जी की रिपोर्ट ने एक बहुत अच्छा तथ्य दिया है कि 56 हजार से अधिक लोगों को बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर और पाली इन जिलों में 6-6 महीनों तक, सभापति महोदय, जो अकाल पीड़ित लोग थे, उनका भुगतान नहीं हुआ। यह बहुत ही दु:खद विषय है, चिन्ता का विषय है कि जिस प्रदेश में 6-6 महीनों तक अकाल पीड़ितों के लिये पैसे का भुगतान नहीं हो और सरकार यह कहे कि हमारा फाइनेंशल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कहां से अच्छा है ? अच्छा होता तो भुगतान करते । हमारे वक्त 15 दिन में जैसे ही हफ़्ता पूरा हुआ, हम वहां पेमेन्ट करवा देते थे और निश्चित पेमेन्ट कराते थे, पूरा पेमेन्ट कराते थे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लेकिन यह आपके फाइनेंशल मैनेजमेंट की पोल खोलता है कि आप क्या कर रहे हैं ? इसके अलावा आपने कहा हमने फूड स्टॉम्प बांटे। फूड स्टॉम्प बांटने के बाद फिर जालमियारसर में अर्जुन सिंह की मौत क्यों हुई, फगल कंवर की मौत क्यों हुई ? आपके सहरिया आदिवासी क्यों मरे ? हिण्डौली में लोग क्यों मरे और अन्य अनेक स्थानों पर मरे । अभी करौली में एक व्यक्ति भूख से मारा गया। सभापति महोदय, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं टोकना नहीं चाहता, पर यह किसकी बात कर रहे हैं ? यह जिस फगल कंवर की बात कर रहे हैं, आप लगाइये न उस मोशन को और यह करें न बहस। हम प्रमाणित कर देंगे कि भूख से मौत नहीं हुई है। मतलब पूरे राजस्थान में इस तरह की सनसनीखेज बातें उठाकर हम किस तरह की छवि पेश करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप सही फरमा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप जिम्मेदार आदमी हो। एक नेशनल पार्टी के सदस्य हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, यहां बैठे-बैठे बात कर रहे हैं। मेरे साथ यह चलें उसकी मां जिन्दा है, उसकी बेटी जिन्दा है। कम से कम सैंकड़ों लोगों के सामने, उसकी 80 वर्ष की मां असत्य नहीं बोलेगी। उन्होंने मुझे कहा मेरा लड़का भूख से मरा है। आप चलें मेरे साथ । मैं चलूंगा आपके साथ। आप हाउस की कमेटी लेकर चलें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं चुनौती देता हूं इनको और आप समय तय कर दें। अगर फगल कंवर और अर्जुन सिंह की मौत की बात कर रहे हैं, अगर सिद्ध हो जाये । सभापति महोदय, वह बी.पी.एल. में चयनित था, उसको 70 किलो गेहूं, यह प्रमाणित है रिकार्ड के अंदर, उसने 20 दिन पहले 70 किलो गेहूं लिया है, 15 दिन पहले उसको 600 रुपये पेंशन मिली है, यह रिकार्ड पर है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): देखिये, फिर आप बीच में बोलोगे तो हम भी टोकेंगे। आप अपने जवाब में कह देना। यह गलत रिकार्ड बनाया है आपने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गलत तथ्यों के आधार पर कोई भी कह देना ....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने गलत रिकार्ड बनाया है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): गलत तथ्य तो आप पेश कर रहे हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, पूरी नीचे से लेकर रिपोर्ट है, एस.डी.एम. की रिपोर्ट है, ए.डी.एम. की रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट है उसमें और बी.पी.एल. का गेहूं उठाया हुआ है उसने और वह लगातार टिकटों से गेहूं उठाते रहे हैं। गलत तथ्य तो पेश मत करो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दमे से पीडित था, इलाज कराया उस डाक्टर का सर्टिफिकेट है, जिस ए.एन.एम. ने उसको दवाई दी है उसका सर्टिफिकेट है, ए.डी.एम. की जांच रिपोर्ट है, एस.डी.एम. की जांच रिपोर्ट है, कलक्टर की जांच रिपोर्ट है, मतलब हर किसी मौत को, राजस्थान में जो मृत्यु दर है, उस मृत्यु दर में जितने लोग मरते हैं, वह सारे ही भूख से मरते हैं। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ....(व्यवधान) सहरिया घास खा रहे हैं। हम स्वयं गये वहां पर ....(व्यवधान) किसी ने असत्य बात कह दी ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप सहरिया की बात करते हो, अशोकजी गहलोत के समय में सहरिया में भूख से ....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): कोई तथ्य नहीं हैं आपके पास। असत्य बयान कर रहे हो इस पवित्र सदन में। आपके पास तथ्य हों तो पेश करो।

श्री सभापति: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान) अंकित नहीं करें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: आप बिराजें। आप बिना आसन की अनुमति के खड़े नहीं हों।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन की कमेटी के साथ वहां जालमियासर जाने के लिये तैयार हूं । उसकी मां जिंदा है, आठ वर्ष की बेटी जिंदा है। उन्होंने जो बयान दिये, उसके आधार पर मैंने सदन में यह बात रखी है और निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि सरकार वहां पर अभी भी प्रबन्ध नहीं करेगी, उन ढाणियों में बहुत-से ऐसे लोग

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हैं जिनके पास खाने के लिये अन्न नहीं है, पानी 300 रुपये टंकी में बिक रहा है। लोग कैसे जीयेंगे ? इसलिए सभापति महोदय, इन सब बातों के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है । यहां पर किसी को बीच में डिस्टर्ब करने से या व्यवधान करने से कोई बात रूकेगी नहीं, इसलिये इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि आज तक वहां पर कोई मंत्री नहीं गया और जाकर के उनको सम्भाला नहीं कि उस ढाणी में क्या स्थिति है। आपको जाना चाहिए, वहां पर जाकर देख कर आते। कोई जावे नहीं, बैठे-बैठे यहां पर, मैं जिस दिन गया था वहां पर कलेक्ट्रेट की तरफ से 2000 रुपये की सहायता दी गयी थी। हमने तत्काल वहां 15 हजार रुपये की सहायता प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, दो तारीख को सदन होगा, दो तारीख को आप समय निश्चित कर दें और इस पर बहस करा लें आप। यह अपनी बात तर्कों के आधार पर कह दें और हम अपनी बात तर्कों के आधार पर कह दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, हां करवा लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप समय निश्चित कर देना दो तारीख को।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, कर दो न, क्या दिक्कत है। हां, कर दीजिए न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कर दो, साहब।

श्री सभापति: अकाल और बिजली पर चर्चा होगी उस समय यह कह रहे हैं अकाल की मौत हो रही है और बिना भोजन के मौत हो रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अकाल की मौत का नहीं, स्पेसिफिक मौत के बारे में है और यह बड़ा सीरियस मामला है। कल्ला साहब जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को ...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वहां जाकर आया हूं, घनश्यामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप सुनिये कल्ला साहब, आप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जाकर आये होंगे। आप जाकर आये तो भी इस प्रकार का बड़ा गम्भीर चार्ज लगाना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा है कि इस पर उस दिन चर्चा तय कर दीजिए, स्पेसिफिक इस पाइंट पर तय कर दीजिए ताकि बात हो जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, करिये आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, हां कर लें।

श्री सभापति: ऐसा है नियमों में यह मूव कर देंगे, चाहे 50 में ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप आसन से व्यवस्था कर दो न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया हुआ है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सरकार यह वक्तव्य दे सकती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्लाजी की यात्रा धर्मराज युधिष्ठिर की यात्रा है क्या? आप तय कर दो न।

श्री सभापति: धर्मराज युधिष्ठिर की यात्रा की बात नहीं है, यह नियमों में मूव कर देंगे उसके आधार पर आप जवाब दे देना।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप से तो धर्मराज युधिष्ठिर ही हूं। आपकी और मेरी तुलना करो तो ...(व्यवधान) राजस्थान की जनता की वोटिंग करवा लेना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, फैसला तो धर्मराज ही करेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बन जाना धर्मराज।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि सरकार एक तरफ से यह कहती है कि हमारा फाइनेन्शल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन सामाजिक सेवाओं के ऊपर इनका व्यय 60 प्रतिशत कम हुआ है, नोन-डवलपमेंटल एक्टिविटीज पर इनका खर्चा बढ़ा है और डवलपमेंटल एक्टिविटीज के ऊपर खर्चा कम हुआ है।

मैं आपको दो-तीन आंकड़े देता हूं। पेयजल आपूर्ति एवं सफाई पर 34 परसेंट राशि ही यह दिसम्बर, 2006 तक खर्च कर पाये। ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. के कल्याण के लिए मात्र 34 परसेंट राशि ही खर्च कर पाये। पूंजीगत

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

खाते में मात्र 47 परसेंट राशि दिसम्बर, 2006 तक खर्च हो पायी। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने राजस्व घाटे में जो कमी करना बता रही है वो डवलपमेंट एक्टिविटीज को कम करने के कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है इसलिए कोई फाइनेन्शल सुधार नहीं किया है। इनकी बकाया राशि को यदि आप देखें तो लगभग 31 मार्च, 2006 तक 2984 करोड़ और 79 लाख रुपये की बकाया थी उसमें और बिक्री कर से 2336.12 करोड़ रुपये, खनन से 59.31 करोड़, ग्रामीण एवं शहर जल आपूर्ति से 61.88 करोड़, वाहन कर से 21.62 करोड़, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क के माध्यम से 76.80 करोड़। यह जो बकाया लगभग 3000 करोड़ रुपये इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

जैसा मैंने आपको बताया एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. है इसके डवलपमेंट के लिए जो राशि खर्च की गयी थी दिसम्बर, 2006 तक मात्र 34 परसेंट राशि खर्च की गयी। अब डवलपमेंटल एक्टिविटीज आप करो नहीं और फिर कह दो हमने राजकोषीय घाटा कम किया है तो यह कोई होशियारी नहीं है। इसमें राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उनको और उपाय करने चाहिए थे। यह यदि बकाया वसूली कर लेती और डवलपमेंट पर खर्च कर देते तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा मैनेजमेंट होता। लेकिन यह कर नहीं पाये। पांच सामान्य सेवाओं का व्यय बढ़ाया गया है। अब, सभापति महोदय, सामान्य सेवाओं का व्यय ज्यादातर ब्याज चुकाने के लिए होता है, 6700 से अधिक करोड़ ब्याज यह चुकायेंगे। तो इससे साबित होता है कि नोन-डवलपमेंटल व्यय इनका बढ़ा है और डवलपमेंट का व्यय कम हुआ है।

अब मैं और कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। इस सरकार ने वर्ष 2006 और 2007 में शिक्षा, कला और संस्कृति के ऊपर 102.18 करोड़ रुपये का बजट कम किया। सामान्य शिक्षा में 99.12 कम। यह 2006-07 का आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको, जो बजट एस्टीमेट दिया है और जो रीयल एस्टीमेट आया था उसमें यह जो एक्चुअल एस्टीमेट आये हैं उसके फर्क बता रहा हूं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 25.48 करोड़ कम किये गये। पोषण में 48.37 करोड़ रुपये कम किये गये। फसल एवं कृषिकरण में .38 करोड़ रुपये कम किये गये। पशुपालन में 3.52 करोड़ रुपये कम किये गये। वानिकी तथा अन्य प्राणी, इसमें 13.67 करोड़ रुपये कम किये गये। अब बढ़ाया कहां, सचिवालय एवं आर्थिक सेवाएं, इसमें 99.19 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गयी। यह कोई डवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं हैं।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मैंने यह सिद्ध किया है आंकड़ों के माध्यम से, सभापति महोदय, कि सरकार ने अपने कोष को नोन-डवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए उपयोग में लिया, डवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए उपयोग में नहीं लिया। अभी मृदा तथा जल संरक्षण में भी 3.79 करोड़ का बजट घटा दिया।

अब बजट घोषणाओं को लीजिए आप, देखने में बड़ी-बड़ी सुन्दर-सुन्दर लगती हैं, 'निर्बल घाट योजना', इस सदन में 100 गांवों में निर्बल घाट योजना के लिए ढाई करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और 100 जगह 100 गांवों में बनेगा। गांवों की संख्या, सभापति महोदय, 41 हजार है और यह 41 हजार गांव में निर्बल घाट योजना लागू होगी तो 410 वर्ष लगेंगे। अब 410 वर्ष तक कब आप योजनाओं को पूरा करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं कौन रहेगा, क्या रहेगा। इसका कोई अता-पता नहीं है, लेकिन यह योजना दे दी, 'निर्बल घाट योजना' ढाई करोड़ की लागत से। मैं आपको ढाई करोड़ की एक और योजना बताता हूं जो पहले इन्होंने बनायी थी, मेवात क्षेत्र की आवासीय बालिका विद्यालय के लिए ढाई करोड़ की योजना बनायी। क्या हुआ उसका, ढाई पैसे नहीं खर्च कर पायी सरकार। ढाई पैसे नहीं खर्च कर पायी।

तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब आप योजनाओं को बनाओ तो कम से कम सोचो तो सही कि उसके लिए ढाई पैसे भी खर्च नहीं करो तो इसी प्रकार से इन योजनाओं का हश्र होने वाला है।

सभापति महोदय, आप ग्रामीण बालिकाओं को सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी में पढ़ती हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट बाउचर देंगे आप। यह जो ट्रांसपोर्ट बाउचर हम लोग पहले भी देते थे लेकिन अब आपने सीमित कर दिया। क्या सीमित किया? पांच बालिकाओं का समूह होगा तब आप ट्रांसपोर्ट बाउचर देंगे। मान लो तीन लड़कियां होंगी, दो लड़कियां होंगी, चार लड़कियां होंगी तो वो इनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, उनको पास दिया न, 18 हजार बच्चियों को इस बार हमने फ्री रोडवेज का पास दिया। उसके पहले तो आपने कभी नहीं दिया। अब वो जहां नहीं है वहां पर पांच हो जायेंगी जो बस के अलावा उस पर चल जाए तो उस पर भी चली जायेगी। एक्स्ट्रा सुविधा है, इसमें आपको क्या दिक्कत है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, शिक्षा मंत्रीजी, जो घोषणा हुई है उसमें कहा है कि पांच या उससे अधिक बच्चियां होंगी उनको ट्रांसपोर्ट बाउचर मिलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वो तो एक्स्ट्रा सुविधा है रोडवेज की बस या उस बस के अलावा तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, वो एक साथ मिल कर चली जायेंगी, वो तो समूह में रहेंगी। वो आपको आपत्ति हो तो वापस कर देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, आपत्ति नहीं है, मैं कह रहा हूं फिर चार बच्चियां होंगी उनको जाने की सुविधा होगी क्या? तो क्लीयर कर दें मुख्य मंत्रीजी, तीन बच्चियां होंगी, दो बच्चियां होंगी तो उनको जाने की ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): एक को भी, मुख्य मंत्रीजी की जरूरत ही नहीं है, इतना छोटासा काम तो मैं ही कर दूंगा। एक को भी सुविधा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): रोडवेज वाले आपके आदेश मान लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब आपके सम्बन्ध इम्प्रूव हुए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, बहुत अच्छे हुए हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चलो, अच्छा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, गो सेवा संघ को दो करोड़ का बजट दिया गया है। राजस्थान में अनेक गोशालाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनको एक रुपया नहीं दिया गया। आज वहां पशु सेवा शिविर राजस्थान में एक भी नहीं हैं लेकिन गो सेवा संघ को जो आपकी पार्टी से सम्बन्धित है उसको दो करोड़ रुपये, यह ठीक नहीं है। आप फैसले ऐसे करो जो लगते हैं कि जस्टिस, इक्विटि और गुड कांशसनैस के आधार पर हो और वो पूरे के पूरे प्रदेश में एक जैसे हों जिससे लगता है कि क्षमता, विवेक और आम न्याय के फैसले हों लेकिन सरकार ने जो फैसला किया है उसमें दो करोड़ रुपये केवल गो सेवा संघ को देना, यह पक्षपात का निर्णय है।

इसके अलावा आपने एक मुक्ति धाम की योजना दी। मुक्ति धाम में मैं समझता हूं कि गीता में एक श्लोक आता है-

जातस्य ही दुर्वो जन्मम्,

दुर्मम जन्मम् मृत्युसजः,

तस्मातपरिहार्य ते,

नत्वम् सोची तु महर्सि'

जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई श्मशान में जाता

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है, कोई कब्रिस्तान में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है लेकिन उसमें भेद कर रहे हो आप। केवल आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि इसमें कब्रिस्तान और गिरजाघर वगैरह सब सम्मिलित हैं। उन सब के उत्थान के लिए काम किया जायेगा नहीं तो यह एक पक्षीय आपकी घोषणा होगी।

एक योजना आपने और बनायी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उनके नाम पर एक कौड़ी नहीं दी। पहली दफा इस सरकार ने दिया है, मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। पहले मुक्ति धाम के लिए जमीन नहीं दी।

श्री सभापित: माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): बढ़िया काम किया उसकी आलोचना कर रहे हो आप।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह गिरजाघर में तो यह काम होता नहीं जो आप पुकार रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): गिरजाघर में दफनाया जाता है, उनके सुधार की जरूरत है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): पहली दफा, देश में आजाद होने के बाद कभी भी मुक्ति धाम के नाम पर एक ईंच जमीन नहीं दी, उनको सुविधा नहीं दी।

श्री सभापति: किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): पहली दफा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट में लिया है इसके लिए परेशानी हो रही है आपको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, यह मुक्ति धाम योजना पर स्वास्थ्य मंत्रीजी ही क्यों बोल रहे हैं, क्या कैजुअलिटी ज्यादा हो गयी क्या?

श्री सभापति: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच-बीच में क्यों व्यवधान कर रहे हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, एक इन्होंने मन्दिरों के लिए पांच करोड़ की योजना बनायी। नाथद्वारा, सांवलिया मन्दिर, त्रिपुरा सुंदरी का मन्दिर, अच्छी योजना है लेकिन इसमें भी मेरा यह सुझाव है कि हमारा कांस्टीट्यूशन एक सैकुलरिज्म को प्रोत्साहन देने वाला कांस्टीट्यूशन है। इसमें सर्व धर्म सम्भाव जब ही आएगा जब आप इसमें गरीब नवाज को और अन्य धर्मो के स्थानों को भी सम्मिलित करेंगे तो यह योजना व्यापक होगी और इससे राजस्थान कम्युनल हारमनी और हमारी कौमी एकता मजबूत होगी ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे क्या बात कर रहे हैं आपस में ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक आपने घोषणा की है दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर नवीं और दसवीं कक्षा की जो बालिकाएं जाती हैं उनको तीन सौ रुपये में साइकिल दी जाएगी। अब तीन सौ रुपये में तो कोई साइकिल सभापति महोदय, हमको तो बाजार में दिखी नहीं, सरकार को कहीं मिल रही है तो मैं कह नहीं सकता। ऐसी बच्चियां करीब एक लाख बत्तीस हजार हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सब्सिडाइज करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बाकी रुपये सरकार देगी। तीन सौ रुपये तो बच्ची देगी और बाकी रुपये सरकार देगी ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय बीकानेर से आने वाले सदस्य, आपसे तो यह उम्मीद नहीं थी। आप तो कम से कम पूरा अध्ययन करके और पढ़कर, बाकी तो पैसा सरकार देगी, तीन सौ रुपये का तो शेयर है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जिसके पास तीन सौ रुपये होंगे तो वह तो साइकिल तीन सौ रुपये और कहीं से लाकर ले लेगा ...(व्यवधान) लेकिन सवाल इस बात का है, उसके लिए प्रावधान आपने क्या किया है एक लाख बत्तीस हजार बच्चियों के लिए क्या आपका प्रावधान सही है ? प्रावधान बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो यह घोषणाओं के लिए थोथी और हवाई घोषणाएं जो की गयी हैं, उसका मैं विरोध करता हूं।

उसके बाद आप आइये विधवा विवाह, विधवा विवाह जो होंगे उसमें सरकार पन्द्रह हजार प्रति विवाह देगी। सभापति महोदय, जनसंख्या के और इनके आंकड़ों को मैंने देखा, राजस्थान में बीस से तीस वर्ष की विधवाएं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लगभग चार लाख हैं और उसमें एक लाख विधवाएं भी अगर विवाह करती हैं तो आपको एक सौ पचास करोड़ रुपये की जरुरत एक साल में होगी। क्या आपने इसका प्रावधान किया है और नहीं किया है तो फिर आपको ऐसी थोथी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए।

उसके बाद में आपसे कहना चाहता हूं इन्होंने एक घोषणा यह कर दी कला और संस्कृति विभाग का नाम कला, संस्कृति और साहित्य विभाग होगा। अब यह घोषणाओं में एक पैसा लगा नहीं, हींग लगे न फिटकड़ी और रंग आवे चौखा, इस तरह की घोषणाएं हैं इसमें ।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): क्या बुराई है ?

श्री सभापति: आप विराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह घोषणा के लिए घोषणा है। इन घोषणाओं से राज्य को, राज्य के लोगों को यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरीके से चैन्जेज हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि सभापति महोदय, घोषणाओं के लिए घोषणाएं नहीं की जानी चाहिए।

अब इसमें रोजगार की स्थिति के बारे में मैं आपको बहुत रियलिस्टिक आंकड़े बताना चाहता हूं। वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जाति के बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन हुआ था 29,676 उसमें रोजगार मिला मात्र 1482 को, आदिवासियों का रजिस्ट्रेशन हुआ 26,868, उसमें रोजगार मिला मात्र 1249 को, ओ. बी. सी. का रजिस्ट्रेशन 60 हजार 81 का हुआ और, रोजगार

(समय : 16.23 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

मिला मात्र 2210 को, आई. आई. टी. होल्डर इनका रजिस्ट्रेशन था 4346, रोजगार मिला केवल मात्र 195 को, विकलांगों का रजिस्ट्रेशन हुआ 3850 का और रोजगार मिला केवल 91 को। कुल मिलाकर 3.7 परसेंट लोगों को रोजगार राजस्थान में मिला। अल्पसंख्यकों का रजिस्ट्रेशन 6309 का हुआ और मात्र 154 लोगों को यानि 2.4 परसेंट लोगों को रोजगार मिला। इसका मतलब रोजगार का स्तर राजस्थान में बहुत कम हुआ है 3.7 और 2.4, इस प्रकार से रोजगार यदि मिलेगा तो बेरोजगारी और बेरोजगारों की फौज निरन्तर बढ़ रही है, उसको कण्ट्रोल करने में सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है ।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मैं चाहता हूं आजीविका मिशन ने अब तक क्या काम किया ? पैंतीस करोड़ रुपये की इतनी बड़ी, तनख्वाह साठ हजार रुपये है आजीविका मिशन के चेयरमैन की लेकिन उस मिशन ने पिछले वर्षों में क्या काम किया, उसकी क्या उपलब्धि रही ? उसने एक लाख लोगों को रोजगार देने के बारे में योजनाएं बनाईं थीं तो वह क्या योजनाएं थीं जिनके माध्यम से राजस्थान के लोगों को रोजगार मिल सका ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्या हश्र हुआ राजस्थान में एक किशोरी शक्ति योजना आयी। ग्यारह वर्ष से अट्ठारह वर्ष की उम्र की बच्चियों के पोषण, वोकेशनल ट्रेनिंग और उनके स्वास्थ्य के बारे में काम करेगी। मैंने देखा आंकड़े उठाकर के लगभग इक्यावन लाख बच्चियां इस वर्ग की हैं राजस्थान में और इसके लिए वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 इसमें छह करोड़ पन्द्रह लाख रुपये की राशि राजस्थान सरकार को केन्द्र से मिली लेकिन खर्च नहीं हो पायी। आज भी चार करोड़ पन्द्रह लाख रुपये इनके पास पड़े हुए हैं ।

यह जब योजनाओं की हालत हो तो कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अन्य अनेक योजनाएं हैं। गुरु गोलवर्ल्कर जन सहभागिता योजना, यह तो मैं समझता हूं गोलवर्ल्करजी इनके सबसे बड़े नेता रहे हैं, इस जनसहभागिता योजना का क्या हश्र हुआ ? 2004-05 में 2.60 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी, व्यय हुआ केवल मात्र 87.89 लाख रुपया, 34 परसेंट, 2005-06 में पहले बजट एस्टीमेट थे 28 करोड़ के, घटकर हुए 24 करोड़ के और उसके बाद खर्चा हुआ 20.17 करोड़ यानि 69 परसेंट पैसा खर्च हुआ और 2006-07 में बचत थी 8 करोड़ 99 लाख और बजट एस्टीमेट रखा गया 2006-07 के लिए पांच करोड़ का खर्च हुआ केवल मात्र 7.65 करोड़ यानि की 54 परसेंट। अब इस राशि को बढ़ाकर इस बजट में 2007-08 के बजट में यह राशि साठ करोड़ रुपये की कर दी। जिस योजना का पैसा आप चौदह करोड़ रुपया भी खर्च नहीं कर पाये तो साठ करोड़ रुपये कैसे खर्च होंगे ? इसमें प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

श्री अध्यक्ष: जनसहभागिता नहीं आयी होगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, तो नहीं आयी। तो फिर साठ करोड़ के लिए कहां से आएगी, यही मैं अध्यक्ष महोदय, कह रहा हूं। यह

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

यूटोपियन है, हवाई किले बनाते हैं और हवाई किले बनाने पर वह योजनाएं केवल मात्र घोषणाएं और थोथी और हवाबाजी की घोषणा रह जाती है। उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर इम्पलीमेन्टेशन नहीं होता है।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 221.40 करोड़ का बना, आपको ताज्जुब होगा कि इसमें मात्र 95 करोड़ की राशि व्यय हो पायी और मैंने दूसरी योजना के बारे में तो आपको बता ही दिया।

बार्डर एरिया डवलपमैंट प्रोग्राम, इस बार्डर एरिया डवलपमैंट प्रोग्राम के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय, बार्डर एरिया में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर यह जो एरिया है इसमें शत प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार से आती है और बार्डर एरिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट करने के लिए राशि खर्च की जाती है। इस राशि को भी यह सरकार खर्च नहीं कर पायी और मात्र 48 परसेंट राशि इसमें खर्च हुई है। मैं समझता हूं कि जो शत प्रतिशत सैण्ट्रल स्पान्सर्ड स्कीम है उसको यदि आप पूरा खर्च नहीं कर पायेंगे तो प्रदेश का विकास कैसे कर पायेंगे। इसमें कोई बहुत कम पैसा नहीं है, 52.88 करोड़ आया था इसमें मात्र 25.62 करोड़ रुपये यह खर्च कर पाये। स्वविवेक योजना इसमें 14.60 करोड़ रुपये उपलब्ध थे और खर्च हुए 2.12, मात्र पन्द्रह प्रतिशत राशि खर्च कर पाए।

अध्यक्ष महोदय, सहरिया विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2006 के 4.11 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी और खर्च कितनी हुई मात्र 2.32 करोड़ जो 56 परसेंट आती है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 31 दिसम्बर, 2006 तक 267.75 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी उसमें से 112.58 करोड़ यानि 42 परसेंट राशि ही 31 दिसम्बर, 2006 तक यह खर्च कर पाये। इसका मतलब इनकी जो योजनाएं हैं वह योजनाएं बिलकुल एक तरीके से यूटोपियन और हवाई किले वाली थोथी घोषणाएं हैं ।

अब मैं आपको अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 1979-80 में एक अनुसूचित जाति विशिष्ठ संगठक योजना बनीं, उसके अन्तर्गत राज्य में अनुसूचित जाति की ....

श्री अध्यक्ष: 1979-80 की बात कर रहे हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 1979-80 में बनीं, मेरे पास लिखा

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हुआ है। समाज कल्याण विभाग इसका नोडल विभाग बनाया गया ... (व्यवधान) एस सी, एस टी में अब आया है । मैं उस समय की बात बता रहा हूं। उस समय समाज कल्याण विभाग को बनाया था, अब अलग से विभाग बना है। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको। उसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर हर विभाग में अलग-अलग सीस खुले और उसके लिए काम हो और उनकी जनसंख्या जितनी प्रतिशत है उतनी राशि प्रत्येक विभाग खर्च करे। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं खास तौर से 24 विभागों में यह सीस खोल दिया गया है। 22 विभागों में अभी तक सीस खुला ही नहीं है और 7 में खुलना अपेक्षित है। इसकी डिटेल मैं यदि आपको बताऊं तो खास तौर से माध्यमिक शिक्षा में 1.51 प्रतिशत राशि खर्च हो रही है। विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा में .40 परसेंट, शहरी स्वास्थ्य सेवाओं .0 परसेंट, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में .0 परसेंट, चिकित्सा शिक्षा में .01 परसेंट, लोक स्वास्थ्य में .0 परसेंट, श्रम में .02 परसेंट, रोजगार सेवाएं और कुल मिलाकर 1.01 परसेंट राशि ही खर्च हो रही है जबकि इनकी जनसंख्या कम से कम 16 परसेंट से ज्यादा है तो इस प्रकार समाज कल्याण का स्वयं का जो विभाग है उसमें .0 परसेंट। फसल एवं कृषि फर्म इसमें जरूर 16.9 परसेंट राशि खर्च हुई है लेकिन वानिकी में फिर .0 परसेंट, यह स्थिति इस विशिष्ट संगठन योजना जो अनुसूचित जाति के लिये बनायी गयी थी उसके लिये यह किया गया। मैं कुल मिलाकर आपसे यह कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो योजना किसी जाति विशेष के लिये बनी उसके बारे में भी सरकार सोचती नहीं है और दो बातें इसके आगे और कहना चाहता हूं कि एस.सी., एस.टी. का बैक लॉग दूर करने के लिये राज्य सरकार ने कई बार यहां घोषणाएँ की। शिक्षा मंत्रीजी ने की, अन्य अनेक मंत्रियों ने की। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी अपना रिप्लाई दें तो बतायें कि आपने एस.टी., एस.सी. का जो बैक लॉग है वह विभागवार कितना कम किया?

एक बात मैंने इस सदन में पहले भी उठायी है, मैं आपका ध्यान पुन: आकर्षित करना चाहता हूं। खास तौर से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का कि विशिष्ट स्कूलों में सेंट जेवियर स्कूल, सोफिया, एम.जी.डी. स्कूल और राज्य के अनेक स्कूलों, विद्याश्रम स्कूल में प्रतिवर्ष 1200 विद्यार्थियों को एडमिशन मिलता था और उन एडमिशन के कारण यह लोग आई.ए.एस., आई.पी.एस. और एलाइड सर्विसेज में आते थे। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्ष में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आपने नये विद्यार्थी कितने भर्ती किये और इस योजना को क्यों बंद किया ? इन सब चीजों से यह सिद्ध होता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के खिलाफ काम कर रही है। उनके पक्ष में कोई काम नहीं कर रही है।

अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं राज्य में महंगाई, रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य और कई लोगों ने केन्द्रीय सरकार के बारे में और इनके बारे में कई बाते कहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि वैट जब राजस्थान में लागू हुआ उस वक्त यह तय किया था कि 4 प्रतिशत और 12.50 प्रतिशत मिनिमम और मैक्सिमम सीमा तय की गयी थी। इस सीमा से ज्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिये। हालांकि पैट्रोल और डीजल इससे अलग किये हुए हैं लेकिन फिर भी स्पिरिट यही कहती है कि इन चीजों पर भी इससे ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिये। आज राज्य में 24 परसेंट पैट्रोल के ऊपर टैक्स है, 20 परसेंट डीजल पर टैक्स है और 50 नये पैसे प्रति लीटर सैस लग रहा है जिसके कारण से राजस्थान में माल भाड़ा कितना बढ़ गया है और इसी के कारण से हमारे प्रतिवर्ष महंगाई बढ़ गयी है। सब्जी, दाल, खाने-पीने की चीजें यह सब चीजें पैट्रोल और डीजल के कारण महंगी हुई हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में अब ... (व्यवधान) केन्द्रीय सरकार ने तो दो रुपये लीटर कम कीमत किये अन्तरराष्ट्रीय बाजारों के आधार पर ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): वाह सरकार वाह ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना बढ़ाकर फिर कम किया है सब ... (व्यवधान) एक बार कम कर दें ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। अब आप जब वह कह रहे तो आप क्यों खड़े हो गये ? आप यह कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार थी तब आपने, यही कहना चाह रहे हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो हमारे कांग्रेस शासित प्रदेश थे उनको हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने और हमारे प्रधान मंत्रीजी ने यह निर्देश दिये कि आप पैट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स कम करें और उसी के परिणामस्वरूप हमारे कांग्रेस शासित प्रदेशों में यह टैक्स कम हुआ और मुझे अफसोस है कि राजस्थान में यह चीज नहीं की गयी। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस बात की घोषणा

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करें कि वह डीजल और पैट्रोल के ऊपर जो टैक्स हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा वसूल किया जा रहा है जिसमें सैस भी लगाया गया है इसको ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में जरूर स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, दे देना। आपको मौका मिलेगा। अब आप कृपा करके जब आपको ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): मैं बताऊं आपको कि एन.डी.सी. मीटिंग है स्टेट एम्पावर कमेटी के अन्दर निर्णय लिया गया ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह फिर ... (व्यवधान) स्तर पर बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): और उसमें पंजाब, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने समय नहीं दिया। वह समय दे देते तो यह डीजल के ऊपर जो आप 20 परसेंट की बात कर रहे हो, 20 परसेंट हमने यूनिफार्म जो फ्लोर रेट है उसका वायलेशन हमने नहीं कर रखा। पंजाब और हरियाणा दोनों ने यू.एफ.आर. का वायलेशन कर रखा है इसके लिये हमने टाइम भी मांगा पर पंजाब और हरियाणा की वजह से दोनों स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने समय नहीं दिया, वह समय दे देते तो हमको आज यह दिन नहीं देखना पड़ता।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा तो यहां से कम ले रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सीमेंट कम्पनीज सारा डीजल सी फार्म के ऊपर पड़ोसी राज्यों से मंगा रहा है। और अनेक लोग जो पड़ोसी राज्यों के हैं चाहे गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो वहां पड़ौसी राज्यों से पैट्रोल और डीजल आ रहा है, खुलेआम आ रहा है इसलिये इससे आपकी कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी। आप जब तक नेबरिंग स्टेट के बराबर उसी वस्तु की यदि आपने टैक्स एक समान नहीं रखा तो निश्चित रूप से पड़ौसी राज्यों से लोग चीजें खरीदेंगे। इसलिये मेरा आपके माध्यम से इस सरकार को कहना है कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें ताकि किसान जो डीजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है उसको उसका फायदा मिले और आप यह देखिये कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि इसकी कीमत इतनी है, 24 परसेंट टैक्स

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लगता है। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यद्दा है और उसके बाद फिर सैस और एक लीटर के ऊपर 50 पैसे का सैस तो यह इतना अधिक है इसको कम किया जाना चाहिये। इस पर विचार करना चाहिये ताकि राज्य के आम किसानों और आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं इनको तीन वर्ष चार महीने में आपने कहां आगे बढ़कर हल किया ? मैं सबसे पहले तो आपका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि रावतभाटा एटोमिक पावर प्रोजेक्ट, इसकी तीसरी यूनिट से हमको 250 मेगावाट बिजली हमेशा मिलती रही। इस बिजली को हमेशा के लिये मध्य प्रदेश को दे दिया गया। क्या इससे राजस्थान का नुकसान नहीं होगा ? तीन वर्ष चार महीने में आपने कौनसी नयी बिजली पैदा की लेकिन जो हमारे उससे बिजली आ रही थी उसको आपने मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मध्य प्रदेश को दे दिया, इससे राजस्थान के हितों की उपेक्षा हुई है और राजस्थान का नुकसान हुआ है। दूसरा, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, चम्बल का जो कैचमेंट एरिया है उसमें 151 एनीकट वहां पर बनाये गये। इन 151 एनीकट में बहुत ज्यादा पानी वहां पर हमारा जो गांधीसागर वगैरह से आता है वहां रुक जाता है तो क्या इसके लिये आपने कोई बातचीत की क्या कि इस पानी की बराबर मात्रा को आप आगे जाने से रोकेंगे या इसका क्या उपाय किया है इसके बारे में आप सदन को बताएं। नहीं तो राजस्थान में यह मैसेज जा रहा है कि राजस्थान सरकार इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में बहुत एक तरह से उदासीन है।

अभी पिछले दिनों गुजरात के मुख्य मंत्री यहां पर आए और यह घोषणा की कि मैं जल्दी से जल्दी छह महीने में राजस्थान को नर्बदा का पानी दे दूंगा। आज उस घोषणा को किये हुए एक साल से ऊपर का समय हो गया लेकिन हमको उसका पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। यमुना नदी का जो पानी है वह 1800 क्यूसैक्स पानी जिसमें आपका जिला झुंझुनूं में, चूरू में पानी मिलेगा, इधर भरतपुर में पानी मिलेगा उसके बारे में भी हमको हमारा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में आपने क्या प्रगति की और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के मामले में आपने अब तक क्या प्रगति की इसके बारे में सदन को जरूर अवगत कराना चाहिये।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक डाकूमेंट जो मैं लेकर आया हूं उसको पढ़ना चाहूंगा कि पालिसी एण्ड प्रोग्राम, यह 13 फरवरी, 2007 को वहां पर जारी किया गया जिसमें संयुक्त अकाली दल और बी.जे.पी., इन दोनों का यह संयुक्त पालिसी प्रोग्राम है। इसकी मैं यह लाइनें पढ़कर सुनाना चाहूंगा ''Unfortunately, successive Congress Governments at the Centre and in the State have systematically violated the Riparian Principle, Cap. Amrinder Singh, who had publicly hailed the late Mrs. Indira Gandhi for starting the digging operation of the SYL canal at Kapoori in 1982, has now delivered the biggest blow to state's interest by giving a legal guarantee to the flow of Punjab's River Waters to Haryana and Rajasthan under Clause 5 of the Punjab Termination of Agreements Act. This clause strikes at the very root of the Riparian Principle completely contradicting the Punjab's stand that Haryana and Rajasthan are non-Riparian States, they have no right to have share in Punjab's river waters. The SAD-BJP Government will take political, legal and constitutional steps to redress this grievous wrong done to the people of the State.'' मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और वहां की बी.जे.पी. दोनों ने मिलकर यह कहा है।

पंजाब के मुख्य मंत्री प्रकाश सिंहजी बादल और वहां की बी.जे.पी. दोनों ने मिलकर यह कहा है कि हरियाणा और राजस्थान राइपेरियन स्टेट नहीं हैं इसलिए पंजाब की नदियों का पानी नहीं जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी पढ़ दें। अमरेन्द्र सिंह की फोटो लगा हुआ, सोनिया गांधीजी की फोटो लगा हुआ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी पढ़ दें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह आप देखें, वह काम हमारा नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसके अंदर भी देख लें ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, उसमें कुछ नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसके अंदर भी देख लें ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह काम हमारा नहीं है, वह आप पढ़िये। कुछ आप भी तैयारी करके आया करें ...(व्यवधान) आप लायें वह तो, आप पढ़ें उसको तो जो आपको सूट करता है, वह पढ़ लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह पढ़ने की जरूरत नहीं हैं, वह तो पंजाब की विधान सभा में कैप्टन अमरेन्द्र सिंहजी ने पेश करके जो समझौता हो गया था, उसकी हत्या तो अमरेन्द्र सिंहजी ने वहां कर दी, पढ़ने की क्या जरूरत है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): शिक्षा मंत्रीजी, ऐसे काम नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप लोग बोलने के लायक नहीं हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपकी पंजाब में बी.जे.पी. और अकाली दल ने घोषणा की है कि हम राजस्थान को एक बूंद पानी नहीं देंगे ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): रहा सवाल राजनीति का ...(व्यवधान) तो राजस्थान को पानी मिल गया, उसके बाद में कोई ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने राजस्थान के हितों को गिरवी रखने का काम किया है। आप इसी घोषणा के आधार पर वोट मांगकर के आये हो वहां जाकर के। आप किस मुंह से बोल रहे हो यहां। आप राजस्थान के हितों की रक्षा कर रहे हो कि पंजाब की कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप हमारे मुंह से 1981 के समझौते की बात कहलाना चाहते हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सही कह रहे हैं माननीय बीकानेर से आने वाले सदस्य, यह राजस्थान का चम्बल का पानी मध्यप्रदेश को ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह सदन में किस तरह से अनर्गल बातें कर रहे हैं। इस इश्यु को हम पहले डिसकस कर चुके हैं और इस विषय पर आप और हम कहीं अलग नहीं हैं ...(व्यवधान) आपको भी होना चाहिए ...(व्यवधान) पंजाब ने कोई चीज कर दी

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

है तो उसके विषय में राजस्थान में हम और आप कहीं अलग नहीं बंटे हुए हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जल संसाधन की जब डिमांड थी उस टाइम में इंटरस्टेट समझौते के बारे में मैंने सारी बातें खुलासा की थी। सरकार भी प्रयास कर रही है, बराबर मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रयास किये हैं वह भी आये। अब बार-बार इस इश्यु को लेकर के आप कहना क्या चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। आप जब राज में थे तब तो आपने इंटरस्टेट इश्यु पर कुछ भी नहीं किया ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इस तरह से इंटरवीन करके फिर हम लोगों को ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: खुली छूट है और क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बार-बार कहने से मतलब क्या है?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपका कोई उद्देश्य हो तो बताइये। और आपने कोई तीन की तेरह आपके पांच साल में की हो तो हमको बता दीजिये। जब हर बात हमने खुलासा कर दी तो आज इस बात का औचित्य क्या है, यह बतायें आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, हमारे वक्त में गंगानगर, हनुमानगढ़ कहीं पर आंदोलन नहीं हुए ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आंदोलन होना अलग बात है पर उन काश्तकारों को जाकर के पूछिये कि इन तीन साल में जितने सरसब्ज वह हुए हैं, कितना पानी उनको मिला, आपके पांच साल में आंदोलन नहीं हुए होंगे, यह आप कह सकते हैं लेकिन उजाड़ कितने पांच साल में हुए। आज तीन साल में उतना ही आबाद हुआ वह एरिया ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके वक्त आंदोलन हुए हैं।

एक माननीय सदस्य: क्या बात करते हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बिराजें ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जितना बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है, अब

(श्री सांवर लाल)

जिंदी मक्खी निगलना चाहते हो, बेबुनियाद बात बोलना चाहते हो तो माननीय नेता महोदय, इसका तो इलाज नहीं है मेरे पास।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है, जिस समय अमरेन्द्र सिंहजी ने .6 मिलियन एकड़ फीट पानी कम करने की बात की, इस विधान सभा में पक्ष और विपक्ष ने सारी दीवारों को तोड़कर संकल्प लिया था ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको शायद ध्यान नहीं होगा कि .6 का मामला नहीं था। वह 8.6 पूरा पानी बंद करने की बात थी, पूरा पानी बंद करने की बात थी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तब हमने संकल्प लिया था ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसमें यह कहा कि राजस्थान को जितना पानी मिल रहा है वह मिलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष: यह सारी बातों की सदन में चर्चा हो चुकी है, आ चुकी हैं। इन सबको दोहराने से क्या फायदा है अब? सब बातें आ चुकी हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, पंजाब के मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि राजस्थान का पंजाब के पानी में कोई हक नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह नहर समय पर नहीं बनी, 1962 में चालू होकर के सात साल का जिसका प्रोजेक्ट था और जो समय पर नहीं बनी और उसके कारण राजस्थान को जो घाटा हुआ। जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की थी, इसका पाप जो कांग्रेस ने किया उसके प्रायश्चित्त में यह क्या करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा पानी मिला हो, आपको मालूम नहीं है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो 1962 से शुरू होकर के सात साल में पूरा प्रोजेक्ट तैयार होना था।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब कल्ला साहब, इसके ऊपर तो रोजाना अगर आप बात करना चाहते हो तो अलग बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब दो हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अमरेन्द्र सिंहजी ने कानून बनाया था, बात नहीं की थी ...(व्यवधान) और टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट पास किया था, इसके खिलाफ संकल्प लिया था असेम्बलि में ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह अपराधी है तो कांग्रेस है।

श्री अध्यक्ष: किस-किस की बातें करने लग जायेंगे, छोड़ें यह सब बातें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट के ऊपर एक नया संकल्प आना चाहिए और पूरी विधान सभा को यह कहना चाहिए कि हमारा एक बूंद पानी भी यदि पंजाब ने कम करने की कोशिश की तो पूरा राजस्थान उसका प्रतिशोध करेगा।

श्री अध्यक्ष: कह दिया है ...(व्यवधान) विधान सभा कह चुकी है, रिजोल्युएशन पास हो चुका है ...(व्यवधान) आप लोग बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान) कभी आपके मंत्री खड़े होते हैं, कभी आप, बोल लेने दीजिये उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलें, बोलें आप ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, अभी केन्द्र सरकार के बारे में बहुत बातें कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दस हजार कर दी और यह बात सही भी है कि,

'अमर रहेंगी याद वतन पर मरने-मिटने वालों की,
स्वतंत्रता के खातिर जहर के प्याले पीने वालों की,
जो देश पर कुर्बान है वही तो नौजवान है और
उनके हाथों में आज भारत की शान है।'

आपने क्या किया? आप ढाई हजार रुपये दे रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों को, जब एप्रोप्रिएशन बिल पर रिप्लाई दें तो मैं मुख्य मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कम से कम आप 5-7 हजार रुपये तो आप भी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

दीजिये, नहीं तो यह स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अन्याय होगा, विश्वासघात होगा और आप स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लें नहीं और कभी नेताजी की, कभी महात्मा गांधी की ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कल्ला साहब, आपने कितना दिया था ...(व्यवधान) आपके राज में कितना दिया था?

श्री अध्यक्ष: क्या तकलीफ हो रही है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने तो बढ़ाया है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके राज में कितना दिया था?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कई बार बढ़ाया है हमने।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दिये कितने थे ...(व्यवधान) एक फूटी कौड़ी नहीं दी, हमने दे दिया तो ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप नये आये हो वकील साहब, आपको पता नहीं है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नये हैं तो आपको ध्यान रखना है, नये-पुराने की बात नहीं है। आपने कितना दिया था?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): खुद ने तो कुछ दिया ही नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप अपने मंत्रियों से पूछ लें कि हमने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक सेकण्ड, कल्ला साहब, इसमें हमारी गलती इतनी है कि हम उस समय पैदा नहीं हुए थे। नहीं तो भाग ले लेते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं तो भाग ले लेते।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके नेता तो पैदा हुए थे ...(व्यवधान) किस-किस ने हिस्सा लिया वह बता दें ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): बी.जे.पी. का कोई पैदा हुआ ही नहीं क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): डा. केशवराव बलिराम हेडगेवारजी ने लिया, क्रांतिकारी थे, उसके बाद कांग्रेस के संयुक्त मंत्री रहे, नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और वीर सावरकर ने लिया, उनको दो बार आजन्म की कैद हुई और जिनके नाम लूंगा आप चिढ़ जायेंगे उनके नाम से।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इस हिस्ट्री में मत जायें आप, बिराजें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया, उनके पिता रामाप्रसाद मुखर्जी ने लिया, आशुतोष मुखर्जी ने लिया। किस-किस ने लिया था ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उस समय तो आपकी पार्टी का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था, कांग्रेस के लोगों ने भाग लिया था, यह कहें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): श्यामा प्रसाद मुखर्जीजी ने हिस्सा लिया तब वह कांग्रेस में थे। आप तो आर.एस.एस. के एक आदमी का नाम बतायें जो कि स्वतंत्रता सेनानी हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक व्यक्ति का नाम बता दें जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो।

श्री अध्यक्ष: आप क्यों खड़े हो गये ...(व्यवधान) मुख्य सचेतक महोदय ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इन्होंने 1925 में संघ शुरू किया डा. केशवराव बलिराम हेडगेवारजी ने 1925 में शुरू किया था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आजादी की लड़ाई में नहीं लिया उन्होंने।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह आजादी के प्रेरक थे।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वह सभी आर.एस.एस. के थे ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पैदा ही नहीं हुए थे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): स्वीकार करें स्वीकार ...(व्यवधान) त्रिपोलिया गजट, त्रिपोलिया गजट, वाह, वाह ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दें। आप लोगों ने उनकी बात नहीं मानी।

श्री अध्यक्ष: अब आप फालतू बातें कर रहे हैं, प्लीज बिराजें ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): महात्मा गांधीजी आर.एस.एस. के शिविर में गये थे, जिस समय डा. केशवराव हेडगेवारजी नागपुर में शाखा लगा रहे थे, संघ को देखने गये थे और उन्होंने कहा कि ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, विरोध करने गये थे, देखने नहीं गये थे। ऐसे तो हम भी जाते हैं कि क्या-क्या कर रहे हैं वह देखने के लिए।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): संघ की शाखा का विरोध करने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी। वह तो संघ की शाखा की उन्होंने प्रशंसा की है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): महात्मा गांधीजी ने यह कहा कि ऐसे अनुशासित लोग मेरे पास हों तो मैं देश को बहुत जल्दी स्वतंत्र करा सकता हूं और ऐसे निकम्मे लोग मेरे साथ में हैं कि जिससे नहीं हुआ, यह कहा उन्होंने ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के अध्यक्ष यहां आये हुए हैं ...(व्यवधान) इन्हें मालूम नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी बैठी हुई हैं। क्या जरूरत है कल्ला साहब बोल रहे हैं, पार्टी के इनके अध्यक्ष आयें, मुख्य मंत्रीजी बैठी हुई हैं ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): कम से कम असत्य बात तो नहीं करें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कई जगह बन रही है ...(व्यवधान) कल्ला साहब को बोलने दें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): असत्य बयान तो नहीं करें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी परफोर्मेंसय से राजेन्द्र राठौड़ साहब आपके नम्बर नहीं बढ़ेंगे। वह जानते हैं आपको अच्छी तरह से, इसलिए क्यों बेकार कोशिश कर रहे हैं? आप बेकार कोशिश मत करें वह जानते हैं, मुख्य मंत्रीजी बैठी हुई हैं सदन को बहस करने दें। क्या मतलब है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. को यह तरीका रहा है कि इनकी सरकार जब भी आती है तो बजट में करारोपण की जगह बजट से पहले, आगे-पीछे टैक्स लगाते हैं, आज तक राजस्थान में 950 करोड़ रुपये के कर लग गये। बिक्री कर पर, वैट आजकल जिसको बोल रहे हैं, 1500 करोड़ रुपये और इन्होंने अलग-अलग समय में वृद्वि कर दी। रजिस्ट्रेशन शुल्क, डीएलसी की रेट हर साल बढ़ जाती है उससे उसमें बढ़ोत्तरी की और अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के लोगों पर भारी करारोपण किया है जिसकी मैं निन्दा करता हूं। मैं मेरी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी-अभी बजट से पहले सरकार ने भूमि कर लगाया है। पहले तो राजस्थान में उद्योग बीमार थे, अब खानों के बीमार होने का मामला आ रहा है। इसके ऊपर दो रुपये, चार रुपये और सौ रुपये दर तक टैक्स लिया है, मैं समझता हूं कि आने वाला समय ही यह बतायेगा। हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड कम्पनी के लोग मिले थे उन्होंने कहा कि हमारे लिये टैक्स देना मुश्किल है, तो जो एक हैक्टेयर या दो हैक्टेयर के मालिक हैं वह कैसे टैक्स देंगे? मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जिनमें सरकार बजट के पहले टैक्स लगाकर किस तरह से अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है पिछले दरवाजे से, इसका भी मैं आपको उदाहरण देता हूं। उसका आप देखिए कि अकाल और बाढ़ जब राजस्थान में आई उस समय भी राज्य सरकार को आगे बढ़कर काम करना चाहिए था, आज भी राजस्थान में एक पशु सेवा शिविर काम नहीं कर रहा है, चारा डिपो बहुत कम मात्रा में काम कर रहे हैं और टेस्ट वर्क के अलावा कोई खास काम चालू नहीं हुए कि उसके अंतर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके अलावा पशु आहार में पिछले तीन वर्षों में कोई छूट नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, आपको पकड़ाना चाहिए उन्हें पर्ची या आप उन्हें पर्ची पकड़ा रहे हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई पाइंट रह जाता है तो हमारे नेता को पूरा अधिकार है। हर अकाल में पशु आहार में छूट दी जाती रही है लेकिन पिछले तीन वर्षों में कोई छूट नहीं दी गई, यह देनी चाहिए। इससे लगता है कि किसानों के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है अथवा नहीं है।

अब भारत सरकार के बारे में बहुत बातें कही गई। भारत सरकार ने क्या किया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने स्टेट्स का इतना फायदा किया कि भारत निर्माण योजना लागू की है, इस भारत निर्माण योजना में 65 हजार गांवों में बिजली, 65 हजार गांवों में पेयजल, 1 करोड़ हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा और 5 लाख बेघर लोगों को प्रतिवर्ष मकान देने का कार्यक्रम, इसके अलावा 500 की आबादी के जो गांव हैं उनको सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम, इसके अलावा 70 हजार गांवों के टेलीफोन कनेक्शन, सर्व शिक्षा अभियान में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसमें राजस्थान में भी पहले 41 हजार और अब 35 हजार जितने भी लोग भर रहे हैं, यह सब सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र के बजट के अनुसार काम किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के पहले 6 जिले थे अब 6 जिले और ले लिए, 12 जिले हैं, इन 12 जिलों को कितना मिलेगा, 200 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए की राशि इन योजना में प्रत्येक जिले को मिलेगी तो 12 जिलों में तो 500 से लेकर 3000 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहां आपको करना क्या है। आप ताज्जुब करेंगे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, यहां पर पिछले वर्ष अकाल पड़ा हुआ था लेकिन इन जिलों में अकाल राहत का एक भी काम नहीं खोला। इस साल भी सरकार ने कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोले हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार ने निवेदन है कि इन जिलों में अकाल राहत के काम शुरू किए जाने चाहिए। इनको एक तरीके से न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है, इसका कारण है कि बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स, उसमें प्रोविजन की आवश्यकता है। हमारे यहां पर दूसरे राज्यों, दक्षिणी राज्यों में टास्क बहुत कम है, हमारे यहां टास्क ज्यादा है जिसके कारण से मजदूरों को पैसा कम मिलता है, इस टास्क को बदलने की आवश्यकता है और केन्द्र से मिलने वाली राशि को अधिक से अधिक गरीब आदमी फायदा उठा सके इसके लिए सरकार को प्रयत्न करने चाहिए। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी होती है तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। आज कानून और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

व्यवस्था की स्थिति क्या है? जयपुर में यदि कोई निकल जाए महिला तो वह वापस घर में अपनी चैन सुरक्षित लेकर नहीं पहुंच सकती। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: समय बढ़ाना आवश्यक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप जितना विद्वान नहीं हूं, आप लाल कोठी गए उतना विद्वान नहीं हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): ऐसा है मैं तो पूरे राजस्थान में गया हूं, मेरे पग की होड़ भी आप नहीं कर सकते।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 एवं

राजस्थान वित्त विधेयक, 2007

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति बिलकुल खराब है। गृह मंत्रीजी आप मुझे करेक्ट कर दें, पाली से आने वाले माननीय सदस्य की इसी विधायक नगर, ज्योति नगर में पहले रहते थे, अब इन्होंने दूसरी जगह बदल ली है, वहां पर इनकी नई स्कोर्पियो कार गायब हो गई। पता नहीं मिली कि नहीं मिली, 6 महीने तक तो नहीं मिली थी और अब यदि मिल गई हो तो गृह मंत्रीजी आप बता दें कि एम एल ए की गाड़ी खो जाए वह नहीं मिले तो आप समझ लो कि आम आदमी की राजस्थान में क्या स्थिति है।

महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है और रिकार्ड तोड़ा है सरकार ने गोली चलाने का, राजस्थान में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

11 बार गोली चली है और लगभग 19 आदमी मारे गए हैं, 23 स्थानों पर लाठी चार्ज हुआ है और कन्या भ्रूण हत्या में राजस्थान ने एक रिकार्ड बनाया है, मैं समझता हूं कि इस रिकार्ड को कम करना चाहिए। कोई थाने पर रिपोर्ट लिखवाने जाए और रिपोर्ट नहीं लिखी जाए, कल ही एक्स गृह राज्य मंत्रीजी, को रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में तीन घण्टे तक बैठना पड़ा। कभी आपको भी एक्स एम एल ए बनना पड़ सकता है। क्या यह स्थिति अच्छी है कि राज्य का गृह राज्य मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, उसकी तीन-तीन घण्टे तक थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाए, मैं समझता हूं कि इससे बदतर स्थिति कोई हो नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष: कौन रहा हुआ है गृह मंत्री?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अपने गृह राज्य मंत्री रहे थे लक्ष्मणसिंहजी रावत। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में नहीं टोकेंगे और बीच में नहीं बोलेंगे आप। (व्यवधान) यह तो पारिवारिक झगड़ा है, इसको नहीं मेंशन करो तो उचित रहेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। अब आप औद्योगीकरण की बात करो, औद्योगीकरण में मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी बताएं कि 3 साल और 4 महीने में...

श्री अध्यक्ष: आपने 3 बजकर 37 मिनट पर शुरू किया था और अब 4 बजकर 56 मिनट हो रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आधा घण्टा माइनस कर लो व्यवधान का। जिस स्थिति में मेरे नेता ने मुझे बोलने का मौका दिया है उसमें कोई समय की पाबन्दी नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष: आप तो यह बता दें कि आप कितना समय और लेंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप कहो जितना ले लूं।

श्री अध्यक्ष: कहो जितना? (व्यवधान) ऐसा तो नहीं, कुछ तो सीमित करना पड़ेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं रिलेटेड बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आज का पूरा का पूरा समय कांग्रेस पार्टी ने ही लिया है, एक केवल उधर से बोले हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): दो-दो।

श्री अध्यक्ष: दो बोल लिए तो आप कितने बोले हैं, इधर वाले कितने बोले हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमारा दूसरा ही बोल रहा है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बोलने का हक तो हमको दो, राज तो ये कर रहे हैं लोकतंत्र में।

श्री अध्यक्ष: बोलने का हक है इसीलिए तो कहती हूं कि दस मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रिपीटीशन न करें नेता महोदय कम से कम यह तो आप ध्यान रखें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कौनसा रिपीटीशन किया, कितने बार रिपीटीशन किया?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): चार-चार बार बोल रहे हैं वही बात, घुमा रहे हो आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप जो आज बोल हैं दो साल पहले भी यही बोले हैं।

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, कितनी ही बार बोले, बीच में न टोकें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इनकी मित्रता है कल्ला साहब से।

श्री अध्यक्ष: तो मित्रता यहां दिखाई जाएगी क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अरबन एरिया के डवलपमेंट के लिए आर यू आई डी पी योजना शुरू हुई। इस योजना में 60 करोड़ रुपए की राशि मेडिकल कालेजेज के डवलपमेंट के लिए रखी गई थी, उसमें सवाई मानसिंह हास्पिटल, जयपुर और उससे सम्बद्ध मेडिकल कालेज और पी बी एम हास्पिटल, बीकानेर, अजमेर मेडिकल कालेज, कोटा मेडिकल कालेज और सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर जो मेडिकल कालेज थे उसके लिए राशि रखी गई, इससे उन कॉलेजेज का डवलपमेंट होगा, हास्पिटल का डवलपमेंट होता है लेकिन उस राशि को हमारे राज में जो राशि खर्च हो गई वह तो हो गई बाकी पूरी की पूरी राशि एक तरीके से अन्य बजट में डाल दी गई।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कच्ची बस्तियों के लिए यह स्कीम बनी थी, मैं जानना चाहता हूं कि कच्ची बस्तियों का कितना उत्थान किया गया, आपने गरीब लोगों का कितना उत्थान किया गया, कच्ची बस्तियों का नियमन कितना किया, स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्टे आपने कितने दिए, इन सब चीजों से पता लगेगा कि सरकार की मंशा डाउन ट्रोडन पीपल को ऊपर उठाने की है या नहीं है। न ही उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम लेने की इनकी कोई मंशा है। इसके अलावा सड़कों के लिए जो पैसा रखा गया था उसका क्या किया? एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में कई स्थान हैं जिसमें हमारे बीकानेर का रेलवे स्टेशन बाइपास का मामला था, इस रेलवे बाइपास के लिए जमीन एक्वायर कर ली गई। इसके लिए 61 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। आज वह योजना खटाई में पड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इन योजना का पैसा आखिर सरकार ने कहां खर्च किया, इस योजना का पैसा निश्चित रूप से जिस स्पेसीफिक कॉज के लिए वह योजना बनी थी उनका पैसा पूरे राजस्थान में उसी के अनुरूप खर्च किया जाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): कल्ला साहब, आप तो उस वक्त पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर थे, उस वक्त रूरल एरिया का पैसा आपने अरबन एरिया में अपनी कांस्टीट्यूएंसी में खर्च किया था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक पैसा भी खर्च नहीं किया मैंने।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आपने लगाया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप ऐसे ही धूल में लट्ठ मार रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप बीकानेर के रेलवे बाइपास की बात कर रहे हैं, रेलवे मंत्रालय ने क्या कहा है?

श्री अध्यक्ष: मंत्री लोगों को इस प्रकार बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब आप बीच में बोल रहे हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप ऐसा करो कि जो एम ओ यू भेजा है उस पर दस्तखत कर दो तो मैं दस्तखत करवा दूंगा, मैं रेल मंत्रीजी से मिलकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष: आप जितना बीच में बोलेंगे यह और टाइम लेंगे।

(समय : 17.00 बजे)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, अब आपके सामने मैं एक बहुत ही वेलिड प्रश्न उठा रहा हूं ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले वेलिड नहीं था क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): भ्रष्टाचार के मामले में 90 बी की कार्यवाही, आबकारी का मामला और इसी प्रकार से कोयला की खरीद, अनेक मामले यहां पर उठे। क्या लोकायुक्त का आफिस जरूरी नहीं है इन चीजों के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी को भी शिकायत हो वह जाकर लोकायुक्त कार्यालय में उस भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष चार महीने हो गये इस राज्य में लोकायुक्त का आफिस खाली पडा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वे स्पष्ट घोषणा करें कि वे लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगी या नहीं करेंगी और करेंगी तो कब तक करेंगी? इतने लम्बे समय तक किसी भी स्टेट में लोकायुक्त का पद खाली नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रही है और जान-बूझकर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही है और लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने का मतलब है न तो मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और न ही कोई बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इसलिए जरूरी है कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। इनकी तो बदनामी हो रही है, लोग मानते हैं कि राजस्थान में 90 बी की कार्यवाही होती है उसमें भ्रष्टाचार का खुला विण्डो खुला हुआ है। इसी प्रकार से आबकारी विभाग में खुला विण्डो खुला हुआ है और हर मामले में जो ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा कोई इंस्टांस दीजिए, ऐसे थोड़े ही बोलेंगे आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 90 बी की कार्यवाही का बोल रहा हूं, उसमें खुलेआम चर्चा है कि पांच लाख रुपये बीघा दिया जा रहा है, खुले आम लिया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप फिर कहेंगे मुझे टोक रहे हैं ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इंस्टांस तो दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये स्पेसिफिक चार्ज लगाएं अगर लगाएं तो। कल्पनाओं के आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि भूमि का जो रूपान्तरण हो रहा है इसकी सीबीआई से जांच करवा लो आप। सीबीआई से इनकी पूरी जांच करा लें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, कल इन्होंने जो आरोप लगाया .. (व्यवधान) कल नगरीय विकास की मांग के मामले में मैंने हर चीज का जवाब दिया है, इस तरह से मनगढ़ंत आरोप मत लगाओ। कल्ला साहब, अगर कोई स्पेसिफिक बात है तो बताइए जो बोलो वह करने को तैयार हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं स्पेसिफिक ही बता रहा हूं कि 90 बी का कन्वर्जन है जो भ्रष्टाचार के अंदर होता है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, अंदाजा मत लगाओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 90 बी के कन्वर्जन में उनको 4 से 5 लाख रुपये देने पड़ते हैं तब होता है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप यहां जो बोल रहे हो रुपये लेकर बोल रहे हो, मैं भी कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: ऐसे नहीं चलेगा काम।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बोलो, वह तो मेरे को भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। मैं इस प्रदेश का अनेक साल तक मंत्री रहा हूं, मैं तो रोज की फाइलें रोज निकाल देता था।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आपके जमाने में पैसा लेकर तबादले कराने आते थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप लोग, दम है तो भ्रष्टाचार का मामला निकालकर बता दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): .. (व्यवधान) आपके भाई की याद है क्या आपको ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसे कोई बोलने से नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: आप कोई पर्टीकुलर इंस्टांस हो, आपके पास प्रूफ हो तो बताएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं कह रहा हूं 90 बी के तमाम मामलों की आप जांच करवा लें सीबीआई से।

श्री अध्यक्ष: काहे की जांच करवा लें?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 90 बी के कन्वर्जन के मामलों की।

श्री अध्यक्ष: सभी मामलों की?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तभी पता लगेगा। दूसरी बात और बताता हूं स्पोर्टस सिटी को, जलमहल की जमीन को और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के माध्यम से जमीनें दी गई हैं। ये कैसे दी गईं, किस आधार पर दी गईं, वन विभाग की जमीनें हैं उन जमीनों को दे दिया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, जिसमें एस.एन. गुप्ताजी वगैरह मेम्बर हैं उसकी इन लोगों को जो जमीन दी जा रही है, अब दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट को जमीन दी गई, उसको सरकार को वापस लेना पडा। जो जमीनों के घोटाले हो रहे हैं इन घोटालों की जांच कौन करेगा? लोकायुक्त का कार्यालय ही कर सकता है। इसलिए लोकायुक्त का कार्यालय बनना चाहिए ताकि सब मामलों को वहां पर रखा जाए।

मैंने सेज के मामले में भी बात बताई थी। इन मामलों में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आईं। कहां जाकर शिकायत करें? आज कोई लोकायुक्त का ऑफिस हो तो हम जाकर डोकुमेंट दे दें और हम ऑन ओथ जाकर उनको रिकार्ड दे दें। इसलिए मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति की घोषणा करनी चाहिए।

मानवाधिकार आयोग में एक पद खाली पडा हुआ है लम्बे समय से, उसको नहीं भरा जा रहा है। इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजसमन्द का रायल्टी का ठेका हुआ। उसकी पहले 63 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस रखी गई। एक भी टेण्डर नहीं आया। उसके बाद उसकी रिजर्व प्राइस 60 करोड़ की गई और 60 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस के बाद में अब 58.21 करोड़ रुपये की संविदा आई। आरक्षित दर से कम में कभी भी कोई भी संविदा नहीं दी जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इसको भी यदि आरक्षित दर से कम दर पर दिया जाएगा तो यह भी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का मामला होगा। मुझे लेटेस्ट जानकारी नहीं है कि उसमें क्या किया गया है?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): कल्ला साहब, आपको चुनौती देता हूं अगर इस मामले में भ्रष्टाचार ऑन राइटिंग लिखकर आप दे दें अगर इसको भ्रष्टाचार में आप कर दें तो जैसा कहें करने के लिए तैयार हैं। मात्र आपके भाषण और आरोप लगाने से नहीं होता, भ्रष्टाचार को प्रूव करना पड़ता है। Burden lies upon you.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): विराजें। मुझे तो मंत्रीजी, यह बता दें कि आरक्षित दर से कम दर पर कोई कांट्रेक्ट दिया जाता है क्या?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): भ्रष्टाचार की बात की तो आप सबूत पेश करें। कभी सेज की बात करते हैं, कभी 90 बी की बात करते हैं। आप प्रूव करें किस मामले में भ्रष्टाचार है। सभी मामलों में भ्रष्टाचार है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यहां अटैची भरकर ..(व्यवधान)..

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ..(व्यवधान) से लगाकर बोफोर्स काण्ड तक कौन से भ्रष्टाचार नहीं हुए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): कल्ला साहब, आप पीसीसी के चीफ हैं इस तरह असत्य आरोप लगाये तो पूरी कांग्रेस को ले डूबोगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, कल अटैची भरकर ये सारे सदन में पेश किये थे और एक-एक पाइंटेड इश्यूवाइज चार्ज लगाये थे तब कहां गयी थी आपकी सरकार की जवाबदेही? कहां गई थी जवाबदेही आपकी?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है कि आप बोल नहीं सकते। जब तक अध्यक्ष महोदय व्यवस्था नहीं दें तब तक उसके बारे में नहीं बोल सकते आप। कल ही निर्णय हो गया था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी ने खुद ने स्वीकार किया है। आप क्या बात कर रहे हो?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कल ही व्यवस्था दे दी थी ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, अगर इस सरकार का दामन साफ है और मुख्य मंत्रीजी यह इरादा रखती हैं कि वह स्वच्छ शासन देंगी राजस्थान की जनता को तो कार्यवाही करें उन आरोपों के ऊपर।

श्री अध्यक्ष: देंगे तो करेंगी ना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय वन मंत्रीजी, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो आरोप नहीं लगाया, यह कहा है कि रिजर्व प्राइस से कम पर कभी नहीं दिया जाता है। 60 करोड़ रुपये उसकी रिजर्व प्राइस है, अगर उससे कम में दिया जाता है तो कोई बात होगी। अभी दिया

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं गया है। तो उसको आप दिखवा लीजिए, इसमें नाराज होने की क्या बात है?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय सदस्य, क्या हो गया? इसमें भ्रष्टाचार क्या हुआ? यह कंफर्म हो गया क्या? ये बताने के लिए तैयार हैं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): रिजर्व प्राइस से कम में देंगे तो है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आप यह बताओ कि यह कंफर्म हो गया क्या रिजर्व प्राइस से नीचे है? बताएं आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ कहा है कि रिजर्व प्राइस से कम होगा तो उसमें भ्रष्टाचार होगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): रिजर्व प्राइस से नीचे हो गया, क्या कंफर्म किया क्या? ऊटपटांग कहते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरे पास जानकारी नहीं है यह फाइनल हुआ या नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके पास जानकारी नहीं है तो सदन में आरोप कैसे लगा दिया? बिना जानकारी के कैसे बात कर रहे हो? (व्यवधान) बिना जानकारी के आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) ये कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं हुआ ..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ये सदन में क्यों गलत वक्तव्य दे रहे हैं? पूरी जानकारी नहीं है तो सदन में काहे को बोलते हो? पूरी जानकारी लेकर आओ ना। उधर भ्रष्टाचार हो गया, उधर भ्रष्टाचार हो गया .. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने इण्डिया हैरिटेज फाउण्डेशन का नहीं निकाला? उनको 150 एकड़ जमीन का आपने डिमाण्ड नोट नहीं निकाला?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): खाली बोलने से भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा। तथ्यात्मक बात करो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या भाव की डीएलसी है यह तो बताओ। अब क्या डीएलसी रेट है बताइये आप। जेडीए की आरक्षित दर क्या है बताओ आप। एक आरोप का जवाब नहीं है और खड़े हो रहे हैं ..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): गलतबयानी करते हैं, आपके पास कोई तथ्य नहीं हैं और आरोप लगा रहे हो। एक वरिष्ठ सदस्य के नाते कम से कम सोचना चाहिए भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तथ्य तो हैं नहीं, जानकारी है नहीं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पहले अपने गिरहबान में झांककर देखें।

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था केटल बेस इकोनोमी पर आधारित है और केटल बेस इकोनोमी के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की राठी नस्ल की गायों के लिए, थारपारकर के लिए, कांकरेज के डवलपमेंट का क्या काम किया? हमारे यहां भेड़ की नस्ल कमजोर हो रही है, हमारे यहां गायों की नस्लें कमजोर हो रही हैं, क्रोस ब्रीड हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। तो हम अपनी देशी नस्लों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या काम कर रहे हैं?

कल आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया उसमें एक आर्टिस्ट ने माण्ड राग को भाण्ड राग कहा। मैं समझता हूं कि यह तो बहुत बुरी बात है। क्या हम राजस्थान का स्थापना दिवस इसलिए मना रहे हैं कि राजस्थान की माण्ड राग जिसमें अल्लाह जिलाई बाई को पदमश्री प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया था, केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देश। उसको एक आदमी आकर भाण्ड कह गया। मैं समझता हूं कि उनको राजस्थान की कला और संस्कृति का ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्लाजी, आप तो जरा राग में सुना दो, केसरिया बालम वाला। अल्लाह जिलाई बाई तो बीकानेर की थी। आपके वहां की थी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह मंच नहीं है और न मैं कोई गायक हूं, लेकिन केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देश, इसमें अल्लाह जिलाई बाई को माण्ड राग में राष्ट्रपतिजी ने पुरस्कृत किया। कल एक कलाकार आकर उसको भाण्ड राग कह गया। राजस्थान दिवस हम मनाते हैं तो राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य इन सब को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं और यह भी कहा गया है कि ''संगीत, साहित्य कलाविहीना, साक्षात पशु पुच्छविषाण हीना।''

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

संगीत, साहित्य और कला के बिना व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान होता है। राजस्थान के लोग कला प्रेमी हैं और इनका आर्ट और कल्चर में विश्वास है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम राजस्थान दिवस मनाएं तो राजस्थान के कलाकारों को, फोक आर्टिस्टों को लेकर संगीत ... ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें। ...(व्यवधान) बैठ जाएं, आप कृपा करके ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): लेकिन इस प्रकार से अगर कोई कहे कि भाण्ड बना देते हैं तो अध्यक्ष महोदय, हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: क्या करेंगे आप, नहीं बरदाश्त करेंगे तो ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): बोलेंगे, हम यहां पर खिलाफत करेंगे और मतलब मुंह फोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: क्यों बोलेंगे आप ? यहां पर नियमों से बोला जाता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): उसका मुंह फोड़ेंगे जो भाण्ड बता रहा है। क्या करेंगे आप?

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान दिवस में उन कलाकारों को आगे प्रोत्साहन देना चाहिए जो राजस्थान के लंगा हैं, मांगणियार है और कुछ कार्यक्रम हुए भी हैं। लेकिन यह फिल्मी एक्टरों के जो कार्यक्रम कराये जाते हैं, इससे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की कला और संस्कृति, इसमें बैन करना चाहिए कि राजस्थान की लोक संस्कृति को ही प्रोत्साहन करने वाले कार्यक्रम कराए जाएंगे। राजस्थान का कत्थक है, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, उसको कराइए, राजस्थान का लोक संगीत, लोक वादन, ये सारी चीजें करानी चाहिए। (व्यवधान) क्या हो रहा है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आज हो रहा है राजस्थान का कत्थक है आज, अपन चलेंगे दोनों। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप कितने ही बोलो, जितना मुझे बोलना है वह तो मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप जितना टोकेंगे, वह उतना ही समय लेंगे इसलिए मेरा आप सब से निवेदन है कि आप उन्हें टोकें नहीं ताकि वह समाप्त कर दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे कहता हूं, इन्होंने एक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कहा था हम 10 हजार तक के कर्जे माफ करेंगे किसानों के, 10 पैसे का कर्जा माफ नहीं किया। साढ़े चार सौ करोड़ की लागत से किसान कल्याण कोष बनाने की बात कही थी उसके लिए क्या साढ़े चार सौ करोड़ का प्रावधान कर दिया, क्या आपने 250 करोड़ की लागत से प्राकृतिक आपदा कोष बना दिया ? इसी तरीके से इन्होंने उस घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम वेटेरिनरी कालेज खोलेंगे अपने हर डिवीजनल हैड क्वार्टर्स के ऊपर, हमारे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कई बार नाथद्वारा में मांग करते हैं और वहां पर नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड भी पैसा लगा सकता है लेकिन वेटरिनरी कालेज वहां पर भी नहीं खोला। एक इन्होंने कहीं खोलने की घोषणा की है लेकिन अब आप कह रहे हो कि हम पांच वर्ष की एक साथ घोषणा करेंगे, धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आप 6 डिवीजनल हैडक्वार्टर्स में अब एक साल और आठ महीने में क्या क्या काम करेंगे। आपने कहा था तहसील मुख्यालयों के ऊपर हम महिला कालेज खोलेंगे। अब जो आपने बजट पेश किया है और जिस एप्रोप्रिएशन के माध्यम से आप पैसा ले रहे हैं, वहां प्राइवेट कालेज खोलने की बात कर रहे हैं तो कुल मिला कर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार न तो इन वादों को पूरा कर सकी और अनेक वायदे मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि जिन वायदों के ऊपर इन्होंने अभी तक काम करना ही शुरू नहीं किया है इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह एप्रोप्रिएशन बिल गांव गरीब और किसान के ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हो, अध्यक्ष भी रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी बेस्ट परफारमेंस है।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, इस एप्रोप्रिएशन बिल से जो राशि ली जा रही है वह ज्यादातर ब्याज भुगतान के लिए और नॉन डवलपमेंटल खर्चों के लिए की जा रही है। इस सरकार के आने के बाद फिजूलखर्ची बढ़ी है, सरकार के आने के बाद गांव, गरीब और किसान का अहित हुआ है, आदिवासियों का, अनुसूचित जाति के लोगों का अहित हुआ है और महिलाओं का अहित हुआ है। इसलिए मैं इस विनियोग विधेयक का

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पुरजोर विरोध करता हूं, वित्त विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हवाई घोषणाएं नहीं करके सरकार जमीनी स्तर पर काम करे ताकि आने वाले समय में राजस्थान का आर्थिक विकास हो सके। और अन्तरराज्यीय विवादों को हल करने के लिए कम से कम एक अच्छे पुराने हाई कोर्ट के जज को, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को और एक अच्छे वकील को मिला कर एक कमेटी बनाई जाए जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट पर नजर रखे और राजस्थान के हितों के ऊपर अच्छे तरीके से देख सके नहीं तो तीन साल और 4 महीने में आपने किसानों के हितों और राज्य के हितों की उपेक्षा की है इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनिया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा होगी, फिर इसके बाद मुख्य मंत्रीजी बोलेंगी। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं भी मेरे दल का नेता हूं, इनसे पूछ लो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपका दल तो बीच में है, न इधर है न उधर है। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी के हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट का समय लेंगे। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पार्टी का नेता हो ...(व्यवधान) क्या मतलब है यह?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबंध की चर्चा हो रही है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इनको बुलवाना था तो बुलवा लेते, यह तो बहुत गलत है, हम आसन की व्यवस्था पर कुछ नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप इतने लम्बे समय तक पार्लियामेंटेरियन हैं, यह गलत परम्परा हो जाएगी। (व्यवधान) उसके बाद अब मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे।...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अगर इतनी पीड़ा है तो मैं आसन का अपमान नहीं होने दूंगा और आपके नहीं जंचती है तो मैं बैठ जाता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 8 बजे तक चलाओ न फिर ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सीपी जोशीजी, वह बैठ गये, अब मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि राजस्थान पुलिस बिल जो प्रक्रिया से मुझे रखना चाहिए उसमें मेरे को विलम्ब हो गया लेकिन चूंकि आज इस महीने की यह अन्तिम बैठक है और इसमें कुछ कानूनी अड़चने हैं इसलिए मैं इस सदन के सब सदस्यों से क्षमा प्रार्थी हूं कि जिस प्रक्रिया से मुझे आपको इसकी सूचना और बिल आपके पास भेजना चाहिए वह मैं नहीं भेज पाया हूं इसलिए मैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो पुर:स्थापन की आज्ञा ले ली क्या आपने ?

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रशेखर बैद वित्त विधेयक को जनमत जानने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि 1861 में इस कानून को हम बदल रहे हैं और राजस्थान पहला राज्य है हिन्दुस्तान में जो इस प्रकार से अपना नया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक्ट लेकर के आ रहा है, इसको और अच्छा परफेक्ट बने, इसमें कहीं कोई कमी खामी न रहे इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको सलेक्ट कमेटी को, प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए ताकि इसमें और सभी माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रख कर ...(व्यवधान) नामों की बाद में आपकी सहमति से।

श्री अध्यक्ष: नहीं, क्या सदन की अनुमति है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया। नामों की सूचना बाद में दे दी जाएगी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2007 एवं राजस्थान वित्त विधेयक, 2007

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने नाम पुकारा था रामप्रताप कासनियाजी का फिर बात हुई चूंकि कल्ला साहब बोल लिये।

श्री अध्यक्ष: रामप्रतापजी कासनिया ने कहा कि यदि सब लोगों को एतराज है तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए प्रस्ताव उनकी पार्टी के नेता बोल लिए उसके बाद फिर हमारे भी।

श्री अध्यक्ष: कौन नेता, कौन बोलेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्लाजी के बोलने के बाद वह बोल रहे हैं फिर हमारे भी दो तीन सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जनमत जानने का कह रहे हैं न अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो प्रस्ताव वापस ले लें, साहब।

श्री अध्यक्ष: जनमत जानने का करेंगे न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वापस ले लें, क्या बात है इसमें ?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): संशोधन है यह तो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनको बोलने दिया जाता है, मैं भी अपने दल का नेता हूं। (व्यवधान) वह विदड्रा थोड़े ही कर सकते हो आप?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा था कि आसन पर आरोप लग रहे थे, तब मैंने कहा आपको एतराज है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष: वित्त विधेयक नहीं हुआ है तो वित्त विधेयक को जनमत जानने के लिए है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्रीजी का भाषण करा दें, फाइनेंस बिल पर अमेंडमेंट बाद में हो जाए, फिर पास हो जाएगा। दोनों स्टेज हैं। एप्रोप्रियेशन बिल एण्ड फाइनेंस बिल, माननीय मुख्य मंत्रीजी भाषण दे दें, फाइनेंस बिल पर बोल लेंगे। (व्यवधान) फिर फाइनेंस बिल पास कर देना। That is the only way.

श्री अध्यक्ष: दोनों बिल साथ पेश किये हैं। वित्त विधेयक को जनमत जानने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव रख रखा है तो बोलेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो हमने ही की है कि दोनों बिल साथ रहेंगे। यह हमारी व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के अन्तर्गत कह रहे हैं कि माननीय कल्ला साहब के बाद मुख्य मंत्रीजी बोल लें, मुख्य मंत्रीजी बोल लेंगे। रिप्लाई के बाद फाइनेंस बिल पर दो मिनट ये बोल लेंगे फिर फाइनेंस बिल पास करा दीजिये। (व्यवधान) दो स्टेज हैं। आप दोनों बिल तो साथ पास नहीं करेंगे, दो अलग-अलग बिल पास करेंगे। लेट द मुख्य मंत्री रिप्लाई आन एप्रोप्रियेशन बिल और उसके बाद फाइनेंस बिल का कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: साथ ही पेश किये हैं, साथ ही विचार हो रहा है, दोनों का साथ ही मुख्य मंत्रीजी जवाब भी देंगी। दोनों साथ ही तो पेश किये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर हमारी तरफ से भी बुलवाओ।

श्री अध्यक्ष: आपको बुलाओ, आपका कोई जनमत जानने का हो तो बुलवा दूंगी, क्या दिक्कत है? (व्यवधान) जनमत जानने का यदि किसी ने अमेंडमेंट दिया होगा तो बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर पारण की स्टेज पर हमारे लोग भी बोलेंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान.... (व्यवधान) पांच ही मिनट बोलना है साहब।

श्री अध्यक्ष: क्या बात है मेरी समझ में नहीं आ रही। यह सदन आसन की ओर से चलेगा या आप लोग स्वयं चलायेंगे? जब दोनों को साथ विचारार्थ लिया है तो जनमत जानने का उनका अमेंडमेंट है उस पर बोल रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, दोनों बिल एक साथ नहीं अलग-अलग पास करेंगे। आप दोनों को अलग-अलग पास करेंगे या एक साथ पास करेंगे? आपको दो बार बोलना पड़ेगा। एप्रोप्रियेशन बिल को अलग बोलना पड़ेगा, फाइनेंस बिल को अलग बोलना पड़ेगा। तो एप्रोप्रियेशन बिल पर रिप्लाई हो जाए फिर..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दोनों बिल साथ रखे गये हैं, दोनों साथ ही चल रहे हैं। साथ ही रखे गये हैं, साथ ही जवाब देंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अलग-अलग पास नहीं कर सकते हो, आप सेक्रोसेंक्ट बातें कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वो प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वापस लेना चाहते हैं तो ले लीजिये, मुझे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिये। (व्यवधान) तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, या तो आप इसे प्रस्तुत नहीं करें या आप प्रस्तुत करके कह दें कि वापस ले रहा हूं, दोनों में एक बात है। आप जवाब दें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर आज चर्चा यहां हुई है और इसके पहले बजट के ऊपर चर्चा, डिमांड्स पर, ग्रांट्स पर हुई चर्चा के दौरान दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने कई सारे विचार प्रकट किये और कई अच्छे भी उसमें से सुझाव निकले। उसके लिए मैं सब माननीय सदस्यों, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी। सभी सुझावों का हम लोगों ने बहुत गहरे तरीके से अध्ययन किया और जब बजट बनाया उस समय भी कई सारे लोगों के साथ कंसल्टेशन भी किया, कई सारे ग्रुप्स के साथ

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कंसल्टेशन किया और मुझे इस बात के ऊपर संतोष है कि इतना सब कुछ करने के बाद बजट प्रस्तावों का जनरल एक स्वागत हुआ और एक सकारात्मक और आशावादी वातावरण पूरे स्टेट के अन्दर बना। हां, कुछ निराशा जरूर हुई और वो निराशा उधर बैठे माननीय सदस्यों में जरूर हुई होगी क्योंकि आलोचना करने के लिए कोई सार्थक मुद्दा नहीं मिला है।

बजट में महिला विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, कृषि और सारी आधारभूत संरचनाएं, इनके बारे में जो नये-नये इनिशियेटिव हम लोगों ने लिये हैं और एक इन्क्लुजिव विकास का मार्ग जो हम लोगों ने प्रशस्त किया है उसके बारे में एक बड़े से बजट डाकूमेंट के अन्दर अपनी पूरी बातें आपके सामने पेश की। रोजगार के कितने सारे अवसर सृजित हुए और अशक्त वर्गों के लिए हम लोगों ने क्या-क्या किया, विशेष ध्यान उनके लिए दिया, इसके बारे में भी मैंने अपने बजट डाकूमेंट में बात रखी।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने रोजगार के बारे में कहा है, कई बिन्दुओं में से एक बिन्दु यह था कि कोई ऐसा ठोस काम रोजगार के अन्दर नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नौकरियों के, रोजगार के कोई अवसर सृजित नहीं हुए हैं। मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि एक लाख से भी अधिक रोजगार हम लोगों ने सृजित किये हैं और अगर आप देखेंगे तो करीबन 4 लाख पिछले 3 साल के अन्दर हम लोगों ने अवसर भी प्रदान किये हैं। यह गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अन्दर हम लोगों ने यह कोशिश की है और कभी-कभी आश्चर्य यह होता है कि जिन लोगों ने एक भी अवसर प्रदान नहीं किया वो इस तरफ अंगुली उठाकर के हमसे पूछें कि आप लोग गिनाकर हमें बताइये कि कौन से विभाग में कितने आपने अवसर प्रदान किये हैं। वो हमसे पूछें, मैं तो समझती हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमने पूरी तरह से डाकूमेंटेशन के साथ आप लोगों को बताया है कि क्या-क्या हम लोगों ने किया है। इस वर्ष में भी हम लोगों ने इस क्रम को जारी रखने का सोचकर के 50 हजार से भी अधिक सीधी भर्ती के माध्यम से रोजगार हम लोग उपलब्ध करायेंगे।

सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जिस चीज के ऊपर, जिस इनिशियेटिव के ऊपर कई सारे स्टेट्स झगड़ रहे थे वो होण्डासियल का निर्माण

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अब हमारे स्टेट के अन्दर होने जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे रोजगार के अवसर भी हमारे सामने आयेंगे। यह बहुत बड़ा काम हमारा सम्पूर्ण होने जा रहा है।

इसके साथ-साथ आपने लाइवलीहुड मिशन के बारे में भी बात उठाई थी। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगी कि एक नया इनिशियेटिव है, सबसे पहले तो हम लोगों ने आउट-ऑफ-बॉक्स थिंकिंग करके एक नया इनिशियेटिव बनाया जिस इनिशियेटिव के अन्दर कई सारे विभागों को जोड़कर के हम लोगों ने यह कोशिश की कि एक नये सिरे से रोजगार के अवसर प्रदान किये जाएं और यह सोचकर के नये स्वरूप को देखते हुए करीबन 10 हजार नौकरियां हम लोगों ने उसमें से प्राप्त की और इस बार हमने यह तय किया कि 20 करोड़ रुपये हम अलग से रख देंगे। और इसमें से एक लाख युवाओं को राजस्थान लाइवलीहुड मिशन के अन्दर प्रशिक्षित करके इसके माध्यम से एक नयी स्थिति बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे जहां इन लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। मैं समझती हूं कि यह बहुत बड़ा काम है, इसमें तो आप लोगों को हम लोगों को प्रोत्साहित करके यह कहना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ है। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले बजट के अन्दर मैंने यह कहा था कि 12वें वित्त आयोग ने वर्ष 2008-09 में राजस्व घाटा समाप्त करने की सिफारिश की है किन्तु हम सम्भवतया वर्ष 2007-08 में इसे समाप्त कर सकेंगे, यह मैंने कहा था बजट में। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि एक वर्ष के बाद 2006-07 में ही हम लोग रेवेन्यु सरप्लस के अन्दर आने की स्थिति में हैं। माननीय सदस्यों के समक्ष इस बात को मैं पूरी तरह से महत्व देना चाहती हूं और यह बताना चाहती हूं कि रेवेन्यू सरप्लस यह बताता है कि हमें अब रोजमर्रा के खर्चे के लिए बोरोईंग्स करने की जरूरत नहीं है। वेतन, भत्ते, पेंशन, ब्याज, इन सब भुगतान के लिए नहीं करेंगे और हम जो भी बोरोईंग्स लेंगे उससे हम लोग असैट्स बनायेंगे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। यह सरप्राइजिंग है परन्तु यह सत्य है कि वर्ष 2002-03 के अन्दर जो बोरोईंग्स हुए थे वो आप लोगों ने 34 प्रतिशत उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था और इसके अनुपात में अगर आप देखेंगे 2005-06 के अन्दर यह 68 प्रतिशत हुआ और 2006-07 में 100 प्रतिशत हो चुका है। मुझे खाली इतना ही पूछना है, क्योंकि यह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आंकड़ों का खेल नहीं है और न मैं किताब देख-देखकर के छोटी-छोटी बातों को उठा-उठा कर बता रही हूं

पर मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि यह पूरा सदन सोच सकता है कि गरीबों का मसीहा कौन है, कौनसी सरकार थी, यह बड़ा क्लीयर हो जाता है। फिस्कल, डेफिसिट उस फिस्कल डेफिसिट की ओर भी हम लोगों ने अच्छे कदम उठाये हैं। जिस राज्य का ऋण भार कुल रेवेन्यू रिसीट्स का 300 प्रतिशत से अधिक होता है उस राज्य को कहते हैं कि वह एक्यूट फिस्कल डिस्ट्रेस में है। तो यह उल्लेखनीय है कि 2002-03 के अंदर यह रेश्यो 351 प्रतिशत था और राज्य फिस्कल स्ट्रेस में था और 2007-08 में यह रेश्यो 267 प्रतिशत अनुमानित है तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट किसी भी तरीके से फिस्कल स्ट्रेस के अंदर नहीं आयेगा। जहां फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी रेशो की बात अपन करते हैं वहां 2002-03 में फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी के 7 प्रतिशत से भी अधिक हो गया था जो एक बहुत चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए था अब 2006-07 में राज्य का फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी का रेश्यो जो है वह, 3.58 प्रतिशत उसकी सम्भावना है। और 12वें वित्त आयोग ने यह कहा है कि 2008-09 के अंदर राज्य का फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी रेशो है वह 3 प्रतिशत हो जाना चाहिए और मैं समझती हूं कि इस लक्ष्य को हम पूरी तरह से हासिल कर सकेंगे। आसान नहीं था पर हम लोगों ने इसको किया है। यह सवाल कई बार उठता है और आप लोग उसको कहते नहीं हैं उस तरीके से पर जिस तरीके से आपके भाषण हुए हैं उससे यह बात निकल कर आती है कि आप लोगों ने यह किया तो कैसे किया? यह इतना बड़ा परिवर्तन आया तो आया कैसे? मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जो मैं बार-बार कहती हूं और जो माननीय सदस्य भी बार-बार उठाते रहते हैं कि कुशल वित्तीय प्रबंधन यह क्या चीज है? मैं कहना चाहती हूं यह है कुशल वित्तीय प्रबंधन इसके अंदर बेहतर आय, खर्चों के ऊपर डिसिप्लिन और ऋणों का बेहतर प्रबंधन। इन तीन चीजों के ऊपर हम लोगों ने पूरी तरह से ध्यान दिया है।

सबसे पहले इन तीन फ्रंट्स के ऊपर अच्छे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने वर्ष 1999-2000 में ओन टैक्स टू जीएसडीपी के रेशो को 5.57 प्रतिशत से और वर्ष 2006-07 में 8 प्रतिशत तक हम ले जा सके। माननीय

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सदस्यों को मैं यह कहना चाहूंगी कि ओन टैक्स टू जीएसडीपी रेशो के अंदर एक प्रतिशत का जब हिसाब हम लगाएंगे और एक प्रतिशत अगर वृद्धि उसमें होती है तो राज्य का टैक्स रेवेन्यू 1,400 करोड़ रुपए से बढ़ता है तो इसलिए जब आप हिसाब करें तो इसको भी इसमें जोड़ ले। राज्य के जो अन-प्रोडक्टिव खर्चे हैं, उसके ऊपर किस तरीके से नियंत्रण किया जाए यह हमारी दूसरी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी थी। इसके अंदर कई इकोनोमिस्ट ने यह कहा है कि तीन मद जो है दैट इज वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज पर व्यय के रेवेन्यू रिसीट्स से रेशो को अन-प्रोडक्टिव एक्सपंडीचर का एक इंडीकेटर हम लोग मानते हैं। मैं आपको यह बताना चाहती हूं सबको वर्ष 1999-2000 में इन तीनों मदों पर जो व्यय था रेवेन्यू रिसीट्स का 94 प्रतिशत। और 2003-04 में 80 प्रतिशत। और मुझे हर्ष है यह बताते हुए कि 2006-07 के अंदर अब यह 60 प्रतिशत पर आ गया है। यह अपने आप ही अपना रास्ता बता रहा है। और अगर आज आपके वर्ष 2007-08 में जो राजस्व प्राप्तियां है वह 28,600 करोड़ रुपए के लगभग इतनी अपेक्षित हैं और इस अनुपात में प्रत्येक 10 प्रतिशत का आप हिसाब लगाएं तो 10 प्रतिशत की कमी से लगभग 2,800 करोड़ रुपए नॉन-प्रोडक्टिव एक्सपंडीचर से प्रोडक्टिव एक्सपंडीचर के अंदर उपलब्धि हो जाती है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से हम अपने प्लान साइज को 2002-03 से तीन गुणा बढ़ा सके।

फिर ये तीसरा जो प्रमुख अंग है वह ऋण प्रबंधन का, यह बेहतर ऋण प्रबंधन का मतलब यह है कि इन्क्रीमेंटल जो नया डैट है और ऋण के जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है इन दोनों को किस तरीके हम लोग कम करें तो मैं यह बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने इसमें निरंतर कमी लाई है और यहां वर्ष 2003-04 के अंदर 7,490 करोड़ रुपए का जो इन्क्रीमेंटल डैट जोड़ा गया वहां 2006-07 में यह सिर्फ 4,632 करोड़ रुपए हो गया, सात हजार से चार हजार पर आ गया। और इसी प्रकार बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव डैट साफ्ट पालिसी हम लोगों ने अपनाई और अच्छी एक ट्रेजरी मैनेजमेंट हम लोगों ने किया। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को 2000-2001 में 9.8 प्रतिशत से 2005-06 के अंदर 7.8 प्रतिशत तक ले जाने में हम लोग पूरी तरह से सफल हुए और 2007-08 के बजट अनुमान में यह 7.9 प्रतिशत तक हमने रोकने की सम्भावना देखी है और मैं समझती हूं कि इसमें मैं मानूंगी कि लो इंटरेस्ट रेजीम का भी बहुत हमारे को मदद मिली है, इसमें आपने उस बात को उठाया था हां लो इंटरेस्ट

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रेजीम का हमको लाभ मिला है। परंतु यह हमारे क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर भी एक दफा डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर हमारी साख है, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस है कि ऋण निरंतर न्यूनतम दरों पर हमको मिलता गया, यह हम लोगों ने अपनी साख बनाई। और मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि 70 हजार करोड़ रुपए के ऋण भार पर ब्याज में 2 प्रतिशत की इफेक्टिव कमी से हमको एक साल में 1,400 करोड़ रुपए की हम बचत कर सके हैं यह एक बहुत बड़ी बात है। एक ओवर-आल पिक्चर अगर आप देखें तो इस ओवर-आल पिक्चर के अंदर ये, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि उनको चिंता थी कि एफआरबीएम एक्ट, यह एक खराब एक्ट है और इसमें कैपिटल कम्प्रेशन...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं डिस्टर्ब नहीं करता। देखिए अगर आप कहें तो बैठ जाऊं, मैंने यह कहा था कि इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। एक देश के अंदर यह चर्चा हो उठी है कि एफआरबीएम एक्ट पर वह बात कही है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आपने यह कहा है कि इससे कैपिटल कम्प्रेशन होगा। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि एनआईपीएफपी के इंदिरा राजरमनजी जिनको हमने कहा था कि यह जरूर होगा कैपिटल कम्प्रेशन जो बात आप कहे थे वहीं बात उन्होंने भी हमको कही थी। और हम आपको कहना चाहते हैं क्योंकि हमारा इतना अच्छा प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट हुआ तो यह नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेशन था, इकोनोमिक्स से, वह नहीं हुआ और मैं फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोगों ने कम किया, दोनों को ही किया। इनको कई गुणा बढ़ाया और जहां वर्ष 2002-03 के अंदर जो प्लान साइज को हम लोग सोच रहे थे 5,160 करोड़ रुपए होगा वह 2007-08 में अब 12,800 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है। हम लोग इसको यहां तक बढ़ा सके ऑनली बिकॉज हम लोगों ने प्रूडेंट फिस्कल मैंनेजमेंट किया। और इसके साथ-साथ भी पॉइंट आउट यह करूंगी कि यह करीब ढाई गुणा बढ़ा है, बहुत बड़ा प्लान साइज हुआ। और इसी प्रकार वर्ष 2002-03 के अंदर कैपिटल एक्सपंडीचर 2,027 करोड़ रुपए हुआ और वर्ष 2006-07 के अंदर 5,291 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है। और यह भी ढाई गुणा ज्यादा है। मैंने यह सोचा कि जरूरी है कि माननीय सदस्यों के सामने पिक्चर एक दफा आ जाए फिर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसके बाद मैं आपको उसमें जवाब दूं। मैं, यहां कुछ सदस्यों ने प्लान एक्सपंडीचर में बढ़ोतरी, जो भी बढ़ोतरी होती है वो केन्द्र से मिलने वाले संसाधनों के ऊपर ही आधारित है यह लगातार बार-बार यही पोइन्ट के ऊपर स्ट्रेस किया गया है। और सब माननीय सदस्यों ने यही बार-बार बात कही। और मैं यह कहना चाहती हूं कि ये कभी-कभी यह भी सोचे कि आप कुशल वित्तीय प्रबंधन हो सकता है तो उसके ऊपर आप हमको भी कांग्रेच्युलेट कर सकते हैं। और यह याद रखे कि हमने किसी से कुछ मांग के नहीं लिया है, यह हमारा कॉस्टिट्यूशन एनटाइटलमेंट है यह तो हमको वैसे भी मिलने वाला था। इसके अतिरिक्त केन्द्र ने हमें और कोई सहायता चला के नहीं दी है, हमको जो मिलने वाला था जो हमारा राइट था वह हमको मिला है। और मैं, बल्कि यहां यह कहना चाहूंगी कि 2002-03 में जो कुल एप्रूव्ड प्लान के विरुद्ध केन्द्रीय सहायता लगभग 15 प्रतिशत थी जो 2007-08 के अंदर एप्रूव्ड प्लान में केन्द्रीय सहायता का प्रतिशत अब घटकर 13 प्रतिशत हो चुका है। तो यह भी आपके सामने क्लीयर हो जाना चाहिए।

यहां मैं आपको कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य एक दो पाइंट और उस पर उठाये थे। आपने यह कहा कि हमको बहुत पैसा दिया है, आपने योजना के नाम भी बहुत सारे गिना दिए और मैंने अभी आपको यही बताया है कि अगर आप देखें तो प्रपोर्शनेट टर्म्स के अंदर जो पैसा हमको मिला है वह कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा मैंने अपने बजट भाषण के अंदर यह बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि प्रश्न तो यह है कि स्कीम्स के लिए स्टेट ने कितना शेयर दिया और कौनसी सरकार ने यह स्टेट शेयर दिया। यह सर्व-शिक्षा अभियान जैसी स्कीम तो पहले से भी चल रही थी, अगर उस समय वो सरकार भी लाभ उठा सकती थी परंतु उस सरकार ने लाभ नहीं उठाया, हमने अपना पैसा दिया और लाभ उठाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उस सरकार ने दिये सिर्फ इक्कीस करोड़ रुपये और इस सरकार ने दिये चार सौ करोड़ रुपये यह फर्क है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): यह है फर्क। अब ये तो हिसाब आपने उसमें जितना हिसाब आपने निकाल कर दिया दो करोड़ रुपये, चार करोड़ रुपये, छह करोड़ रुपये जो आपने हिसाब लगाया, उसमें अगर यह भी हिसाब लगा लेते तो अच्छा होता। तो कहां इक्कीस करोड़ रुपये और कहां चार सौ करोड़ रुपये । परन्तु हमने अपना हिस्सा देने में कोई कोताही बरती नहीं है

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

और इसकी वजह से हमको पैसा मिला जो हमारा राइट है। इन फैक्ट मैं तो माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगी कि आपको तो हमको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि मैं तो यह मानती हूं कि जो अभी बिन्दु उठाया है वो फिस्कल फेडरल सिस्टम के संबंध में है। और एनडीसी के अन्दर हमने यह मुद्दा उठाया भी था बड़ी जोरदारी से उठाया था और हमने यह कह दिया और एनडीसी ने भी यह कहा था 1969 में कि जो अनटाइड असिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा सरकार को, स्टेट्स को दे देनी चाहिए। और उन्होंने यहां तक कहा था कि ये हिस्सा 5/6 होना चाहिए. 1/6 should come through CSS and 5/6 should come through untied assistance, which is normal central assistance. परंतु आज जो स्थिति बन रही है कि वहां की सरकार ने अपने हाथ में ज्यादा कंट्रोल लेने की कोशिश से 5/6 तो सीएसएस के द्वारा करना शुरू कर दिया है और 1/6 अनटाइड के थ्रू कर दिया है जो बिलकुल ही उलटा मामला है जो होना ही नहीं चाहिए। यानी स्टेट का राइट वो अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं । कौन सी सरकार यहां बैठती है वो प्रश्न नहीं है प्रश्न यह बात है कि फैडरल सिस्टम सिक्योर रहे और उसके लिए आपको भी हमारे साथ खड़े होने की जरूरत है। तो इसलिए ये बार-बार आपका कहना कि वहां से आपको मदद मिली है, मैं तो यह भी कह सकती हूं कि जो यूपीए सरकार आज ये जोर-जोर से कह रही है कि नौ प्रतिशत की ग्रोथ रेट हमारी है तो ये ग्रोथ रेट तो एनडीए की सरकार की वजह से हुई क्योंकि वो सब ढांचा तो एनडीए सरकार ने लगाया था जो एनडीए की सरकार ने इतने बढ़िया तरीके से ढांचा बनाया उसकी वजह से आज यूपीए की सरकार उसका फायदा उठा सकती है। पर ये कोई आर्ग्युमेंट्स नहीं है यह कोई आर्ग्युमेंट नहीं है। जिस सरकार ने उसका अच्छा वित्तीय प्रबंधन किया है और जनता तक पैसा पहुंचाने की कोशिश की है उसकी सराहना तो करनी पड़ेगी और आप नहीं करोगे तो जनता तो करेगी। ही करेगी और हमें तो उनके दरबार में जाना ही है। और इसी तरीके से राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि बहुत पैसा है । ये फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात कही थी हम उनके पास गये थे अपने हिस्से की मांग करने के लिए तो उन्होंने कहा कि आपको पैसे की क्या जरूरत है? आपके पास तो बहुत सारा पैसा है । हमने कहा कि इसका मतलब यह है कि आप हमारा हिस्सा रख लेंगे, हमारी जो ओइंग्स हैं जो आपको हमें देने की जरूरत है वो यह कह कर आप नहीं रोक सकते कि आपके पास तो बहुत पैसा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है किस चीज की कमी है। हमने अगर अच्छा वित्तीय प्रबंधन करके अपने हिस्सा यानी हिस्से पर स्टेक लगाया है तो वो तो पैसा हमको मिलना चाहिए और पैंतालीस हजार करोड़ रुपये अगर पड़े हुए हैं तो वो एक राजस्थान के नहीं हैं वो कई स्टेट्स के हैं। और मैं यह कहना चाहती हूं कि हम बेलेंस रखने के पक्ष में नहीं हैं हम चाहते ही नहीं बेलेंस रखना। और इसीलिए हमने अपने इस बजट के अन्दर 1250 करोड़ रुपये की नयी योजनाओं की घोषणा की है और साथ ही साथ उसका वित्त पोषण भी किया है। यानी खाली घोषणा ही घोषणा नहीं है उसका वित्त पोषण भी हम लोगों ने किया है और यहां तक कि फोर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक पावर्टी एलीविएशन फंड तक बनाया जिसके अंदर हमने सौ करोड़ रुपये का पोषण किया है। एक नये किस्म से एक नया रास्ता फर्स्ट स्टेट होने के नाते हम लोगों ने दिखाया है यह भी एक बहुत बड़ी बात है।

इसी तरीके से मैं यह पाइंट आउट आप लोगों के सामने करना चाहती हूं कि स्कीम तो सीएसएस के द्वारा या स्कीम तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट चालू कर देती है और फिर बीच में ले जाकर उसको छोड़ देती है। फिर उसका जो भार होता है वो हम लोगों को उठाना पड़ता है फोर एग्जांपल हम आपको दे दें रिलीफ पर चलें अपन। इन द लास्ट रिलीफ ऑपरेशन जो था 2005-06 के अन्दर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक छोटा सा उदाहरण है, ने हमको दो लाख मीट्रिक टन व्हीट दिया against a demand of some 13 lakh metric tonnes of wheat and because of this, हम लोगों को वो पैसा केश में देना पड़ा। यह हमारा राइट था। इसको देने की जरूरत थी हमने इसके हिसाब से उसको आंका था परन्तु तेरह लाख मीट्रिक टन न मिल कर हमको जब दो लाख मीट्रिक टन मिला तो यह जो बाकी 11 लाख का पैसा बचता था उसको हमको केश में देना पडा। इसी तरीके से रिलीफ ऑपरेशन में उन्होंने कहा, हमको ये बताया कि दो लाख मीट्रिक टन जो हमको जरूरी था जनवरी, फरवरी और मार्च, 07 में हमको मिलना था और 3.4 मीट्रिक टन ऑफ व्हीट जो हमको अप्रैल, मई, जून में अभी भी रिलीज होना है, अभी तक सिर्फ हमको एक लाख मीट्रिक टन मिला है जो खाली पचास प्रतिशत है उसका। और मैं तो समझती हूं कि अगर वो हमको पूरा ही दे दें तो हम लोगों को अधर में जाकर रहने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरीके से उन्होंने कई स्कीम्स हमारी छोड़ रखी हैं । एक तो हमारी वो एससी/एसटी की और ओबीसी के लिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कीम्स है वो

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

काफी लंबे समय से चल रही हैं। राजस्थान के लगभग 115 करोड़ रुपये भारत सरकार के स्तर पर हमारे लंबित हैं अभी भी। इस तरीके से होस्टल कंस्ट्रक्शन के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जुवेनाइल संशोधन के अन्दर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अन्दर चिल्ड्रन्स होम्स के लिए जो चवालीस करोड़ रुपये की आवश्यकता हमको है वो पचास प्रतिशत भारत सरकार से अभी तक आनी है। इस तरीके से कई स्कीम्स को उन्होंने बताया। कई स्कीम्स के लिए हमको आश्वस्त किया कि हम आपको पैसा देंगे और वो पैसा हम तक पहुंचाया नहीं। तो मैं तो समझती हूं कि इतनी सराहना अगर किसी को करनी है तो यहां देखकर करें कि यहां की इस सरकार ने क्या-क्या काम किये, कितना वित्त पोषण किया पिछले तीन साल में कहां-कहां लोगों तक स्कीम्स पहुंचायी है। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे गर्व हमारी सरकार के ऊपर कि हम लोगों ने यह काम किया है और जनता ने उसको माना है । फिर आपने यह बात कही कि क्या बड़ी बात हो गयी इतना सारा पैसा है तो प्लान साइज तो सबका ही बढ़ा हुआ है सबका प्लान साइज बढ़ा है। सब प्रदेश बीमारू में से बाहर निकल कर आ गये हैं। तो मैं तो मेरे पास जो सूचना है उससे यह ज्ञात होता है कि योजना आयोग ने अब तक सत्ताईस राज्यों के प्लान साइज तय कर लिये हैं। उसमें से हरियाणा का जो 2007-08 का प्लान साइज है वो 2006-07 से बासठ प्रतिशत अधिक है, जो सबसे अधिक है। उसके बाद उड़ीसा में जो बढ़ोतरी की है वो छियालीस प्रतिशत है । अपने बजट भाषण में मैंने आपको बताया कि राजस्थान का जो प्लान साइज 2007-08 का है वो 12800 करोड़ रुपये होगा जो कि चालू वर्ष के 8501 करोड़ रुपये के पचास प्रतिशत अधिक है। मीनिंग सैकण्ड स्पॉट हमारा है ऑफ्टर हरियाणा। तो पूरे देश में जो बढ़ोतरी हुई है वो राजस्थान की सेकिंड नंबर पर हुई है तो ऐसा नहीं है कि इस बढ़ोतरी को इतना लाइटली अपन डिस्मिस करें और मैं समझती हूं कि काम हुआ है अच्छा हुआ है, और हरियाणा की साइज आप देख लें और वो साइज देखने के बाद फिर राजस्थान की साइज के साथ कंपेयर करें।

फिर इसी तरीके से माननीय सदस्य ने यह बात रखी कि आई आर बटालियन बनाना तो कोई भी बना सकता है और आपने बना ही ली बहुत आसान है। इतना आसान नहीं है और केन्द्र सरकार से पैसा मिला ही था अगर ऐसा था तो उन्होंने क्यों नहीं स्थापना की इसकी? अभी तक तो उन्होंने स्थापना नहीं की है। और बात केवल पैसे की नहीं है माननीय सदस्य, बात

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सोच की है। मौके की है और इस मौके का किस तरह से इस्तेमाल होता है उसकी है। मैं समझती हूं कि खाली यह कह कर छोड़ देना कि यह तो सेन्टर की बात है और सेन्टर ने अपने को इतनी मदद की है । मैं जानती हूं कि आपके पास कुछ कहने को रहा नहीं है इसलिए आपको कहना तो पड़ता है बजट भाषण पर बोलना ही होगा परन्तु मैं खाली एक शेक्सपीयर की लाइन आपके सामने इसमें रखना चाहूंगी – ''There is a tide in the affairs of men which, if taken at its helm, …" It is something that you should look at.

इसी तरीके से माननीय सदस्य मैं यह कहना चाहूंगी कि आपने यह भी कहा, this is an enlargement due to central tax. मैंने अभी उसका जवाब आपको बताया है, this is not entirely due to central tax. यह हमारा जो एंटाइटलमेंट है वो हमको मिलेगा ही। परन्तु उसके साथ-साथ जो हम लोगों ने किया है वो भी 2004-05 के अन्दर 2005-06 के अन्दर कुल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर और अनुदानों का हिस्सा जो था वो चालीस प्रतिशत था । पूर्व वर्षो में 2000-01 में यह प्रतिशत चवालीस प्रतिशत था, 2001-02 में यह इकतालीस प्रतिशत हुआ, वर्ष 2002-03, 2003-04 में अब यह चालीस प्रतिशत पर आ गया है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है केन्द्र से कोई विशेष सेन्ट्रल टैक्स का ट्रांसफर या ग्रान्ट हमको मिल रही है जो हमको मिलनी चाहिए वो रोक कोई सकता भी नहीं है। और फिर बढ़ते कर्ज भार के ऊपर सब लोगों ने अपनी चिंता जताई। मैं थोड़ी तुलना करना चाहूंगी पूर्व सरकार और हमारी सरकार के ऋण प्रबंधन की। 1998-99 के अंत में कुल बकाया ऋण जो था जब आप लोग टेकओवर कर रहे थे तो उस समय 24170 करोड़ रुपये जो 2003-04 के अन्दर बढ़ कर 53361 करोड़ रुपये हुआ । वर्ष 1998-99 के मुकाबले में यह वृद्धि दुगनी थी और अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में इसको देखा जाए तो ये 29 हजार करोड़ की थी। 2003-04 की तुलना में अगर आप वर्ष 2006-07 को देखें तो संशोधित अनुमान के अनुसार इकहत्तर हजार उनतालीस करोड़ रुपये ऋण भार होना संभावित है जो वर्ष 2003-04 के मुकाबले एब्सोल्यूट नंबर्स में 17678 करोड़ रुपये मीनिंग तैंतीस प्रतिशत वृद्धि दिखाता है ये तो अगर डैट बढ़ा है। तो डैट बढ़ाया तो किसने बढ़ाया? अगर यह एब्सोल्यूट परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो यह बहुत क्लियर हो जाता है। और यही नहीं जो डेट हमने लिया उसका हमने बहुत अच्छा उपयोग भी किया । हमने इसके साथ कैपिटलाइज एसेट्स के निर्माण किये हैं जबकि

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पिछली सरकार में यह रेवेन्यु एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल किया गया था । 1998-99 में जब सत्ता संभाली थी उस समय डैट टू जीएसडीपी का जो रेश्यो था वह 33 परसेंट था और वर्ष 2002-03 में यह रेश्यो बढकर 53 परसेंट हो गया। पांच वर्ष में यह 20 परसेंट की वृद्धि हुई है। और 2003-04 में सेम रेश्यो हम लोगों ने स्टेबिलाइज किया और 2004-05, 2005-06 में यह रेश्यो 53 परसेंट और फिर 53 परसेंट रहा। और अब यह रेश्यो घटने लगा है और 2007-08 में यह घट कर 49.84 परसेंट रहने की संभावना है, यह बहुत हैल्दी साइन है । इसी तरीके से 2002-03 में राज्य का जो इंटरेस्ट पेमेंट और रेवेन्यु रिसीट का जो 33 परसेंट था वह वर्ष 2007-08 में घट कर अब 21 परसेंट रहना अनुमानित है । 1998-99 की तुलना में 2003-04 इंटरेस्ट पेमेंट एक्चुअल नंबर में 2534 करोड रुपये बढा और यह वृद्धि दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। जबकि हमारे 2003-04 और 2007-08 में इंटरेस्ट पेमेंट 1349 करोड की वृद्धि हमारे अंकित है जो 2003-04 से अगर आप कम्पेयर करें तो 28 परसेंट अधिक है । यह सब फिगर हैं और मैं समझती हूं कि यह फिगर मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूं क्योंकि इससे जो गणित करना है अभी तो बहुत सारे गणित, एडिशन सब्ट्रेक्शन, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे सामने किया तो मैंने कहा कि इसके आंकडे आपके सामने रख दूं ताकि आप जब हिसाब करोगे तो आपको भी देखने को मिलेगा कि वाकई में डवलपमेंट का रास्ता कैसे होता है । Fiscal prudence also demands that we set aside something for a rainy day. कभी भी कोई मुसीबत हो उसके लिये कुछ अलग से रखने की जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस बिल में और उसके द्वारा हमने एफआरबीएम एक्ट में संशोधन प्रस्तावित करके राजस्थान डवलपमेंट एंड पावर्टी एलीविएशन फण्ड बनाने का हमने प्रस्ताव रखा है । जब टैक्स का रेवेन्यू 17.5 परसेंट से अधिक हो जाता है तब राज्य सरकार यह जो अधिक राजस्व राशि है इसको इस फण्ड में ट्रांसफर कर देगी । इस फण्ड का उपयोग आगे चल कर भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब विकास और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में हम लोग करेंगे, यह एक बहुत बडी बात है । यह लोंग टर्म विजनरी थिंकिंग दर्शाता है । इस फण्ड से हम लोग पावर्टी एलीविएशन और डवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को फिस्कल फ्लक्चुएशन के जो रिस्क होते हैं उससे हम लोग बचा सकेंगे। और मुझे विश्वास है कि फिस्कल रेस्पोंसेबिलिटी की अवधारणा को जो हम लोगों ने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आगे बढाया है इस कदम का पूरा सदन स्वागत करेगा। और देश में इस तरीके का फण्ड पहली दफा इस प्रदेश ने बनाया है, यह अपने आप में फर्स्ट है। माननीय सदस्य हम दूसरी स्टेट और दूसरों को रास्ता दिखायेंगे, केवल उनके पीछे-पीछे नहीं, उनके कदमों में नहीं चलेंगे उनके आगे उनको रास्ता दिखाने के लिये आगे चलेंगे। और यह मैं कहना चाहूंगी कि

लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं

हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं।

भले ही कितना मुश्किल हो, यह मेरे बजट भाषण में जो पैरा 109 था उसमें राज्य गौ सेवा संघ को आगामी वित्तीय वर्ष में दो करोड़ की सहायता देने की घोषणा मैंने की थी । उक्त घोषणा करते समय मेरा आशय राजस्थान गौ सेवा आयोग से था जिसके माध्यम से आदर्श गौशालाओं को सहायता मिल सकेगी। आपने भी इस बात को उठाया है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बीकानेर वालों को देने की तकलीफ है इनको।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): .... गौ सेवा संघ को दी वह तकलीफ है ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं कुछ यहां जवाब देना चाहूंगी। रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने कोटा स्टोन की वैट दर पर विसंगति की ओर हम लोगों का ध्यान दिलाया । हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं, उससे पूरी तरह से अवगत हूं और मैं बताना चाहूंगी कि जो भी एप्रोप्रिएट डिसीजन है उसको हम शीघ्र लेंगे, सबसे बात करेंगे, सबको सुनेंगे और उसके बाद जो हमको डिसीजन लेना पड़ेगा वह आप सबसे बात करके हम करेंगे ।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि 6-6 महीने तक, मालूम नहीं कैसे बातें होती हैं, 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं किये हैं । इस तरीके से मैं तो समझती हूं कि अपन को कहना नहीं चाहिये, न करना चाहिये क्योंकि यह सब फ्लोर आफ द हाउस के ऊपर अंकित हो जाता है । It is not a good thing. मैं तो समझती हूं there is no delay in the payment of wages to labours. और मैं बहुत रेस्पॉंसिबल तरीके से आपके सामने यह रखना चाह रही हूं Most of the districts currently. ने फरवरी, 07 तक अपना जो पेमेंट है वह रिपोर्ट कर दिया है । इसी तरीके से आपने बात की थी कि हम लोग क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किस तरीके का एक्सपेंडिचर हो रहा है । मैं तो खाली

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आपको एक एग्जामपल देना चाहूंगी वह एक्सपेंडिचर आन वाटर सप्लाई एंड इर्रिगेशन की बात है । पीएचईडी और इर्रिगेशन में जो टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पीएचईडी का ही ले लो 2002-03 में 1367 करोड का खर्चा था जो बढ कर 2004 में 1476 और फिर 2005-06 में 1714 यानी 26 प्रतिशत बढ़ा है । इसी तरीके से आप टोटल इर्रिगेशन का देखें तो 2002-03 में 1009 करोड़ था वह बढ कर 2005-06 में 1804, यानी 78 परसेंट की बढ़ोत्तरी उसमें। और अगर दोनों का साथ ले लें तो इसमें ग्रांड टोटल हो जाता है 2376, 2002-03 में हुए हैं 3518 यानी 48 परसेंट की बढोत्तरी 2005-06 में हुई है ।

फिर आपने स्वतंत्रता सेनानी के बारे में चिंता की । चिंता तो हम सब लोगों को है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पेंशन पूर्व में 2000 रुपये प्रतिमाह की हो रही थी उसको 1.4.05 से हम लोगों ने 2500 रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया है। और मैं समझती हूं कि पूरे हाउस को उनके बारे में चिंता है इसीलिए इनकी चिकित्सा का व्यय जो 300 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था वह 1.4.07 से 600 रुपये प्रतिमाह करने की मैं घोषणा करती हूं ।

फिर आपने कुछ आंकड़े पढ़े, मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि कुछ आंकड़े जो हैं वह कौन'कौन से हैड से आपने निकाले और उनका कहां से कम्पेरिजन किया है comparison with budget estimates to actual जिस तरीके से किया है वह कम्पेरिजन मैं समझती हूं माननीय सदस्य कोई मायने रखता नहीं है । इसको अगर आप और क्लेरिफाई करना चाहते हो तो मैं बहुत खुशी से आपके साथ बैठ कर इनको क्लेरिफाई करने को तैयार हूं । इसी तरीके से आपने कहा कि क्या यह निर्मल घाट और क्या है यह मुक्ति धाम, उसमें आपने इतना कम पैसा 2 करोड रुपया बताया है । हमने तो इसको पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 100 गांवों को अपने हाथ में लिया है और आपने तो यह कह दिया आपकी गणित बहुत अच्छी है कि आपको 410 साल लग जायेंगे इसको पूरा करने के लिये । आपने तो इसको शुरू तक नहीं किया । इस स्कीम के बारे में आप लोग भी सोच सकते थे। हमने तो सोचा और सोचा ही नहीं उसमें कुछ करने का सोचा और करने की आशा से हमने यह पैसे किये । मैं तो मानती हूं कि यह 100 गांव पूरे हो जायेंगे, अगर अच्छी स्कीम चल जाती है तो क्या मालूम अगले बजट में इसको कहां हम और पहुंचाना चाहें । पर एट लीस्ट हम लोगों ने सोचा तो । यह तो ऐसी चीजें हैं जो पायलेट प्रोजेक्ट के द्वारा निकल कर आयेंगी । अगर जनता उसको स्वीकारती है, उसको पसंद करती है तो ठीक है उसको भी हम आगे रखेंगे ।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आज आपने बहुत सारा मैथ्स किया है। आपने कहा कि एक लाख विधवाओं का विवाह हम कर लेंगे तो आपने कहा कि आपको बहुत खुशी होगी पर उसमें 150 करोड रुपये लग जायेंगे । तो आपको क्या प्रोब्लम हो रही है? चिंता तो हमें होनी चाहिये ना । कौन कहता है बजट नहीं है? हम तो कह रहे हैं कि हमारी महिलाओं को अगर जरूरत पडेगी, जितनों को जरूरत पडेगी वह हम लोग पैसे का इंतजाम करेंगे। आप उसके लिये बेफिक्र रहिए हमने इसके बारे में सोचा है । मैं तो आपसे खाली यह चाहूंगी कि मिड डे मील के लिये सहयोग मांगा था अभी तक तो कुछ मिला नहीं । मिड डे मील के सहयोग के लिये आप अगर इंडीज्युअली भी आप लोग स्टेप फोरवर्ड करें तो मैं समझती हूं बहुत बड़ी बात होगी । क्योंकि सोशल प्रोग्राम ऐसे होते हैं इन सोशल प्रोग्राम में कोई पार्टी विशेष नहीं होती । इसके बारे में हम सब लोगों को राज्य की भलाई के बारे में सोचना चाहिये, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके बारे में सोचना चाहिये और उसमें जो इंटरेस्टेड पार्टी है वह स्टेप फोरवर्ड करें और सरकार के

(समय : 18.00 बजे)

साथ मिल कर वह प्रोग्राम बनायें, और उन लोगों की मदद करें। उसमें किसने किसी को रोका है? इसी तरीके से आपने गुरु गोलवल्कर की बात करी। हां इसमें टेकआफ स्लो था हम भी मानते हैं। हमने पिछले साल भी यह बात कही थी परन्तु अब इसका बहुत अच्छा रेस्पोंस है और इसीलिए हम लोगों ने इसकी राशि बढ़ाकर इस बार 60 करोड रुपये करी है। मैं तो कहती हूं यह प्रस्ताव है, डिटेल हम, आप अगर उसका और जानना चाहेंगे तो आर डी डिपार्टमैंट से आप तक भिजवा दूंगी।

फिर आप कहते हैं कि कुछ मदों में खर्चा हम लोगों ने कम किया। वास्तविकता क्या है यह मैं समझती हूं कि आंकड़े ही बताते होंगे। वह तो आंकड़े आपके पास थे इसलिए आपने वह चूज अच्छी तरह से करके, जो आपको बोलना था वह आपने निकाल लिया। मैं तो खाली जो आंकड़े मेरे पास हैं वह आपको दे दूंगी। यह है कि इर्रिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के अंदर आपकी जब सरकार थी तो 2270 करोड़ रुपये आपने खर्च किए पूरे पाँच साल में। हमने 2005-6 में 4111 करोड़ रुपये खर्च किए just in irrigation and flood control.

सोशल सैक्टर के अंदर जिसकी आप बहुत चिंता कर रहे हैं उसमें 2002-3 के अंदर 7 हजार कुछ करोड, हमने 2005-6 के अंदर 9740 करोड़ रुपये हमने खर्च किए हैं। केपीटल आऊट ले पर आप आ जाएं 2002-3 के अंदर 2028 आपका खर्च और 5-6 के अंदर 4295 यह हमारा खर्चा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

फिर आपको चिंता हुई कि हमारे ये सब नेबरिंग स्टेट के साथ पानी बिजली की क्या परिस्थितियां हो रही हैं इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो आपने कहा कि 151 केचमेंट एरिया के अंदर, गांधी सागर एरिया के अंदर आपके 151 स्ट्रक्चर ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से हम लोगों को मुसीबत हो रही है। तो मैं आपको इसमें बताना चाहती हूं कि मध्यप्रदेश में कोई एडवन्टेज नहीं मिल रहा क्योंकि गांधी सागर के अंदर इस वजह से हम लोगों ने जितना पानी अवरूद्ध हुआ है उसके बराबर पानी हमने उनके हिस्से में से काट लिया है। हम ऐसे फ्री में उसको नहीं दे रहे हैं। हमें भी अपने स्टेट का, अपने लोगों का ध्यान रखना है। (व्यवधान)

आपने फिर 1994 के जल के बंटवारे के बारे में चिंता की कि यमुना के अंदर क्या हो रहा है, राजस्थान को उसके बारे में आप बताएं हमको, क्या कर रहे हैं आप लोग। तो आपको तो यह मालूम ही हे कि जो भी मुसीबत हो रही है वह इसलिए हो रही है कि हरियाणा एम ओ यू के ऊपर दस्तखत नहीं कर रही है। इससे ज्यादा हम और क्या कह सकते थे, हम लोगों ने तो कई बार उन लोगों से बात की। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हम लोग अपने हिस्से के बारे में बार बार उनको याद दिला रहे हैं परन्तु जब आपकी सरकार है वहां तो आप भी थोड़ी सी मदद करो ना। यहां पूछने के बजाए आप अपना डेलीगेशन ले जाएं, वहां जाकर उनसे बात करें। उनसे कहें कि हमारी यह चिंता है, हमारी मुसीबत है और उसमें हमारी मदद करें। (व्यवधान)

जिस तरीके से हमने किया, आपने अभी पंजाब की बात उठाई। एक दफा नहीं, कितने ही दफा इस हाउस में यह बात उठ चुकी है। आपने एक तो यह कह दिया कि इलेक्शनरिंग करने के लिए गये। फिर आपने यहां अभी कागज पढ़ दिया यह आपका सब का मिला, जो आपका मेनीफेस्टो है उस मेनीफेस्टो के अंदर यह लिखा है। आपने क्या किया, आपने बात ही नहीं की है। हम लोगों का बात करने का असर होता है यह मैं कहना चाहती हूं आपको क्योंकि हम लोगों ने उनसे बात की तो उस दिन उन्होंने मेरे को फोन पर कह दिया था कि आप हाउस में यह कह दीजिए कि मैं किसी भी स्टेट के हिस्से के ऊपर और चलाकर राजस्थान स्टेट के ऊपर, बादल साहब ने कहा कि मैं कुठाराघात नहीं करूंगा। और यह मार्च 29 का ट्रिब्यून है, जो मैं आपको अभी पढ़कर बताना चाहती हूं उसके अंदर लिखा है Punjab to honour water pacts.

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसमें लिखा है "Chief Minister Prakash Singh Badal has said in the Supreme Court that it would honour the Water Sharing Accord with the neighbouring states as protected under its provisions. We stand by Section 5 with all agreements and terms of this will be honoured." कहने की जरूरत है उसके बाद ? अब आप इधर भी बोलें, उधर भी बोलें। अब जब हम उनको कह रहे हैं तो उन्होंने हमारी बात मान ली, तो शायद आप हरियाणा को कह दें तो वो भी आपकी बात इतना ही ओनर कर लें तो मैं समझती हूं कि राजस्थान का बहुत फायदा हो जाएगा।

बोर्डर एरिया डवलपमेंट, नेचुरली माननीय सदस्यों को चिंता है। यह आप सब जानते हैं कि यह मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स के गाइड लाइन के अन्तर्गत फण्ड का यूटिलाइजेशन होता है । आप यह भी जानते हो कि वह कितना रेस्ट्रिक्टिव है, यह आपको अलाऊ नहीं करते हैं कि कोई भी एक्सपेंडीचर हैल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रोड्स के ऊपर हो सके। हम लोगों को बार-बार उनके पास जाना पड़ता है, बार-बार उनको हम आग्रह कर रहे हैं कि आप हमको पैसा दे रहे हो, अगर उसका होलेस्टिक डवलपमेंट नहीं होता है तो मतलब क्या है हमको बोर्डर एरिया डवलपमेंट फण्ड्स देकर? इसमें भी अगर आपकी मदद हो जाए और आपको उतना ही ओनर कर दे जितना बादल साहब ने हमको किया तो हमारे यह सब काम बहुत जल्दी- जल्दी हो जाएंगे।

इसी तरीके से मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूं। आप अपने थोड़ा सा उसमें रख ले, मुझे मालूम है कि अब जवाब देने का मौका नहीं है पर बात आनी चाहिये कि आपने अपने समय के अंदर कितने टीचर, कितने कांन्स्टेबल, कितने ए एन एम, कितने कम्पाउण्डर, कितने केटेगिरी ऑफ रिक्रूटमेंट दिसम्बर 1998 से 2003 तक किए? यह अगर हमें बता दें तो मैं सोचती हूं कि राजस्थान के सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। हम लोगों ने जो किया है, हमने आपके सबके सामने बड़े ही ट्रांसपेरेंटली उसको करा है और हमें कोई हिचक नहीं है यह कहते हुए कि हम लोगों ने आपने जहां-जहां बेन लगाए उन सबको खोलकर लोगों को रिक्रूट करने के लिए, रोजगार देने का पूरा काम किया है, पूरी मदद की है।

आप इतना बता दें कि 1998 से 2003 तक कितने दिन आपके ओवरड्राफ्ट हुए। मालूम है हमको, आप बता दीजिए, याद दिला दें कितने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ओवरड्राफ्ट हुए। (व्यवधान) यह भी बता दें कि आपका परसेंटेज आफ ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू 1998 टू 2003 क्या था। ग्रोथ रेट 1998 से 2003 तक क्या था और आपका प्लान साइज तो सबके सामने मालूम है लेकिन प्रश्न के हिसाब से, क्या था वह भी अपन दें। गवर्नमैंट एम्प्लाइज के लिए आप लोगों ने क्या-क्या किया 1998 से 2003 तक यह भी हमको बताएं।

अब मैं कुछ नई घोषणाएं करना चाहूंगी। सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि डीएपी की कमी की वजह से हमारे किसान बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और यह परेशानी उनके सामने लगातार रहती है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान राज्य के उपक्रम आरएसएमएम और भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय केमीकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा संयुक्त क्षेत्र में चित्तौडगढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में 425 करोड़ रुपये विनिवेश से 850 टन प्रतिदिन की क्षमता का एक डीएपी प्लांट लगाया जाएगा। और इसके लिए आरएसएमएम और आरसीएफ के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट 20.1.2007 को निष्पादित कर दिया गया है और वर्ष 2008 से इस कारखाने से प्रोडक्शन मिलने की सम्भावना है। और यह न केवल प्रदेश, विशेषकर चित्तौडगढ जिले में एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट होगा। मैं आशा करती हूं कि इससे आने वाले वर्षों में डीएपी की कमी की समस्या भी काफी हद तक साल्व हो जाएगी।

जोधपुर क्षेत्र से हैण्डीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट ने राज्य की एक्सपोर्ट से आय और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इस क्षेत्र के हैण्डीक्राफ्ट, ग्वारगम प्रोडक्ट और अन्य विशिष्ट उत्पादों के एक्सपोर्ट के कम्पीटिटिव में इसको बढ़ाने के लिए एक उत्तम श्रेणी के रिसर्च एंड डवलपमेंट सेंटर की आवश्यकता है। साथ ही इस क्षेत्र के कामगारों के स्किल अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता है। इसलिए जोधपुर में एक आरएंडडी कम स्किल अपग्रेडेशन इंस्टीटयूशन की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से निशुल्क उपयुक्त भूमि और एक बैसिक भवन उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूं। इसका संचालन स्थानीय उद्योग संस्थान के माध्यम से अथवा निजी सहभागिता से किया जाएगा। एक्सपेंडीचर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का परमानेंट एग्जीविशन सेंटर होना भी आवश्यक है। इस हेतु जयपुर में जेडीए एक इण्टरनेशनल एक्सपोर्ट एग्जीविशन सेण्टर विकसित करेगा। इस

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सेण्टर में अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित 70-70 वर्ग मीटर के 250-250 शोरुम्स तीन फेजेज में, यानी कुल 750 एग्जीबिशन शोरुम्स बनाये जाएंगे और इन शोरुम्स को एक्सपोर्ट मेन्युफेक्चरर्स को विक्रय किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मेरिट कम मींस स्कालरशिप दी जाती है। मैं छात्राओं हेतु उपलब्ध स्कालरशिप्स की संख्या को 600 से बढ़ाकर दुगुना करने की घोषणा करती हूं। साथ ही छात्र व छात्राओं, दोनों के लिये स्कालरशिप की फीस को बढ़ाकर दुगुना करने की भी मैं घोषणा करती हूं।

Free press is the fourth pillar of our democracy राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष के संसाधनों में वृद्धि के दृष्टिकोण से मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रत्येक पात्र पत्रकार एवं साहित्यकार द्वारा उनके संगठनों द्वारा तय की गई वार्षिक चन्दा राशि इस कोष में जमा कराई जाए। इस चन्दे से प्राप्त होने वाली राशि की दुगुनी के बराबर राशि राज्य सरकार अंशदान के रूप में अपनी तरफ से इस कोष में उपलब्ध कराएगी। साथ ही मैं यह घोषणा करती हूं कि इस कोष में चन्दा देने वाले पत्रकारों के इलेक्ट्रानिक इक्विपमेंट के इंश्योरेंस पर देय प्रीमियम भी इस कोष से दिया जा सकेगा। स्टेट हाइ-वे पर लाइट मोटर व्हीकल्स में स्वयं यात्रा करने की स्थिति में एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को टोल टैक्स से मुक्त रखे जाने की भी मैं घोषणा करती हूं। मनोहरथाना स्थित सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट कार्यालय को उप खण्ड, मनोहरथाना के कार्यालय में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा करती हूं। जनजाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में संचालित होस्टल्स में छात्र -छात्राओं को भोजन, यूनिफार्म इत्यादि के लिये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को बढ़ाकर 1.4.2007 से 725 रुपये प्रति बालक प्रति माह किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के फोकस्ड विकास के लिये वर्तमान में राज्य के 23 ब्लाक्स अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। परन्तु इससे लगते हुए कुछ क्षेत्र, जैसे कि उदयपुर के गिरवा, चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी आदि इसमें सम्मिलित नहीं हैं। इन लगते हुए क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों का पिछड़ापन शिड्यूल्ड एरिये में सम्मिलित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों जैसा ही है। केवल इन ब्लाक्स में इनकी कुल जनसंख्या प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति की संख्या के प्रतिशत से कुछ कम है। इसलिये मैं घोषणा करती हूं कि अनुसूचित क्षेत्र से लगती हुई पंचायत समितियों को अनुसूचित क्षेत्र में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सम्मिलित करवाने के लिये प्रस्ताव अप्रैल माह में भारत सरकार को भेज दिया जाएगा। और in the meanwhile 1/4/2007 से इन पंचायत समितियों में स्टेट प्लान से फण्डेड वह सभी योजनाएं चलाई जाएंगी जो कि अनुसूचित क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। इसी प्रकार किशनगंज और शाहबाद में निवास करने वाली सहरिया आदिम जाति के लिये भी यह सभी योजनाएं लागू की जाएंगी। किसानों की विभिन्न समस्याएं एवं राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में आ रहे कन्सट्रेंटस के समाधान पर विचार कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को देने के लिये एक किसान आयोग बनाने पर सरकार विचार करेगी। एम.एल.ए. ए.एल.डी. स्कीम, वर्तमान में दिये जा रहे 60 लाख प्रतिवर्ष, प्रति विधायक राशि में बिलकुल, मैं समझती हूं कि सबके लिये बहुत काफी है बढ़ोतरी का सुझाव निरन्तर मिलता रहा है, विशेषकर विपक्ष के माननीय सदस्यों से, हालांकि यह भी सत्य है कि कई विधायकगण इस फण्ड से पूरा व्यय कुछ कारणों से नहीं कर पाते हैं। जो पैसा जन कल्याण कार्यों में इस्तेमाल हो सकता है, उसका बचत में पडा रहना भी उचित नहीं है। तो मैं घोषणा करती हूं कि एम.एल.ए. ए.एल.डी. की स्कीम की राशि को वर्ष 2007-08 से 60 लाख से कम करके, सॉरी, बढ़ाकर 80 लाख किया जाएगा। और साथ ही वर्ष 2006-07 में इस फण्ड में वर्ष के अन्त में शेष रही राशि को लेप्स माना जाएगा। राजस्थान में पेयजल की महत्ता को देखते हुए स्कीम में यह भी प्रावधान किया जाएगा कि 80 लाख में से कम से कम 15 लाख रुपये पेयजल सम्बन्धित स्कीम्स के लिये देना होगा। मैं समझती हूं कि वह देंगे आप, खुशी-खुशी, बड़ा दिल देकर देंगे।

राजस्थान दिवस समारोह, माननीय सदस्य, राजस्थान दिवस के बारे में बहुत कुछ सुनने को मेरे को मिला, परन्तु राजस्थान दिवस के समारोह के दौरान हमारी युवा रणजी टीम ने वन-डे के मुकाबले के फाइनल में पहुंचकर हमें गौरवान्वित किया है। इस प्रदेश के लिये सुभाष गुप्ते और वीनू मांकड जैसे खिलाड़ी खेले हैं। वहीं इसने विजय मंजरेकर, सलीम दुर्रानी, हनुमंतसिंह और पार्थसारथी शर्मा जैसे भारतीय टीम में खेलने वाले खिलाड़ी उपलब्ध भी करवाये हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से इस खेल पर मानों ग्रहण सा लग गया है। इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि वर्ष 1974 के बाद, यानी 33 साल बाद राजस्थान की टीम पहली बार रणजी मुकाबले के फाइनल तक पहुंची है। इस मौके पर हमें गौरवान्वित करने वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

और कोच के लिये 50 हजार रुपये प्रति खिलाड़ी पुरस्कार दिये जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही यह भी घोषणा करती हूं कि कोई भी खिलाड़ी अगर भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व करता है तो उसे राजस्थान के किसी भी शहर में रियायती दरों पर रिहायशी प्लाट अलाट किया जाएगा।

इस प्रदेश की महिलाओं के विकास के लिये अनेकानेक योजनाएं एवं इनेशिएटिव्ज की घोषणा की है। इनका क्रियान्वयन करने के लिये और महिला विकास को फोकस्ड थ्रस्ट देने के लिये यह भी आवश्यक है, इसके लिये एक अलग विभाग हो। अब माननीय सदस्य कहेंगे कि यह तो कागजी हैं। परन्तु मैं समझती हूं कि यह इम्पोर्टेण्ट है और इसलिये मैं हाउस के साथ इसको शेयर कर रही हूं और इसलिये मैं महिला एवं बाल विकास का पुनर्गठन कर एक अलग महिला विकास विभाग बनाने की यहां घोषणा करती हूं।

हमारे गांवों में सुख एवं शांति की परम्परा रही है। नये युग के बढ़ते प्रेशर्स ने इस परम्परागत वातावरण को डिस्टर्ब किया है। फिर भी प्रदेश में अनेक ऐसे गांव हैं जहां आपसी मतभेद बातचीत से या पंचायती से निपटाये जाते हैं और ऐसे विवाद गांव से निकलकर थाने तक नहीं पहुंचते हैं। विवाद आपसी बातचीत या पंचायती से निपटाये जाएं, इस प्रवृति को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही एक स्कीम जारी करेगी जिसमें प्रत्येक गांव को स्थाई प्रकृति के काम कराने हेतु एक लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया जाएगा।

अब कुछ कर प्रस्ताव, लकड़ी का बना हुआ हाथ-ठेला गरीब एवं मजदूर वर्ग की आजीविका का साधन है। इस पर 12.5 प्रतिशत वेट देय है। मैं इसे कर-मुक्त करने की घोषणा करती हूं। पी.आई.जे.एफ. एवं आप्टिकल फाइबर केबल, स्टेनलेस स्टील शीट, सर्किल और यूटेंनसिल और एल्युमिनयम फोइल्स के स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च, 2007 सी.एस.टी. की रियायती दर की सुविधा प्रदान की गई थी। मैं इन उद्योगों को यह सुविधा एक वर्ष के लिये बढ़ाने की घोषणा करती हूं। इस वर्ष 31 मार्च, 2008 तक स्टेनलेस स्टील यूटेंनसिल्स सी.एस.टी. मुक्त, स्टेनलेस स्टील शीटस एवं सर्किल पर सी.एस.टी. की दर आधा प्रतिशत और पी.आई.जे.एफ. केबल्स आप्टिकल फाइबर केबल्स और एल्युमिनयम केबल्स पर सी.एस.टी. की दर एक प्रतिशत रहेगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अब बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, बीकानेर भुजिया ने देश में ही नहीं विदेशों में भी राजस्थान की एक अलग पहचान बनाई। यह एक ऐसा व्यंजन है जिससे पेट भर जाए परन्तु इससे मन नहीं भरता। अनब्रांडेड नमकीन पर तो 4 प्रतिशत की दर से वेट देय है परन्तु ब्राण्डेड नमकीन 12.5 कर श्रेणी में ही है। मैं दाल से बनी भुजिया पर देय वेट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने की घोषणा करती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्ला साहब, अब तो ताली बजा दो। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैंने यह स्पेशियली माननीय सदस्य के लिये रखा।

सी.बी.एफ.एस. एवं सी-9 इंडस्ट्रियल फ्यूल की श्रेणी में आता है। किन्तु इन पर वर्तमान में 12.5 प्रतिशत की दर से वेट देय है। राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन की दृष्टि से मैं इनको इण्डस्ट्रियल इनपुट हेतु निर्धारित 4 प्रतिशत कर दर की श्रेणी में करने की घोषणा करती हूं। इसी प्रकार वुड ग्ल्यू भी रा-मेटेरियल के रूप में प्रयोग होता है। अत: इसे भी 12.5 प्रतिशत कर श्रेणी से हटाकर 4 प्रतिशत कर श्रेणी में किया जाना प्रस्तावित है।

टैंट व्यवसायियों से वैट के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। उनकी कठिनाइयों के निदान हेतु मैं टैंट और सम्बद्ध सामग्री पर देय वैट के स्थान पर कम्पोजीशन का विकल्प देने की घोषणा करती हूं। मुझे आशा है कि अधिक से अधिक टैंट व्यवसायी इस सुविधा का लाभ उठाएंगे।

सोनामुखी सामान्यत: निर्यात किये जाने वाली जड़ी-बूटी है। राज्य के कई व्यावसायियों द्वारा सोनामुखी पर देय परचेज टैक्स को भूतलक्षी प्रभाव से माफ करने का आग्रह किया है। व्यवसायियों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा देय ऐसी परचेज टैक्स राशि को माफ करने हेतु आवश्यक आदेश शीघ्र जारी करने की घोषणा करती हूं।

नमक उत्पादकों द्वारा राज्य सरकार को ज्ञापन देकर यह ध्यान में लाया है कि उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है किन्तु उसमें उत्पादित नमक से आय बहुत कम है। अत: मैं नमक बनाने में प्रयुक्त हो रही लवण-युक्त एवं लवणीय भूमि को 01 अप्रैल, 2006 से भूमि कर से मुक्त करने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैं मान्यवर, अब अपनी बात समाप्त करती हूं। हमारी सरकार के बजट प्रस्ताव के द्वारा हमने कोशिश की है कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर पिछड़े हुए अथवा असहाय वर्गों के दुःख-दर्द को हम लोग समझने की कोशिश करें और उनको राहत देने का प्रयास करें। गांधीजी ने कहा था कि अगर यह देखना है कि क्या करना सही होगा तो गरीब की तरफ देखो। उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या लाभकारी है, इसको ध्यान में लाओ। हमें वास्तव में समाज के आखिरी व्यक्ति को अन्यों के समकक्ष लाकर खड़ा करना होगा और जब तक ऐसा नहीं होता, रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में-

समर शेष है इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा,
जिसका है यह न्यास उसे सत् पर पहुंचाना होगा।
समर शेष है जन गंगा को खुल कर लहराने दो,
शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो।
पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे,
समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे।

और इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों, विनियोग एवं वित्त विधेयकों को पारित करने की अनुशंसा करती हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप हमारी बात भी मान लेते। (व्यवधान) 10-12 विधायक हैं। आज गरीब आदमी है। बहुत टैक्स है। 15 रुपये किलो में खरीदते हो और 700-800 रुपये में उनको देते हो तो उसके बारे में तो कुछ कहो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जो बात माननीय मुख्य मंत्रीजी, अपने कार्यकाल में राजीव गांधी ने कहा था कि मैं एक रुपया भेजता हूं और गरीब के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। अभी हाल ही में यू.पी.ए. की सरकार के प्राइम मिनिस्टर और भारत के वित्त मंत्री, दोनों को सोनियाजी गांधी ने यह कहा कि हमारा पैसा गरीब के पास नहीं पहुंचता है। ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि हमारा पैसा गरीब के पास नहीं पहुंच रहा है। गरीब यह महसूस नहीं करता

(श्री रामनारायण चौधरी)

है कि हमारे पास पैसा आ रहा है। आपकी सरकार में, आपके इतना कहने के बाद भी मैं यह कहता हूं कि आज गरीब के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। और यह इस बात से परिलक्षित हुआ था कि डूंगरपुर के चुनाव में हम गये थे सब जगह। वहां पर यह साबित हुआ कि गरीब आदमियों के पास में योजना का पैसा नहीं पहुंच रहा है। यही पोजीशन ... (व्यवधान) हां, तो आप जीतकर आये थे न। दो मिनट, मैं ... (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आप एक मिनट, एक मिनट, मैं इसका जवाब भी दे दूं आपको।

आप तो डूंगरपुर में बहुत देखकर आये। यह सरकार का कहना नहीं है। इसके लिए तो बाहर की एजेंसीज आयी हैं। आपके गवर्नमैंट आफ इंडिया की भेजी हुई, क्या कहते हैं? एजेंसीज आयी हैं। प्लानिंग कमीशन के लोगों ने वहां चक्कर लगाया है और उनका कहना है, ठोक बजाकर कहना है कि वहां जो काम हुआ है और जिस तरीके से लाभ बिलकुल छोटे से छोटे घर तक पहुंचा है वह इस देश के अन्दर ऐसा काम नहीं हुआ है जो राजस्थान के अन्दर हुआ है। तो यह तो गवर्नमैंट आफ इंडिया के कहने वाली बात है। वह सोनिया गांधीजी और जिन सब की आप बातें कर रहे हैं उन सब की है। इसलिए मैं माननीय सदस्य, इतना ही कहना चाहूंगी, प्रतिपक्ष के नेता को इतना ही कहना चाहूंगी कि यह हमारी बात नहीं है। हमारी सरकार की बात नहीं है। यह हमारे राजस्थान के अख़बार की बात नहीं है। यह दिल्ली के लोगों की बात है और जिन लोगों को उन्होंने भेजा है उनकी बात है। उन्होंने हम लोगों को, वह क्या कहते हैं कहा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह महसूस करो कि आपका पैसा गरीब के पास नहीं जा रहा है। आपने ... (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): हम क्यों करें?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने तो एम्प्लायमैंट गारंटी स्कीम, जो भारत सरकार की है, मुझे खुशी है, आपका वक्तव्य सुन कर कि आपने यह तो स्वीकार किया कि भारत सरकार से पैसा हमारे पास आ रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): नहीं, मैंने यह स्वीकार कहां करा? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और उस पर आपने यह जोड़ा कि यह हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: हक है वह। हक है सरकार का ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या? यह आपने ही स्वीकार किया बाकी इन्होंने किसी ने स्वीकार नहीं किया। यह तो यूं ही छाती कूट रहे थे कि हमारा पैसा-पैसा ... (व्यवधान) लेकिन आपने यह स्वीकार किया, यह एक खुशी की बात है। लेकिन आपने यह कहा कि यह हमारा अधिकार है। यह बात सही है कि अधिकार है हमारा, फण्डामैंटल राइट है, संविधान में यह लिखा हुआ है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप सोनियाजी तक यह बात तो पहुंचा दो कि राजस्थान में सबसे बढ़िया रोजगार गारंटी का काम हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नहीं, मेरे से नहीं कर रहे हो, सदन में कर रहे हो आप ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बैठ जाइये। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी से बात कर रहा हूं, सदन की नेता से ही बात कर रहा हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): करेंगे ही मुख्य मंत्रीजी से तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सम्माननीय मंत्रीजी, कोई बात वे सदन की नेता से कर रहे हैं। आपसे नहीं कर रहे, ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं मुख्य मंत्रीजी से ही बात कर रहा हूं कि आपका पैसा भी एम्प्लायमैंट गारंटी के अन्दर, मान्यवर, 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक मजदूर को मिल रहा है। और जो मस्टर रोल आप देते हैं उस मस्टर रोल के अन्दर 80 नाम होते हैं, 100 होते हैं, 20 खाली रहते हैं। वह 20 मेनेजमैंट करने वाले लोग अपने नाम भर देते हैं। और फिर वह मिनिमम प्रोग्राम आपका जो है वह गरीब को राहत पहुंचाने का है वह गरीब को राहत वहां नहीं पहुंच रही है। आप मालूम कर लीजिए सब जगह,

(श्री रामनारायण चौधरी)

कहीं पर भी मिनिमम लेबर मजदूरी मिल रही है क्या? आप मालूम कर लीजिए। और 80 आदमियों का मस्टर रोल भरते हैं, 20 खाली रखते हैं, 100 बनाते हैं, 100 के अन्दर सबका हिस्सा हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: तो यह परम्परा पहले से चल रही है कि अब नई शुरू हुई है?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या?

श्री अध्यक्ष: अब नई शुरू हुई है या पहले से ही चल रही है?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके राज की परम्परा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह पिछले पाँच साल की है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, अभी-अभी ... (व्यवधान) यह योजना आप चला रहे हैं। छह जिलों में आप और चालू करें। अब आप कहते हैं कि हमारे लोगों ने, आपके लोगों ने, आपका तो विश्लेषण एक साल और आठ महीने बाद होगा। एक साल और आठ महीने बाद होगा तब तक आप कुछ भी कहती जाइयेगा। वह कवियों की कहावत है, वह आप पढ़ती जाइएगा। कवियों ने किसी मुल्क को बदला नहीं है। कवि ने कोई, कवि तो काल्पनिक बात करता है। आप क्यों उनका उदाहरण देती हैं? आप उदाहरण दीजिए, महाराणा प्रताप का दीजिए, महात्मा गांधी का दीजिए। उन बहादुर आदमियों का दीजिए जिन्होंने दुनिया को बदला है।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें, आप लोग ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हाड़ी रानी का दिया है न। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप माओ त्से तुंग का दीजिए, चाडएन लाई का दीजिए। आप हो ची मिन्ह का दीजिए, लेनिन का दीजिए जिन्होंने बदला है। दुनिया को बदला है और कवियों ने कहां बदला है? कवि तो यूं ही उड़ते हैं। हवा में उड़ते हैं उनके पर नहीं हैं कहीं भी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, इसलिए कविता करना छोड़िये आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो कवि के दृष्टांत, आपके भाषण के बाद, आप कर्मशील हैं। कर्मशील होकर आप कवियों की बात पर संतोष करते हैं, यह संतोष की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कर्मशील तो मानते हैं न आप?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कवियों की बात पर आप साइटेशन भी नहीं करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्रतिपक्ष के नेता के बाद नहीं, नो-नो ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो मान्यवर, देख लीजिए आप माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह स्वीकार कर लिया है कि केन्द्र से सहायता आ रही है लेकिन वह हमारे हक की आ रही है। मान्यवर, आप यह तो स्वीकार कीजिए कि केन्द्र सरकार के मेनेजमैंट की वजह से, इस प्रशासन की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से जो आपको असिसटेंस आ रही है वह इन सालों में पहले की बजाए बढ़ी है। चार गुणी तक बढ़ गयी। चार गुणी तक बढ़ी है और उसमें वह चार गुणी बढ़ने में आपका वह आपका हिस्सा भी चार गुणा बढ़ गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें। अब क्या कान में कह रहे हो आप इनके? क्या कान में कह रहे हो? आप नियमों की जानकारी नहीं रखते थोड़ा-बहुत भी? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप किसानों की हितैषी हैं और किसानों की बात के ऊपर आप हमारे आग्रह पर, हमारे सेक्रिफाइस के ऊपर हमने मरना माना ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वह उस तरफ भी हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: वह बोल नहीं रही हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मरने के लिए हम तैयार हुए तब आप द्रवित हुईं और किसानों के लिए एक पैकेज जो काफी नहीं है, नाकाफी घोषित किया लेकिन कुछ किया। मैं किसानों की एक बात आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मरने के लिए तैयार हो गये थे आप? मरने के लिए तैयार हो गये थे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या?

श्री अध्यक्ष: आप मरने के लिए तैयार हो गये थे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): संकल्प तो यही था। संकल्प तो मरने का ही था लेकिन आपने नहीं मरने दिया यूं बात अलग है। नहीं, संकल्प तो यही था। (व्यवधान) एक आपको कहूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं तो आपको टोकना नहीं चाहता, पर यह संकल्प किसका था? यह संकल्प किसका था मरने का, यह तो बता दो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी परिचित हैं, आप भी परिचित हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता का।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप भी परिचित हैं और माननीय मंत्री महोदय युनूस खानजी भी परिचित हैं और हमारे उधर से पटेल जीतकर आये हैं जोधपुर से, उनको भी मालूम है, सबको मालूम है। किसानों की मदद के परिचायक हैं कि राजस्थान का नागौरी बछड़ा जो तीन साल का है, उससे छोटे को बाहर भेजने की इजाजत राजस्थान से नहीं है। आप यह मानिये कि नागौरी बछड़ा बूचड़खाने में नहीं जाता है, यह हकीकत है और आपको यह भय है, राजस्थान की सरकार को यह भय है कि यह बूचड़खाने में चला जायेगा। इतने कीमती को बूचड़खाने में किसलिये भेजेंगे और उसके फैट्स के मामले में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई नया कानून बन गया क्या ? इस सरकार ने कोई नया कानून बना दिया क्या इस बारे में ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार ने पुराना कानून बना रखा है न।

श्री अध्यक्ष: अब बनाया है क्या इन्होंने ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, अब थोड़ी बनाया है। पहले से ही चल रहा है। मैं यह थोड़ी कह रहा हूं, पहले से नहीं चल रहा है। पहले भी ज्यादती हो रही थी और आप ज्यादा समझती हैं किसानों के हक को और आप सब किसानों की मदद से आये हुए लोग बैठे हैं। हम तो हमारे दम पर समझो, हमारी पार्टी के दम पर समझो, कुछ गिनती के हैं, आपके पास तो

(श्री रामनारायण चौधरी)

बफर स्टेट है। आप इस बात का अनुमान करिये कि नागौरी बछड़े का फैट के मामले में दूसरे जो बछड़े हैं, उससे ज्यादा हैं। यह बूचड़खाने में नहीं जाते हैं। आप जानकारी करवा लीजिये। आपके होम मिनिस्टर, आपकी गवर्नमैंट के चीफ व्हिप, आपके शिक्षा मंत्रीजी, आपके पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर, इन सबको पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष: तो क्या करें इनका, यह तो बताया ही नहीं आपने।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): नहीं जाते, हम तो मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे प्रार्थना करूंगा । (व्यवधान).. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : बहुत नुकसान हो रहा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में मत बोलिये, बोलने दीजिये उन्हें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सबकी सलाह हुई थी, आप इसके ऊपर पुनर्विचार करके काश्तकारों को अनुमति दीजिये। उनका बछड़ा मेलों में बिककर राजस्थान के बाहर चला जाये। आप कुछ राइडल लगा दीजिये, लेकिन उसकी अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, सबकी सलाह मुख्य मंत्रीजी के पास मैं गया था। मैंने कहा था दिल खोलकर करना, लेकिन आपने दिल नहीं खोला। विधायक कोष के मामले में आपने दिल नहीं खोला। 15 लाख रुपये आपने जल में डाल दिये। 31 तारीख को आप लैप्स कर देंगे। यह दिल को खुशी देने वाली जो घोषणा है, वह नहीं है। मैंने कहा था दिल से दीजिये। मैंने कोई फीगर थोड़ी बताई थी। मैंने कहा था साहब, आप दिल से दीजिये।

श्री अध्यक्ष: पीने के पानी वाली बात तो ठीक है। 15 लाख वाली तो ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 10-15 लाख रुपये का तो आज कोई महत्व नहीं है जिस समय 60 लाख किये थे, उसके बाद में डेढ़ी लेबर हो गयी, डेढ़ी मैटेरियल की कीमत हो गयी। सीमेंट डबल-तिबल हो गयी। मान्यवर, इस पर पुनर्विचार करिये और प्रत्येक विधायक को एक करोड़ रुपये आप दीजिये।

श्री अध्यक्ष: सदन की नेता, प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान करती हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका खाना भी स्वीट हो जायेगा। आप भी स्वीट हो जायेंगी। सब लोग कहेंगे हमारी चीफ मिनिस्टर बहुत स्वीट हैं। सब विधायकों की एक ही मिली-जुली राय है कि एक करोड़ का फण्ड विधायक कोष का होना चाहिये। इसी प्रकार आप कृपा करके पुन: संशोधित घोषणा करेंगी, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक छोटी-सी बात है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेवात विकास बोर्ड का जो पैसा है, वह लैप्स हो रहा है। आपने जो एन.आर.आई. बच्चियों का स्कूल खोलने की बात कही थी, वह अभी तक कोई जगह ही चिह्नित नहीं हुई है। इसलिए हमारे सारे एम एल ए उस रोज आपसे मिलने आये थे, आप उस रोज कोई प्रोग्राम देख रही थीं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इसको आप पहले की तरह डवलपमेंट में खर्च करें। अगर बालिकाओं के स्कूल के लिये जगह मिल जाये तो अगली साल उसके लिये जो बजट होगा, उसमें प्रावधान कर दें। दूसरी, यह कि आप जंगलों को बचाना चाहती हैं, हमने उस रोज भी आपसे निवेदन किया था कि फोरेस्ट गार्डों की कमी है। आप रिटायर फौजियों की बजाय अगर फ्रेश नौजवान लड़के लगायें तो ही जंगल बच पायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसमें इतना सा संशोधन कर दें कि रिटायर फौजियों की जगह हम फ्रेश नौजवान लड़के लगायें तो ही हमारे जंगल बचेंगे। यही दो निवेदन आपसे कर रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सी.एम. साहब, पोस्ट डोडे आप किसानों से 15 रुपये किलो में खरीद रहे हो। पोस्त के डोडे 15 रुपये किलो में आप किसानों से खरीदकर 700-800 रुपये में आप वहां गरीब किसान, जो बी.पी.एल. चयनित है, वह सब पोस्त के डोडे पीते हैं। आप 700-800 रुपये ले रहे हो। यह लूट नहीं हो रही है क्या ? यह लूट नहीं है तो क्या है ? 15 रुपये किलो की चीज 700-800 में ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर : 9 रुपये किलो थे, आपके राज में 9 रुपये किलो था। मुख्य मंत्रीजी ने बढ़ाया है यह। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): रुपये में बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिम राजस्थान में किसानों को ..(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी, आपने जितना सारा टैक्स लगा रखा है, थोड़ा कह रहे हैं, आपके लक्ष्मीनारायणजी दवे के

(श्री हेमाराम चौधरी)

नेतृत्व में हम 11 विधायक और मंत्रीजी आपसे मिले थे, उस समय तो हमें लगा था कि यह हो जायेगा। आपने बात तो ठीक ढंग से की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद बाकी माननीय सदस्य नहीं बोला करते । (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, नागौरी बछड़े को छूट दी जाये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपने फाइनेंस सेक्रेट्री को भी बुलाया था और हमने ..(व्यवधान)..

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, गलत परम्परा डाली जा रही है। मुझे नहीं बोलने दिया। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, तीन साल से छोटे नागौरी बछड़ों को छूट दी जाये माननीय मुख्य मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा: अध्यक्ष महोदय, सफाई कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जाये। (व्यवधान) सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाये राजस्थान में।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): जनजाति क्षेत्र में आबकारी नीति भेदभावपूर्ण है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोल लिये आप, अब क्या कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मैं निवेदन करना चाह रहा हूं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब कुछ नहीं कह सकते आप। नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया। नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आबकारी नीति भेदभावपूर्ण है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर तो आपने गंगानगर शुगर मिल के थ्रू ..(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया: अध्यक्ष महोदय, मैं भी मेरे दल का नेता हूं पर इनके अलग-अलग नेता हैं, बोल रहे हैं सारे। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): सिरोही में जो ठेके प्रथा कर रखी है, उसको खत्म करें। जनजाति इलाके में जितनी भी ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर, आसन पांवों पर है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं बिना इजाजत कभी नहीं बोलता। मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही पिछले 10 वर्षों से मैं इस सदन में यह मांग कर रहा हूं। पाँच साल इन्होंने नहीं किया, अब मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री हैं, पूरे पश्चिमी राजस्थान के काश्तकारों का सवाल है और इसमें कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। एक लाइन का संशोधन है कि तीन वर्ष के कम के बछड़े को जो हमारे राज्य में 10 प्रसिद्ध मेले लगते हैं, उनमें तीन हमारे नागौर में लगते हैं, उसकी रोक हटा दें तो जो गरीब किसान आज मर रहा है, वह किसान अपनी कुछ आमदनी से मदद ले सकता है। मैं गलत बात की मांग नहीं कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि लगातार 2000 के बाद मैं इस सदन में मांग कर रहा हूं पश्चिमी राजस्थान के किसानों का जीने-मरने का प्रश्न है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, उन पर दया करेंगी तो राजस्थान का किसान इनको भी याद करेगा। इतनी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कोई वित्तीय बोझ भी नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, इस बात का मैं समर्थन करता हूं नागौरी बैल पूरे हिन्दुस्तान में हल जोतने के काम आता है, उनको कोई बूचड़खाने में नहीं ले जाता, यह बात बिलकुल सही है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): नागौरी बछड़े को बूचड़खाने में नहीं ले जाया जा रहा है। उसकी जोड़ी 35 हजार रुपये की बिकती है। आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि नागौर के जो बछड़े हैं, तीन साल से छोटे हैं, उन पर 2001 से रोक लगा रखी है। तीन साल वाली रोक हटा ली जाये ताकि नागौर ..(व्यवधान) छूट दी जाये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कोई ईर्ष्यावश कह दे, बूचड़खाने वाली बात तो अलग है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी। (व्यवधान) बैठें, स्थान ग्रहण करें। सदन की नेता खड़ी हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय सदस्यों ने जो बात उठायी है नागौरी बछड़ों के बारे में, यह भी कोर्ट द्वारा हम लोगों को डायरेक्ट किया गया था जिसकी वजह से एक मंत्रिमण्डल समिति के अंदर इस मैटर को हम लोगों ने डाल दिया था। मैं समझती हूं कि एक महीने के अंदर-अंदर इसमें सब हियरिंग वगैरह जो करनी है, वह कम्पलीट हो जायेगी और कोई न कोई डिसीजन बहुत जल्दी आप तक पहुंचा देंगे हम।

मुझे माननीय सदस्यों को एक और खुशखबरी सुनानी है। मैं कहना चाहूंगी कि जो भी बहुत पुराने लम्बित मामले थे जैसे बरसिंगसर पॉवर प्रोजेक्ट 26 साल से लम्बित था, उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। उसी तरीके से 23 साल पुराना धौलपुर का भी पॉवर प्रोजेक्ट था, मैं आपको, इस सदन को खुशी से बताना चाहूंगी आज कि धौलपुर यूनिट-वन सिंक्रेनाइज होकर आज फायर हो चुका है।

कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम लोग जो कुछ कहते हैं उसको करते भी हैं, उसको टाइम बाउंड पीरियड के अन्दर करना चाहते हैं, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, स्पेशली मैं यह कहना चाहूंगी इतना अच्छा कार्य हुआ है तो आप जरूर हम लोगों को कांग्रेचुलेट करोगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा वो एक करोड़ की घोषणा कर दो न। सब की मांग है, इसमें क्या है? आपने पानी का राइडर भी लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष तो बहुत कम आपसे कहते हैं और आपकी खूब प्रशंसा करते हैं, उसको एक करोड़ कर दीजिए आप, क्या दिक्कत है।

श्री भंवर लाल शर्मा (सरदारशहर): 40 करोड़ का फर्क पड़ता है, 40 करोड़ की, रेवेन्यू टैक्सेज में बढ़ोतरी करा देंगे 60 करोड़ की, आप घोषणा कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष: 40 करोड़ का नहीं, 25 करोड़ ही पड़ता है ... (व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रही हैं, खड़े होकर के बोल रही हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आज घोषणा हो जायेगी, वैसे आज जैसी घोषणा में आनन्द कभी नहीं आयेगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आपके साथ बैठ कर बात कर लेंगे।

श्री रामनारायण विश्नोई (उपाध्यक्ष): माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र से सब नमक के जो छोटे व्यापारी थे उनको आपने राहत दी है उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

आपको मेरा एक छोटासा निवेदन और है कि कुछ मतीरों के बीज के व्यापारी जो हैं वो यहां आये हुए हैं। और मतीरों के बीज पर तो आपने टैक्स कम कर दिया, मतीरों के बीज के अन्दर जो गूळी निकलती है वह बहुत ही कम, दस-पन्द्रह यूनिट हैं। छोटा-मोटा काम करने वाली औसियां और फलौदी के अन्दर, उनका आप 12 परसेंट की बजाय 4 परसेंट, नहीं तो गुजरात के मुकाबले में टिक नहीं सकेंगे। मतीरा बीज जब आपने रियायत दे दी है तो उसकी छोटी गूळी के लिए, बड़ा छोटा व्यापारी है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि प्रतिपक्ष के कहने से उन्होंने 80 लाख रुपये किये। यह 120 जो सत्तापक्ष के माननीय सदस्य हैं इनके तो 20 लाख रुपये बढ़ा दें। आपने हमारे कहने से बढ़ाये उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह 120 जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनके कहने से 20 लाख रुपये बढ़ा दो और एक करोड़ की घोषणा कर दें। आपने प्रतिपक्ष के कहने से ही बढ़ाये हैं, यह तो आपने स्वयं ने माना है कि प्रतिपक्ष के कहने से आपने 80 से बढ़ाये, इन सब के कहने से आप बढ़ा दें तो मैं समझता हूं, मुख्य मंत्रीजी, अच्छा रहेगा। आपको यह फैसला करना चाहिए, बड़ा अमाउण्ट नहीं है। इतना बड़ा अमाउण्ट भी नहीं है, अध्यक्षजी ने भी यही कहा है, प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा है और सभी माननीय सदस्यों की भावना है, इस पर फैसला करिये, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आपको घोषणा करनी चाहिए इस बारे में।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मुख्य मंत्रीजी, सभी सदस्यों की मांग है आपसे तो मेरी भी मांग मानेंगी मेरे ख्याल से और 80 लाख से उसको एक करोड़ कर दीजिए फिर चाहे आप 15 लाख पानी के लिए कर दीजिए, वो मन्जूर है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष ने टैक्स लगाने तक के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर दिया कि टैक्स लगा दें चाहे, एक करोड़ कर दो। यह स्वीकार कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह टैक्स

(श्री रामप्रताप कसानिया)

लगाने के लिए कह रहे हैं तो इनसे पूछ लो कौन से मद में लगाना है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य मंत्रीजी, दिल्ली जैसे छोटे राज्य में एम.एल.ए. को...(व्यवधान) हिन्दुस्तान में झारखण्ड में दो करोड़, दिल्ली में दो करोड़, कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जिसमें राजस्थान से कम पैसे मिलते हों। राजस्थान में सब से कम पैसा मिल रहा है और राजस्थान की आप जैसे मुख्यमंत्री हैं ...

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): यह सबसे बड़ा प्रांत है भौगोलिक दृष्टि से और मैं चाहती हूं आज जरा यह घोषणा हो जाए। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्रीजी, महाराज बोल रहे हैं, अब तो आप ध्यान रखिये। हां, यह जरूरी है। धौलपुर का महाराज (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमने इस बुरी हालत में 60 लाख रुपया कर रखा था, आज तो आप मालामाल हैं और उसके बाद आप और मामलों में तो बड़ी दरियादिली दिखा रही थीं, इस 40 करोड़ रुपये के लिए सारा हाउस कह रहा है और आप पसीज ही नहीं रही हैं। माननीय अध्यक्षजी जो अब तक समय दे रही हैं, इनकी भी मूक सहमति है वरना हमको डांट करके दो मिनट में बैठा देतीं, तीसरा मिनट नहीं लगता। अपनी दरियादिली का परिचय दीजिए। आप धौलपुर की महारानी हैं, धौलपुर की बात बिगड़ रही है, आप खड़े होकर घोषणा कीजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत कम बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्श में भी बात हुई है और आप पाकिस्तान जाकर के आये हैं, पता नहीं कहां-कहां जाकर के आये हैं। इतना भी मुख्य मंत्रीजी को आप नहीं कर सकें तो हमारा दुर्भाग्य रहेगा कि अध्यक्ष महिला, मुख्य मंत्री महिला, गवर्नर महिला, तीनों महिला मिल कर के भी हमारे साथ न्याय नहीं कर सके तो कौन न्याय करेगा? मैं समझता हूं कि अब तो, राठौड़ साहब, आखरी काम बचता है आपका। रोज आपके भाषण सुन रहे हैं और रोज मानते हैं कि मुख्य मंत्रीजी के बिहाफ पर आप ही बात करते हैं। अब आखरी हमारी तरफ से आप मुख्य मंत्रीजी को रिप्रैजेंट करिये कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अपनी पार्टी की तरफ से मुख्य मंत्रीजी को समझाने में असफल रहा है। प्रतिपक्ष के कहने से किया, उसके लिए धन्यवाद।

(डा. सी.पी. जोशी)

मैं समझता हूं कि इससे बड़ा असफल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर राजस्थान में नहीं होगा जो अपनी पार्टी की बात को नहीं करवा सकता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य इसमें नहीं बनेगी।

श्री अध्यक्ष: वैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी को आप सब लोगों ने जितना कहना था उतना कह लिया ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप कह दोगे तो कह देंगे, आपका इन्तजार कर रही हैं वो। आप तो कम से कम हमारी भावनाओं की कद्र करो।

श्री अध्यक्ष: अब मुख्य मंत्रीजी ने अपने वित्तीय साधनों को देखते हुए नहीं करना चाहतीं तो अब उसका तो क्या इलाज है, नहीं कर रही हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वापस 60 लाख कर दें।

श्री अध्यक्ष: वैसे तो जब सब कह रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, जब पूरा सदन ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ब्लेम हम पर ही लगा है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा प्रतिपक्ष के कहने से कहा, आप हमारे कहने से वापस 60 लाख कर दीजिए। अब हमारे कहने से 60 लाख कर दीजिए। जब आपको कन्विन्स नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे कहने से 60 लाख कर दीजिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): देखिये, बजट के अनाउन्समेंट इस तरीके से नहीं होते हैं और अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है। क्योंकि यह जो पैसा है हम लोग जनता के पास भेज रहे हैं। मेरी आप लोगों से बात हुई थी और यह एग्रीमेंट हुआ था, इस तरीके से दबाव डाल कर के नहीं होता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दबाव थोड़ी, रिक्वैस्ट कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको दबाव डाल के राजस्थान में कौन आदमी है, ढूंढना पड़ेगा अभी। मैं समझता हूं कि राजस्थान में एम.एल.ए. में से, पार्टी में से कौन आदमी है। प्लान का पैसा है, मुख्य मंत्रीजी, प्लान का पैसा आर सरेण्डर करते हैं 31 मार्च को। 40 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 31 मार्च को पिछले चार सालों से राजस्थान सरकार करोड़ों रुपये सरेण्डर कर रही है। It is a question of only 40 crore rupees. I think as a Finance Minister आपको यह सब चीजें देख कर 40 करोड़

(डा. सी.पी. जोशी)

रुपये को अकोमोडेट करना, बहुत बड़ा अकोमोडेशन नहीं है। आई विश दैट, कल 30 मार्च आप राजस्थान दिवस मना रहे हैं। और 30 मार्च को प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं और प्रेसिडेंट को बुला कर आप चाहते हैं सभी एम.एल.ए. आएं तो मुस्करा कर तो एम.एल.ए. आयेगा, मुंह लटका कर तो एम.एल.ए. नहीं आयेगा। तो मुस्करा कर एम.एल.ए. आवे और प्रेसिडेंट का स्वागत करे इसके लिए जरूरी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि 40 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप सप्लीमेंट्री ग्राण्ट में कर लीजिए 40 करोड़ रुपये, आपको खाली यही कहना है कि, भाई, 40 करोड़ रुपये के लिए हम आपको इतना नहीं करेंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): बात हो गयी अब। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इशारे ही इशारों में कह दिया।

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी, प्रतिपक्ष के नेता ने कह दिया, बाकी और सब माननीय सदस्यों ने कह दिया उसके बाद भी यदि माननीय सदन की नेता...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बचे हैं, आपकी बात को मानेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं तो कहती हूं कि सब की भावनाओं को देखते हुए आप 40 करोड़ खर्च न करें 20 करोड़ कर दीजिए, 90 तो कर दीजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अब तो घोषणा कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष: 20 करोड़ रुपया तो बचाया जा सकता है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक पर खण्डश: विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 पर खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं 3 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बिल ले रहे हैं लेकिन जो प्रस्ताव तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, पहले हाउस की अनुमति लेकर उसको आप करिये उसके बाद करिये।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने जब रखा ही नहीं तो क्यों करूंगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वो स्टेज गयी, यह आपको ध्यान नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वो स्टेज निकल गयी, कल्ला साहब। वो स्टेज गयी

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह स्टेज नहीं है अब। काहे का पाइण्ट ऑफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): Yes, that stage has gone down.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमारा अधिकार है थर्ड रीडिंग पर।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसको करना चाहिए था, उसके बाद शुरू करना चाहिए था आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, थर्ड रीडिंग में हमारा अधिकार है। नहीं पेश किया होगा, नहीं किया होगा, हमारा अधिकार है। (व्यवधान) हमारा अधिकार है, थर्ड रीडिंग में बोलेंगे हम। ऐसे नहीं है, बोलेंगे क्यों नहीं? बोलेंगे। ऐसे थोड़ी है कि नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): थर्ड रीडिंग के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, अब सब करेंगे, दो घंटे चले चाहे चार घंटे चले।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। उन्होंने चूंकि प्रस्तुत ही नहीं किया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उससे क्या फर्क पड़ता है He has forgone his right.

श्री अध्यक्ष: सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह उनका राइट गया होगा लेकिन थर्ड स्टेज पर हमको बोलने का अधिकार है, हम बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हाउस की अनुमति लेनी चाहिए प्रस्तुत नहीं किया तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, उसके लिए मैं थोड़ी ना कर रही हूं, जब पारित का कहें तब बोलिये। मैं ना थोड़ी करूंगी आपको लेकिन चूंकि उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया इसलिए इस समय नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक पर खण्डश: विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2007 पर खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 10, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 10 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड- 11, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-11 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 77 की विद्यमान उप-धारा (1)' के पश्चात और अभिव्यक्ति – के स्थान पर' के पूर्व अभिव्यक्ति 'उसके स्पष्टीकरण को छोड़कर' अन्त:स्थापित की जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-11 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-11 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

आपको बोलना हो तो इस समय आपके पास अपार्च्युनिटी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अभी नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: क्यों, संशोधन रखा है संशोधन पर क्यों नहीं होगा ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): केवल थर्ड रीडिंग में ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जनमत जानने वाला है।

श्री अध्यक्ष: आपको यह तो बताना पड़ेगा ना कि संशोधन यह था और यह किया है ...(व्यवधान) यह तो बताना पड़ेगा आपको। ऐसे कैसे, संशोधन में यह तो बताना पड़ेगा कि यह संशोधन था, उसकी जगह हमने ये किया है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-11 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-11 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-12 से 15, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 से 15 स्वीकार किये जायं?

(स्वीकृत)

खण्ड-12 से 15 स्वीकार किये गये।

खण्ड-16, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-16 के उप-खण्ड (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति (ख) आयी हो, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति (क) प्रतिस्थापित की जाय ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-16 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-16 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–16 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-17 से 30, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-17 से 30 स्वीकार किये जायं?

(स्वीकृत)

खण्ड-17 से 30 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

माननीय मुख्य मंत्रीजी पारित करने का प्रस्ताव करें। अब आपको बोलने का समय होगा। आप चाहें तो पारित का प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 एवं राजस्थान वित्त विधेयक, 2007

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक को पास किया जाय, दोनों विधेयक को ।

श्री अध्यक्ष: विनियोग संख्या-2 विधेयक

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): विधेयक का नाम बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विनियोग संख्या-2 विधेयक को पारित किया जाय ... (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैंने शुरुआत में ही कह दिया था ना विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों।

श्री अध्यक्ष: आप यह बोलें राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

से मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय और वित्त विधेयक, 2007 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष: कोई बोलना चाहते हैं ?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो विदड्रा ही कर लिया था संशोधन।

श्री अध्यक्ष: वह अलग चीज है । पारित होने पर फिर इनको अधिकार है बोलने का ...(व्यवधान) बोल रहे हैं, बोलो।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तविधेयक पर जो Amendment in Rajasthan Fiscal Responsibilities and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7, 2005) इसके ऊपर मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो 6-ए इन्सर्ट किया है इसके अन्दर राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि ''There shall be created a fund called 'Rajasthan Development and Poverty Elevation Fund''. इसके अन्दर मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पाइंट नम्बर टू है, टू में राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया है, यह प्रस्ताव किया गया है कि ''The tax receipts of the State comprising of its own taxes and share in Central Taxes in any year excess of 17.5" मतलब केन्द्र सरकार में राज्य सरकार के करों का हिस्सा या राज्य सरकार के स्वयं के करों का हिस्सा 17.5 परसेंट से ज्यादा होता है तो वह इस फण्ड में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

अब इसके पाइंट नम्बर थ्री पर आप गौर फरमाएं। इसमें यह लिखा गया है साफ-साफ, एक तरफ तो राज्य सरकार द्वारा इस फण्ड का नाम रखा है डवलपमेंट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन फण्ड और दूसरी तरफ इस फण्ड का मकसद क्या रखा गया है यह देखें आप ''To meet the revenue and capital expenditure in a year where in the tax receipts of the States comprising of its own taxes and shares in Central Taxes are less than 10%" कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो राज्य सरकार यह कह रही है कि जो फण्ड हमने क्रियेट किया है उस ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, जवाब कौन देगा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वित्त राज्य मंत्री लिख रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, वित्त राज्य मंत्री कैसे देंगे जब मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर रखा है और मुख्य मंत्रीजी ने सुना है सारी घोषणाएं, वह जवाब कैसे देंगे? वित्त राज्य मंत्री कैसे देंगे जवाब ? जब तक सदन में बहस होगी वित्त मंत्री की हैसियत से मुख्य मंत्री को सदन में बैठना चाहिए यह परम्परा रही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह थोड़े ही हो सकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ऐसे थोड़े ही आपके वित्त राज्य मंत्री जवाब दे देंगे, वित्त राज्य मंत्रीजी समझ रहे हो, क्या कह रहे हैं वह ।

श्री अध्यक्ष: आ रही हैं, आ रही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आ रहे हैं और जब तक यह लिख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पाइन्टस लिख रहे हैं, आ जाएंगी ...(व्यवधान) आ रही हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ राज्य सरकार ने एक फण्ड क्रियेट किया, डवलपमैंट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन फण्ड और दूसरी तरफ उस फण्ड का मकसद क्या रखा, उस फण्ड का मकसद यह रखा कि फिस्कल मैनेजमैंट के लिए उस फण्ड का उपयोग किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष आप मेरे और बोलने वाले तारानगर वाले सदस्य के बीच में आ रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, वह डिस्टर्ब हो रहे हैं ...(व्यवधान) आप प्लीज शांत रहें, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं बहुत विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा यह प्रयास जो किया गया है जिसके अन्दर डवलपमैंट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन फण्ड क्रियेट किया गया है, यह अच्छी शुरुआत है। लेकिन इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है यह इन दो पाइन्ट्स से नजर आती है जिसमें सरकार ने कहा है कि इस फण्ड का उपयोग फिस्कल मैनेजमैंट के अन्दर भी किया जाएगा। यदि फिस्कल मैनेजमैंट में इसका प्रयोग किया जाएगा तो पावर्टी एलीवियेशन इसका नाम रखने की जरुरत क्या थी?

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

इसका नाम रख देते बफर फण्ड और उस बफर फण्ड के अन्दर से जो भी पैसा आपको निकालना है, जब भी निकालना है, जिस भी मकसद के लिए निकालना है वह निकाला जा सकता था। दूसरी ओर इसके साथ ही यदि आपको इसको पावर्टी एलीवियेशन फण्ड ही रखना था तो इसके अन्दर आपको जो इसके परपजेज हैं वह बहुत क्लियरली डिफाइन करने चाहिए थे कि इसका परपज यह होगा कि इसमें सिर्फ पावर्टी एलीवियेशन प्रोग्राम या ऐसे डवलपमैंटल प्रोग्राम जिनके अन्दर पावर्टी एलीवियेशन इनवाल्व होती है,

(19.00 बजे)

उन्हीं के अन्दर इस फण्ड का उपयोग किया जायेगा। तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस फण्ड का नाम जो पावर्टी एलीवियेशन रखा गया है या तो इसका नाम बफर फण्ड रख दें और अगर वास्तव में ही यह पावर्टी एलीवियेशन फण्ड है तो पावर्टी एलीविएशन के मकसद के लिये ही इसका सदुपयोग किया जाए, किसी और मकसद के लिये इसका सदुपयोग नहीं किया जाए।

इस सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि पहले भी कई फण्ड का दुरुपयोग हो चुका है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2005-2006 के अन्दर अपने बजट भाषण के पैरा नम्बर 31 में एक दुलारी योजना की शुरूआत की। उसके अन्दर बजट के माध्यम से 20 लाख रुपये आबंटित भी कर दिये। फिर तीन महीने बाद उन 20 लाख रुपये को विदड्रा कर लिया। यह कह कर विदड्रा कर लिया कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गयी किशोरी शक्ति योजना के अन्दर इसका समायोजन कर लिया गया है इसलिये दुलारी योजना की अब जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किशोरी शक्ति योजना वह योजना है जो शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजना है। सारा का सारा पैसा केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाता है और उस योजना के ऊपर जनवरी, 2004 से जनवरी, 2007 तक यह उन बालिकाओं के लिये योजना बनायी गयी है जिससे जो 11 साल से 18 साल की लड़कियां हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके। पर्टिकूलरली जो रूरल एरिया में रहती हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके उस परपज के लिये यह किशोरी शक्ति योजना बनायी गयी। इसका किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है वह मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। 2004 से जनवरी, 2007 तक जहां इनको 6.15 करोड़ रुपये व्यय करने थे इसके अन्दर, इन्होंने सिर्फ खर्च

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

किये 1.70 करोड़, 26 प्रतिशत पैसा खर्च किया है और जवाब में क्या कहा गया है केन्द्र सरकार को कि हमको ऐसी पात्र बालिकाएं रूरल एरिया में मिली ही नहीं इसलिये हम उस फण्ड का उपयोग नहीं कर सके। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

इसी प्रकार बालिका समृद्धि योजना। जिसके अन्तर्गत राज्य को आज 1,16,180 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना था और उसके ऊपर 6 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च होने थे लेकिन कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है ? सिर्फ 505 बालिकाओं को 32 जिलों के अन्दर लाभान्वित किया जा रहा है और खर्च कितना किया ? इंस्टेंट आफ 6.39 करोड़, इन्होंने खर्च किया सिर्फ 2,52,000 रुपये।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि जो हम कहते हैं वह करते हैं तो जब वह कहते हैं वह करते हैं तो यह जो कहा वह क्यों नहीं किया इन्होंने ? इसके माध्यम से बालिका समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्र सरकार ने यह कहा था कि जैसे ही बालिका होगी 500 रुपये उस जननी को दिये जायेंगे और जब वह बालिका स्कूल जाने लायक हो जायेगी तो पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक उसको तीन सौ रुपये से एक हजार रुपये तक की स्कालरशिप दी जायेगी। उस स्कालरशिप में जहां राज्य सरकार को 1,16,180 बच्चियों को लाभान्वित करना था और इसमें खर्च करना था 6.39 करोड़ वहीं इन्होंने सिर्फ 505 बालिकाओं को लाभान्वित किया है और 2,52,000 रुपये खर्च किये हैं। यह तो वह योजना है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बाकी रुपया कहां गया ? बाकी लैप्स हुआ, कहीं डाइवर्ट हुआ ?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): डाइवर्ट नहीं किया। यह वह योजनाएं हैं जो हंडरेड परसेंट केन्द्र सरकार से पोषित योजनाएं हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मतलब यह लैप्स कर दिया। आपके कहने का मतलब यह है कि यह लैप्स हो गया।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह लैप्स हो गया क्योंकि इन्होंने पैसा खर्च नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं इसी के अन्दर जो फाइनेंस

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

बिल के अन्दर Insertion; 'The transfer to be free-hold and lease-hold' इन्होंने यह प्रावधान रखा है कि जो लीज होल्ड है उसको फ्री होल्ड के अन्दर कन्वर्ट करने की परमीशन दी जायेगी। जब आपने यह परमीशन दे दी तो यह एक तरह से सरकारें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। जो लीज होल्ड के अन्दर राज्य सरकार का वित्त पोषण होता है, हर साल होता है, लगातार होता है और लम्बे अरसे तक होता रहेगा। जब आप उसको सिंगल टाइम कर देंगे तो आगे आने वाली सरकारों को सही समय पर वित्तीय पोषण नहीं हो पायेगा और उनका जो बफर पैसा है वह एक समय में ही आप सारा का सारा यूटिलाइज कर लोगे। यह अनुचित है। इसके लिये लीज होल्ड में कुछ ऐसे प्रावधान रखे जाने चाहिये जिससे एक सीमा से ज्यादा व्यय करने पर ही उस लीज होल्ड को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने की परमीशन दी जाए।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं राजस्थान टैक्स आन लग्जरीज। इसमें ऐसा प्रावधान रखा गया है कि "Marriage places and party places are also providing luxuries to the occupiers on payment of specified tariff." अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि लग्जरी टैक्स बड़े होटल पर, पांच सितारा होटल पर, सात सितारा होटल पर लगाएं लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो अपने बच्चों की शादी एक ऐसी जगह को लेकर जिसका व्यय 50,000 से 1,00,000 रुपये तक हो सकता है, वह करना चाहता है तो उसके ऊपर इस तरह का लग्जरी टैक्स लगाना कहां तक उचित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, क्या बातें कर रहे हैं? वह तो बोल रहे हैं पीछे और आप बातें कर रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे मंत्री आपस में बातें कर रहे हैं। आप इनको ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसलिये कि वह नजदीक बैठे हैं और इनकी बात से वह डिस्टर्ब होते हैं। उनकी बात से नहीं हो रहे हैं डिस्टर्ब। मंत्रीगण भी आपस में बात नहीं करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इस तरह इस लग्जरी टैक्स को विवाह स्थल पर लागू करके एक गरीब आदमी के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाने का क्या औचित्य है ? इसमें सीमा निर्धारित होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक सरकारी कर्मचारी जो क्लर्क लेवल पर काम

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

करता है। वह भी अपने बच्चों की शादी के अन्दर जगह लेने में 50,000 से 1,00,000 रुपये खर्च करना चाहेगा। आज तक उस व्यक्ति पर जगह लेने हेतु कोई टैक्स नहीं था लेकिन अब उसके ऊपर भी लग्जरी टैक्स लग गया तो इस तरह से टैक्स का दायरा एक गरीब आदमी के ऊपर बोझ बढ़ा कर लगाने का कोई औचित्य है ?

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एक और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आमदनी अपनी बतायी है 30,749 करोड़ रुपये ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: All the Ministers are talking. Nobody is going to hear you. सब बातें कर रहे हैं। वह बातें कर रहे हैं, वह बातें कर रहे हैं। यह बातें कर रहे हैं, यह बातें कर रहे हैं। सब बातें कर रहे हैं जिन लोगों को बात करनी है बाहर चले जाएं। यह बहुत गलत परम्परा है। आपस में बातें करते हैं, बैठे रहते हैं। (व्यवधान) तो फिर सुनिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लाभ का बजट प्रस्तुत किया है। वह लाभ का बजट वास्तव में लाभ का बजट नहीं है। वह इसलिये नहीं है कि राज्य की आमदनी जो इस बजट में बतायी गयी है वह 30,749 करोड़ है और खर्च जो किया गया है वह 36,060 करोड़ रुपये बताया गया है। फिस्कल डेफिसिट, सरकार मानती है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट है और उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिये उधार लेकर लाभ के बजट में परिवर्तित किया गया है। जब उधार लेकर आप लाभ के बजट में परिवर्तित करके यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बजट 358 करोड़ रुपये ज्यादा लाभ का बजट है तो भाई जब लाभ का ही बजट आपको बनाना था तो आप एक हजार करोड़ रुपये और उधार ले लेते और सारी दुनिया, जनता को यह दिखाते कि 1358 करोड़ रुपये का आपको लाभ हुआ है। तो इस तरह से गलत तरीके से यह दर्शाना कि राजस्थान राज्य का बजट लाभ का बजट है वह कहां तक उचित है ? लाभ का बजट कैसे हुआ ? आप स्वयं मान रहे हैं आपका फिस्कल डेफिसिट है। आप स्वयं मान रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा लोन ले रहे हैं। जब लोन लेकर आप उस फिस्कल डेफिसिट को कवर करके फिर 358 करोड़ रुपये का लाभ बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यह

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

लाभ का बजट है, यह लाभ का बजट कैसे हुआ ? अगर वास्तव में लाभ का बजट आपको बनाना था तो फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के बाद आप कह सकते थे कि हमारा लाभ का बजट है। इसी तरह से ही अगर आपको लाभ दर्शाना है, पूरी दुनिया को यह दिखाना है तो आप दो हजार करोड़ रुपये और ले लो और यह कह दो कि 2358 करोड़ रुपये का लाभ का बजट हमारा प्रस्तुत किया गया है।

इसी प्रकार मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य में पहले 40 महीने में 1998 में पूर्ववर्ती ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बता रहे हैं लोन का और लाभ का क्या संबंध है, यह आप क्लियर करें, लोन लिया तो उससे क्या हो गया, उससे लाभ हानि में तो नहीं आ जायेगा... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपने ही बताया है कि जो हानि आपको हो रही है, जो फिस्कल डेफिसिट आपको हो रहा है उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार ऋण लेगी ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): डेफिसिट पूरा करने के लिए नहीं ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इसके लिए भी 358 करोड़ रुपये का ज्यादा ऋण लेगी ...(व्यवधान) इस प्रकार से ऋण लेकर के लाभ का बजट बताना इसका क्या औचित्य है? क्यों कह रहे हैं आप कि लाभ का बजट है? कहां से लाभ हो गया? ऋण लेकर के आप अगर लाभ बता रहे हैं तो वह लाभ का बजट नहीं कहा जायेगा। आप स्वयं कह सकते हैं उसको लाभ का बजट लेकिन वह लाभ का बजट नहीं है। आपने 358 करोड़ रुपये लाभ का बजट बताया है, आपने जब हजार करोड़ रुपये का लोन लिया है, बिना लोन लिये अगर लाभ होता है तो उसको लाभ का बजट कहा जाता है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): लोन से असेट्स बनायी आप उस बात को क्यों भूल रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): असेट्स की बात ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से राज्य सरकार दिनों-दिन ऋण का बोझ राजस्थान की जनता पर बढ़ाती जा रही है, 1998 के शुरू के 40 महीने के अंदर 15 हजार

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

करोड़ रुपये का बोझ राजस्थान की जनता के ऊपर पड़ा और यही बोझ शुरू के 40 महीनों में 24 हजार करोड़ राज्य सरकार ने लिया तो इतनी तेजी से ऋण का बोझ राज्य पर बढ़ाने का क्या औचित्य है। आपने ऋण का बोझ 60 प्रतिशत ज्यादा बढ़ा दिया। शुरू के 40 महीने के अंदर जबकि आपका रेवेन्यु जनरेशन 20 से 25 प्रतिशत पहले से अधिक हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ राज्य सरकार ऋण ले रही है दूसरी तरफ राज्य सरकार का यह भी दायित्व बनता है कि वह ऋण का बोझ धीरे-धीरे राजस्थान की जनता पर से उतारे। लेकिन कितना उतारा है बोझ, 2002-03 में राज्य सरकार ने लोन लेकर ऋण की अदायगी की थी 12605 करोड़ रुपये, अगले साल 2003-04 में ऋण अदायगी की थी 12729 करोड़ रुपये और 2004-05 में जब वर्तमान सरकार शासन में आ गयी, तब इन्होंने ऋण की अदायगी की थी, पिछले साल की बनिस्पत 50 प्रतिशत, सिर्फ 6681 करोड़ रुपये, अब तो हालत इतनी दयनीय हो गयी है कि 2005-06 में राज्य सरकार ने ऋण की अदायगी तीन फिगर्स में की है, 992 करोड़, इस प्रकार से ऋण की अदायगी करके राज्य सरकार को राजस्थान की जनता पर से ऋण का बोझ कम करना चाहिए था, उसकी दर इन्होंने घटा दी, 12605 करोड़ रुपये से लेकर 992 करोड़ रुपये ऋण की अदायगी यह कर रहे हैं, इसका क्या औचित्य है। यह नहीं दर्शाता है कि राजस्थान की जनता पर एक तरफ तो ज्यादा ऋण लेकर के बोझ बढ़ाया जा रहा है और दूसरी ओर जो ऋण अदायगी की प्रवृत्ति थी उसके अंदर धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है जो कि 12 हजार से कम होकर 992 करोड़ रुपये हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी कहा कि जो एफआरबीएम एक्ट है उसके अंदर यह क्लियरली दर्शाया गया है कि जीडीपी का तीन प्रतिशत फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। और इस बार 2007-08 में जीडीपी का 3.58 प्रतिशत फिस्कल डेफिसिट होगा। अब इसमें यह देखें कि जो जीडीपी है उसके अंदर फिस्कल डेफिसिट का अगर भाग दिया जाये तो पिछले तीन साल में राज्य सरकार को फिस्कल डेफिसिट में कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पडा है। सिर्फ जीडीपी बढ़ने के कारण फर्क पड़ा है। यह जीडीपी अगर किसी कारणवश, कोई हादसा हो जाये, जैसे ओलावृष्टि हुई, एक साल अकाल पड़ जाये और आपकी जीडीपी कम हो जाये तो यह सारा का सारा मैनजेमेंट

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

एकदम से फ्लाप हो जाये। अभी फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी का जो प्रतिशत है, जो शुरू में आपने बताया है कि तीन प्रतिशत था और 2007-08 में जीडीपी का 3.58 प्रतिशत हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, जीडीपी का तीन प्रतिशत जो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए और जो इस बार प्रोजेक्ट किया गया है, 3.58 प्रतिशत वह सारा जीडीपी के अंदर बढ़ोत्तरी के कारण हुआ है। क्योंकि 2003-04 में जीडीपी था 10 लाख 8 हजार 322 करोड़ रुपये और इस बार 2006-07 में यह जीडीपी हो गया 13 लाख 99 हजार 28 करोड़ रुपये तो इसमें जो 31 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है उसी कारण से जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट के रेश्यो में इम्प्रुवमेंट हुआ है, ना कि आपके फाइनेंसियल मैनेजमेंट से क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अगर आप देखें तो उसमें पहले के बनिस्पत कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी मल्टीनेशनल कम्पनी या कोई भी कॉरपोरेट रिसर्च एंड डवलपमेंट पर सिग्निफिकेंट राशि खर्च करती है जिससे कि प्रदेश का विकास हो, साइंटिफिक तरीके से तेज गति से हो सके। अब आप देखें कि इनकी पुस्तक नम्बर 6, हैड नम्बर 5425, सब हैड 800 और रिसर्च एंड डवलपमेंट के लिए, राजस्थान की जनता के विकास के लिए जो रिसर्च एंड डवलपमेंट फण्ड बनाया है जिससे कि यह रिसर्च होगी कि राजस्थान का विकास कितनी तेजी से, सुचारू तरीके से किया जाये, उसमें सिर्फ 13 हजार रुपये रखे हैं। यह तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, 13 हजार रुपये के अंदर तो एक ऑफिस का डेकोरेशन भी नहीं हो सकता है। एक टेबल, कुर्सी और एक आदमी को एम्प्लाई भी नहीं किया जा सकता है। रिसर्च एंड डवलपमेंट के अंदर इतनी कम राशि रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो आर्थिक नीति और सुधार परिषद है, ईपीआरसी के अंदर पुस्तक नम्बर 5, 307 हैड नम्बर 3451, सब हैड 091 इसमें इनोवेटिव स्कीम्स के लिए विविध कार्यों के लिए जो राशि रखी गयी है वह है 1251 करोड़ रुपये और इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। इतनी बड़ी राशि किन कार्यों के लिए खर्च की जायेगी इसका कोई विस्तार से खुलासा नहीं किया गया है। छोटी-मोटी राशि हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, उसका कोई विवरण नहीं दिया जाये, विविध की

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

केटेगरी में रख दिया जाये तो औचित्य समझ में आता है। लेकिन इतनी बड़ी राशि 1251 करोड़ रुपये की राशि जिसको इस प्रकार से विविध के मद में रख दिया गया हो और दूसरी तरफ कोई खुलासा नहीं किया गया है इसका भी कोई औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आखिरी बात और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में राज्य सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए कोई भी योगदान नहीं किया क्योंकि जब तक आप फ्युल की कीमतें पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में उस स्तर पर नहीं लायेंगे तथा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते हैं तो सारी चीजों पर इनका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब जहां एक और हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में डीजल पर टैक्स है 12 प्रतिशत वहीं राजस्थान में इन राज्यों के मुकाबले टैक्स है 20 प्रतिशत डीजल में और दूसरी तरफ पेट्रोल पर जहां आपको 20 प्रतिशत हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में टैक्स देना पड़ता है यहां 28 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है और उसके अलावा 50 पैसे सेस अलग देना पड़ता है। राजस्थान राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रति लीटर तीन से पाँच रुपये पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज्यादा हैं और इसके कारण यह हुआ कि दूसरे पड़ोसी राज्यों से यहां पर ...

श्री अध्यक्ष: चार-पांच रुपये तो नहीं है, लेकिन हां, एक-डेढ़ रुपये ज्यादा है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैडम, तीन रुपये ज्यादा है, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुकाबले।

श्री अध्यक्ष: मैं हरियाणा की ही कह रही हूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): तीन से चार रुपये है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे राजस्थान सरकार को जो राजस्व की आय होनी चाहिए थी उतनी आय नहीं हुई। इससे स्मगलिंग ज्यादा हो गयी पड़ोसी राज्यों से और कुछ जो असामाजिक, स्वार्थी तत्व हैं उनको लाभ पहुंचा। इसलिए राजस्थान में सेल्स टैक्स की दर को फ्युल पर पड़ोसी राज्यों के मुकाबले न्यायसंगत किया जाये, जिससे कि यहां की महंगाई पर भी असर पड़े और स्मगलिंग होकर आने वाले फ्यूल में कमी आए और राज्य की आय भी बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो यह फिस्कल मैनेजमेंट बिल पावर्टी एलिवीएशन का बहुत जोर-जोर से डंगा

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

बजाया गया। यह पॉवर्टी एलिवेशन के जो पर्पजेज हैं इनको रेक्टिफाई करके करेक्ट किया जाए और यह स्पेसीफाई किया जाए कि डवलपमेंट एण्ड पावर्टी एलिविएशन फण्ड के अंदर जो राशि उपयोग में लाई जाएगी वह सारी पावर्टी एलिविएशन एण्ड डवलपमेंट एक्टिविटीज में काम लाई जाएगी, फिस्कल मैनेजमेंट में इस राशि का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सरकार ने जो इनोवेटिव आइडियाज इण्ट्रोड्यूस किए हैं, अब समय आ गया है कि हम वन टाइम लैण्ड जो डिस्पोज कर रहे हैं, उसमें नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। वन टाइम लैण्ड को हम डिस्पोज कर रहे हैं, चाहे लैण्ड हम बिल्डर्स को दें, चाहे लैण्ड हम और किसी को दें। आज लैण्ड हमारे लिए सबसे बड़ी असेट हो गया है। राजस्थान में जिन किन्हीं कारणों से हुई, उस लैण्ड के द्वारा सरकार यह इनोवेटिव आइडिया सोच सकती है कि हम इसे इक्विटी में कंवर्ट करें, अगर सरकार इक्विटी में कंवर्ट करेगी तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में लम्बे समय तक हम नोन टैक्स रेवेन्यू का आधार जनरेट करने का काम कर सकेंगे।

एक तो मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि जब हम नई चीजों के बारे में चर्चा करें तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र में हम ज्यादा आगे आकर यह बात सोचें कि कैसे लैण्ड हमारी असेट होकर नोन टैक्स रेवेन्यू में जनरेट कर सकें। आने वाले समय में अप्रोक्सीमेटली जिस तरह से दिल्ली के पास जयपुर बढ़ रहा है वहां सबसे ज्यादा अट्रेक्टिव इन्वेस्टमेंट कहीं होगा तो वह राजस्थान में होगा चाहे वह नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत हो, चाहे आज दिल्ली में जिस तरह कंजक्शन हो गया है, एयर का, आपके एयरपोर्ट डवलप होगा तो जयपुर के अंदर डवलप होगा। तो सबसे बड़ी असेट माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैंने सोच समझकर आपके फाइनेंस बिल पर बोलने का समय लिया। 40 लाख नहीं, 40 करोड़ रुपये के इनोवेटिव आइडियाज से राजस्थान सरकार की किटी में आप ला सकते हैं। हम उस 40 करोड़ में लोकल ग्रिवेंसेज इसमें वर्ड लिखा हुआ है कि फाइनेंस बिल में किन चीजों पर डिस्कस हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप मुस्कुरा

(डा. सी.पी. जोशी)

कर सुनेंगे तो मैं अपनी बात कर सकूंगा, गुस्से में सुनेंगे तो अपनी बात नहीं कर पाऊंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी।

''On a motion that the Finance Bill be taken into consideration, a member may discuss matters relating to general administration,...'' General administration, number one. "...local grievances within the sphere of the responsibility of Government ..." अब यह लोकल ग्रिवेंसेज विधान सभा के 200 एम एल ए जो अलग-अलग जगहों से रिप्रजेंट करके आते हैं जो अपना बहुत समय जनता के बीच जाकर लगाते हैं। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी, एक करोड़ यदि आप एम एल ए फण्ड से करते हैं तो टोटल कितना होता है, 200 करोड़ रुपये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपकी प्रोजेक्ट कोस्ट चार सौ करोड़ रुपए है, पांच सौ करोड़ रुपये है, उस काम को इंजीनियर जो देखता है उस इंजीनियर के बिल पास करने के सम्बन्ध में जो काम होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत पैसा नीचे इफेक्टिव वह वहां पर नहीं लगता है। 20-30 प्रतिशत चाहे बी एस आर में एस्केलेशन के कारण हो, चाहे मैटेरियल कोस्ट के कारण हो, चाहे सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी के कारण हो, इतना आप अकारण माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे खर्च करना चाहते हैं। आई से टेक्नोक्रेट और एम एल ए के कहने से हम माननीय मुख्य मंत्रीजी इतनी कंजूस हो कि यह 200 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, उन लोगों में से हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन माननीय मुख्य मंत्रीजी, एम्पावरमेंट ऑफ पंचायतीराज, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि फण्ड, फंक्शन एण्ड फंक्शनरीज, आज माननीय अध्यक्ष महोदय, फण्ड फंक्शन एण्ड फंक्शनरीज में यह ज्यादा आवश्यकता है कि पंचायतों के जनप्रतिनिधि जो आपके 12 जिलों के हैं जहां पर यह स्कीम लागू हो रही है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की, वहां का सरपंच एक एम एल ए से ज्यादा काम अपनी पंचायत में करवाएगा। उसके सुपरवीजन के सम्बन्ध में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। और एम एल ए एक करोड़ कैसे खर्च कर देगा? तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, मुझे समझ में नहीं आता कि जो ब्यूरोक्रेसी है, इस ब्यूरोक्रेसी को यह बात समझने की जरूरत है कि आज बारां जिले की एक पंचायत में एक सरपंच करोड़ों रुपयों का काम कराएगा उसके सम्बन्ध में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन 40 करोड़ की चर्चा हो जाएगी तो माननीय मुख्य

(डा. सी.पी. जोशी)

मंत्रीजी के मन में जो है, उस मन को रोकने के लिए ब्यूरोक्रेट हो ब्रेक कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपको आगे बढ़कर काम करना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे दो-तीन निवेदन और करना चाहता हूं कि आप स्वयं यह जानते हैं कि कुछ चीजें अच्छी आपने की हैं। चाहे आप इनोवेशन के सम्बन्ध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए सोशल सेक्टर में जा रहे हैं, चाहे आपने सौ करोड़ रुपये का फण्ड जनरेट करने की व्यवस्था फाइनेंस बिल में करके 200 करोड़ का किया। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि 17.4 से आएगा तो आप उसे बैलेंस करने के लिए कहेंगे, नाम आपने कुछ नहीं लिया, मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं लेकिन आपने दो इनिशिएटिव अच्छे लिए हैं। एक तो आपने सोशल गैप कम करने के लिए जो फण्ड निकाला और यह जो तीन सौ करोड़ की किटी निकाली, यह राजस्थान के सम्बन्ध में आपके इनिशिएटिव अच्छे हैं। पर माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह आवश्यक है जो गर्ल्स चाइल्ड एजूकेशन है उसमें एस सी और एस टी की जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को खास तौर से साउथ राजस्थान की बात कह सकता हूं, एस टी की बच्चियां माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर यदि आठवीं क्लास तक बच्ची पढ़ी लिखी हो जाए तो मैं समझता हूं कि बालिका के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आपको पूरे राजस्थान में गर्ल्स चाइल्ड एजूकेशन और साउथ राजस्थान में एस टी की गर्ल्स चाइल्ड एजूकेशन, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। फीगर देखकर मैं बताना चाहता हूं कि आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि अभी हायर एजूकेशन के अंदर जो आपकी एस टी की गर्ल्स का पर्सेण्टेज है वह बहुत कम है इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आपका जो इण्टरवेंशन वहां पर है वह इण्टरवेंशन आपको दूसरे ढंग से करने की आवश्यकता है। वहां पर आपको इण्टरवेंशन करने की जरूरत है। आफ्टर एट एक कंडेस कोर्स आफ सिक्स मंथ्स, जो अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सके, उसको मीट आउट करने के लिए यदि आपके दिमाग में कोई प्रोग्राम हो माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वह सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाएंगी।

एस टी की बच्चियां यदि आठवीं कक्षा तक भी पढ़ लिख जाएंगी तो उसका एक अंतर आएगा, अगले पन्द्रह-बीस साल में, इसलिए मेरा आपसे

(डा. सी.पी. जोशी)

निवेदन है कि गर्ल्स चाइल्ड एजूकेशन में आपका जो इण्टरवेंशन है स्कूटी के माध्यम से या साइकिल के माध्यम से, शायद माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके ट्राइबल के जो एम एल ए हैं उन्होंने बताया नहीं होगा कि आज भी साउथ राजस्थान में एक पंचायत पर केवल मात्र एक तिहाई पापूलेशन रहती है बाकी दो तिहाई पापूलेशन मजरों में रहती है। उन मजरों तक आने जाने के रास्ते नहीं है। माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि आज भी यदि कोटड़ा, झाड़ौल, जैसे इण्टीरियर के इलाके हैं हमारे उनमें आज भी आने जाने के रास्ते नहीं है, वहां पर वह बच्ची साइकिल कहां चलाएगी, साइकिल पंक्चर होने के बाद रिपेयर कौन करेगा? मैं समझता हूं कि वहां पर इण्टरवेंशन का जो कंसेप्ट है वहां पर उसका कंसेप्ट को बदलना पड़ेगा।

एक और निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे कि पंचायत समिति मुख्यालय पर जो स्कूल है, उस स्कूल में पर आर्टस, साइन्स, कामर्स, तीनों फैकल्टी लागू कर दें और एक हास्टल की व्यवस्था और कर दें ताकि उस पंचायत समिति में रहने वाले बच्चे तीनों फैकल्टी की एजूकेशन ले सकें। आपने जितने भी स्कूल खोले हैं उनमें आर्टस सब्जेक्ट ही खोला है, हिन्दी और सिविक्स के खोले हैं लेकिन आज भी साइन्स सब्जेक्ट जिस ढंग से हम खोलेंगे उसको दस साल, पन्द्रह साल लग जाएंगे, इसका मतलब वह एस सी और एस टी की बच्ची और बच्चे आने वाले बीस सालों तक आई टी से एक्सपोजर ही नहीं होंगे इसलिए ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि टू बिगन विथ, जैसे आपने होस्टलों का कंसेप्ट दिया है और राजस्थान में 237 पंचायत समितियां हैं, उन 237 पंचायत समिति मुख्यालयों की सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में आप आर्टस, साइन्स और कामर्स की व्यवस्था कर दें और वहां 50 बच्चों के होस्टल की व्यवस्था कर दें तो एक क्वालिटेटिव चेंज आएगा एजूकेशन का और इसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको सोचने की आवश्यकता है।

एक मुद्दा और है, बड़ी सादड़ी और उससे लगे हुए ट्राइबल सब प्लान एरिया की जो पंचायत समितियां हैं उनको जोड़ा उसके लिए तो आपको धन्यवाद लेकिन आज भी स्केटर्ड पापूलेशन की संख्या 12 लाख है। कुम्भलगढ़ के माननीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मावली के आपके विधायक बैठे हुए हैं, वल्लभनगर के विधायक बैठे हुए हैं, नाथद्वारा और गोगुंदा, आप किसी भी

(डा. सी.पी. जोशी)

इलाके में चले जाएं वहां पर जो ट्राइबल रहता है वह दूसरी श्रेणी का सिटीजन हो जाएगा इसलिए जिस हिसाब से आपने स्टेट प्लान का फण्ड बड़ी सादड़ी में एडजस्टेंस पंचायत समितियों में किया है। बिखरी हुई जनसंख्या जो अदर दैन जिस जगह पर है उनकी संख्या भी 12 लाख है, उनके सम्बन्ध में भी स्टेट प्लान में कुछ व्यवस्था आप करें तो मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह बहुत बड़ा काम है।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जो टैक्स कलेक्शन का कंसेप्ट है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, उस टैक्स कलेक्शन के कंसेप्ट में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। रेवेन्यू जनरेशन के नाम पर जो हम ठेके दे रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह बहुत बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए जिसको समझने की आवश्यकता है। आप आज मानेंगे कि नहीं मानेंगे, चाहे आपके सेल टैक्स के ठेके हों चाहे आपके माइन्स के ठेके हों, चाहे एक्साइज के ठेके हों, एक्साइज में आपने हिम्मत करके पालिसी बदली, आपको साधुवाद लेकिन जो दूसरे ठेकों का कंसेप्ट है उसमें आपकी टोटल वेल्यूएशन उसके लिए मिनिमम रेट डिपार्टमेंट की है ही नहीं, कितना पैसा हमको मिलेगा, यह डिपार्टमेंट को आइडिया ही नहीं है। कार्टेल बनाकर वह डिटरमिन करते हैं कि कितने में ठेका लेंगे, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति नहीं बन सकती है। My own assessment is, I wish that I prove to be wrong, but my own assessment is that राजस्थान में 1994 से लेकर 2007 तक जो माइन्स का रेवेन्यू है उसमें लगभग पांच सौ करोड़ का आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसे मैं उल्टा आर्ग्यूमेंट कह रहा हूं कि पांच सौ करोड़ में से दो सौ पचास करोड़ की रेवेन्यू विभाग के अधिकारी अपनी गफलत के कारण राजस्थान की किटी में नहीं आने दे रहे थे। इसलिए नए सिरे से आवश्यकता है इन सारी बातों की कि हम हमारे विभाग का यह असेसमेंट नहीं करा सकते कि इतनी माइन्स है, इतना इसका सेल टैक्स बनता है, इसकी कितनी मिनिमम वेल्यू बननी चाहिए।

उतना कम से कम हम एक बेंच मार्क तो बनावें, वह बेंच मार्क भी हमारे पास नहीं है। हम अपने फेल्योर के नाम पर ठेके देकर कलेक्शन करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी इस संबंध में भी राजस्थान को सोचने की इसलिए आवश्यकता है। मैं आपके विभाग के फाइनेंस

(डा. सी.पी. जोशी)

सेक्रेट्री से चाहूंगा कि वे आपको फीगर दें पिछले पांच साल में आपके एरियर बढ़ते जा रहे हैं। आप उठाकर देख लीजिएगा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की बायन्सी बढ़ रही है, कलेक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ में जो एरियर है वह भी बढ़ता जा रहा है। ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं, एक तरफ तो आप सेल्स टैक्स का अमाउंट बढ़ा रहे हैं दूसरी तरफ सेल्स टैक्स का जो एरियर है वह पिछले पांच साल में बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब विभाग की एफीसिएंसी यदि हमने ज्यादा कलेक्शन किया तो विभाग एफीसिएंट है। My yardstick is different. यदि वहां पर ज्यादा पैसा बाकी है तो डिपार्टमेंट एफिसिएंटली अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए ज्यादा आवश्यकता इस बात की है अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे विभाग ने कोशिश की पिछले लम्बे समय का आप उठाकर देखें माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप जानकर आश्चर्य करेंगे 800 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है जिनकी विभाग से कोई सूचना आज पीएसी के पास नहीं आई है। 800 करोड़ रुपया तो वही पड़ा है। आप चार विभाग का सेल्स टैक्स विभाग और इनका हिसाब-किताब लगाएं तो करीब 3-4 हजार करोड़ रुपया एरियर का बन जाता है। अब लिटिगेशन में पडा हुआ है, एलआर एक्ट में पड़ा हुआ है, मैं समझता हूं कि आज एफिसिएंटली हमें इसको भी करने की आवश्यकता है कि डिपार्टमेंट कितना एरियर ठीक ढंग से कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं इस आशा के साथ कि राजा जब जिद पकड़ लेता है तो राजा की जिद को कम करने के लिए यज्ञ भी करवाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, पर माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जिस ढंग से आप बार-बार कहते हैं कि सभी मिलकर इसमें काम करें, आप प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भी करना चाहते हैं, आप एमएलए के इन्वोल्वमेंट को क्यों इग्नोर करना चाहते हैं, एक एमएलए, सरकारी पक्ष का एमएलए ट्रांसफर, पोस्टिंग के अलावा तो किसी मंत्री के पास जाता ही नहीं है, मंत्री के पास पालिसी डिसीजन का काम ही नहीं है, पालिसी डिसीजन के संबंध में कभी हमने एमएलए की चर्चा नहीं की, मैं भी मंत्री रहा, एमएलए के पास कुछ नहीं, एमएलए के पास जो काम है वह यह है कि अपने इलाके में जाए, जनता के सुख-दुःख के कुछ काम हैं उसमें भागीदारी निभाए, जो काम प्लान में नहीं हो सकते वे अपने एमएलए फण्ड से कराए, यह एक बहुत बड़ा हथियार एमएलए के पास है जिस हथियार

(डा. सी.पी. जोशी)

से वह अपनी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ाकर जनता के बीच में जाकर अपनी बात को कर सकता है। मैं आपसे फिर सानुरोध निवेदन करूंगा कि आप इस फाइनेंस बिल में जैसा रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जहां-जहां भी इन चीजों को आप इंक्लूड करके फाइनेंस को ठीक कर सकें, करें। जैसा हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय चौधरी साहब ने भी कहा और हम सब सदन के लोगों की भावना है कि आप इस फाइनेंस बिल को पास करते समय कम से कम अध्यक्ष महोदय की भावना है, हम सबकी भावना है और आपकी भी भावना है कि कल प्रेसीडेंट आये तो सब आदमी हंसी-खुशी से वहां प्रेसीडेंड के सामने जाएं, मुंह लटकाए वहां पर जाएं कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा नहीं की, हम एमएलए थे, रिक्वेस्ट नहीं की तो मुख्य मंत्रीजी वह हम सबके लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जब फाइनेंस बिल का पास करने का प्रस्ताव रखेंगे उसमें हमको यह आश्वस्त करेंगे आप इस बारे में विचार करेंगे और विचार करके यदि आपको मन में ठीक लगे कि ज्युडिसियस काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर इस पैसे को इन्हांस करके इनका सेंस ऑफ इन्वोल्वमेंट करने के संबंध में भी आप जरूर निवेदन करें। आपने समय दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो खाली यह चाहते थे कि सभी सदस्यों को मालूम पड़े कि एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल अलग-अलग चीज होती है, टाइम शिड्यूल के कारण दोनों बिल आपने रख दिये, भविष्य में राजस्थान में जब भी आप सदन बुलाएं मेहरबानी करके एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल अलग-अलग डिसकस कराएं जिससे हम ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, इसी भावना से हमने इसमें पार्टिसिपेट किया अन्यथा हमारी भावना नहीं थी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जो वित्त मंत्री भी हैं वह हमारे इन सुझावों को जो यदि उनको ठीक लगे तो इनको इनकोरपोरेट करें और राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ाएं और राजस्थान के विकास में जो भागीदारी की हमसे अपेक्षा करें निश्चित तौर पर हम भी उनसे भागीदारी निभाने की कोशिश करेंगे, धन्यवाद।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं बोलने दूंगी आपको। यही तो प्रोब्लम है कि वह मुख्य मंत्री भी और वित्त मंत्री भी है। मुख्य मंत्री के नाते तो तैयार हैं, लेकिन वित्त मंत्री के नाते हेजीटेट कर रही हैं, यही तो प्रोब्लम है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री वित्त मंत्री से बड़ा होता है। मुख्य मंत्री तैयार है तो आपका यह आब्जर्वेशन तो हमारे पक्ष में है कि मुख्य मंत्री तैयार है, वित्त मंत्री तैयार नहीं है तो मुख्य मंत्री से ऊपर तो वित्त मंत्री है नहीं। वित्त मंत्री के ऊपर मुख्य मंत्री है। इसलिए मुख्यमंत्री तैयार है तो मैं समझता हूं कोई चीज बाकी नहीं बचती है।

श्री अध्यक्ष: मैं समझती हूं यह सदन 5 करोड़ 65 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और जनता की भावना को वे समझेंगी।

श्री बन्ने सिंह (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ जो बढ़ा रहे हैं उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। दूसरा डिप्टी स्पीकर साहब ने एक मुद्दा उठाया था कि मतीरे के बीज हैं और उस बीज से निकलने वाली मींगी है उस पर चार परसेंट वेट का टेक्स लगा दिया है। आपने पहले इस बीज को टेक्स फ्री कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा

श्री अध्यक्ष: कहां बीज की बात ले गये। कहां बात हो रही है, कहां बीज पर चले गये। मतीरे के बीज पर कहां से आ गये। क्या बात कर रहे हैं?

श्री बन्ने सिंह (ओसियां): बीज एक ऐसी चीज है जो एग्रीकल्चर का बाई प्रोडक्ट है, अलग से कोई खेती नहीं होती यह पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ओसियां और शेरगढ़ में होता है वहां पूरे जोधपुर में 30 यूनिट लगी हुई हैं और इसका कंपीटिशन बनासकांठा के बीज का प्रोडक्ट क्षेत्र है उस क्षेत्र से करना पड़ता है। उस बीज के अंदर भींगी निकलती है, वह 45 परसेंट है और जो राजस्थान व जोधपुर के बीज की मींगी निकलती है वह 37 परसेंट है। इसलिए यह व्यापारी यूनिट है, यह बंद हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर बोलें।

श्री बन्ने सिंह (ओसियां): दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वित्त विधेयक में एक-एक के बारे में बात नहीं होती है सारे राजस्थान की बात होती है।

श्री बन्ने सिंह (ओसियां): यह हजारों मजदूरों का, गरीबों का, विकलांगों की मजदूरी से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बीज की मींगी को कोई ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रही है, आप टेंट वालों को, नमक वालों को इतनी बड़ी-बड़ी यूनिट्स को आप टैक्स फ्री कर रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वेट से इस बीज की मींगी को फ्री करावें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल सब प्लान इलाके की 23 पंचायत समितियों हैं उनमें आपने आबकारी नीति अपना रखी है वह बहुत ही भेदभावपूर्ण है। वैसे तो आपने भारत सरकार के टेम्परेंस प्रोग्राम का पूरा उल्लंघन किया है पिछले साल, इस साल आपने आधे इलाके में पुरानी नीति थी गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से शराब वितरण की वह नीति बांसवाड़ा, डूंगरपुर में तो आपने लगा ली, पर उदयपुर का इलाका, चित्तौड़ का इलाका और सिरोही का इलाका और सहरिया, रामगंज इलाके में आपने यथावत ठेकेदारों के माध्यम से जो व्यवस्था रखी है उससे आपको रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि उस गरीब के कल्याण की जहां आप बात करते हो उस गरीब के बाल-बच्चे भूखे मरेंगे, वह नंगा हो जाएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आबकारी नीति में परिवर्तन करते हुए जो ट्राइबल सब प्लान इलाके का और सहरिया इलाके का रह गया है उस इलाके में पूर्व में जैसी व्यवस्था थी गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से जो 69 दुकानों के माध्यम से इतने लम्बे इलाके में देशी शराब का वितरण होता था और उचित मूल्य लिया जाता था। आपने रेट भी डबल कर दी और दुकानें भी 69 की जगह 600 कर दी होगी तो उससे वहां का गरीब आदमी बर्बाद हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर विचार करें और उन लोगों के कल्याण के लिए अगर आपके मन में कोई कल्पना है तो आबकारी नीति के तहत बिलकुल इस व्यवस्था को खतम करें और जो पुरानी व्यवस्था थी गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से उसको आप करेंगे। क्योंकि गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होती थी वह सात करोड़ के आसपास होती थी, तीन करोड़ के चक्कर में आपने इन ठेकेदारों को मालामाल करने के लिए और गरीब को बर्बाद करने के लिए आपने कर दिया। हमने आपसे निवेदन किया था, आपने हमको आश्वासन भी दिया था कि मैं घोषणा भी करूंगी, पर आपने किया नहीं, एक साल पूरा निकल गया। यह वापस बजट सत्र खतम हो रहा है, मैं समझता हूं कि आपके मन में उन लोगों की निश्चित तौर पर हमदर्दी है और आप निश्चित तौर पर इस बात को मानते हुए उस आबकारी नीति को विड्रा करके पुरानी व्यवस्था जैसी गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से थी वही आप करेंगे ऐसा मुझे विश्वास भी है और मेरी विनती भी है।

दूसरा, आपने कहा बजट में बहुत सारा आंकड़ों में जाल में जिस तरह

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

से फंसाया है सबको, पर अंदर से देखें आप जिस तरह से सरप्लस बजट 358 करोड़ के करीब बताया, पर एक ही मद में आप 900 करोड़ रुपये कर्मचारियों के खा गये वह किसी को पता नहीं है। आप अगर 900 करोड़ को घटाएंगे, 32 महीने का 11 परसेंट कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था वह आप हजम कर गये। 900 करोड़ रुपया कर्मचारियों का हजम कर गये। अगर वह आप निकालते हैं तो 441 करोड़ के आसपास एक ही मद में घाटे का बजट आता है। इसलिए आप जो भी करें वह करें, पर अभी जो कहा है वह निश्चित रूप से आप उसको घटाकर कल्याण करेंगे, यह मुझे कहना है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। विनियोग विधेयक ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो बात कही जा चुकी हैं उनके अलावा कहें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप मुझे सुनें तो सही।

श्री अध्यक्ष: सुन रही हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं कभी रिपीट नहीं करता हूं और बोलता भी स्पीडली हूं। जो दूसरे 10 मिनट में बोले मैं 5 मिनट में बोल देता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी तवज्जो चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी, तवज्जो दें आप उन्हें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हाथ काम कर रहे हैं, कान सुन रहे हैं और दिमाग राजेन्द्रजी ने इधर लगा रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करीब 1250 करोड़ रुपये की रियायतों की घोषणा इस बजट में की थी। राजस्थान में लगभग 10 परसेंट माइनोरिटीज के लोग रहते हैं जिसमें मुसलमान भी, सिख भी ईसाई भी और दूसरे लोग भी ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको और भी कुछ दिखता है कि नहीं ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बीच में नहीं बोला करें, कुछ

(मोहम्मद माहिर आजाद)

तमीज सीखिए। मैं अध्यक्ष महोदय से बात कर रहा हूं। कल्लाजी बोल रहे थे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या कहा ? जब उन्होंने कहा कि पाली के सदस्य की गाड़ी उठ गई और आज तक नहीं मिली तो कहा आपने उठवाई। ये इस तरीके की भाषा बोलते हैं। यह कभी आप बोलते हो तो हम डिस्टर्ब करते हैं ? मैं तो माइनोरिटीज का नाम लेते ही आपके खलबली क्यों मच जाती है? आप बैठ जाइए, मैं अध्यक्षजी से बात कर रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, ठीक है, आप बैठ जाइए का मत कहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्षजी से बात करो आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको भी कहने का कोई अधिकार नहीं है दूसरों को कि बैठ जाइए, थोड़ी मर्यादा आप भी सीखिए। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी मर्यादा इनको, यह काम आसन का है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आसन कहेगा, यह आसन का काम करने की कोशिश करें, यह ठीक नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आसन ने मुझे इजाजत दी है। (व्यवधान) आसन मेरे पजेशन में है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह तरीका ठीक नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो ऐसे ही कहूंगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आसन कहेगा जो कहना होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आसन कह देगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन का प्रांगण इस समय उनके कब्जे में था और कायदा यह है कि जब कोई बोल रहा होता है तो दूसरे माननीय सदस्य को बीच में नहीं टोकना चाहिए। उनके बोलने के बाद बोल लेना, जो कुछ आपको कहना है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह बैठे-बैठे बोलते हैं कई बार। यह व्यवस्था ठीक नहीं है, इनको भी इसका पालन करना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम अपनी बात कह रहे हैं जिनके बल पर चुन कर आये हैं, हम अपनी बात कहेंगे, ये मेरे शब्द तो मुंह में नहीं डाल सकते, मैं अपनी बात कह रहा हूं, जरूरी थोड़े ही है उससे यह सहमत हों, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं निवेदन यह कर रहा था कि करीब 10 परसेंट माइनोरिटीज के लोग हैं, अगर बजट के हिसाब से देखें तो 10 परसेंट के हिसाब से 125 करोड़ रुपये उन पर भी लगना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए था। एक मोटरसाइकिल के दो पहिये हैं। अगर एक पहिये में 30 पोंड हवा रखेंगे और एक पहिये में 5 पोंड हवा रखेंगे तो मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। जब हम चाहते हैं कि एक तरफ उनको मुख्य धारा से जोड़ें, मैन स्ट्रीम से जोड़ें वह भी शिक्षा में दूसरों के बराबर आएं, गड़बड़ी खतम हो तो हमको विकास की दृष्टि से उनको बराबर लाने का अवसर दिया जाना चाहिए लेकिन मुझे अफसोस है कहते हुए कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केवल 2 करोड़ रुपये उनको दिये। एक करोड़ तो दो सौ मदरसों को 50-50 हजार रुपये के हिसाब से कम्प्यूटरीकरण के लिए दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 2300, 2400 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और उनमें से दो सौ मदरसों में कम्प्यूटर लगेंगे, झगड़ा पैदा होगा कि कौन से मदरसे में कम्प्यूटर लगे, कौन से में नहीं लगे, कैसे उसका फैसला होगा। एक करोड़ रुपये आपने मेवात विकास बोर्ड का बजट बढ़ाया है लेकिन दो में क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी हम मेवात क्षेत्र के अन्दर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 12 आवासीय बालिका विद्यालय खोलेंगे, हमने भी स्वागत किया कि बिलकुल, मेवात के अन्दर एजुकेशन की कमी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं माननीय सदस्य, को जानकारी देना चाहता हूं। हज हाउस के लिए सांगानेर में 5 बीघा भूमि दी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने हज हाउस के लिए कहा ही नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हज यात्रियों के लिए सीधी हवाई सुविधा दी।

श्री अध्यक्ष: वह बालिका छात्रावास की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मदरसों में बालिकाओं के लिए मिड-डे-मिल दिया। (व्यवधान) मदरसों के लिए 4 करोड़ दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): दो हजार मदरसों का पंजीयन किया।

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, हज हाउस की बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने बालिकाओं की बात की है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं हज हाउस की बात नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माइनोरिटी की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप क्यों कर रहे हो? (व्यवधान) राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं केवल अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की जानकारी में नहीं है, वह मैं देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: वह हज हाउस की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कि हमले अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया है।

श्री अध्यक्ष: वह हज हाउस की बात है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, केवल हज हाउस की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: वह मेवात में बालिका शिक्षा की बात कर रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): कांग्रेस के टाइम में ऐसा किया गया ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं हज हाउस की बात नहीं कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया है, वह बताना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह तो बड़ी गलत बात है, कोई मैम्बर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय, उसको इंटरप्ट करके आप खड़े हो जाएं, यह तो बहुत गलत परम्परा डल रही है यहां पर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुनें, मैं हज हाउस की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जो रेलेवेंट बात हो वही की जानी चाहिए, वह बात कर रहे हैं कुछ और आप कह रहे हैं हज हाउस के बारे में। (व्यवधान) क्यों ले आये आप हज हाउस ? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं हज हाउस की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: फिर क्या कर रहे हैं आप ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं दूसरी बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या कर रहे हो ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं कह रहा हूं अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या किया है, वह बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन का प्रांगण उनके कब्जे में है। He is in possession of the floor of the House. आप बैठ जाएं। वह गलत बोलें, कैसे भी बोलें, आप बाद में बोलिएगा, कहिएगा, आपने सब असत्य कहा है लेकिन इस समय नहीं, वह जब बैठ जाएं तब आप कहिएगा, सारी बातें असत्य कही हैं लेकिन अभी नहीं, अभी उन्हें बोलने दें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह असत्य बोल रहे थे इसीलिए मैंने टोका, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: असत्य बोलने पर टोकते नहीं हैं, बाद में बोलिएगा। (व्यवधान) बोलिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, हम तो आपके खड़े होते ही बैठ जाते हैं और यह उसका नाजायज फायदा उठा कर कुछ भी कहते रहते हैं, मैं इतना नहीं जानता हूं क्या, आप भी जानती हैं कि हज हाउस क्या होता है और मैं आवासीय विद्यालय की बात कर रहा हूं, हज हाउस का विषय नहीं है आज। मैं निवेदन यह कर रहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर वही बात।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह फिर बीच में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यों बार-बार नहीं उठते हैं। (व्यवधान) आप बैठे-बैठें सब को निपटाते हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इन दुष्टों से बचाओ। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह क्या बोल दिया ? दुष्टों से बचाओ, अध्यक्ष महोदय, यह आपा खो देते हैं। (व्यवधान) यह आपा खो देते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: और आप क्या करते हो, आप क्या खोते हो ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): दुष्टों से बचाओ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): आपने तो आपा नहीं खोया ? बेशर्मी की हद हो गई, इतनी ज्यादा बेशर्मी तो कहीं है ही नहीं। इतना कहते-कहते भी नहीं बैठ रहे हो, जानबूझकर कहते हो कि आपा खो दिया, हद हो गई बेशर्मी की। इतना कहते-कहते भी नहीं मान रहे हो।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं उठेंगे आप, नो, नो।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): ज्यादा विद्वता दिखा रहे हो ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में यह घोषणा की पिछले बजट में हम मेवात क्षेत्र के अन्दर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं के आवासीय विद्यालय खोलेंगे। हमने स्वागत किया कि वाकई में मेवात के अन्दर बालिकाओं की शिक्षा की बहुत कमी है। अगर वहां बालिकाओं के आवासीय विद्यालय खुलते हैं तो उसमें शिक्षा के साथ-साथ उनको फ्रूट प्रिजर्वेशन, सिलाई, कढ़ाई, घरेलू दूसरी चीजें भी सिखाई जाएंगी, उनको रोजगारोन्मुख शिक्षा भी मिलेगी, बहुत अच्छा काम होगा। उसके लिए मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग हुई, हम भी उसके मेम्बर हैं, उसमें तय यह हुआ कि इतनी जमीन होनी चाहिए, वह उस जगह पर खुलेगा, जहां बालिकाओं का सैकण्डरी स्कूल कम से कम होना चाहिए, साल भर हो गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सही निवेदन कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र नगर में आज आजादी के 60 साल होने को आए, एक भी बालिका सैकण्डरी विद्यालय नहीं है, जब बालिका सैकण्डरी स्कूल ही नहीं है, एक भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: क्षेत्र में ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पूरे नगर क्षेत्र में अब जब बालिका सैकण्डरी स्कूल ही नहीं है तो मुझे बताओ वहां बालिकाओं का आवासीय विद्यालय कैसे खुलेगा? जो नार्म्स रखे हैं, क्योंकि मेवात में एक गज जमीन मिलती नहीं है, अलवर और भरतपुर दो जिले इसमें आए। माननीय मुण्डावर से आने वाले सदस्य भी यहां बैठे हैं, मेवात क्षेत्र के अन्दर खैरथल क्षेत्र आता है, वह भी यहां बैठे हैं और तिजारा, रामगढ़, कठूमर जो भी क्षेत्र आते हैं, अब तक साल भर में एक भी जगह कहीं जगह का चयन नहीं हुआ और उसका पैसा ऐसा का ऐसा रूका हुआ है। हमने मुख्य मंत्रीजी ने निवेदन किया था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब तक जगह का चयन नहीं हो जाए, यह पैसा हमेशा डीआरडीए के प्रस्ताव पर जिस तरीके से खर्च होता था, मेवात विकास बोर्ड जब बना उसके पीछे माननीय अध्यक्ष महोदय, थीम यह थी कि मेवात क्षेत्र के लोगों के आर्थिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास पर यह राशि खर्च होगी। लेकिन आज भी केवल आवासीय विद्यालयों के लिए जगह भी नहीं मिल रही है और पैसा भी रिजर्व कर रखा है। तो मेरा इसमें विनम्र निवेदन माननीय आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह है कि जगह का चयन हो जाएगा, अगले साल फिर मेवात विकास बोर्ड का बजट आएगा तब आप उस बजट को उस पर खर्च कर देना। अभी तो कम से कम यह बजट बचा हुआ है, इसको और जो दूसरे विकास कार्य हैं, चाहे लोगों को लोनिंग के लिए जो मेवात क्षेत्र के लोगों के सांस्कृतिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास पर दूसरे जो प्राइमरी और मीडिल स्कूलें हैं, चाहे इसमें कक्षा कक्षों के निर्माण पर, चाहे उसकी चारदीवारी पर, चाहे और दूसरे किसी भी काम पर खर्च हो, डीआरडीए से जो प्रस्ताव पहले आते थे उसी तरीके से खर्च किया जाना चाहिए।

दूसरा निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में वक्फ बोर्ड पर, अभी तक जलेबी चौक के अन्दर जो पुराना आरटीओ भवन था, उसके अन्दर चल रहा है और मुख्य सचिव ने नोटिस दे दिया कि आपको इतनी तारीख तक यह भवन खाली करना है। पिछले वर्ष मुख्य मंत्रीजी ने 50 लाख रुपये की टोकन ग्रांट वक्फ बोर्ड के भवन बनाने के लिए दी थी, वह वक्फ बोर्ड का भवन बन रहा है, आधा बना है लेकिन अब उसके बाद इस साल उसके अन्दर कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है तो यह अधूरी बिल्डिंग पड़ी रह जाएगी, कैसे तो मुख्य सचिव के आदेश की पालना होगी कि वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग ट्रांसफर हो।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल वक्फ बोर्ड के भवन के लिए पैसा दिया और उससे वक्फ बोर्ड का भवन आधा-अधूरा बन भी गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थर्ड स्टेज पर बोल रहे हैं और थर्ड स्टेज पर बोलने की एक सीमा है और इतने वाद-विवाद का कोई प्रावधान नहीं है, न अपनी प्रक्रिया और नियमों में है, न अपनी संसदीय कार्य प्रणाली में है, न कौल एण्ड शकधर में है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): संक्षेप में ही तो बोल रहा हूं। एक घंटे तो बोलूंगा ही चाहे ये बैठे चाहे नहीं बैठे, चाहे कुछ भी करें। एक घंटा बोलूंगा मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी स्टेज निकल चुकी। बजट के ऊपर, डिमांड्स के ऊपर जो चर्चा की जानी चाहिए वो सब स्टेज निकल चुकी। अब ये इस स्टेज पर ये बातें कर रहे हैं मदरसा बोर्ड, फलां बोर्ड, यह बोर्ड, वो बोर्ड, ये स्टेज सब निकल चुकी इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि, बोलें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दिक्कत तो हो रही है आपको।

श्री अध्यक्ष: नियमों की जानकारी देना इनका कर्तव्य है इसलिए बोल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पर क्योंकि इसकी एक परम्परा हमारे यहां पर जो डली हुई है उस परम्परा का एक उदाहरण बनता है हमेशा के लिए। आज यह बात सही है कि आपकी भी....

श्री अध्यक्ष: परम्पराओं की तो धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं सब ने। परम्पराओं की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं यहां सभी लोग।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भी इच्छा के अनुरूप शायद, जैसा आपकी अपेक्षा है, जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं उस भावना तक तो ठीक है लेकिन.....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो मैं तो बैठ जाऊंगा। मेरे तो 2-3 पाइंट थे जिनको मैं रखना चाह रहा था। न तो मैं बजट पर बोला हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब वो सारी स्टेज जा चुकीं इसलिए....

श्री अध्यक्ष: 2-3 मिनट और बोलेंगे, बोल लेने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, कितना ही बोलें उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर यह परम्परा हमेशा के लिए हो जाएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो फिर दिक्कत क्या है? जब आप कह रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है बोलें, तो फिर दिक्कत क्या है वह बताओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह परम्परा हमेशा के लिए डलेगी इसलिए, पहले तो यह सोचा कि बोलने देना चाहिए, क्या दिक्कत है.....

श्री अध्यक्ष: परम्पराएं तो धीरे-धीरे सब टूट रही हैं। पहले कटौती के प्रस्तावों पर वही बोलता था जो कटौती का प्रस्ताव देता था। अब आपने एक परम्परा तोड़कर कर दिया कि चाहे जो बोले। बोल रहे हैं, यह टूटी या नहीं परम्परा?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बिलकुल है, जो कट-मोशन देगा वो ही बोलेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आसन पर आप विराज रहे हैं, बहुत पुराना अनुभव है और टूट रही है उनको रोका जा सकता है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): परम्पराएं आपने तोड़ी हैं। ये सारी परम्पराएं सचेतक महोदय, आपने तोड़ी हैं। परम्पराएं तोड़ने में आपको प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप भी योगदान देते रहते हैं। योगदान आप भी देते रहते हो तोड़ने में।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुझे तो टूटती हुई परम्पराओं को देखने में बड़ा कष्ट होता है इसलिए बोलना पड़ता है नहीं तो अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं ही नहीं और इसलिए मैं आपकी भावना से सहमत हूं। मुख्य मंत्रीजी इस पर विचार कर सकते हैं, वो कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी देर में तो मैं मेरी बात ही सम-अप कर देता। बताइये, क्या करें। (व्यवधान) अब पहले आपने व्यवस्था दी, मैं बैठ जाउं, क्या करूं?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, सचेतक महोदय ही कर रहे हैं। (व्यवधान) ये सारी परम्पराएं तो सचेतक महोदय तोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, आपको क्या तकलीफ है? बेकार बात करते हो आप। (व्यवधान) अब विराजो आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वो बैठे तब तो बोलूं मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह सदन ही तो देता है सारा पैसा आपको।

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, आपने परम्परा और नियमों की जानकारी दे दी, अब आप विराज जाओ। दो मिनट में बात समाप्त कर दें। माननीय मुख्य सचेतकजी, विराज जाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह हाउस है, क्या है? यह परम्परा तो देखें जरा इनकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग जो अधूरी है उसको पूरा करने के लिए भी अगर कुछ पैसा और आप दे दो तो वह बिल्डिंग भी पूरी हो जाए और मुख्य सचिव के आदेश की भी पालना हो जाए कि वह उस जगह से खाली करके अपनी खुद की बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि कम से कम मुख्य मंत्रीजी के मुंह से जो घोषणा हो जाए वह तो क्रियान्वित होनी चाहिए। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की और आपकी विधान सभा की जो छोटी और बड़ी डायरी है उस डायरी में देख लें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का श्री गुल मोहम्मद पूर्व विधायक को अध्यक्ष बनाया। पूछ लें मुख्य मंत्रीजी यहां बैठी हैं, इन्होंने बनाया है या नहीं बनाया है। आज साल भर हो गया, आज तक उसके आदेश नहीं निकले और विधान सभा की डायरी में भी उनका नाम आपने छाप दिया। जो आयोगों के, निगमों के अध्यक्ष हैं विशिष्ट व्यक्ति, उसमें उनका नाम छपा हुआ है। आज साल भर हो गया, आज तक अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष के आदेश निकले या नहीं निकले? मैं यह बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम भी कई बार मिले, हमने चिट्ठियां भी लिखीं, मुख्य मंत्रीजी से मिले, मुख्य मंत्रीजी ने तुरन्त अधिकारियों को निर्देश भी दिये कि यह क्यों नहीं हो रहा है लेकिन साल भर हो जाए और मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद अगर कोई कार्यवाही नहीं हो तो फिर हमको यह तो बता दें कि आखिर किसके

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कहने से होगी? यहां राजस्थान में कौन है सुप्रीम, सोवरीन पावर कौन है जिसके कहने से यह काम होगा? इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बात को दूसरे से मनवाने के तीन तरीके होते हैं, एक आदेश, एक उपदेश और एक आचरण। कर्म, वाणी और आचरण में समरूपता होनी चाहिए। जो बात हम कर नहीं सकते उसको कहना नहीं चाहिए और जो बात मुंह से कहें या घोषणा करें उसके ऊपर अमल होना चाहिए, हर हाल में उसके ऊपर क्रियान्विति होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बात मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बीसों बार यहां कहा है, मैंने भी कहा है और दूसरे जो हमारे साथी करौली से, सवाई माधोपुर से, अलवर, भरतपुर, दौसा से आते हैं उन्होंने भी कहा है कि राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके के विकास के ऊपर पैसा खर्च होता है। पर पूर्वी राजस्थान जिसमें सात जिले आते हैं, जिसमें धौलपुर भी आता है, जिसमें वित्त राज्य मंत्रीजी बैठे हैं यह भी आता है और आपके अलवर, भरतपुर, करौली, ये सब आते हैं पर वो विकास की दृष्टि में पिछड़ रहे हैं। वहां धार्मिक स्थल सबसे ज्यादा हैं। वहां कैला देवी, वहां घना, वहां सरिस्का, वहां रणथम्भौर, वहां मेहंदीपुर बालाजी, वहां दिगम्बर अतिशय क्षेत्र, जहां सारी चीजें हैं, वहां पंजाब और हरियाणा से बोर्डर लगी हुई है, वहां पर अपराधी भी दूसरे स्टेट्स के आते हैं पर उसके बावजूद भी वहां सड़कें अच्छी नहीं हैं, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, वहां पर सिंचाई के साधनों का अभाव है, सारे साधन खतम होते जा रहे हैं। हमने बीसों बार निवेदन किया है कि आप स्पेशल पैकेज बनाकर के पूर्वी राजस्थान के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को भी मिटाने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अंतिम निवेदन माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह करना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय जो अशोक गहलोतजी के नेतृत्व की सरकार थी जिसमें आदरणीय बी डी कल्लाजी और सी पी जोशीजी मंत्री थे, जब भी शिक्षकों की वेकेंसी निकलती थी और शिक्षकों की नियुक्ति होती थी तो उसमें उर्दू और संस्कृत, पंजाबी, सिंधी भाषा के अध्यापकों के लिए स्थान आरक्षित होता था। एक बार 400 सैकण्ड ग्रेड के अध्यापक लगे, एक बार थर्ड ग्रेड के अध्यापक लगे। अब आप अध्यापक

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कितने भी लगा रहे हो लेकिन विषय का अध्यापक नहीं होगा, गांवों से दरख्वास्त तो आये कि हमारे यहां संस्कृत के अध्यापक की जरूरत है और वहां पर आप भेज दो गणित का तो वह कैसे पढ़ायेगा? कहीं से दरख्वास्त आये कि हमको उर्दू के अध्यापक की जरूरत है और वहां पर आप भेज दो दूसरे विषय का। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अध्यापकों की नियुक्ति करें लेकिन इसमें जो थर्ड लैंग्वेज है, जो तृतीय भाषा है उसके अध्यापकों के जो रिक्त पद हैं उनके लिए भी स्थान आरक्षित करें और उनको भरने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब रिप्लाई करवाओ अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय मंत्री महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक शेर की कमी रह गई।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): देखिये, हज यात्रियों के लिए सीधी हवाई सेवा किसने दी?

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता ने क्या कहा था सुना नहीं आपने? आप शेर की बात कर रहे हो। प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था आपको पता है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कविता के लिए कहा था, शेर के लिए नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष: बात तो एक ही है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं, आप सुन लें। मैं कहूंगा, यह कोई बात नहीं हुई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से एक शेर सुना देना चाहता हूं और सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य को ही सुना रहा हूं, आप भी सुन लीजिये माननीय अध्यक्ष महोदय।

मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है,

मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं कि हज यात्रियों के लिए हवाई सुविधा दी हमारी सरकार ने। मदरसों के बालकों के लिए मिड-डे मील की व्यवस्था की। मदरसों के लिए चार करोड़ दिये। 200 मदरसों का पंजीयन, सम्पदा अधिकारी, 1228... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हो? (व्यवधान) क्या कहना चाहते हो? क्या कह रहे हो? (व्यवधान) यह नहीं है कहने की। माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगी। क्या कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 2500 रुपये प्रति मदरसा... (व्यवधान) केवल जैसलमेर में एक करोड़, यही नहीं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी। अब कौन बोलेगा, कोई नहीं। नो-नो, अब कोई नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी। अब आप बैठ जाएं प्लीज, आप स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे विचार व्यक्त हुए हैं, मैं सब को धन्यवाद देना चाहूंगी। अमूल्य विचार हैं और गहनता से सब चीजों पर, जो-जो आप लोगों ने पाइंट उठाये हैं उनके ऊपर गहनता से विचार किया जाएगा। एक-दो इश्यूज के ऊपर मैं सब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। माननीय सदस्य ने अभी यहां उठाया कि राजस्थान डवलपमेंट एण्ड पावर्टी एलिवियेशन फण्ड और नॉन डवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर पायेगी या नहीं, इसके बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की थी।

(समय 20.00 बजे)

तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि इसको सेपरेटली पढ़ा नहीं जाए. Rajasthan Development Poverty Alleviation Fund in 3 (a) and 6 (a) needs to be read in conjunction with 4. अगर वह पढ़ लेगा तो 4 में लिखा हुआ है क्लीयरली, Fund shall not be used for meeting non-developmental or establishment expenditure. बहुत क्लीयर हो जाता है उससे, इसी तरीके से उन्होंने कुछ पाइंट और भी रेश किए थे ईपीआरसी के हैड के बारे में उन्होंने कहा है कि 1251 करोड़ रुपए हमने रखे हुए हैं। मैंने इसको बार-बार कहा है कि 1251 करोड़ रुपए जो एक्सपंडीचर है वह सबका है पूरे बजट में मैंने जो स्कीमें डाली है उन सबके लिए 1251 करोड़ हमने रखे हैं एंड सबको वित्त पोषित किया है, यह एक चीज के लिए नहीं है, यह सब चीजों के लिए है।

इसी तरीके से मोहम्मद माहिर आजाद साहब ने माइनोरिटीज की चिंता व्यक्त की है, हमें भी चिंता है और इसके ऊपर भी ध्यान हम रखेंगे, 5

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करोड़ रुपए हमने अलग से रखे हुए हैं। मैं समझती हूं कि इस बजट के ऊपर ईश्यूज है तो वो ईश्यू जरूर आप हमारे पास लायें, they can be discussed ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम तो वैसे भी चाहते हैं कि वहां डवलपमेंट वर्क हो और अगर एक हैड से काम नहीं हो रहा है और दूसरे हैड के अंदर अपने को उसको ले जाने की जरूरत है तो बैठकर के उसको डिसकस करे, जो पैसा है तो उसको उनके उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जाए। आप आकर के उसके बारे में हम से बात कर लें। रघुवीर मीणा साहब ने वहां बात उठाई है बांसवाड़ा-डूंगरपुर जीएसएम के बारे में, वहां हमको एक्साइज रेवेन्यू बहुत कम मिला है। और I think अगर पहले रेवेन्यू को अपन ज्यादा इन्क्रीज करें तो उसके अंदर लोस-आफ रेवेन्यू की भी बात हो सकती है पर we can discuss. यह भी ईश्यू डिसकस किया जा सकता है। एक अच्छा सुझाव आया है माननीय सदस्य नाथद्वारा वालो से that land is a big asset और उसको किस तरीके से एक्विटी के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सके। हम लोगों ने भी इसके ऊपर काफी सोचा है इम्फेक्ट होटल पालिसी वगैरहा के अंदर और एक दो और जो प्रोजेक्ट्स हमारे आ रहा हैं उसके अंदर हम लोगों ने यह रखा भी है कि इसको एक्विटी में क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाए तो यह बात हम लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं और मैं समझती हूं कि this issue is a good issue. How can land generate non-tax revenue, यह हमारे दिमाग में है बट मैं समझती हूं कि यह एक ऐसा सेन्सेटिव ईश्यू है कि एक मिनट के अंदर उसके ऊपर चार-चार किस्म के बवंडर उठ जाते हैं। इसलिए सिम्पली इसको कन्वर्ट किया जाए, मैं समझती हूं नहीं होगा। इसमें काफी कुछ डिस्कसन करने की बात होगी, क्रोस सेक्शन के साथ बैठना पड़ेगा और मैं समझती हूं कि आगे चलकर इसके ऊपर ही ध्यान अपने को देना पड़ेगा वरना सिम्पली निकलेगा नहीं। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, कन्संट्रेशन एक्पेशली इन ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल गर्ल्स के बारे में हां हमको बहुत चिंता है उन लोगों की भी और इसलिए कई तो हम लोगों ने नये-नये स्कीम्स उसमें निकाले हैं, आइडिया सिर्फ इतना है कि उनको डायवर्ट कर दिया जाए किसी तरीके से भी स्कूल जाने के लिए, आई टी सबजेक्ट क्योंकि अब राजस्थान के लिए एक इम्पोर्टेंट सबजेक्ट हुआ है, कोई यह सोच नहीं सकता था कि राजस्थान आई टी का हब बन सकता है परंतु जब बैंगलोर से उठा कम्पनीज यहां आने की तैयारी में है और क्योंकि इतने सारे लोग राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव के द्वारा भी हम लोगों के साथ उसमें जुडे हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैं समझती हूं कि अब धीरे-धीरे हमारे यंगस्टर भी आई टी फील्ड के अंदर और आगे आने लगे हैं तो एज ए सबजेक्ट आई टी इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर भी हम लोगों को सोच लेना चाहिए। आपने और भी कुछ इंट्रेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स दिए थे, लोगों को टैक्स कलेक्टर्स, कलेक्शन कॉन्सेप्ट चैक कर लेना चाहिए। एरियर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इन्क्रीज हो रहे हैं यह बात सही है क्योंकि इतने सारे कोर्टस स्टे वगैरह हैं और टेंडर है जिसके अंदर से लोग बायकाट हो जाते हैं। कई ऐसे ईश्यूज है जिसकी वजह से हम लोगों को यहां एरियर्स माउंट-अप हो रहे हैं इसके ऊपर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। और भी ईश्यूज आये हैं और छोटे-छोटे ईश्यूज हैं जैसे मगज के बीज के बारे में आप लोगों ने कहा है, मेरे हिसाब से मतीरे का बीज जो है वह सीड हिसाब से बेचा जाता है और वैसे भी टैक्स फ्री है परंतु (व्यवधान) अब प्लीज, मेरे को डिसकस नहीं करना है...

श्री अध्यक्ष: आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बोलने दे उन्हें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि इसके ऊपर हम लोगों को और कुछ बात करने की जरूरत है। तो हम बैठने को तैयार है लोगों के साथ शायद हमारे समझ में नहीं पूरी तरह से बात आई होगी। पर मेरे को जो समझ में आ रही है उससे जब सीड ही टैक्स फ्री है तो फिर इसको आगे कहां तक और कहां ले जाना है उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। परंतु डेलीगेशन जरूर आ सकता है हम उनके साथ बैठकर बात कर लेंगे।

मैं आप सबको धन्यवाद देने के साथ-साथ यह कहना चाहूंगी कि कल राजस्थान दिवस है। आपको सबको और आपके द्वारा पूरे राजस्थान को मैं बधाई देना चाहूंगी कि राजस्थान दिवस इतने धूम-धाम से अपन मनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आदरणीय राष्ट्रपति महोदय भी हमारे इस फंक्शन के अंदर आयेंगे और हमारे राजस्थान के सब लोगों को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मुझे इसमें बहुत खुशी है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि आपके जो भी टिकलिश ईश्यूज हैं उन सब के ऊपर गहन तरीके से विचार किया जाएगा। आप लोगों का तो घर है आप आयें, डिसकस करें और जितना भी डिसकस करना है कर करा के और अपनी बातों को हमारे सामने रखें और उनको पूरी तरह से विचार करके हम देखेंगे कि उनको आगे कहां तक बढ़ा सकते हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आपको सबको मैं धन्यवाद दूंगी बहुत सार्थक और सारगर्भित यहां चर्चा हुई है। सबको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग विधेयक संख्या-2 विधेयक, 2007 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग विधेयक संख्या-2 विधेयक, 2007 को पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2007 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2007 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

घोषणा

सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन की घोषणा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति ने सर्व-सम्मति से माननीय विधायक श्री प्रद्युम्नसिंह जी को वर्ष 2005 के लिए एवं श्री कालीचरण सर्राफ को वर्ष 2006 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चयन किया गया है। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि दो तारीख को इन माननीय दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ विधायकों को राज्यपाल महोदय की ओर से जो मोमेन्टो और जो सम्मान का प्रशस्ति पत्र दिया जाता है वह दिया जाएगा पांच बजे के बाद, पांच बजे तक जब नॉन-ऑफिसियल डे है पांच बजे के बाद यही पर दिया जाएगा। मैं भी राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर आप सब लोगों को बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2007 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की बैठक 20.08 बजे, सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2007 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न एवं उसका उत्तर

भू-जल स्तर के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु योजना

174. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कई जिलों में भू-जल स्तर गिरता जा रहा हैं ? यदि हां, तो सरकार भविष्य में जल संकट से निपटने के लिये क्या योजना बनाने का विचार रखती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के किस-किस जिले में भू-जल स्तर औसत से नीचे चला गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) भू-जल स्तर में वृद्धि करने हेतु क्या सरकार परम्परागत जल स्त्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। परिशिष्ट–क में सूचना संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट–अ में संलग्न है।

(3) जी हां।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

क्रय-विक्रय सहकारी समिति भीण्डर में कृषि भूमि रहित सदस्य

177. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में बनने वाले सदस्यों के स्वयं के नाम पर कृषि भूमि होना आवश्यक है ? क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति भीण्डर में ऐसे सदस्य भी हैं जिनके नाम पर कृषि भूमि नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिन सदस्यों के नाम पर कृषि भूमि नहीं है, उनकी सदस्यता समाप्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। यह भी सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति भीण्डर में ऐसे सदस्य भी है जिनके नाम पर कृषि भूमि नहीं है। समिति में जिन सदस्यों के नाम कृषि भूमि नहीं है उनको हटाने के लिये समिति सक्षम है विभाग ने अपने पत्र दिनांक 02.03.2007 के द्वारा ऐसे सदस्यों को नियमानुसार पृथक करने के निर्देश दे दिये हैं। प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''क''

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज. जयपुर ।

क्रमांक : फा. 15(29)सविरा/मार्के./तारांकित प्रश्न-1614 दि. 2.3.2007

उप रजिस्ट्रार,

सहकारी समितियां,

उदयपुर ।

विषय:- भीण्डर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. में सदस्यता बाबत।

महोदय,

तारांकित प्रश्न संख्या 1614/सहकारिता प्रश्नकर्त्ता श्री रणधीर सिंह भीण्डर (128) सदस्य राजस्टान विधान सभा का आप द्वारा दिये गये उत्तर से ज्ञात हुआ है कि भीण्डर क्रय विक्रय सहकारी समिति में अनेक ऐसे सदस्य, जो भूमि धारक नहीं हैं तथा उप विधियों में वर्णित योग्यता धारण नहीं करते हैं

अत: ऐसे सदस्यों को नियमानुसार सदस्यता से पृथक किये जाने की कार्यवाही करें। की गयी कार्यवाही से विभाग को यथासमय अवगत करावें।

ह./-

संयुक्त रजिस्ट्रार (मार्के.)

आयुर्वेदिक/वनोषधियों के विकास हेतु निजी सहभागिता

178. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सालयों में औषधियों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सालयों हेतु वनोषधियों के विकास की दिशा में कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या? सरकार द्वारा ऐसी औषधियों के विकास हेतु पौधशाला या कृषि विकास (औषधि) को प्रोत्साहन हेतु क्या निर्देश दिये गये ?

(3) क्या सरकार ऐसी आयुर्वेद औषधियों के उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(4) क्या सरकार भवन रहित आयुर्वेद चिकित्सालयों के भवन निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र कपासन में किस-किस भवन रहित आयुर्वेद चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) विभागीय औषधालयों/चिकित्सालयों को उनकी अन्तरंग रोगी संख्या हेतु 6.00 रु. प्रति रोगी एवं बहिरंग रोगी संख्या 2.00 रु. प्रति रोगी की दर से औषध सप्लाई की पात्रता निर्धारित की गई है। राज्य बजट से उपलब्ध औषधियां सभी औषधालयों को अनुपातिक रूप में उपलब्ध कराई जाती है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त औषधियां भी दी जाती हैं। केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्राप्त औषधियां विभागीय औषधालयों में दी जा रही हैं।

(2) नेशनल मैडिसिनल प्लान्ट बोर्ड, नई दिल्ली की विविध योजनाओं के तहत, राज्य के किसानों को औषधीय पौधे के कृषिकरण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2006-07 में संविदा खेती योजनाओं के अन्तर्गत 504 स्वीकृत परियोजनाओं पर रु. 556.94 लाख अनुदान राशि उपलब्ध करायी गयी है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) हर्बल नीति का प्रारूप विचारधीन है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कपासन में वर्तमान में 18 विभागीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। इनमें से कोई भी औषधालय ऐसा नहीं है, जो भवन रहित हो।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विकास हेतु आबंटित बजट

179. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में किस-किस मद में कितना बजट आबंटित हुआ ?

(2) उक्त आबंटित बजट में से किस-किस मद में कितना-कितना बजट व्यय किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य को आबंटित बजट का उपयोग निर्धारित अवधि तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये भी बजट आबंटित हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

(5) गत दो वित्तीय वर्षों में राज्य में शिक्षा के लिये केन्द्र से कितनी राशि प्राप्त हुई व कितनी राशि व्यय की गई ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में मदवार बजट प्रावधान की स्थिति परिशिष्ट 'क' में संलग्न प्रस्तुत है।

(2) बजट प्रावधान के विरुद्ध माह जनवरी 2007 तक व्यय का विवरण परिशिष्ट 'ख' में संलग्न प्रस्तुत है।

(3) राज्य में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में वार्षिक कार्य योजना एवं बजट राशि रु 833.18 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 753.66 करोड़ रु. प्राप्त हुए तथा प्राप्त राशि के विरुद्ध रु. 743.81 करोड़ का व्यय किया गया, जो उक्त वर्ष में प्राप्त धन राशि के विरुद्ध 98.69 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार वर्ष 2006-07 वार्षिक कार्य योजना राशि रु. 1235.31 करोड़ रु. के विरुद्ध माह जनवरी, 2007 तक प्राप्त कुल राशि रु.961.84 करोड़ प्राप्त हुए तथाप्राप्त राशि के विरुद्ध रु. 935.91 करोड़ का व्यय किया जा चुका है जो 97.30 प्रतिशत है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु ही बजट आबंटित होता है। वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिये कोई बजट प्रावधान नहीं है। वर्ष 2006-07 में अनुमोदित बजट की स्थिति बिन्दु संख्या एक पर अंकित तालिका के अनुसार है।

(5) सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बजट प्राप्त होता है। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2006-07 तक प्राप्त बजट/राशि (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार) व व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	व्यय राशि
2005-06	588.29	165.37	753.66	743.81
2006-07 (जनवरी, 2007 तक)	721.38	240.46	961.184	935.91

परिशिष्ट 'क'

सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में आबंटित बजट की स्थिति

(जनवरी 2007 तक)

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मदवार कार्यों का विवरण	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2005-06	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2006-07
1	अध्यापक वेतन	32662.140	4318.480
2	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उप्रावि के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये	0.00	466.440
3	निर्माण कार्य	29541.182	51788.040
4	मरम्मत एवं रखरखाव	1463.700	2344.230
5	अध्यापन अधिगम उपकरण	2190.125	2647.730

1	2	3	4
6	स्कूल अनुदान	630.000	1053.960
7	अध्यापक अनुदान	690.00	538.940
8	अध्यापक प्रशिक्षण	2270.330	1643.070
9	सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण	68.190	244.650
10	विकलांग बच्चों के लिये व्यवस्था	411.890	1789.120
11	अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग	404.390	771.320
12	प्रबन्धन लागत	2580.670	4082.340
13	नवाचार	1155.360	1564.510
14	ब्लॉक संसाधन केन्द्र	469.690	513.510
15	संकुल संसाधन केन्द्र	1425.240	1455.620
16	स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिये हस्तक्षपेणीय उपाय	7353.230	9208.920
	योग	**83316.137**	**84430.88**

परिशिष्ट 'ख'

सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में बजट व्यय की स्थिति

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	**मदवार कार्यों का विवरण**	**व्यय 2005-06**	**व्यय 2006-07 (जनवरी 07 तक)**
1	अध्यापक वेतन	29688.378	35362.296
2	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उप्रावि के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये	0.00	0.00
3	निर्माण कार्य	29503.113	43918.999
4	मरम्मत एवं रखरखाव	1407.100	2282.129
5	अध्यापन अधिगम उपकरण	1345.876	-88.333
6	स्कूल अनुदान	600.117	1006.359
7	अध्यापक अनुदान	662.923	495.364

क्र. सं.	मदवार कार्यों का विवरण	व्यय 2005-06	व्यय 2006-07 (जनवरी 07 तक)
8	अध्यापक प्रशिक्षण	1255.425	1380.579
9	सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण	57.135	132.687
10	विकलांग बच्चों के लिये व्यवस्था	402.916	674.434
11	अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग	257.755	299.998
12	प्रबन्धन लागत	1855.531	2204.720
13	नवाचार	1020.180	370.413
14	ब्लॉक संसाधन केन्द्र	328.055	229.995
15	संकुल संसाधन केन्द्र	805.648	756.248
16	स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिये हस्तक्षपेणीय उपाय	5190.712	3234.631
	योग	**74380.86**	**93590.577**

भरतपुर-धौलपुर चम्बल लिफ्ट परियोजना से पेयजल से पेयजल आपूर्ति

180. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा भरतपुर-धौलपुर चम्बल लिफ्ट पेयजल परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण किया जाकर भरतपुर जिले को कब तक पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि भरतपुर-धौलपुर चम्बल लिफ्ट परियोजना से नदबई क्षेत्र को भी पानी उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय होने पर योजना का कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

(2) आवश्यकता पड़ने पर सम्मिलित करने बाबत विचार किया जायेगा।

भीम की मिसिंग लिंक सड़कें

181. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितनी मिसिंग लिंक, सड़कें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार विचाराधीन सड़कों को स्वीकृत करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र भीम से गुजरने वाली सडक ब्यावर राजियावास, लंगतखेडा, अमरपुरा, बार बदनोर होते हुए भीलवाड़ा रोड किस सब -डिवीजन के अन्तर्गत आती हैं?

(4) क्या यह सही है कि अमरपुरा गांव के समीप क्षतिग्रस्त पुलिया है? यदि हां, तो कब से ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ब्यावर, राजियावास बार बदनोर आसींद रोड़ की मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब व कितनी एवं कार्य कहां से कहां तक कराया गया ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कोई मिसिंग लिंक, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य योजना के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं हैं।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त सड़क का कि.मी. 97/0 से एन.एच.-8 तक का भाग उपखण्ड ब्यावर (जिला अजमेर) व कि.मी. 30/0 से 97/0 तक का भाग उपखण्ड आसीन्द (जिला भीलवाड़ा) के अन्तर्गत आता हैं।

(4) जी हां। अमरपुरा गांव के समीप कातरिया नाला पुलिया फरवरी, 2004 में क्षतिग्रस्त हुई थी। इस पुलिया की मरम्मत माह जून, 2006 में कर दी गई है।

(5) जी हां। सरकार द्वारा इस सड़क की मरम्मत हेतु केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006 में 7.45 कि.मी.लम्बाई के लिए राशि रुपये 134.29 लाख की स्वीकृति जारी की गई । यह कार्य कि.मी. 81/550 से 82/0, 84/0 से 89/0 व 95/0 से 97/0 तक प्रगति पर है। इसके अलावा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

ग्राम ओजियाना, कानिया खेड़ा एवं हीरा का बाडिया में 400 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड कार्य प्रगति पर है। उक्त सड़क के कि.मी. 97/0 से 103/400 तक साधारण मरम्मत कार्य हेतु वार्षिक अनुरक्षण मद से वर्ष 2003-04 में रुपये 41918/-, वर्ष 2004-05 में रुपये 37186/- व वर्ष 2006-07 में माह जनवरी, 2007 तक रुपये 56777/- व्यय किये गये हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-82

(स्थगित)

पुष्कर में निर्माणाधीन सड़कें

183. डा. श्री गोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कृषि उपज मण्डी की कितनी सड़कें कहां से कहां तक हैं और वे कब बनीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन सड़कों की वर्तमान में क्या स्थिति है? प्रत्येक सड़क की स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन सड़कों की मरम्मत की गई है? यदि हां, कब व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब इन सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार नई सड़कें भी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर (अनाज) एवं अजमेर (फल सब्जी) के द्वारा 24 सड़कों का 80, 60, कि.मी. लम्बाई का निर्माण कार्य करवाया गया। सड़कें कहां से कहां तक और कब बनी हैं की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) प्रत्येक सड़क की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर अंकित है।

(3) जिन सड़कों पर विशेष मरम्मत की गई है एवं अब विशेष मरम्मत की जानी है की सूचना परिशिष्ट 'स' पर है।

(कृषि विपणन मंत्री)

(4) जी हां। आगामी वित्तीय वर्ष में इसकी मरम्मत पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(5) मण्डी समितियों के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य की प्राथमिकता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 'अ'

पुष्कर में कृषि उपज मण्डी समिति, द्वारा निर्मित सड़कों की सूची

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कृ.उ.म.स. का नाम	सड़क का नाम	निर्माण वर्ष	लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
1	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	कालेसरा दांतडा	77-78	3.00
2	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	कालेसरा बुधवाड़ा	77-78	3.00
3	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	जेटाना नागेलाव	77-78	6.00
4	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	नागेलाव सरसड़ी	77-78	4.50
5	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	डूमाडा	78-79	1.80
6	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	गगवाना	78-79	0.60
7	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	नरवर	81-82	1.60
8	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	दौराई	81-82	1.25
9	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	कायड़	83-84	4.50
10	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	माकड़वाली	83-84	5.00
11	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	सोमलपुर	83-84	3.50
12	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	रसूलपुरा	89-90	2.00
13	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	डोडियाना से नाथूथला	92-93	4.00

1	2	3	4	5	6
14	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	तबीजी से मियांपुर	92-93	4.00
15	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	ऊटड़ा	91-92	4.20
16	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	सेन्दरीया	95-96	1.40
17	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	आम्बा मसीना	96-97	2.80
18	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	भटसुरी	96-97	2.90
19	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	गगवाना छातड़ी	98-99	5.00
20	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	देवनगर से खोरी	1999-2000	5.50
21	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	शिवपुरा	2001-02	3.50
22	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	नयागांव	2001-02	1.60
23	पुष्कर	अजमेर (फल व सब्जी)	एन एच 8 से सराना	2001-02	3.30
24	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	सुधाबाय से बांसेली वाया नेडलिया	2006-07	5.65
			योग		**80.60**

परिशिष्ट 'ब'

पुष्कर में निर्मित सड़कों की वर्तमान स्थिति का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कृ.उ.म.स. का नाम	सड़क का नाम	निर्माण वर्ष	लम्बाई (कि.मी.)	वर्तमान स्थिति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	कालेसरा दांतडा	77-78	3.00	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
2	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	कालेसरा बुधवाड़ा	77-78	3.00	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
3	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	जेटाना नागेलाव	77-78	6.00	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, भारी वाहनों द्वारा बाईपास के रूप में इस सड़क का उपयोग किया जाता है।
4	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	नागेलाव सरसड़ी	77-78	4.50	विशेष मरम्मत की आवश्यकता है। विशेष मरम्मत हेतु एम.डी.एफ. अन्तर्गत 2006-07 में स्वीकृत है। कार्य आदेश फरवरी 07 में जारी किया गया है ।
5	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	डूमाडा	78-79	1.80	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
6	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	गगवाना	78-79	0.60	वर्ष 2006-07 में मण्डी फण्ड अन्तर्गत विशेष मरम्मत करवाई गई है। मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
7	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	नरवर	81-82	1.60	वर्ष 2006-07 में एम.डी.एफ. अन्तर्गत विशेष मरम्मत करवा दी गई है। मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
8	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	दौराई	81-82	1.25	विशेष मरम्मत की आवश्यकता है। विशेष मरम्मत हेतु एम.डी.एफ. अन्तर्गत 2006-07 में स्वीकृत है। कार्य आदेश फरवरी 07 में जारी किया गया है।
9	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	कायड़	83-84	4.50	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
10	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	माकड़वाली	83-84	5.00	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
11	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	सोमलपुर	83-84	3.50	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
12	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	रसलपुरा	89-90	2.00	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
13	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	डोडियाना से नाथूथला	92-93	4.00	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
14	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	तबीजी से मियांपुर	92-93	4.00	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
15	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	ऊटड़ा	91-92	4.20	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
16	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	सेन्दरीया	95-96	1.40	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
17	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	आम्बा मसीना	96-97	2.80	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
18	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	भटसुरी	96-97	2.90	विशेष मरम्मत की आवश्यकता है। विशेष मरम्मत हेतु एम.डी.एफ. अन्तर्गत 2006-07 में स्वीकृत है। कार्य आदेश फरवरी 07 में जारी किया गया है।
19	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	गगवाना छातड़ी	98-99	5.00	वार्षिक मरम्मत की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
20	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	देवनगर से खोरी	99-2000	5.50	विशेष मरम्मत के तकमीने मण्डी समिति, अजमेर (अनाज) को भिजवाये गये हैं।
21	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	शिवपुरा	2001-02	3.50	वार्षिक मरम्म्त की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
22	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	नयागांव	2001-02	1.60	वार्षिक मरम्म्त की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
23	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	एन एच 8 से सराना	2001-02	3.30	वार्षिक मरम्म्त की आवश्यकता है, आवागमन बाधित नहीं है।
24	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	सुधाबाय से बांसेली वाया नेडलिया	2006-07	5.65	सही है।
			योग		**80.60**	

परिशिष्ट 'स'

पुष्कर में मरम्मत की गयी सड़कों की सूची

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कृ.उ.म.स. का नाम	सड़क का नाम	निर्माण वर्ष	लम्बाई (कि.मी.)	विशेष मरम्मत का वर्ष	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत विशेष मरम्मत कार्य करवाया गया
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	कालेसरा दांतडा	77-78	3.00	2002-03	आर.यू.पी. द्वितीय के अन्तर्गत सा.नि.वि. द्वारा कार्य करवाया गया।
2	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	कालेसरा बुधवाड़ा	77-78	3-**.00**	2003-04	वर्ष 2003-04 में विशेष मरम्मत का कार्य करवाया गया।
3	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	जेटाना नागेलाव	77-78	6.00	2003-04	वर्ष 2003-04 में विशेष मरम्मत का कार्य करवाया गया।
4	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	नागेलाव सरसड़ी	77-78	4.50	-	वर्ष 2006-07 में एम.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई है, कार्य आदेश फरवरी 07 में जारी किया गया है।
5	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	डूमाडा	78-79	1.80	2001-02	आर.यू.पी. प्रथम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कार्य करवाया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
6	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	गगवाना	78-79	0.60	2006-07	मण्डी कोष के अन्तर्गत कार्य कराया गया।
7	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	नरवर	81-82	1.60	2006-07	एम.डी.एफ. के अन्तर्गत कार्य कराया गया।
8	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	दौराई	81-82	1.25	-	वर्ष 2006-07 में एम.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई है, कार्य आदेश फरवरी 07 में जारी किया गया है।
9	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	कायड़	83-84	4.50	2002-03	आर.यू.पी. द्वितीय के अन्तर्गत सा.नि.वि. द्वारा कार्य करवाया गया।
10	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	माकड़ वाली	83-84	5.00	2002-03	आर.यू.पी. प्रथम के अन्तर्गत सा.नि.वि. द्वारा कार्य करवाया गया।
11	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	सोमलपुर	83-84	3.50	2001-02	आर.यू.पी.प्रथम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कार्य करवाया गया।
12	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	रसूलपुरा	89-90	2.00	2003-04	एए, ए क्लास मण्डी विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कार्य कराया गया।
13	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	डोड्यिाना से नाथूथला	92-93	4.00	2001-02	आर.यू.पी. प्रथम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कार्य करवाया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
14	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	तबीजी से मियांपुर	92-93	4.00	2001-02	आर.यू.पी. प्रथम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कार्य करवाया गया।
15	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	ऊटड़ा	91-92	4.20	2002-03	आर.यू.पी. द्वितीय के अन्तर्गत सा.नि.वि. द्वारा कार्य करवाया गया।
16	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	सेन्दरीया	95-96	1.40	2003-04	एए, ए क्लास मण्डी विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कार्य कराया गया।
17	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	आम्बा मसीना	96-97	2.80	2003-04	एए, ए क्लास मण्डी विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कार्य कराया गया।
18	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	भटसुरी,	96-97	2.90	-	वर्ष 2006-07 में एम.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई है, कार्य आदेश फरवरी 07 में जारी किया गया है।
19	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	गगवाना छातड़ी	98-99	5.00	2002-03	आर.यू.पी. प्रथम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कार्य करवाया गया।
20	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	देवनगर से खोरी	99-2000	5.50	-	विशेष मरम्मत के अनुमानित तकमीनें मण्डी समिति, अजमेर (अनाज) को भिजवाये गये हैं।
21	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	शिवपुरा	2001-02	3.50	-	वार्षिक मरम्म्त के अनुमानित तकमीनें मण्डी समिति, अजमेर (अनाज) को भिजवाये गये हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
22	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	नयागांव	2001-02	1.60	-	विशेष मरम्मत के अनुमानित तकमीनें मण्डी समिति, अजमेर (अनाज) को भिजवाये गये हैं।
23	पुष्कर	अजमेर (फल सब्जी)	एन एच 8 से सराना	2001-02	3.30	-	वार्षिक मरम्मत के अनुमानित तकमीनें मण्डी समिति, अजमेर (फल सब्जी) को भिजवाये गये है।
24	पुष्कर	अजमेर (अनाज)	सुधाबाय से बांसेली वाया नेडलिया	2006-07	5.65	-	वर्ष 2006-07 में कार्य पूर्ण हुआ। मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
			योग		**80.60**		

विशाला (बाड़मेर) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

184. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगें:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बहुत कम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर पंचायत समिति क्षेत्र के विशाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में वर्तमान में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बायतू एवं कवास स्वीकृत हैं।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित ग्रामीण जनसंख्या आधारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति बाड़मेर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की कमी है आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत समिति बाड़मेर के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

टोडाभीम में प्रतिनियुक्ति पदस्थापित अध्यापक

185. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्लाक शिक्षा अधिकारियों को अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति के अधिकार दिये गये हैं? यदि हां, तो नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोड़ाभीम एवं नादौती में प्रारम्भिक ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्तियां दी गई हैं? यदि हां, तो किस आधार पर?

(3) क्या सरकार इन प्रतिनियुक्तियों की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। पृथक-पृथक कारणों से की गई प्रतिनिक्तिां निरस्त की जा चुकी हैं।

(3) जी हां। जांच करवाई जा रही है। जांचोपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

दीगोद की प्रस्तावित लघु सिंचाई परियोजनाऐं

186. श्री भरत सिंह (दीगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में स्वीकृत लघु सिंचाई परियोजना दांता, आंबा, किशोरपुरा एवं लाड़पुरा की प्रशासनिक स्वीकृति कब जारी की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना वन क्षेत्र में होने के कारण एन.पी.बी. राशि की मांग वन विभाग द्वारा 9.20 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर से निर्धारित की गई है?

(3) क्या सरकार यह राशि वन विभाग को जमा करवाकर इन सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में दातां, आबां, किशोरपुरा एवं लाड़पुरा लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 19.11.2001 को जारी की गई।

(2) जी हां।

(3) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्रारम्भ कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

सहाड़ा के धार्मिक स्थलों की सड़कों का डामरीकरण

187. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाडा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के धार्मिक स्थान खजुरिया, भेरूजी, चरावण माता, बेराणा, भरक माताजी, महादेवजी, नाथडियास एवं अन्य स्थलों की सड़कों को डामरीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजना में व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के धार्मिक स्थान खजूरिया भैरूजी, चरावणमाता बोराणा, भरक माताजी, महादेवजी नाथडियास एवं अन्य स्थलों को डामर सड़कों से जोड़ने के कार्य राज्य सड़क निधि/नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले की बिलानाम भूमि के कब्जेधारियों का नियमन

188. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में दो वर्ष पूर्व कई गांवों की हजारों बीघा बिलानाम भूमि को चरागाह भूमि में परिवर्तित कर दिया गया? यदि हां, तो जिले में कितनी भूमि को चरागाह (चरनोट) में दर्ज किया गया? तहसील व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के पास चारागाह में दर्ज की गई इस भूमि पर विगत वर्षो में काबिज आवासीय मकान व कृषि भूमि का रिकार्ड उपलब्ध है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त भूमि को किस्म परिवर्तन करने से पूर्व जनप्रतिनिधियों व स्थानीय जनता की राय ली गई? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त भूमि पर वर्षो से काबिज आवासीय मकानों व कब्जों का नियमन कर पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले में 2 वर्ष पूर्व 736 ग्रामों की 26532.64 हैक्टर भूमि चरागाह में परिवर्तित की गई है। तहसील व ग्रामवार विवरण अतिविस्तृत होने से अभी दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। तहसीलवार कब्जों का विवरण निम्नानुसार है :-

तहसील	आवासीय प्रयोजन	कृषि प्रयोजन
बेगू	4.074 हैक्टर	196.261 हैक्टर
डूंगला	-	7.35 हैक्टर
राशमी	0.25 हैक्टर	7.16 हैक्टर
कपासन	1.42 हैक्टर	12.09 हैक्टर
योग	**5.744 हैक्टर**	**222.861 हैक्टर**

(राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 के प्रावधानान्तर्गत सार्वजनिक चारागाह हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि के आरक्षण से पूर्व जनप्रतिनिधियों व स्थानीय जनता की राय लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(4) राजकीय भूमि पर काबिज आवासिय मकानात व कब्जों का नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी कर प्रावधान किये गये हैं । विषयान्तर्गत प्रकरण प्राप्त होने पर नियमों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त सही पाये जाने पर तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

निवाई में कृषि बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित सड़कें

189. श्री हीरालाल (निवाई): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत 5 वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से सड़क निर्माण व मरम्मत के क्या-क्या कार्य कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य कितनी राशि से पूर्ण हुए कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जाएंगे ?

(2) कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2007-08 में उक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण व मरम्मत के कौन-कौन से कार्य कहां-कहां व कितनी राशि के प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में बोर्ड के माध्यम से बनी अधिकतर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सड़क निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा मण्डी समिति एवं निदेशालय कृषि विपणन विभाग के माध्यम से स्वीकृत किये जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत पांच वर्षों में सड़क निर्माण के अन्तर्गत स्वीकृत नवीन निर्माण कार्यो का नाम व राशि की सूचना परिशिष्ट **'क'** पर उपलब्ध है। विशेष मरम्मत के तहत स्वीकृत कार्यो की सूचना परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है। वार्षिक मरम्मत के तहत स्वीकृत कार्यो की सूचना परिशिष्ट 'ग'

(विपणन मंत्री)

पर उपलब्ध है। प्रश्नांकित सूचना परिशिष्ट 'क', 'ख' एवं 'ग' में उपलब्ध है। अपूर्ण सड़क वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) बचत राशि उपलब्ध नही होने के कारण वर्ष 2007-08 में सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं। 12 सड़कें जिन पर विशेष मरम्मत/रिनिवल की आवश्यकता है क्षतिग्रस्त है। जिनका विवरण परिशिष्ट 'घ' पर उपलब्ध है। इसमें से क्रम संख्या 1 से 3 तक की सड़कें एम.डी.एफ. से स्वीकृत हो चुकी हैं। आर्थिक स्थिति के अनुरूप आगामी वर्षों में शेष सड़कों की मरम्मत पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फूलचन्द राजगढिया रैफरल चिकित्सालय, राजगढ़ (चूरू) में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन

190. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) फूलचन्द राजगढिया रैफरल चिकित्सालय, राजढ़ (चूरु) में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने चिकित्सक कार्यरत हैं?

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में आरथोपेडीशीयन, दंत चिकित्सक व नेत्र चिकित्सक का पद स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फूलचन्द राजगढिया सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ (चूरु) में चिकित्सकों के स्वीकृत, एवं कार्यरत पदों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडी. सर्जरी स्त्रीरोग, बालरोग)	4	(कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) वर्तमान में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र राजगढ़ में कार्य कर रहा है।)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

1	2	3
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-
चिकित्सा अधिकारी	3	3
चिकित्सा अधिकारी(स्नातकोत्तर हड्डी रोग)	1	-

(2) फूलचन्द राजगढिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ (चूरू) में वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी (स्नातकोत्तर हड्डी रोग) का पद स्वीकृत है। उपरोक्त शेष पद स्वीकृत कराये जाने हेतु आगामी वित्तीय वर्षो में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर फूलचन्द राजगढिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ में कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) एवं चिकित्सा अधिकारी (दन्त) का पद स्वीकृत कराए जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

अतारांकित प्रश्नोतर

औद्योगिक क्षेत्र बांदीकुई में स्थापित उद्योग

309. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के औद्योगिक क्षेत्र कोलाना में रीको द्वारा कुल कितनी भूमि अधिगृहित की गई व उसमें से कितने औद्योगिक पट्टे कितने-कितने क्षेत्रफल के दिये जाने प्रस्तावित थे?

(2) अब तक कुल कितने पट्टे किस-किस दर पर दे दिये गये व कितने दिये जाने शेष हैं? दिये गये पट्टों पर कौन-कौनसी औद्योगिक इकाइयां किस-किस नाम से वर्तमान में कार्यरत हैं, जिन पट्टाधारियों ने औद्योगिक इकाइयां अभी तक स्थापित नहीं की हैं, क्या सरकार उनके पट्टे निरस्त करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र कौलाना हेतु रीको द्वारा 71.33 एकड़ भूमि अवाप्त की गई। इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 130 भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	क्षेत्रफल	संख्या
1-	4000 वर्गमीटर	04
2-	1500 वर्गमीटर	61
3-	1000 वर्गमीटर	25
4-	700 वर्गमीटर	18
5-	500 वर्गमीटर	22
	कुल	**130**

(2) अब तक कुल 110 भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं तथा 20 भू-खण्ड आबंटन हेतु शेष है। भू-खण्डों की आवंटन दर परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं। आबंटित भू-खण्डों पर वर्तमान में संचालित औद्योगिक इकाइयों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

जिन आबंटियों द्वारा निर्धारित समयावधि में इकाई स्थापित नहीं की गई हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार भूखण्ड निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ

(उद्योग मंत्री)

की जा चुकी हैं। अब तक की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सिवाना के ग्रामीण क्षेत्रों में भू-तल जलाशयों से पेयजल आपूर्ति

310. श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में भू-तल जलाशय (जी.एल.आर.) निर्माण करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सभी भू-तल जलाशय पाइप लाइन से जोड़ दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कितने भू-तल जलाशयों को पाइप लाइन से जोड़ना शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार शेष रहे जलाशयों को पाइप लाइन से कब तक जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विभिन्न विभागीय योजनान्तर्गत निर्मित समस्त 468 भू-तल जलाशय पाइप लाइन से जुड़े हुए हैं परंतु 15 भू-जल जलाशय ऐसे हैं जिनमें विभिन्न कारणों से पेयजल वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो रहा है । विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उप्लब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार वर्णित 15 भू-जल जलाशयों को चालू करने बाबत प्रस्तावित समाधान का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

परिशिष्ट 'अ'

सिवाना के विभिन्न ग्रामों में भू-तल जलाशयों जिनमें वर्तमान में पानी नहीं पहुंच रहा है, की सूची एवं प्रस्तावित समाधान

क्र. सं.	योजना का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	भू-तल जलाशयों का स्थान	पानी कब से नहीं पहुंच रहा है	बंद का कारण	वर्तमान पेयजल व्यवस्था व प्रस्तावित समाधान
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्राम जल योजना सिलोर-देवलियाली	पाबूपुरा	1. विश्नोईयों की ढाणी	जून, 2006	ढाणी योजना के अन्तिम छोर पर होने के कारण।	नजदीकी निजी स्त्रोतों से पानी प्राप्त कर रहे हैं। ग्रीष्म, 2007 में टैकरों द्वारा समाधान हेतु माह फरवरी, 2007 में स्वीकृत उम्मेद सागर-धवा-कल्याणपुर-समदड़ी-खण्डप परियोजना में सम्मिलित है।
2	ग्राम जल योजना खेज़डियाली-रामपुरा	तेजसिंह की ढाणी	2. तेजसिंह की ढाणी	जून, 2006	वर्तमान के स्त्रोतों में पानी की आवक कम हो जाने के कारण व विद्युत आपूर्ति अनियमित (4-5 घंटे) उपलब्ध होने के कारण।	ग्रीष्म 2007 में टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन करना प्रस्तावित है। स्थाई समाधान हेतु स्वीकृत उम्मेद सागर-धवा-कल्याणपुर-समदड़ी-खण्डप परियोजना में सम्मिलित है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	जल योजना राणी देसीपुरा	राणी देसीपुरा	3. मालियों का बेरा	जून, 2006	अन्तिम छोर पर 3 किलोमीटर लम्बी पी.वी.सी. पाइप लाइन में जगह-जगह चौंकिंग होने के कारण।	कन्टीजेन्सी के तहत पाइप लाइन बदलने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। स्थाई समाधान हेतु स्वीकृत उम्मेद सागर-धवा-कल्याणपुर-समदड़ी-खण्डप परियोजना में सम्मिलित है।
4.	जल योजना दाखां-भुखा	दांखा	4 सारणों की ढाणी	मार्च, 2005	स्त्रोत की कमी से पेयजल उत्पादन में कमी एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजानान्तर्गत सड़क निर्माण के दौरान 63 मिलीमीटर व्यास की पी.वी.सी. पाइप लाइन 2 किलोमीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त होने के कारण।	वर्तमान में उचीया जी.एल.आर. से पानी प्राप्त कर रहे हैं। ग्रीष्म संवर्धन योजना, 2007 के तहत अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण एवं पाइप लाइन बदलने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। ग्रीष्म, 2007 में ग्राम में परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6	7
		गिरली चारणान	5. गिरली चारणान	मार्च, 2004	स्त्रोत की कमी से पेयजल उत्पादन में कमी एवं ग्राम के अंतिम छोर पर होने के कारण।	ग्रीष्म संवर्धन योजना, 2007 के तहत अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं । ग्रीष्म, 2007 में ग्राम में टैंकरों द्वारा परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
		आमझर	6. अमझर	मार्च, 2004	स्त्रोत की कमी से पेयजल उत्पादन में कमी एवं ग्राम योजना के अंतिम छोर पर होने के कारण। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़क के नीचे 100 मिलीमीटर व्यास की ए.सी. पाइप लाइन 3 किलोमीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गई है।	ग्रीष्म संवर्धन योजना, 2007 के तहत अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण एवं पाइप लाइन बदलने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। ग्राम में ग्रीष्म, 2007 में परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6	7
		भाणामगरा	7. भाणमगरा	मार्च, 2004	स्त्रोत कमी से पेयजल उत्पादन में कमी एवं ग्राम योजाना के अंतिम छोर पर होने के कारण। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजानान्तर्गत सड़क निर्माणके दौरान के 100 मिलीमीटर व्यास की ए.सी. पाइप लाइन 3 किलोमीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गई है।	ग्रीष्म संवर्धन योजना, 2007 के तहत अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण एवं पाइप लाइन बदलने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। ग्राम में ग्रीष्म, 2007 में परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6	7
		भाणामगरा	8. चन्दाराम विश्नोई की ढाणी	मार्च, 2004	स्त्रोत कमी से पेयजल उत्पादन में कमी एवं ग्राम योजाना के अंतिम छोर पर होने के कारण। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजानान्तर्गत सड़क निर्माणके दौरान के 100 मिलीमीटर व्यास की ए.सी. पाइप लाइन 3 किलोमीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गई है।	ग्रीष्म संवर्धन योजना, 2007 के तहत अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण एवं पाइप लाइन बदलने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। ग्राम में ग्रीष्म,2007 में परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6	7
5.	जल योजना डण्डाली	बावरी खुर्द	9. बावरी खुर्द	मार्च, 2006	स्त्रोत की कमी से पेयजल उत्पादन में कमी एवं ग्राम योजना के अंतिम छोर पर होने के कारण।	ग्रीष्म संवर्धन योजना, 2007 के तहत अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण एवं पाइप लाइन बदलने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। ग्राम में ग्रीष्म, 2007 में परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
6.	जल योजना भलखारी-निरीयानाडा	पायला खुर्द	10. बजाड़ो की ढाणी	अगस्त, 2005	क्षेत्रीय योजना पर 3 स्त्रोत (खुले कुएं) में से 1 स्त्रोत में टी.डी.एस. मानक मात्रा से अत्यधिक (16300 मिलीग्राम/लीटर) होने के कारण स्त्रोत माह, जनवरी, 2006 से बंद है। शेष 2 स्त्रोतों में जल उत्पादन की कमी एवं उल्लेखित ग्राम व ढाणियां योजना के अंतिम छोर पर होने के कारण जी.एल.आर. में पानी नहीं पहुंचाता है	ग्राम पंचायत, सिणधरी द्वारा ग्रसम गादेसरा को अन्य क्षेत्रीय योजना के स्त्रोत ग्राम मिठूड़ा-पादरू से जोड़ने हेतु 75 मिलीमीटर व्यास की पी.वी.सी. पाइप लाइन को स्त्रोत एवं जी.एल.आर. से जोड़ने एवं टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त इन गामों में ग्रीष्म, 2007 में परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। संवर्धन जल योजना भाटा-सिणधरी के तहत नवीन स्त्रोत ग्राम भाटा में लेकर बनाई गई योजना वर्तमान में सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच प्रक्रिया में है।
		निरीयानाडा	11. कुम्हारों की ढाणी	अगस्त, 2005		
		निरीयानाडा	12. निरीयानाडा	अगस्त, 2005		
		गादेसरा	13. गादेसरा	अगस्त, 2005		

1	2	3	4	5	6	7
7.	जल योजना मीठा-अर्नियाली	नाकोडा	14. लद्दुओं मेघवालों की ढाणी	मार्च, 2004	63 मिलीमीटर व्यास की लगभग 2 किलोमीटर पाइप लाइन चौकिंग होने एवं ग्राम योजना के अन्तिम छोर पर होने के कारण।	चोकिंग निकालने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। ग्रीष्म, 2007 में टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन भी प्रस्तावित है।
8.	जल योजना कादानाडी	मण्डावला	15. मण्डावला	मार्च, 2006	विद्युत आपूर्ति अनियमित (4-5 घंटे) उपलब्ध होने एवं ग्राम योजना के अंतिम छोर पर होने के कारण।	ग्रीष्म संवर्धन योजना, 2007 के तहत अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। ग्रीष्म, 2007 में परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

परबतसर के हैण्ड पम्पों की मरम्मत

311. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यहां बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत तीन वर्षो में विधान सभा क्षेत्र परबतसर में किन-किन योजनाओं में कितने-कितने हैण्डपम्प लगाये गये? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने हैण्डपम्प नाकारा हो गये? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नाकारा हैण्डपम्पों की जगह क्या सरकार द्वारा अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(4) खराब हैण्डपम्पों को सुधारने की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो गत वर्ष में कितने हैण्डपम्पों को ठीक किया गया ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2003-04 से 2005-06 की अवधि में निर्मित किये गये 403 हैण्डपम्पों का ग्राम पंचायतवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त में से ग्राम पंचायत, मायापुर के ग्राम बंवाल में वर्ष 2004-05 में निर्मित 2 हैण्डपम्प लगभग एक वर्ष तक क्रियाशील रहने के उपरान्त कोलेप्स हो जाने के कारण नाकारा हो गये ।

(3) जी हां । ग्राम बंवाल (वर्ष 2001 की जनसंख्या=2145) में आवश्यकतानुसार 2 हैण्डपम्प वर्ष 2005-06 में निर्मित कर चालू कर दिये गये हैं ।

यह ग्राम पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित है एवं वर्तमान जल सेवा स्तर 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त 12 हैण्डपम्प भी वर्तमान में क्रियाशील हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में हैण्डपम्प मरम्मत एवं संधारण का कार्य दर संविदा द्वारा वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर विभागीय शर्तो के अधीन संवेदकों के माध्यम से कराया जा रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वर्ष 2005-06 में विधान सभा क्षेत्र परबतसर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मरम्मत योग्य खराब पाये गये क्रमश: 59 एवं 1099 हैण्डपम्पों को सुधारा गया । ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोडिजा (बूंदी) की भूमि पर अतिक्रमण

312. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोडिजा (बूंदी) को आबंटित की गई भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 01 जुलाई, 2006 को करवाया गया है? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी द्वारा विद्यालय के किस-किस अध्यापक की उपस्थिति में? सीमाज्ञान के लिये जारी विभागीय नोटिस तथा की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सीमाज्ञान के समय उक्त भूमि के एक हिस्से पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा तथा मौके पर स्वामित्व था? यदि हां, तो क्या इसका इंद्राज सीमाज्ञान के समय तैयार किये गए कागजातों में संबंधित पटवारी द्वारा किया गया है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि विद्यालय के लिये भूमि का आबंटन किये जाने के पूर्व अधिकारियों द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के समय भी उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने के उपरांत भी हल्का पटवारी द्वारा कब्जे की वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराकर जिम्मेदारी का निर्वहन करने में चूक की गई है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार सही जानकारी कराने के लिये विभागीय जांच करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सीमाज्ञान भू-अभिलेख निरीक्षक मायजा द्वारा पटवारी मायजा के सहयोग से अध्यापक श्री प्रेमशंकर शर्मा, उप सरपंच श्री राधेश्याम शर्मा एवं श्री राम मुरारी शर्मा आदि की उपस्थिति में कराया गया। सीमाज्ञान,

(राजस्व मंत्री)

विद्यालय को आबंटित भूमि के आदेश की पालना में किया गया है। पृथक से नोटिस जारी नहीं किया गया। सीमाझान विवरण की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। जब मौके पर अन्य व्यक्ति का कब्जा या स्वामित्व था ही नहीं तो इन्द्राज करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी नहीं। कब्जा ही नहीं था तो अवगत न कराने पर विभागीय जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगरार उप खण्ड अधिकारी के कार्यालय व आवास हेतु भवन

313. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गंगरार में उप खण्ड कार्यालय कब प्रारम्भ किया गया? क्या यह सही है कि गंगरार में उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय व निवास हेतु भवन नहीं है?

(2) क्या सरकार गंगरार में उप खण्ड कार्यालय भवन व आवास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उपखण्ड कार्यालय गंगरार दिनांक 12.06.2002 से आरम्भ किया गया है। वर्तमान में उपखण्ड कार्यालय गंगरार तहसील भवन में ही स्थित है। उप खण्ड अधिकारी के निवास हेतु राजकीय आवास भवन नहीं है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन का आधुनिकीकरण किये जाने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार के गामीण विकास मंत्रालय को भिजवाई जा चुकी है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर अन्य स्थानों के शेष रहे राजस्व भवनों के साथ उप खण्ड कार्यालय गंगरार के कार्यालय भवन व आवास का भी उपयुक्त स्थान का चयन कर वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर निर्माण करवाया जा सकेगा।

नागौर जिले के भूमिहीन कृषकों को आबंटित भूमि का बेचान

314. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डैगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में सरकार द्वारा गत दो वर्षों में किस-किस गांव में

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

कितने भूमिहीन लोगों को कृषि योग्य भूमि आबंटित की गई ? सूची वर्षवार, ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आबंटित भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो क्या इस नियम का उल्लंघन करके बेचान कर दिया गया ? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों की सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकार से आबंटित की गई भूमि के आबंटियों में से कितनों को अभी तक कब्जा नहीं मिला ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 2005 में ग्राम डूंगरावास तहसील डेगाना में एक व्यक्ति को तथा वर्ष 2006 में ग्राम रावतखेडा तहसील डेगाना में 20 व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि आबंटित की गई है। वर्षवार, ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां। आबंटिगण को आबंटन नियमों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार मिलने से पूर्व बेचान नहीं किया जा सकता। आबंटित भूमि में से किसी भी भूमि का बेचान किये जाने का कोई प्रकरण नहीं है।

(3) उक्त आबंटित भूमि में से कब्जा नहीं मिलने का कोई प्रकरण शेष नहीं है।

वर्ष 2005 एवं 2006 में किये गये आबंटन की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	ख. नं.	रकबा (बीघा में)	नाम व्यक्ति
1	2	3	4	5
वर्ष 2005 1.	डूंगरावास	272/229	5.00	शोकिन खां पुत्र भील खां ढाढी सा. डूंगरावास
वर्ष 2006 1.	रावतखेडा	1415/514	4.00	नारायणसिंह पुत्र छोटूसिंह कौम रावत सा. देह
2.		1416/514	2.00	समदरसिंह पुत्र गंगासिंह कौम रावत सा. देह

1	2	3	4	5
3.		1417/514	2.00	शंकर सिंह पुत्र दूद्दा रावत सा. देह
4.		1418/514	4.00	सोहन, बुधा, कैलाश पि. पेमा रावत सा. देह
5.		1418/514	5.00	मेमसिंह उर्फ मेमा पुत्र छोटूसिंह रावत
6.		1420/514	4.00	दीना पुत्र गुल्ला रावत सा. देह
7.		1421/514	0.05	श्रीमति पांची पत्नी सूरजमल रावत सा. देह
8.		1422/1057	2.10	राजूसिंह, सुरेन्द्रसिंह पि. मन्दसिंह राजपूत सा. देह
9.		1423/1057	3.00	पपूराम पुत्र मोनूराम भाम्बी सा. देह
10.		1424/1057	7.00	नाथू, ओमप्रकाश पि. भंवरलाल भाम्बी सा. देह
11.		1427/514	2.00	शंकर पुत्र माधु रावत सा. देह
12.		1428/514	2.10	सोहन पुत्र मोती रावत सा. देह
13.		1429/514	2.10	गोपाल पुत्र बिरदा रावत सा. देह
14.		1430/514	5.00	लिछमण, सरदार, धर्मा, श्रवण, अणदा पि. नाथा रावत सा. देह
15.		1431/514	5.00	कालूसिंह पुत्र जसा रावत सा. देह

1	2	3	4	5
16.		1432/514	2.10	शंकर पुत्र छोटू रावत सा. देह
17.		1433/514	4.00	रामदयाल, परसाराम, रूगनाथ, किसना पि. प्रभूराम कुम्हार सा. देह
18.		1434/514	5.00	प्रताप भोपाल पि. मोती रावत सा. देह
19.		1435/514	2.10	किसना पुत्र देवा रावत सा. देह
20.		1436/1022	4.00	श्रीमति मनीदेवी पत्नी फूलसिंह रावत सा. देह

वराड़ा (सिरोही) में मेघवाल समाज को धर्मशाला निर्माण हेतु भू-आबंटन

315. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सिरोही के तहसील कार्यालयों में अथवा जिला कलक्टर के स्तर पर वर्ष 2004, 2005, 2006 व 1 फरवरी, 2007 तक धर्मशाला अथवा छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आबंटन के कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने आबंटन किए गए एवं कितने किस स्तर पर लम्बित हैं एवं कितने निरस्त किये गए ? प्रत्येक का कारण सहित तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सिरोही जिले के ग्राम वराडा में मेघवाल समाज को धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि आबंटन का प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है उक्त भूमि आबंटन अब तक क्यों नहीं किया गया ? अब कब तक उक्त समाज को भूमि का आबंटन कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जिला सिरोही में धर्मशाला एवं छात्रावास हेतु आबंटन करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों, आबंटन एवं निरस्त किये गये प्रकरणों का वर्षवार व तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है ।

(राजस्व मंत्री)

(2) ग्राम बराडा मेघवाल समाज समिति द्वारा धर्मशाला निर्माण हेतु चाही गयी भूमि ख. नं. 517/1 की किस्म गै.मु. ओरण होने से अन्य उपयुक्त भूमि के लिये समिति से आवेदन चाहे गये हैं, जो प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

परिशिष्ट ''अ''

1.धर्मशाला निर्माण

क्र. सं.	नाम तहसील	वर्ष	आवेदनकर्ता संस्था का नाम	निस्तारण		शेष	कारण
				आबंटन	निरस्त		
1	सिरोही	2004	पुरोहित राजगर समाज सेवा समिति, बरलूट	-	1	-	समाज को अन्य तीन ग्रामों में भूमि आबंटन होने से निरस्त किया गया।
2	सिरोही	2004	मेगवाल समाज धर्मशाला, देलदर	-	1	-	आवेदित भूमि की किस्म ओरण होने से निरस्त किया।
3	सिरोही	2004	सरगडा समाज, मंडवारिया	-	1	-	ग्राम पंचायत द्वारा सभी संस्थाओं के लिए एक सामुदायिक भवन बनाने बाबत सूचित कर फाईल किया।
4	सिरोही	2004	रेबारी कल्याणकारी संस्थान, सिरोही	22.2.2005	-	-	आबंटित
5	सिरोही	2004	प्रजापत विकास समिति, खाम्बल	28.12.2005	-	-	आबंटित
6	सिरोही	2005	भांड समाज सेवा समिति, देलदर	-	1	-	आवेदित भूमि की किस्म ओरण होने से निरस्त किया।
7	सिरोही	2005	रावल ब्राहमण सेवा समिति, चडुआल	-	1	-	आवेदित भूमि की किस्म तालाब होने से निरस्त किया।

क्र. सं.	नाम तहसील	वर्ष	आवेदनकर्ता संस्था का नाम	निस्तारण		शेष	कारण
				आबंटन	निरस्त		
8	सिरोही	2005	मेगवाल समाज सेवा समिति, बराडा	-	1	-	आवेदित भूमि की किस्म ओरण होने से निरस्त किया।
9	सिरोही	2006	शिवशक्ति सेवा समिति, खाम्बल	-	-	1	आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जांच आदि प्रक्रिया में तहसीलदार सिरोही से आवश्यक सूचना चाही गयी है तथा समिति को आवेदित भूमि की देय राशि जमा कराने के लिए दिनांक 24.1.2007 को सूचित किया गया है उनसे उत्तर अपेक्षित है।
10	शिवगंज	2005	प्रजापति कुमार समाज विकास संस्था, माण्डानी	-	1	-	आवेदित भूमि की किस्म ओरण होने से निरस्त किया।
11	रेवदर	2004	संघवी हंसराज चेरीटेबिल ट्रस्ट, जीरावल	4.3.2006	-	-	आबंटित
12	पिण्ड्वाड़ा	2005	सेन समाज, पिण्डवाडा	-	1	-	आवेदित भूमि की किस्म पायतन होने से निरस्त किया।
13	आबूरोड	2004	ग्रासीया विकास सेवा समिति, आकराभट्टा	-	1	-	आवेदित भूमि राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित होने से निरस्त किया

2. छात्रावास निर्माण

क्र. स.	नाम तहसील	वर्ष	संस्था का नाम	निस्तारण		शेष	कारण
				आबंटन	निरस्त		
1	सिरोही	2004	फोदर पुरोहित सेवा समिति, चडुंआल	-	1	-	आवेदित भूमि की किस्म तालाब होने से निरस्त किया।
2	सिरोही	2004	प्रजापति कुम्भकार समाज, सिरोही	-	1	-	आवेदित भूमि के पास मन्दिर होने से लोगों की आपत्ति एवं भूमि की किस्म नाडी व पाल होने से निरस्त किया।
3	सिरोही	2004	आबूगोड संत समाज संस्थान, सिरोही	-	-	1	ग्राम सारणीसेवरजी के भूमियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका होने से तथा स्थगन आदेश होने के कारण शेष।
4	सिरोही	2004	जटिया रेगर समाज संस्था, सिरोही	-	-	1	ग्राम सारणीसेवरजी के भूमियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका होने से तथा स्थगन आदेश होने के कारण शेष।
5	सिरोही	2004	प्रजापति विकास संस्था, कैलाशनगर	-	1	-	आवेदित भूमि की किस्म ओरण होने से निरस्त किया।

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. स.	नाम तहसील	वर्ष	संस्था का नाम	निस्तारण आबंटन	निस्तारण निरस्त	शेष	कारण
7	सिरोही	2005	क्षत्रिय समाज कल्याणकारी संस्था, सिरोही	-	1	-	नगरपालिका क्षेत्र मे रिक्त भूमि नहीं होने से निरस्त किया।
8	सिरोही	2005	स्वर्णकार संस्थान, सिरोही	-	1	-	नगरपालिका क्षेत्र मे रिक्त भूमि नही होने से निरस्त किया।
9	सिरोही	2005	मगरा परगना चौधरी समाज सेवा संस्था, आमलारी	13.7.2005	1	-	आवंटित
10	सिरोही	2006	राजपुरोहित समाज सेवा संस्थान, मेरमोडवाडा	-	-	1	आवेदन पत्र प्राप्त होने पर भूमि के संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट चाही है प्रकरण जांच प्रक्रिया में विचाराधीन है।
11	शिवगंज	2004	ग्राम नारादरा में रेबारी समाज के छात्रावास हेतु	-	1	-	आवेदित भूमि की किस्म ओरण होने से निरस्त किया।
12	शिवगंज	2004	मारू कुमावत सेवा समिति, शिवगंज	-	-	1	आवेदित भूमि मास्टर प्लान में वरिष्ठ नगर नियोजक से वांछित रिपोर्ट अपेक्षित है।
13	शिवगंज	2006	मीना समाज समिति, केसरपुरा	-	-	1	आवेदित भूमि मास्टर प्लान में वरिष्ठ नगर नियोजक से वांछित रिपोर्ट अपेक्षित है।
14	पिण्डवाडा	2006	मारू प्रजापति समाज राई परगना विकास समिति, जाडोली	-	1	-	आवेदित भूमि की किस्म पायतन होने से निरस्त किया।

मलिकपुर (श्रीमाधोपुर) ग्राम पंचायत के चयनित कृषकों को आबंटित भूमि के खातेदारी अधिकार

316. श्री भंवरू खान (फतेहपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में ग्राम पंचायत मलिकपुर, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर में भूमिहीन एवं बी.पी.एल. चयनित तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के काश्तकारों को भूमि आबंटित की गई थी ? यदि हां, तो किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि के किन-किन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दे दिये गये ? यदि नहीं, तो अब तक खातेदारी अधिकार नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या उक्त संबंध में जिला कलक्टर सीकर को शिकायती पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो कलक्टर द्वारा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ग्राम पंचायत मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की भूमि खसरा नं. 927/442 एवं 928/442 जो वर्ष 1999 में आबंटित की गई थी, का खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत मल्लिकपुर में वर्ष 1999 में किये गये आबंटनों की सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) कजोड़ पुत्र पाबू नट, मूलचंद पुत्र गोपीराम बलाई, रणजीत पुत्र लालूराम जाट को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं।

श्योपाल भागीरथ पुत्र लालूराम के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही लम्बित होने तथा रामदेव पुत्र मालाराम द्वारा आवेदन नहीं देने के कारण खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सके हैं।

जगन्नाथ प्रसाद पुत्र रामनारायण को आबंटित भूमि को कब्जा रिपोर्ट में खसरा नम्बर 819 के स्थान पर 619 सहवन से लिखे जाने के कारण पुन: जांच करवाई गयी। सही स्थिति स्पष्ट होने पर दिनांक 1.3.2007 को गैर खातेदारी दी गयी है।

(राजस्व मंत्री)

(3) खातेदारी अधिकारों हेतु जिला कलक्टर कार्यालय, सीकर को कजोड़ पुत्र पाबू नट द्वारा दिनांक 1.7.2006 एवं 26.8.2006, मूलचंद पु. गोपीराम बलाई व रणजीत पुत्र लालू जाट द्वारा दिनांक 24.7.2006, 27.7.2006, 14.9.2006 व 8.12.2006 तथा जगन्नाथ प्रसाद पुत्र रामनारायण द्वारा दिनांक 29.9.2006 को जन सुनवाई के दौरान आवेदन पत्र पेश करने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा खण्ड 2 में वर्णित कार्यवाही की गयी।

(4) ख.न. 927/442 एवं 928/442 में खातेदारी अधिकार क्रमश: मूलचंद पुत्र गोपीराम बलाई एवं रणजीत पुत्र लालूराम को नियमानुसार दे दिये जा चुके हैं।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम आबंटी	आबंटित ख. नं.	भूमि का वर्गीकरण	वि.वि.
ग्राम पंचायत मलिकपुर ग्राम मलिकपुर				
(1)	कजोड पुत्र पाबूनट निवासी मलिकपुर	422 443	1.00 1.94 2.94	
(2)	रामदेव S\o भानाराम जाट निवासी मलिकपुर	266	0.32	
(3)	मूलचन्द S\o गोपीराम बलाई निवासी-ज्ञानपुरा	442	2.00	वर्तमान ख.नं. 927/442
(4)	रणजीत s\o लालूराम जाट निवासी ज्ञानपुरा	442	2.00	वर्तमान ख.नं. 928/442
ग्राम ज्ञानपुरा				
(1)	जगन्नाथ प्रसाद S\o रामनारायण जाट निवासी- मलिकपुर	819	0.73	
(2)	श्मोपाल भागीरथ S/o लालूराम जाट निवासी- ज्ञानपुरा	595	0.52	

तहसीलदार (भू.अ.
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-317

(स्थगित)

सिरोही राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

318. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिले के प्रत्येक सरकारी अस्पताल का वर्ष 2003 से 2006 तक के प्रत्येक वर्ष की इनडोर व आउटडोर मरीजों की संख्या का वर्षवार विवरण अलग-अलग प्रस्तुत करें? उक्त प्रत्येक वर्ष में इन अस्पतालों में कितने चिकित्सक कार्यरत रहे? प्रत्येक का वर्षवार चिकित्सकों की उपलब्धता का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार चिकित्सकों की कमी दूर करने के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का वर्ष 2003 से 2006 तक के इनडोर व आउटडोर मरीजों की संख्या का वर्षवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

उक्त चिकित्सा संस्थानों में वर्ष 2003 में वर्ष 2006 तक चिकित्सकों के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण चिकित्सा संस्थानवार एवं वर्षवार परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(2) चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से प्रक्रियाधीन है।

वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पदोन्नती के हैं जिन्हें विभागीय पदोन्नती समिति की बैठक आयोजित करवा कर भरने के प्रयास किये जावेंगे।

परिशिष्ट "अ"

सिरोही जिले के अन्तर्गत आने वाले राजकीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का वर्ष 2003 से 2006 तक के इनडोर व आउटडोर मरीजों की संख्या का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	वर्ष 2003		वर्ष 2004		वर्ष 2005		वर्ष 2006	
		इनडोर	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर
1	जिला चिकित्सालय सिरोही	6588	95363	5936	122703	7084	141295	7429	145632
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूरोड	2559	35860	3179	38030	4388	40925	6300	54915
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालन्द्री	298	11907	207	11200	693	10521	651	10200
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माउन्ट आबू	560	14851	440	14846	320	14868	496	15608
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिण्डवाडा	2978	28411	1965	28408	2278	28540	3909	40861
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेवदर	102	12566	167	11657	205	12630	218	23030
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवगंज	2456	76805	1883	68367	1569	65027	2426	86447
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनादरा	310	11565	452	13344	240	10548	1218	15590
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बराडा	59	6028	72	6011	99	5471	92	4246
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरलूट	150	8978	320	9329	311	10942	496	9897

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	वर्ष 2003		वर्ष 2004		वर्ष 2005		वर्ष 2006	
		इनडोर	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंगलरी	60	4907	60	4286	94	4520	228	5794
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चनार	0	4723	0	3462	0	2697	51	3647
13	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देलदर	0	429	0	4929	0	4861	0	1065
14	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दांतराई	13	5425	148	4399	4	3348	17	6896
15	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जावाल	38	15030	5	10097	11	8240	29	11065
16	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लास (कैलाश नगर)	60	10454	92	10420	138	12040	257	9979
17	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डार	30	10497	56	7855	189	9435	311	11915
18	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नांदिया	189	6610	186	6318	227	8762	289	7782
19	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाडीव	53	6404	99	6435	88	5740	126	5483
20	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालडी	881	13629	924	12729	250	8522	407	8990
21	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोसलिया	127	14900	164	13984	105	15951	80	21104
22	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोहिडा	145	5230	112	5220	1252	10923	890	7416
23	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सनवाडा	33	9933	24	8690	6	8048	25	5458
24	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलदर	99	9518	137	10614	112	7143	263	7723

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	वर्ष 2003		वर्ष 2004		वर्ष 2005		वर्ष 2006	
		इनडोर	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर
25	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरोडी	150	12512	123	11577	100	12879	111	19291
26	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वरूपगंज	524	19477	136	17636	534	15149	660	16554
27	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तंवरी	0	4957	0	4765	0	5306	0	7757
28	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वीरवाडा	172	10124	255	10904	235	11796	263	11623
29	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भारजा	-	-	-	-	-	-	90	12216
30	टीबी क्लिनिक सिरोही	55	2187	85	2320	11	1924	0	984

परिशिष्ट ''ब''

सिरोही जिले के अन्तर्गत आने वाले राजकीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2003 से 2006 तक का चिकित्सकों के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का संख्या विवरण चिकित्सा संस्थानवार एवं वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	वर्ष 2003		वर्ष 2004		वर्ष 2005		वर्ष 2006	
			स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या
1	जिला चिकित्सालय सिरोही	वरिष्ठ विशेषज्ञ	5	4	5	4	5	5	5	2
		कनिष्ठ विशेषज्ञ	10	7	10	8	10	7	10	7
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-	1	-	1	1	1	1
		चिकित्सा अधिकारी	12	9	10	8	10	6	10	5
2	सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र आबूरोड	वरिष्ठ विशेषज्ञ	4	2	4	2	4	3	4	3
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
		चिकित्सा अधिकारी	2	2	2	2	3	1	3	1
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालन्द्री	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-	1	-	1	-	1	-
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
		चिकित्सा अधिकारी	2	1	2	1	2	1	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माउन्ट आबू	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	4 1 3	3 - 3	4 1 3	2 - 1	4 1 3	2 - 1	4 1 3	1 - 2
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिण्डवाडा	कनिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेवदर	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	2 2 1	1 1 1	2 2 1	1 1 -	2 2 1	- 1 1	2 2 1	- 1 1
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवगंज	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	4 2 -	4 2 -	2 2 -	2 2 -	4 2 1	4 2 -	4 2 1	4 2 -
8	प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र अनादरा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बराडा	चिकित्सा अधिकारी	2	1	2	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरलूट	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलगरी	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चनार	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
13	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देलदर	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
14	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दांतराई	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
15	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जावाल	चिकित्सा अधिकारी	2	-	2	1	1	1	1	1
16	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लास (कैलाश नगर)	चिकित्सा अधिकारी	2	2	2	1	1	1	1	1
17	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डार	चिकित्सा अधिकारी	2	1	2	1	1	1	1	1
18	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नांदिया	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	-
19	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाडीव	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
20	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालडी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1	1	1	1	-	1	1
		चिकित्सा अधिकारी	2	2	2	2	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोसलिया	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
22	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोहिडा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
23	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सनवाडा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
24	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलदर	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
25	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरोडी	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
26	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वरूपगंज	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	1 2	1 2	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
27	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तंवरी	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
28	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वीरवाडा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1
29	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भारजा	चिकित्सा अधिकारी	-	-	-	-	-	-	1	01
30	टीबी क्लिनिक सिरोही	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	1 1 1	- - 1	1 1 1	- - 1	1 1 1	- - 1	1 - 1	- - -

खेडली ग्राम गडासियान (भरतपुर) का क्षतिग्रस्त पब्लिक हैल्थ सेन्टर

319. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला भरतपुर के ग्राम खेड़ली गडासियान स्थित पब्लिक हैल्थ सेंटर के भवन पर गत सात वर्षों में मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान स्थिति में मरम्मत हेतु कितना व्यय आवश्यक है? क्या सरकार उक्त की मरम्मत कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेडली गडासिया के भवन की मरम्मत पर गत सात वर्षों में व्यय की गई राशि का वित्तीय वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय राशि (रूपयों में)
1999-2000	शून्य
2000-2001	शून्य
2001-2002	शून्य
2002-2003	शून्य
2003-2004	शून्य
2004-2005	37,377
2005-2006	शून्य

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेडली गडासिया के भवन की मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने राशि रु. 2.54 लाख अनुमानित किया है। आगामी वित्तीय वर्षो में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेडली गडासिया के भवन की मरम्मत कराने के प्रयास किये जाएगे।

आशा कर्मियों के चयन में व्याप्त अनियमितताएं

320. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(1) सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण हैल्थ मिशन के अन्तर्गत राज्य में आशा कर्मी (Accredited Social Health Activist) के चयन हेतु वर्षवार कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2005 से अब तक वर्षवार लक्ष्य के विरुद्ध कितनी आशा कर्मी का चयन कर नियुक्ति दी गई? जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2005 से अब तक राज्य में कितनी आशा कर्मी को प्रशिक्षण दिया गया? उक्त प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध राशि के विरुद्ध कितना व्यय किया गया? वर्षवार/जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आशा कर्मियों को सरकार द्वारा कितना मानदेय/वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा वेतन हेतु कितनी राशि व्यय की गई उक्त में राज्य व केन्द्र सरकार का हिस्सा कितना-कितना है?

(4) आशा कर्मियों के चयन हेतु निर्धारित मानदण्डों के अतिरिक्त कितनी आशा कर्मियों का चयन किया गया तथा उक्त का चयन किस आधार पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) आशा कर्मियों के चयन हेतु प्रारम्भ से अब तक अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में आशा सहयोगिनियों का चयन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर किया जा रहा है। जिलेवार, वर्षवार लक्ष्य के विरुद्ध चयन की सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य में वर्ष 2006-2007 में 25,148 आशा सहयोगिनियों को प्रशिक्षणदिया गया। वर्ष 2005 में प्रशिक्षण नहीं दिया गया । इस प्रशिक्षण हेतु आबंटित एवं व्यय राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा सहयोगिनी एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। तथा इनको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मानदेय/वेतन तथा अन्य सुविधाओं का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रुपये 500/- प्रतिमाह राज्य के बजट से मानदेय दिया जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वेतन हेतु कोई राशि व्यय नहीं की गई।

आशा सहयोगिनियों को उसके द्वारा किये गये कार्यो के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रेरक/ प्रतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान है।

(4) सभी जिलो में आशा सहयोगिनी का चयन निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया गया है, परन्तु जिला जैसलमेर में 8 तथा बाडमेर में 23 आशा सहयोगिनियों का चयन शैक्षणिक योग्यता में छूट 8वीं से 5वीं देते हुये किया गया है। जिसके प्रस्ताव राज्य स्तर पर निर्णय हेतु मंगवाये जा रहे हैं।

(5)आशा सहयोगिनी के चयन संबंधी 12 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 9 का निस्तारण हो चुका है तथा 3 शिकायतें विचारधीन हैं।

परिशिष्ट ''अ''

जिलेवार आशा सहयोगिनी चयन की सूची

क्र. सं.	जिला	कुल लक्ष्य मिशन कार्यकाल के लिये 2005-2012	लक्ष्य 2005-06	चयन 2005-06	लक्ष्य 2006-07	चयन 2006-07 जनवरी तक	चयन लक्ष्य 2005-07	कुल चयन 2005-जनवरी 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलवर	2452	981	1074	981	1378	1962	2452
2	अजमेर	1517	607	671	607	55	1214	726
3	बांसवाड़ा	1903	761	671	761	509	1522	1180
4	बारां	1103	441	408	441	435	882	843
5	बाड़मेर	2093	837	999	837	532	1674	1531
6	भरतपुर	1703	681	949	681	212	1362	1161
7	भीलवाड़ा	1665	666	701	666	345	1332	1046
8	बीकानेर	1219	488	658	488	157	976	815
9	बूंदी	881	352	441	352	96	704	537
10	चित्तौड़गढ़	1934	774	671	774	987	1548	1658
11	चुरू	1446	578	488	578	334	1156	822
12	दौसा	1174	470	465	470	354	940	819
13	धोलपुर	857	343	328	343	198	686	526
14	डूंगरपुर	1277	511	873	511	246	1022	1119
15	हनुमानगढ़	1082	433	608	433	150	866	758

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	जयपुर	2780	1112	1255	1112	401	2224	1656
17	जैसलमेर	485	194	0	194	196	388	196
18	जालौर	1183	473	473	473	152	946	625
19	झालावाड़	1175	470	657	470	456	940	1113
20	झुंझुनूं	1504	602	764	602	387	1204	1151
21	जोधपुर	1770	708	885	708	630	1416	1515
22	करौली	1032	413	400	413	355	826	755
23	कोटा	992	397	609	397	77	794	686
24	नागौर	2387	955	967	955	616	1910	1583
25	पाली	1545	618	316	618	892	1236	1208
26	राजसमन्द	928	371	400	371	143	742	543
27	सवाई माधोपुर	846	388	443	338	195	676	638
28	सीकर	1944	778	878	778	363	1556	1241
29	सिरोही	755	302	501	302	53	604	554
30	श्रीगंगानगर	1650	660	812	660	164	1320	976
31	टौंक	1034	414	287	414	331	828	618
32	उदयपुर	2546	1018	1488	1018	663	2036	2151
		46862	**18746**	**21140**	**18746**	**12062**	**37492**	**33202**

परिशिष्ट "ब"

जिलों को आशा सहयोगिनी प्रशिक्षण हेतु आबंटन तथा व्यय का ब्यौरा

क्र. सं.	जिला	कुल चयन	कुल प्रशिक्षण	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	अलवर	2452	1645	4737929	4436099
2	अजमेर	726	671	2515794	1281365
3	बांसवाड़ा	1180	1180	1885470	1673864
4	बारां	843	627	1659896	629714
5	बाड़मेर	1531	788	2986355	1594433
6	भरतपुर	1161	1161	2674700	2517558
7	भीलवाड़ा	1046	743	3211145	890684
8	बीकानेर	815	536	1381742	1073110
9	बूंदी	537	423	1383227	1019366

क्र. सं.	जिला	कुल चयन	कुल प्रशिक्षण	आबंटित राशि	व्यय राशि
10	चित्तौड़गढ़	1658	1172	2970000	2577526
11	चुरू	822	602	2054163	1436664
12	दौसा	819	753	1930829	1606125
13	धौलपुर	526	404	884630	765566
14	डूंगरपुर	1119	684	1707896	1281838
15	हनुमानगढ़	758	634	1041679	875694
16	जयपुर	1656	1656	3794000	3122475
17	जैसलमेर	196	175	453920	268099
18	जालौर	625	552	1889036	542600
19	झालावाड़	1113	854	1612312	1196234
20	झुंझुनूं	1151	1089	2748964	771128
21	जोधपुर	1515	647	2184491	1211074
22	करौली	755	616	1326658	1289198
23	कोटा	686	572	1832545	1491000
24	नागौर	1583	1333	3896728	2053159
25	पाली	1208	580	1747881	759437
26	राजसमन्द	543	460	1250497	1038692
27	सवाई माधोपुर	638	549	1394000	1138441
28	सीकर	1241	1011	2377983	2080041
29	सिरोही	554	527	1245029	1149268
30	श्रीगंगानगर	976	741	2427758	1512578
31	टौंक	618	557	1412000	1239660
32	उदयपुर	2151	1206	2805954	2657592
		33202	**25148**	**67425211**	**47180282**

जिला चिकित्सालय, डूंगरपुर का 'अ' श्रेणी क्रमोन्नयन

321. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(श्री सुशील कटारा)

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक अस्पताल, डूंगरपुर जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी 'अ' श्रीणी में नही है? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस जिला मुख्यालय चिकित्सालय को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षो में जिला चिकित्सालय की शैय्याओं में वृद्धि किए जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर जिला चिकित्सालय डूंगरपुर को 150 से 200 शैय्याओं में कमोन्नत किया जाना सम्भव होगा।

स्वाथ्य/स्वच्छता निरीक्षकों के रिक्त पद

322. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में स्वच्छता निरिक्षकों के पद सृजित हैं? यदि हां तो किन-किन मानदण्डों व आवश्यकताओं के अनुरूप कहां-कहां कितने-कितने पद सृजित किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वच्छता निरीक्षकों के प्रत्येक जिले में कितने पद सृजित हैं? उन पर कौन-कौन कार्यरत हैं व कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार पदों की संख्या कम होने पर फैलने वाली बीमारियों पर नियन्त्रण हेतु स्वच्छता निरीक्षकों के पदों में वृद्धि एवं भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में वर्तमान में 263 पद स्वास्थ्य निरीक्षकों के स्वीकृत हैं। पूर्व के निर्धारित स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) एवं ग्रामीण डिस्पेंसरियों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित/क्रमोन्नत की गई संस्थाओं पर स्वास्थ्य निरिक्षकों के पद स्वीकृत करवाये जाने का प्रावधान था।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्तमान में स्वास्थ्य निरीक्षकों के स्वीकृत पदों का जिलेवार विवरण परीशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध हैं।

(2) स्वास्थ्य निरीक्षकों के वर्तमान में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदस्थापित कर्मचारी के नाम सहित विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं। स्वास्थ्य निरीक्षक का पद डाइंग केडर का है इसलिये स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों में वृद्वि एवं भर्ती सम्भव नहीं है।

लगभग सभी चिकित्सा संस्थानों पर महिला स्वास्थ्य दर्शिका या अन्य प्रकार के सुपरवाइजर का पद सृजित है तथा जिन संस्थाओं पर यह पद नहीं है वहां पर पुरूष/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में बीमारियों पर नियंत्रण की कार्यवाही की जाती हैं।

परिशिष्ट ''अ''

स्वास्थ्य निरीक्षकों के वर्तमान में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदस्थापित कर्मचारी के नाम सहित विवरण निम्न प्रकार हैं

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थागित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
1	अजमेर	12	11	1	1	श्री ओमप्रकाश शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाघसूरी
					2	श्री राकेशचन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य,कडेल
					3	श्री विनोद गौतम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगवाना
					4	श्री किशोर कुमार वर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरवा
					5	श्री शम्भुसिंह राठौड	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अराई
					6	श्री देवेन्द्र वर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बघेरा
					7	श्री गुमान सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बघेरा
					8	श्री अहमद हुसैन मंसूरी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बादनवाडा
					9	श्री गोर्धनलाल बोयत	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जामोला
					10	श्री भवंर सिंह राठौड	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करकेडी
					11	श्री प्रेमनारायण बाहेती	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सावर
					12	रिक्त	संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय, अजमेर

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
2	नागौर	7	5	2	1	श्री जगदीश रमण बैध	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवंतगढ
					2	श्री शैलेन्द्र पालीवाल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोखा चन्दावाता
					3	श्री विनोद कुमार शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचेरा
					4	श्री तालेश्वर सिंह	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खींवसर
					5	श्री सन्तोषचंद चौधरी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बासनी
					6	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडु
					7	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुकनवाली
3	टोंक	10	9	1	1	श्री विकार अहमद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छान
					2	श्री घनश्याम सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिलाय
					3	श्री ज्ञानेन्द्र दत्त शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालपुरा
					4	श्री आदेश कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलीगढ
					5	श्री चांदमल क्षकार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांधोलाई
					6	श्री राजेन्द्र कुमार विजय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचेवर
					7	श्री गिरधर गोपाल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिग्गी

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					8	श्री प्रहलाद राय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी
					9	श्री सीताराम शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोरडी
					10	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनेठा
4	भीलवाडा	13	13	0	1	श्री कमल सक्सैना	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुवाणा
					2	श्री राजेन्द्र कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगरोप
					3	श्री महावीर प्रसाद जोशी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायला
					4	श्री शरीफ पठान	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाबला
					5	श्री जगदीशप्रसाद कुमावत	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनेडा
					6	श्री कालीचरण शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसीद
					7	श्री रामस्वरूप माली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोशिथल
					8	श्री नरेन्द्र कुमार गुजराती	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर
					9	श्री कन्हैयालाल सारस्वत	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडलियास
					10	श्री ओमप्रकाश	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काछोला
					11	श्री सरफराज खान	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटडी
					12	श्री बस्तीलाल निर्माण	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कन्छनकलां
					13	श्री समसुदीन अन्सारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागोट

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
5	अलवर	18	17	1	1	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उमरेन
					2	श्री श्यामलाल शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेहरा शाहपुरा
					3	श्री भूपेन्द्र पाल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगावा
					4	श्री इन्द्रपाल अठवाल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उटवाल
					5	श्री गिर्राजप्रसाद शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गडी सवाईराम
					6	श्री बनवारीलाल शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीनान
					7	श्री लखीराम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदपुर
					8	श्री सुबेसिंह यादव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सियालीकलां
					9	श्री जयपालसिंह यादव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झखरना
					10	श्री अशोक कुमार शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसौर
					11	श्री जगमोहन जाटव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडीदमेव
					12	श्री धर्मवीर यादव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टपुकडा
					13	श्री सुरेन्द्र कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसौली
					14	श्री सुबे सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिवाड़ी

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					15	श्री प्रभात उपाध्याय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,बी.के.नगर
					16	श्री कल्याण सहाय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,अकबरपुर
					17	श्री अनील कुमार जैन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,रामगढ़
					18	रिक्त	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,टहला
6	दौसा	14	13	1	1	श्री सुरेश कुमार सोनी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ पचवारा
					2	श्री हीरालाल सोनी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडियाल कलां
					3	श्री रामगोपाल सोनी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैंथल
					4	श्री बलवीर सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांगल राजावतान
					5	श्री दिनेश कुमार व्यास	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट
					6	श्री हरिओमप्रकाश गुप्ता	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावर
					7	श्री ओमप्रकाश शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकराय
					8	श्री मोहनलाल तिवाडी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढाकटला
					9	श्री राधेश्याम शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकंदरा

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					10	श्री कृष्णचन्द शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालाहेडी
					11	श्री गिरधारीलाल लखेरा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पावटा
					12	श्री जगदीश प्रसाद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाण्डारेज
					13	श्री बनवारीलाल शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावर
					14	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुन्डल
7	सीकर	9	8	1	1	श्री शेखरज्जाउल्लाह खां	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाजोद
					2	श्री बलवन्तराज सैनी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानोली
					3	श्री मन्नाराम दानोदिया	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाढण
					4	श्री रामकुमार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़
					5	श्री हरिप्रसाद सैन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुंदन
					6	श्री बृजमोहन पटवा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुहाला
					7	श्री अजयकुमार शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजीतगढ
					8	श्री अशोक कुमार माथुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन
					9	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरोही

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
8	झुंझुनूं	9	8	1	1	श्री जवाहर सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किडवाना
					2	श्री महेश कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसरापुरा
					3	श्री जगदीश प्रसाद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरजगढ़
					4	श्री कृष्ण कुमार यादव	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदयपुरवाटी
					5	मो. अब्बास	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिरौड
					6	श्री वास कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चुडी
					7	श्री मोहन लाल बुनकर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भादरावास
					8	श्री भागीरथ सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहनसर
					9	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्ताना
9	जयपुर	30	27	3	1	श्री उदयप्रकाश शर्मा	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (दक्षिण)
					2	श्री सतीशचन्द्र शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ
					3	श्री मूलचन्द शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरसी
					4	श्री महेन्द्रपाल शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हस्तेडा
					5	श्री ओमप्रकाश यादव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारेडा

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					6	श्री नरनारायण शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,जयसिंहपुराखोर
					7	श्री श्रवणकुमार शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाहोत
					8	श्री सुरेशचंद कौशिक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचरोल
					9	श्री नोयल सोलेमन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ,भकारोटा
					10	श्री महेन्द्रशंकर जौहरी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगतपुरा
					11	श्री संजय कुमार सक्सैना	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाटिका
					12	श्री केदारलाल शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडवा
					13	श्री कैलाशनारायण शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोजमावाद
					14	श्री कैलाशचंद शर्मा/ विजयपाल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोराजपुरा
					15	श्री सोहन लाल सोगानी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ,फागी
					16	श्री किशनलाल	रा. कांवटिया चिकि., जयपुर
					17	श्री बद्रीनारायण शर्मा	निदेशालय मुख्यालय
					18	श्री रमेशकुमार गौतम	निदेशालय मुख्यालय
					19	श्री शम्भुदयाल गुप्ता	निदेशालय मुख्यालय

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					20	श्री बालचंद शर्मा	निदेशालय मुख्यालय
					21	श्री मनमोहन शर्मा	निदेशालय मुख्यालय
					22	श्री जनार्दन गुप्ता	निदेशालय मुख्यालय
					23	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	निदेशालय मुख्यालय
					24	श्री नरेश माथु	निदेशालय मुख्यालय
					25	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोलेछा	निदेशालय मुख्यालय
					26	श्री विजयकुमार मोठवानी	निदेशालय मुख्यालय
					27	श्री राजेश अग्रवाल	निदेशालय मुख्यालय
					28	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीचुन
					29	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालाडेरा
					30	रिक्त	संयुक्त निदेशक, जोन जयपुर
10	उदयपुर	6	5	1	1	श्री सतीश सिंह राठौड	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाडोल (स)
					2	मो. हनीफ	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायरा
					3	श्री काशीराम यादव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांकरोदा
					4	श्री लीलाधर त्रिवेदी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलुम्बर

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थागित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					5	श्री चन्द्रप्रकाश पुर्विया	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटडा
					6	रिक्त	संयुक्त निदेशक, जोन कार्यालय उदयपुर
11	राजसमंद	2	1	1	1	श्री श्यामसुन्दर नंदवाना	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिछेड
					2	रिक्त	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेट
12	डूंगरपुर	4	3	1	1	श्री ओमप्रकाश शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूनाली
					2	श्री ईश्वरलाल पंचाल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीमलवाडा
					3	श्री महेन्द्रकुमार जैन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीठ
					4	रिक्त	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूंजपुर
13	चित्तौड़गढ़/ प्रतापगढ़	3	3	0	1	मो. ताहिर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैसरोडगढ़
					2	श्री पूनम सिंह रावल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राशनी
					3	श्री अशोक कुमार ताषनीवाल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगरार
14	बासवाड़ा	13	13	0	1	श्री सुभाषचन्द भट्रट	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागीडोरा
					2	श्री योगेश कुमार त्रिवेदी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलवाडा

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थावपित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					3	श्री कृष्णलाल जोशी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धलकिया
					4	श्री रमेशचंद शुक्ला	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापुर
					5	श्री विनोद कुमार त्रिवेदी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपीनाथ का गुडा
					6	श्री विजयकुमार त्रिवेदी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरेडी बडी
					7	श्री महेन्द्र त्रिवेदी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गनोडा
					8	श्री मखबूल अहमद पठान	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी श्रवण
					9	श्री अख्तर खां	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटा डूंगरा
					10	श्री महेश पाठक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छींच
					11	श्री सुभाषचन्द दुबे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आनन्दपुरी
					12	श्री सत्यनारायण दाधिच	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलखुट
					13	श्री गजेन्द्र त्रिवेदी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़ी
15	बीकानेर	10	9	1	1	श्री प्रदीप कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जेमलसर
					2	श्री गोपालकृष्ण शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाजुवाला
					3	श्री देवेन्द्र सिंह	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नापासर

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					4	श्री विधासागर यादव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरसिसर
					5	श्री सुभाषचंद गोदारा	मडिकल कालेज, बीकानेर
					6	श्री मुबारक खां	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोमासर
					7	श्री प्रेमनारायण व्यास	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अक्कासर
					8	श्री हंसराज साध	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलायत
					9	श्री नन्दकिशोर स्वामी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलाना
					10	रिक्त	संयुक्त निदेशक, जोन कार्यालय, बीकानेर
16	गंगानगर	3	2	1	1	श्री सतीश कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवपुर
					2	श्री देवा सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घुमडवाली
					3	रिक्त	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सादुलशहर
17	रतनगढ (चुरू)	3	2	1	1	श्री निरूपणदयाल कुलश्रेष्ठ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतननगर
					2	श्री नत्थुराम स्वामी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दाउसर
					3	रिक्त	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांडवा
18	भरतपुर	24	22	2	1	श्री मोहनलाल शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्हेर

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					2	श्री नारायणलाल गुप्ता	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पपरेरा
					3	श्री हरेन्द्रकुमार शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजान
					4	श्री हरीशकुमार शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रारह
					5	श्री सुशील कुमार शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथेना
					6	श्री रणवीर सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनवाडा
					7	श्री विजयकांत गौतम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेवर
					8	श्री राजेन्द्रप्रसाद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकसाना
					9	श्री बनवारीलाल/प्रभातीलाल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई
					10	श्री शिवराम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हन्तरा
					11	श्री हरिराम यादव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहरसर
					12	श्री बनवारीलाल/मंगूराम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौलीछार
					13	श्री निरंजन सिंह	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीग
					14	श्री गंगाराम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनुथर
					15	श्री जवाहर सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोरेर
					16	श्री जगदीश प्रसाद	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुंछडी का लोटा

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					17	श्री चुन्नीलाल प्रजापत	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मूंडिया
					18	श्री लेखराज	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रांप
					19	श्री मोहनप्रकाश पाठक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुसावर
					20	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेडली
					21	श्री विजय सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चेन
					22	श्री योगेन्द्र सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसीनी
					23	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूदावल
					24	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंशी पहाडपूर
19	धौलपुर	4	4	0	1	श्री विनोदकुमार शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरैना
					2	श्री ओमप्रकाश मंगल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितोरा
					3	श्री मुरारीलाल शर्मा/ताराचंद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचगांव
					4	श्री विश्वनाथ मुगदल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथवारी
20	सवाई माधोपुर	6	6	0	1	श्री छीतरमल गुर्जर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बौंली
					2	श्री बृजनन्द्न शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर सिटी

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थागपित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					3	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डीप
					4	श्री हरिप्रसाद शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईशरदा
					5	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलारना डूंगर
					6	श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वजीरपुर
21	करौली	6	5	1	1	श्री पुरूपोत्तमलाल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेनपुर बोरिया
					2	श्री राकेशकुमार शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलादेवी
					3	श्री श्यामविहारी कटारा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालघाट
					4	मोहम्मद हिसार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्री महावीर जी
					5	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोनसिटी
					6	रिक्त	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढाचन्द्र जी
22	बारां	2	2	0	1	श्री राजेन्द्र सिंह हाटा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारथल
					2	श्री राजेन्द्र सिंह गौड	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीसवाली
23	बूंदी	4	4	0	1	श्री मोहनलाल शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाबी
					2	श्री वेनीप्रसाद त्रिवेदी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुवासा
					3	श्री शम्भुदयाल व्यास	टोंक स्थानान्तरणाधीन

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					4	श्री रमेश तोषवाडा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दहीखेडा
24	झालावाड	6	6	0	1	श्री सनातन दुवाला	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बकानी
					2	श्री जगदीशप्रसाद गौतम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर
					3	श्री रामनारायण गुर्जर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, असनावर
					4	श्री अवनीश तिवाडी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गरनावद
					5	श्री उमाशंकर व्यास	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डग
					6	श्री रामस्वरूप गुप्ता	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहरथाना
25	कोटा	13	12	1	1	श्री देवकीनंदन मंगल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीमल्या
					2	श्री अबरार अहमद	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैथुन
					3	श्री प्रेमनारायण दाधिच	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बपावरकला
					4	श्री महेन्द्र कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डाना
					5	श्री राजेन्द्र कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावरा
					6	श्री प्रधम्न शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालातलाब
					7	श्री सत्येन्द्र चावला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चारचोमा
					8	श्री विठल प्रसाद व्यास	वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक के पदविरूद्ध

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					9	श्री सत्येन्द्र त्यागी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार कार्यालय, कोटा
					10	श्री रामभरोसे गौतम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार कार्यालय, कोटा
					11	श्री प्रभुलाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार कार्यालय, कोटा
					12	श्री हरिमोहन रावल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेडारसूलपुर
					13	रिक्त	संयुक्त निदेशक, जोन कार्यालय कोटा
26	जोधपुर	9	5	4	1	श्री रमेश कुमार टांक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनाड
					2	श्री शेर मोहम्मद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारवा
					3	श्री ललीतकुमार कछावा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फिदूसर
					4	श्री राजेन्द्रप्रसाद व्यास	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लुणी
					5	श्री चन्दप्रकाश शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपाड शहर
					6	रिक्त	संयुक्त निदेशक, जोन कार्यालय जोधपुर
					7	रिक्त	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालावास

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					8	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामेसर
					9	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलवा
27	जालौर	2	2	0	1	श्री गोपालकृष्ण परमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माण्डोलीनगर
					2	श्री मंगीलाल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितलवाना
28	बाड़मेर	6	4	2	1	श्री भीखाराम	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) कार्यालय बाड़मेर
					2	श्री देवीलाल खोरवाल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चोहटन
					3	श्री शकूर मोहम्मद	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामसर
					4	श्री अगराराम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगाव
					5	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुंगा
					6	रिक्त	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्दरी
29	जैसलमेर	1	1	0	1	श्री सुरेशचंद नागर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जैसलमेर
30	सिरोही	5	4	1	1	श्री किशनलाल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालडी
					2	श्री राजेन्द्रप्रसाद शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आबूरोड

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य रत	रिक्त पदों की संख्या	क्र. सं.	पदस्थापित कर्मचारी के नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
					3	श्री मनरूपराम प्रजापत	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देलदर
					4	श्री बाबूलाल गुर्जर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिण्डवाडा
					5	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वरूपगंज
31	पाली	2	1	1	1	श्री अवनीश कुमार दूबे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची
					2	रिक्त	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांकली
32	हनुमान गढ	7	6	1	1	श्री भीमसिंह	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छानीवाडी
					2	श्री पालाराम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाबा
					3	श्री सागरमल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोलूवाला
					4	श्री संतकुमार विश्नोई	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डबलीराठन
					5	श्री हरदेव सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनपुरा
					6	श्री हंसराज देवार्थ	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पक्कासारन
					7	रिक्त	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय हनुमानगढ
	कुल	**263**	**233**	**30**			

नोहर तहसील की मिसिंग लिंक सड़कें

323. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार तहसील नोहर के समस्त गांवों को तहसील मुख्यालय से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । सड़कों के मिसिंग लिंक को जोड़ने का कार्य राज्य के उपलब्ध वित्तिय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है ।

(2) जी नहीं । तहसील के समस्त गांवों को तहसील मुख्यालय से जोड़ने का कार्य वर्तमान में राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं के मघ्येनजर सम्भव नहीं है।

आमेर की मरम्मत योग्य सड़कें

324. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आमेर में मिसिंग लिंक सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आमेर में टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र आमेर में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण राज्य के उपलब्ध संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा ।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन 197.610 कि.मी. सड़कें हैं। जिसमें 12.2 कि.मी. सड़के लम्बाई में नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है एवं 4.2 कि.मी.लम्बाई में नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य आर.एम.यू.पी. फेज-तृतीय में स्वीकृत हैं। जिसकी निविदायें आमंत्रित कर दी गई हैं। यह कार्य वर्ष 2007-08 में पूर्ण होना

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सम्भावित हैं। 40.35 कि.मी. सड़कों की साधारण मरम्मत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 5.5 कि.मी. लम्बाई की सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसका नवीनीकरण राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। शेष 135.36 कि.मी. लम्बाई की सड़कों की स्थिति संतोषप्रद है।

चौमूं की मिसिंग लिंक सड़कें

325. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे**:-**

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सरकार द्वारा जनवरी, 2004 से जनवरी, 2007 तक कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दो तहसीलों को जोड़ने वाली मिसिंग सड़कें बावडी से लालपुरा, डेहरा से मानपुरा माचेड़ी, बगड़ी से रींगस, तिगरिफ से जगतपुरा, किशनपुरा से खाटूश्याम जी को जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जनवरी, 2004 से जनवरी, 2007 तक निर्मित सड़कों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) प्रश्न में संदर्भित मिसिंग सड़कों का निर्माण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट ''अ''

विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जनवरी-2004 से जनवरी- 2007 तक

निर्मित सड़कों का नाम

क्र. सं.	सड़क का नाम
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
1.	सम्पर्क सड़क नाडिया
2.	सीतारामपुरा से चारणवास
3.	सामोद से डेहरा
4.	सम्पर्क सड़क रायसिंह का बास

क्र. सं.	सड़क का नाम
5.	सम्पर्क सड़क सुल्तानपुरा
6.	हस्तेडा से नोपुरा
7.	घिनोई से सबलपुरा
8.	किशनमानपुरा से बागडों का बास
9.	सांदरसर से जालिमसिंह का बास
10.	लोहरवाडा से नयाबास
11.	हस्तेडा से विजयनगर
12.	आलीसर से धम्बा का बास
13.	डेहरा से झीरा
	डब्ल्यू.बी.एम. से. बी.बी. फेज-I योजना
14.	सम्पर्क सड़क बलेखण

नवलगढ़ की सड़कें

326. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी तथा इनके सुधार हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले पांच वर्ष के दौरान जिन सड़कों को कई योजनाओं में मरम्मत कर बनाया गया है वे भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो उनके सुधार के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़कें भी क्षतिग्रस्त होने लगी हैं? यदि हां तो उनके सुधार हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार रखती है व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्ष कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी, जिनकी आवश्यकतानुसार मरम्मत करवा दी गई है। जो सड़कें गारंटी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अवधि में थी वे सम्बन्धित संवेदक से दुरूस्त करवा दी गई हैं। अत्यधिक क्षति वाली कुछ सड़कें मरम्मत से वंचित रह गई हैं। उनको विशेष मरम्मत के तहत बजट की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर ठीक करवाया जायेगा। क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की सूची मय की गई कार्यवाही संलग्नक ''क'' में दर्शाई गई है।

(2) जी हां। पिछले 5 वर्षों से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी उनकी मरम्मत करवा दी गई है एवं जो सड़कें गारंटी अवधि में थी वे सम्बन्धित संवेदक से दुरुस्त करवा दी गई हैं। भविष्य में होने वाली क्षति को भी समय समय पर बजट की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता के आधार पर ठीक करवाया जायेगा।

(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत गारंटी समय में संवेदकों द्वारा करवाई जा रही है। गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद उक्त सड़कों की मरम्मत सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर करवाई जा रही है।

संलग्नक "क"

क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची

क्र. सं.	क्षतिग्रस्त सड़कों का नाम	की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	**2**	**3**	**4**
1	सीकर झुझुंनूं लुहारू सड़क एस. एस. 8	पोट होल्स व पेच रिपेयर कर दिया गया है।	किमी0 28/600 से 34/00, 37/00 से 40/00 व 42/500 से 45/300 में अन्तिम नवीनीकरण वर्ष 1995 के पश्चात नहीं हुआ है। शहरी क्षेत्र में जहां पानी भरता है सी0सी0 सड़क व शेष भाग पर 20 एमएम पीएमसी व सील कोट नवीनीकरण के तहत प्रस्तावित है।
2	कोटपूतली नीमकाथाना उदयपुरवाटी सीकर एस.एच. 37बी	पोट होल्स व पेच रिपेयर कर दिया गया है ।	किमी. 90/00 से 101/00 में अन्तिम नवीनीकरण वर्ष 2003 के पश्चात नहीं हुआ है। उक्त सड़क पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जहां पानी भरता है सी.सी. सड़क व शेष भाग पर 20 एमएम पीएमसी व सील कोट नवीनीकरण व चौड़ाईकरण के तहत प्रस्तावित है।
3	उदयपुरवाटी नवलगढ़ मुकुन्दगढ़ मण्डावा बिसाउ सड़क एमडीआर 25बी	उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कर दिया गया है।	शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी भरता है वहां पर सी.सी. रोड़ प्रस्तावित है।

1	2	3	4
4	नवलगढ़ गुढ़ा पौंख मण्डावरा रोड़ ओडीआर 3	उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कर दिया गया है ।	शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी भरता है वहां पर सी.सी. रोड़ प्रस्तावित है।
5	.ढिगाल मण्डावा रोड ओडीआर 4	उक्त सड़क का नवीनीकरण कर सम्पूर्ण मरम्मत कर दी गई है ।	-
6	झुझुंनूं बीबासर नवलगढ़ रोड ओडीआर 12	उक्त सड़क की मरम्मत, मरम्मत समयावधि में होने के कारण अनुबंधानुसार संवेदक द्वारा कर दी गई है ।	-
7	डूण्डलोद कारी जाखल टीटनवाड़ रोड ओडीआर 13	उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कर दिया गया है ।	शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी भरता है वहां पर सी.सी. रोड़ प्रस्तावित है।
8	झाझड़ परसरामपुरा धोलाखेड़ा रोड वीआर 2	किमी. 0/0 से 9/0 में विभाग द्वारा पेच कार्य कर मरम्मत कर दी गई है व 10/0 से 12/500 तक संवेदक द्वारा अनुबंधनुसार मरम्मत कर दी गई है व किमी0 13/800 से 15/00 तक नवीनीकरण कर दिया गया है।	किमी0 10/0 से 11/0 तक गांव व नदी के भाग में सी.सी. रोड़ व काजवे प्रस्तावित है व किमी. 12/500 से 13/800 में एलाइन्मेंट विवाद के कारण निर्माण नहीं हुआ है।

1	2	3	4
9	मुकुन्दगढ़ लक्ष्मणगढ़ रोड	उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कर दिया गया है।	-
10	बसावा खिरोड़ केमरी की ढाणी	उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कर दिया गया है।	किमी. 4/500 से 6/500 विशेष मरम्मत के तहत प्रसतावित की जाएगी।
11	सम्पर्क सड़क पंचायत टोंक छिलरी	उक्त सड़क का नवीनीकरण कर मरम्मत कर दी गई है ।	अनुबंधानुसार संवेदक ने बर्म्स आदि का मरम्मत कार्य कर दिया है।
12	कारी निवाई रोड से जेलदार का कुआ	उक्त सड़क का नवीनीकरण कर मरम्मत कर दी गई है ।	किमी. 1 (200 मीटर) में हाल ही सील कोट उखड़ गई है जो संवेदक से अनुबंधानुसार शीघ्र मरम्मत कार्य पूर्ण करवा दिया जाएगा।
13	नवलगढ़ चैलासी रोड	-	काफी ज्यादा क्षतिग्रसत होने के कारण विशेष मरम्मत के तहत प्रसतावित की जाएगी।
14	माण्डासी डूमरा सोटवारा रोड	-	काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त होने के कारण विशेष मरम्मत के तहत प्रस्तावित की जाएगी।
15	डूमरा कुमास मणास रोड	किमी 4/0 से 7/0 में अनुबंधानुसार संवेदक से मरम्मत कार्य करवा दिया गया है।	-
16	मुकुन्दगढ़ लक्ष्मणगढ़ रोड से पबाना मण्डी	-	एस.आर.एफ. योजना में कार्य स्वीकृत हैं एवं कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
17	नृसिंहपुरा अजाड़ी बुगाला जाखल रोड़	किमी. 16/0 से 22/0 में अनुबंधानुसार संवेदक से मरम्मत कार्य करवा दिया गया है।	किमी. 14/0 से 18/0 काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त होने के कारण विशेष मरम्मत के तहत प्रस्तावित की जाएगी।
18	झुझुंनूं बाकरा राणासर तोगड़ा कलां रोड़	उक्त सड़क का पेच रिपेयर कार्य करवा दिया गया है।	-
19	ढिगाल से बीबासर रोड़	-	नाबार्ड योजना में कार्य स्वीकृत है।
20	चिराना से टोडपुरा रोड़	उक्त सड़क का पेच रिपेयर कार्य करवा दिया गया है।	शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी भरता है वहां पर सी.सी. रोड़ प्रस्तावित है।
21	मुकुन्दगढ़ मण्डी से कसेरू सड़क प्रगति पर	उक्त सड़क का पेच रिपेयर कार्य प्रगति पर है।	काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त होने के कारण विशेष मरम्मत के तहत प्रस्तावित की जाएगी।
22	गणेशपुरा बाइपास नवलगढ़ सड़क	उक्त सड़क का पेच रिपेयर कार्य करवा दिया गया है।	-
23	मोहनबाड़ी से खिरोड़ सड़क	अनुबंधानुसार संवेदक से मरम्मत कार्य करवा दिया गया है।	-
24	खिरोड़ से तारपुरा सड़क	उक्त सड़क का पेच रिपेयर कार्य करवा दिया गया है।	-
25	जंजूसर से डाबडी	उक्त सड़क का पेच रिपेयर कार्य करवाया जाएगा।	-

1	2	3	4
26	सम्पर्क सड़क गोठडा	-	काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त होने के कारण विशेष मरम्मत के तहत प्रसतावित की जाएगी।
27	सम्पर्क सड़क बावडी गेट नवलगढ़	-	वर्षा पश्चात हाल ही पड़े पेचों को शीघ्र ही बजट उपलब्धता पर पूर्ण करवाया जाएगा।
28	सम्पर्क सड़क डूण्डलोद	-	नाबार्ड योजना में कार्य स्वीकृत है।
29	सम्पर्क सड़क लोहागर्ल	उक्त सड़क का पेच रिपेयर कार्य करवा दिया गया है।	काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त होने के कारण विशेष मरम्मत के तहत प्रस्तावित की जाएगी।
30	सम्पर्क सड़क नवलगढ़ रेलवे स्टेशन	अनुबंधानुसार संवेदक से मरम्मत कार्य करवा दिया गया है।	-
31	सम्पर्क सड़क मोर अस्पताल नवलगढ़	-	काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त होने के कारण विशेष मरम्मत के तहत प्रसतावित की जाएगी।
32	नवलगढ़ गौल्याणा रोड से मोहनबाड़ी	उक्त सड़क का पेच रिपेयर कार्य करवा दिया गया है।	-
33	डूण्डलोद कारी रोड से भगेरा	उक्त सड़क का पेच रिपेयर कार्य करवा दिया गया है।	शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी भरता है वहां पर सी.सी. रोड प्रस्तावित है।
34	सम्पर्क सड़क मुकुन्द कस्बा वाया कुम्भ जी की बगीची	उक्त सड़क का पेच रिपेयर कार्य करवा दिया गया है।	-

1	2	3	4
35	बसवा से देवगांव रोड	-	वर्षा पश्चात हाल ही पड़े पेचों को शीघ्र ही बजट उपलब्धता पर पूर्ण करवाया जाएगा।
36	उदयपुरवाटी से किरोड़ी सड़क	-	वर्षा पश्चात हाल ही पड़े पेचों को शीघ्र ही बजट उपलब्धता पर पूर्ण करवाया जाएगा।
37	इन्द्रपुरा से टोंक छिलरी	-	वर्षा पश्चात हाल ही पड़े पेचों को शीघ्र ही बजट उपलब्धता पर पूर्ण करवाया जाएगा।
38	घोड़ीवारा नुआं रेल्वे स्टेशन सिरियासर मण्डावा सड़क	-	वर्षा पश्चात हाल ही पड़े पेचों को शीघ्र ही बजट उपलब्धता पर पूर्ण करवाया जाएगा।
39	निवाई से भगेरा सड़क	अनुबंधानुसार संवेदक से मरम्मत कार्य करवा दिया गया है।	-
40	नवलगढ़ बड़वासी सड़क	-	वर्षा पश्चात हाल ही पड़े पेचों को शीघ्र ही बजट उपलब्धता पर पूर्ण करवाया जाएगा।

हरसावा ग्राम (फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़) क्षेत्र में स्थित हाइटेंशन विद्युत लाइन से दुर्घटनाएं

327. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ के मध्य ग्राम हरसावा में सड़क के बीचोंबीच हाइटेंशन लाइन का पोल लगा है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इससे यातायात अवरुद्ध होता है तथा दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है?

(2) क्या सरकार उक्त विद्युतपोल को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 के कि.मी. 386/0 से 387/0 के मध्य (फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ के बीच) सड़क के बीचोंबीच हाईटेंशन लाइन का पोल लगा हुआ है परन्तु इससे यातायात अवरूद्ध नहीं हो रहा है। क्योंकि विद्युत पोल के चारों ओर बड़ा सर्किल बना हुआ है व सड़क चौड़ी की हुई है तथा पूरे सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं। जैसे कि सावधानी बोर्ड, ट्रैफिक बोलार्ड, रिफलेक्टिव साईन बोर्ड आदि जिससे दुर्घटना की किसी भी प्रकार की सम्भावना नहीं रहती है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार के अधीन है यह विषय उन्हीं से सम्बन्धित है।

ब्यावर की डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें

328. श्री देवी शंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कितनी सड़कें डब्ल्यू.बी.एम. हैं? इनमें से कितनी सड़कों को बी.टी. हेतु स्वीकृत कर दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों को बी.टी. करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में 27 सड़कें डब्ल्यू.बी.एम. की हैं,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इनमें से 18 सड़कें बी.टी. हेतु स्वीकृत कर दी गई हैं, जिसकी सूची प्रपत्र ''क'' व ''ख'' में दर्शाई गई है।

(2)जी हां। शेष 9 सड़कों में 2 ग्राम क्रमशः लोटियाना व बिहार रतनपुरा जो कि पूर्व में डामर सड़क से जुड़े हुए हैं एवं शेष 7 सड़कें पूर्व में डामर सड़क से जुड़े हुए राजस्व ग्राम के मजरे/ढाणियों को जोड़ती हैं। इनका डामरीकरण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

प्रपत्र ''क'''

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में स्थित डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम
1	बामनहेड़ा सासिया गाफा सरूपा रोड
2	कोटडा काबरा रोड़ से सैलीबेरी कि.मी. 0/0 से 12/0
3	बडकोचरा जगपुरा वाया हथानखेड़ा कि.मी. 0/0 से 2/500
4	धोलादांता से काली कांकर कि.मी. 0/0 से 2/800
5	जालिया रोड़ से बिलातों का बाडिया कि.मी. 0/0 से 3/0
6	जवाजा नाका से भूरिया खेड़ा कि.मी. 0/0 से 3/0
7	सम्पर्क सड़क मालपुरा कि.मी. 0/0 से 1/500
8	नाई कलां से कोटडा काबरा वाया भियाखेड़ा कि.मी. 0/0 से 4/0
9	एन.एच.-14 रामसर बलाइयां से बिच्छु का चौड़ा रोड़ वाया बाडिया श्यामा कि.मी. 0/0 से 4/0
10	गोल निमडी से हिम्मतपुरा वाया गोपालपुरा कि.मी. 0/0 से 1/500
11	टाटगढ़ से गुजर गम्मा कि.मी. 0/0 से 3/0
12	रावतमाल से लसानी कि.मी. 0/0 से 1/500
13	बामनहेडा रोड से खोडमाल कि.मी. 0/0 से 2/00
14	बराखन से कंटालिया कि.मी. 0/0 से 6/500
15	बाघमाल से देवियों की कुडी कि.मी. 0/0 से 4/0
16	दुधालेसर से सिरियानी सारोठ कि.मी. 0/0 से 3/0
17	कलातखेड़ा से देवाता कि.मी. 0/0 से 1/500

क्र.सं.	सड़क का नाम
18	माण्डियाखेड़ा से कालिया पाली सीमा कि.मी. 0/0 से 6/500
19	सम्पर्क सड़क लोटियाना कि.मी. 0/0 से 1/200
20	सम्पर्क सड़क काबरा वाया ऊंटों का बाडिया कि.मी. 0/0 से 2/0
21	बाघमाल से करीतियों का बाडिया कि.मी. 0/0 से 2/0
22	सूरजपुरा से बिहार रतनपुरा कि.मी. 0/0 से 3/0
23	मालातों की बैर से कातरघाटी कि.मी. 0/0 से 3/750
24	नाईकलां से कुण्डाल कि.मी. 0/0 से 1/0
25	भगवानपुरा से कडियप्पा कि.मी. 0/0 से 1/0
26	तारागढ़ से भाकरडा कि.मी. 0/0 से 4/500
27	रामावास (देवनारायण का स्थान) से हीरा का तालाब कि.मी. 0/0 से 1/500

प्रपत्र ''ख''

डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. हेतु स्वीकार सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम
1	बामनहेड़ा सासिया गाफा सरूपा रोड
2	कोटडा काबरा रोड़ से सैलीबेरी कि.मी. 0/0 से 12/0
3	बडकोचरा जगपुरा वाया हथानखेड़ा कि.मी. 0/0 से 2/500
4	धोलादांता से काली कांकर कि.मी. 0/0 से 2/800
5	जालिया रोड़ से बिलातों का बाडिया कि.मी. 0/0 से 3/0
6	जवाजा नाका से भूरिया खेड़ा कि.मी. 0/0 से 3/0
7	सम्पर्क सड़क मालपुरा कि.मी. 0/0 से 1/500
8	नाई कलां से कोटडा काबरा वाया भियाखेड़ा कि.मी. 0/0 से 4/0
9	एन.एच.-14 रामसर बलाईयां से बिच्छू का चौड़ा रोड़ वाया बाडिया श्यामा कि.मी. 0/0 से 4/0
10	गोल निमडी से हिम्मतपुरा वाया गोपालपुरा कि.मी. 0/0 से 1/500
11	टाटगढ़ से गुजर गम्मा कि.मी. 0/0 से 3/0
12	रावतमाल से लसानी कि.मी. 0/0 से 1/500

क्र.सं.	सड़क का नाम
13	बामनहेडा रोड से खोडमाल कि.मी. 0/0 से 2/00
14	बराखन से कंटालिया कि.मी. 0/0 से 6/500
15	बाघमाल से देवियों की कुडी कि.मी. 0/0 से 4/0
16	दूधालेसर से सिरियानी सारोठ कि.मी. 0/0 से 3/0
17	कलातखेड़ा से देवाता कि.मी. 0/0 से 1/500
18	माण्डियाखेड़ा से कालिया पाली सीमा कि.मी. 0/0 से 6/500

बाड़मेर महिला महाविद्यालय में वाणिज्य/विज्ञान संकाय

329. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर में महिला महाविद्यालय में वाणिज्य/विज्ञान संकाय नहीं है? क्या सरकार यह संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। बजट के सीमित संसाधनों के कारण राजकीय क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय, बाड़मेर में नवीन संकाय खोला जाना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

यदि महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय, बाड़मेर में वाणिज्य/विज्ञान नवीन संकाय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

बीकानेर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी के पद का सृजन

330. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा से जुडे कार्मिकों के विभिन्न प्रकरण सहायक लेखाधिकारी के अभाव में परीक्षण/हस्ताक्षर हेतु अन्यत्र कार्यालयों में भेजे जाते हैं? यदि हां, तो किन–किन कार्यलयों में व क्यों ?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(2) क्या सरकार उक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं इसके अधीन आने वाले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त वित्तीय प्रकरणों की सख्ंया, महत्व एवं अन्यत्र कार्यालयों में भेजने पर होने वाले राजकीय धन एवं समय के अपव्यय तथा दूसरे कार्यालयों के कार्मिक पर पड़ने वाले अतिरिक्त कार्यभार को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यलय प्रांरभिक शिक्षा, बीकानेर में सहायक लेखाधिकारी का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी का पद सृजित नहीं होने के कारण कार्मिक से जुड़े प्रकरण/हस्ताक्षर हेतु संबंधित उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालयों तथा संबंधित जिला परिषदों में कार्यरत सहायक लेखाधिकारियों से करवाये जाते हैं।

(2) प्रशासनिक व्यवस्था एवं मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी का पद सृजित करने का कोई विचार नहीं हैं।

अस्थि/अधिगम विकलांगों हेतु ट्राइसाइकिल/व्हील चेयर पर व्यय

331. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 से अब तक राज्य में सर्वर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कितने विकलांग छात्र-छात्राओं को चिन्हित किया गया? वर्षवार व विकलांग श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त अभियानान्र्गत चिन्हित विकलांगों की सहायतार्थ कौन-कौन से उपकरण कितनी मात्रा में उपलब्ध कराये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अभियानान्तर्गत अस्थि विकलांग तथा अधिगम विकलांगता हेतु ट्राइ साइकिल तथा व्हील चेयर उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) उक्त अभियानान्तर्गत विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा/व्यवस्थार्थ वर्ष 2004 से अब तक केन्द्र सरकार से कितनी राशि कब-कब उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से अब तक राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नानुसार विकलांग छात्र-छात्राओं को चिन्हित किया गया हैं :-

विकलांग श्रेणी	**वर्ष 2004-05**	**वर्ष 2005-06**	**वर्ष 2006-07**
दृष्ठि बाधित	4222	24268	32562
श्रवण बाधित	4672	22832	23515
अस्थि विकंलाग	21688	43730	40966
अधिगम अक्षम	2428	44807	71005
मानसिक विमन्दित	4455	22290	27882
अन्य	3118	26932	25810
योग	**40583**	**184859**	**221740**

(2) उक्त अभियान के अन्तर्गत चिन्हित विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों का विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न है ।

(3) परियोजना अन्तर्गत सत्र 2006-07 तक लगभग 5002 अस्थि विकलांग बच्चों को ट्राई साइकिल तथा 1267 व्हील चेयर उपलब्ध करवायी गई हैं। अधिगम विकलांग बच्चों हेतु ट्राई साइकिल तथा व्हील चेयर की कोई आवश्यकता नहीं होती है ।

(4) उक्त अभियानान्तर्गत विकलांग विघार्थियों की सुविधा/व्यवस्थार्थ वर्ष 2004 से अब तक केन्द्र सरकार से निम्नानुसार राशि उपलब्ध करवाई गई है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**राशि (लाखों में)**
1	2004-05	374.628
2	2005-06	411.876
3	2006-07	1789.08

उक्त राशि में से 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गई है ।

परिशिष्ट ''क''

विकलांग बच्चों हेतु जिलेवार उपकरण वितरण की सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	Goggale	Hearing Aids	Tricycle	Cali-pers	Wheel chairs	Baisakhi	Canes	Crutches	Venstic Hand	Jaipur Foort	Braille Book	Braille Kit	Other	Total
1	Ajmer														
2	Alwar		51	148	60	46									305
3	Banswaram		16	69	77	7	38								207
4	Baran														
5	Barmer		22	26	8	5	10	23					23	1	118
6	Bharatpur														
7	Bhilwara	2788	45	44	84		18								2979
8	Bikaner		15	47	24										86
9	Bundi														
10	Chittorgarh		28	67	40	10		2	33	16			2		198
11	Churu		22	42	31	15	24								134
12	Dausa			9	3		40								52
13	Dholpur		94		279				165						538
14	Dungerpur		64	34	70	8	108							5	289
15	Hanumangarh		11	154		36	45							6	252
16	Jaipur			41	14	5	13								73
17	Jaisalmer														
18	Jalore														
19	Jhalawar		33	102	43	47	33			1				1	260
20	Jhunjhunu														

क्र. सं.	जिले का नाम	Goggale	Hearing Aids	Tricycle	Cali-pers	Wheel chairs	Baisakhi	Canes	Crutches	Venstic Hand	Jaipur Foort	Braille Book	Braille Kit	Other	Total
21	Jodhpur														
22	Karouli														
23	kota		51	7	70	30	3	7		1	4		2	1	176
24	Nagour			35	23	5	28								91
25	Pali														
26	Rajsamand														
27	S.Ganganagar		8	66		19	24						36	2	155
28	S. Madhopur		21	115	80	42		3	36						297
29	Sikar														
30	Sirohi			19	9		12								40
31	Tonk			24	148	18	1								191
32	Udaipur														
	Total 2006 -07	**2788**	**481**	**1049**	**1063**	**293**	**397**	**35**	**234**	**18**	**4**		**63**	**16**	**6441**
Distributed upto 2005-06		**553**	**735**	**3953**	**4104**	**974**	**3292**	**30**	**860**	**6**	**257**	**760**	**36**	**1751**	**17311**
Total		**3341**	**1216**	**5002**	**5167**	**1267**	**3689**	**65**	**1094**	**24**	**261**	**760**	**99**	**1767**	**23752**

प्राथमिक विद्यालय के छात्रों का ड्राप आउट प्रतिशत

332. श्री अमराराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे:-

राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में पिछले तीन वर्षों में नामांकित छात्रों की जिलेवार संख्या क्या रही उक्त अवधि में विद्यालयों में ड्राप आउट का प्रतिशत वर्षवार क्या रहा? इसको रोकने के सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में पिछले तीन वर्ष (2003-04 से 2005-06) तक नामांकित विद्यार्थियों का जिलेवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट ''क'', ''ख'' व ''ग'' संलग्न है। उक्त अवधि में विद्यालयों का ड्राप आउट का प्रतिशत इस प्रकार रहा है:-

आयु वर्ग 6-11 (कक्षा-1 से कक्षा-5)

क्र. सं.	वर्ष	ड्राप आउट प्रतिशत
1.	2004	32.23
2.	2005	29.25
3.	2006	26.04

विद्यार्थियों का ड्राप आउट रोकने के लिये छात्रों को 1 किलोमीटर की परिधि में शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना, बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण, दोपहर का भोजन, आदि विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ।

परिशिष्ट ''क''

DISTRICT WISE AND MANAGEMENT WISE ENROLMENT, YEAR 2003-2004 (PRIMARY)															
DISTRICT	GOVERNMENT			LOCAL BODIES			AIDED SCHOOLS			UN-AIDED SCHOOLS			GRAND TOTAL		
	BOYS	GIRLS	TO-TAL	BOYS	GIRLS	TOTAL	BOYS	GIRLS	TO-TAL	BOYS	GIRLS	TOTAL	BOYS	GIRLS	TOTAL
Ajmer	10287	11250	21537	61069	45816	106885	5165	4740	9905	14326	8126	22452	90847	69932	160779
Alwar	4116	4457	8573	111663	114813	226476	1123	1067	2190	8231	4694	12925	125133	125031	250164
Banswara	1707	1878	3585	112149	78669	190818	247	133	380	4188	3203	7391	118291	83883	202174
Baran	3427	3726	7153	46391	44284	90675	0	0	0	3929	2364	6293	53747	50374	104121
Barmer	1882	2061	3943	156818	128923	285741	610	412	1022	3878	2131	6009	163188	133527	296715
Bharatpur	4439	5056	9486	78787	77397	156184	196	1124	1320	12626	5626	18252	96039	89203	185242
Bhilwara	4891	5010	9901	85212	68035	153247	558	1352	1910	6144	3440	9584	96805	77837	174642
Bikaner	4436	4757	9196	72793	55587	128380	3743	3089	6832	12042	8305	20347	93017	71738	164755
Bundi	6949	5169	12118	43162	38985	82147	75	61	136	6370	2941	9311	56556	47156	103712
Chittorgarh	2773	3003	5776	71618	60051	131669	140	141	281	14149	8267	22416	88680	71462	160142
Churu	6889	7040	13929	51818	51648	103466	976	573	1549	7615	4632	12247	67298	63893	131191
Dousa	1736	2002	3738	59647	62291	121938	155	146	301	1733	859	2592	63271	65298	128569
Dholpur	3063	3229	6292	56627	50470	107097	0	0	0	2717	1260	3974	62404	54959	117363
Dungarpur	5490	4493	9983	77860	65742	143602	0	0	0	8503	5437	13040	91853	75672	167525
Hanumangarh	3147	2917	6064	50853	48181	99034	96	81	177	1236	1016	2252	55332	52195	107527
Jaipur	25534	27155	52689	118279	123188	241467	8880	5132	14012	8366	4757	13123	161059	160232	321291
Jaisalmer	800	709	1509	34088	24974	59062	275	174	449	2605	1234	3839	37768	27091	64859
Jalore	2489	2946	5435	95490	77491	172981	161	104	265	9648	4037	13685	107788	84578	192366
Jhalawar	2572	2966	5538	60083	54896	114979	0	0	0	6215	3912	10127	68870	61774	130644
Jhunjhunu	2501	2703	5204	49602	53406	103008	1134	818	1952	2521	1926	4447	55758	58853	114611
Jodhpur	8574	10309	18883	137763	133062	270825	5557	3923	9480	8025	6153	14178	159919	15447	313366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Karoli	2423	2385	4808	59963	59943	119906	0	0	0	9855	5396	15251	72241	67724	139965
Kota	6366	7084	13450	35316	35599	70915	0	0	0	4666	3510	8176	46348	46193	92541
Nagour	5970	4918	10888	202897	122008	324905	679	468	1147	17109	8328	25437	226655	135722	362377
Pali	5191	5711	10902	76664	66468	143132	190	144	334	24263	12431	36694	106308	84754	191062
Rajsamand	2043	2057	4100	50928	45881	96809	0	0	0	7068	3668	10736	60039	51606	111645
S.Ganganagar	4685	3896	8581	61048	57812	118860	3894	3028	6922	8251	4882	13133	77878	69618	147496
s.madhopur	1600	1714	3314	42739	42534	85273	0	0	0	8580	4224	12804	52919	48472	101391
Sikar	18313	12081	30394	136273	118730	255003	2983	1867	4850	1777	1278	3055	159346	133956	293302
Sirohi	7448	4329	11777	68870	44932	113802	0	0	0	7169	4618	11787	8348	53879	137366
Tonk	4336	5187	9523	41855	39212	81067	0	0	0	6728	2842	9570	52919	47241	100160
Udaipur	6725	7491	14216	123815	99404	223219	1960	2095	4055	7952	3912	11864	140452	112902	253354
GRAND TOTAL	**172796**	**169689**	**342485**	**2532140**	**2190432**	**4722572**	**38797**	**30672**	**69469**	**248482**	**139409**	**387891**	**2992215**	**2530202**	**5522417**

परिशिष्ट "ख"

DISTRICT WISE AND MANAGEMENT WISE ENROLMENT,YEAR 2004-2005 (PRIMARY)

DISTRICT	GOVERNMENT			LOCAL BODIES			AIDED SCHOOLS			UN-AIDED SCHOOLS			GRAND TOTAL		
	BOYS	GIRLS	TO-TAL	BOYS	GIRLS	TOTAL	BOYS	GIRLS	TO-TAL	BOYS	GIRLS	TOTAL	BOYS	GIRLS	TOTAL
Ajmer	12381	12648	25029	61210	50278	111488	11690	9012	20702	34069	19918	53987	119350	91856	211206
Alwar	4329	4490	8819	104322	109517	213839	1169	1108	2277	13064	8002	21066	122884	123117	246001
Banswara	1406	1475	2881	92460	83972	176432	248	147	395	8381	5396	13777	102495	90990	193485
Baran	3082	3583	6665	39631	39392	79023	0	0	0	8563	5653	14216	51276	48628	99904
Barmer	2941	2391	5332	152349	126424	278773	391	241	632	6105	3114	9219	161786	132170	293956
Bharatpur	4684	5381	10065	70211	70691	140902	741	772	1513	27842	17133	44975	103478	93977	197455
Bhilwara	4454	4278	8732	75563	60654	136217	522	1171	1693	8191	5163	13354	88730	71266	159996
Bikaner	5475	3680	9155	69732	55730	125462	4118	3560	7678	30492	22916	53408	109817	85886	195703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bundi	4831	2483	7314	44928	43619	88547	0	0	0	10064	5339	15403	59823	51441	111264
Chittorgarh	3563	3701	7264	67146	57937	125083	148	181	329	14960	9153	24113	85817	70972	156789
Churu	7089	7340	14429	58987	51228	110215	244	143	387	6752	4107	10859	73072	62818	135890
Dausa	1514	1882	3396	55703	60809	116512	386	247	633	16047	9200	25247	73650	72138	145788
Dholpur	3557	3578	7135	51738	47964	99702	0	0	0	2702	1328	4030	57997	52870	110867
Dungarpur	5892	4884	10776	80678	67561	148239	0	0	0	8705	5932	14637	95275	78377	173652
Hanumangarh	4783	3684	8467	51107	48642	99749	326	211	540	13025	9108	22133	69244	61645	130889
Jaipur	24680	26792	51472	104603	109809	214412	7775	6317	14092	75228	52285	1271513	212286	195203	407489
Jaisalmer	1030	944	1974	33451	26422	59873	256	184	440	3326	1632	4958	38063	29182	67245
Jalore	2614	3005	5619	98317	80494	178811	180	123	303	10130	4117	14247	111241	87739	198980
Jhalawar	2214	4545	6759	59392	58606	117998	0	0	0	8655	4578	13233	70261	67729	137990
Jhunjhunu	3648	3974	7622	44580	46603	91183	2135	1970	4105	30998	22275	53273	81361	74822	156183
Jodhpur	15419	12973	28392	137391	126365	263756	3830	3220	7050	14318	13167	27485	170958	155725	326683
Karoli	2857	3330	6187	57319	60677	117996	0	0	0	18781	8928	27709	78957	72935	151892
Kota	6772	7621	14393	34362	33709	68071	0	0	0	7061	5663	12724	48195	46993	95188
Nagour	7419	6304	13723	209472	129899	339371	846	530	1376	24283	11819	36102	242020	148552	390572
Pali	6200	6534	12734	66131	60870	127001	341	281	595	27191	15107	42298	99836	82792	182628
Rajsamand	1777	1753	3530	47187	43849	91036	0	0	0	10202	5910	16112	59166	51512	110678
s.madhopur	1596	1643	3239	40865	42520	83385	0	0	0	14950	7655	22605	57411	51818	109229
S.Ganganagar	3160	3322	6482	56254	50657	106911	5694	5144	10838	20651	15157	35808	85759	74280	160039
Sikar	14027	9342	23369	140473	124457	264930	2068	1563	3631	1437	986	2423	158005	136348	294353
Sirohi	3080	1320	4400	55623	40003	95626	0	0	0	5209	4054	9263	63912	45377	109289
Tonk	4787	5499	10286	38319	37339	75658	0	0	0	10929	5854	16783	54035	48692	102727
Udaipur	5942	6524	12466	118389	98859	217248	1915	1801	3716	12163	11239	23402	138409	118423	256832
GRAND TOTAL	**177203**	**170903**	**348106**	**2417893**	**2145556**	**4563449**	**44999**	**37926**	**82925**	**504474**	**321888**	**826362**	**3144569**	**2676273**	**5820842**

परिशिष्ट ''ग''

DISTRICT WISE AND MANAGEMENT WISE ENROLMENT, YEAR 2005-2006 (PRIMARY)															
DISTRICT	GOVERNMENT			LOCAL BODIES			AIDED SCHOOLS			UN-AIDED SCHOOLS			GRAND TOTAL		
	BOYS	GIRLS	TOTAL	BOYS	GIRLS	TOTAL	BOYS	GIRLS	TOTAL	BOYS	GIRLS	TO-TAL	BOYS	GIRLS	TOTAL
Ajmer	8344	9856	18200	58323	50336	108659	4919	4740	9659	40678	28273	68951	112264	93205	205469
Alwar	4423	4701	9124	99291	105800	205091	1147	1042	2189	22939	14270	37209	127800	125813	253613
Banswara	1353	1498	2851	90829	87091	177920	222	166	388	9713	5937	15650	102117	94692	196809
Baran	4150	3998	8148	34628	36536	71164	0	0	0	5844	3628	9472	44622	44162	88784
Barmer	3358	3168	6526	144842	127904	272746	337	201	538	7049	3952	11001	155586	135225	290811
Bharatpur	5386	6198	11584	64845	67215	132060	693	742	1435	24360	14986	39346	95284	89141	184425
Bhilwara	4738	5143	9881	73370	62202	135572	485	1128	1613	9456	5692	15148	88049	74165	162214
Bikaner	4602	3953	8555	66159	55920	122079	4570	3303	7873	23358	16998	40356	98689	80174	178863
Bundi	2545	3185	5730	34923	34341	69264	0	0	0	7369	3707	11076	44837	41233	86070
Chittorgarh	3122	3752	6874	61149	55020	116169	111	127	238	17452	10486	27938	81834	69385	151219
Churu	6712	7113	13825	43457	43698	87155	1083	1000	2083	15647	10103	25750	66899	61914	128813
Dausa	2527	3008	5535	48316	53967	102283	386	252	638	15786	9268	25054	67015	66495	133510
Dholpur	2546	2798	5344	48717	45927	94644	0	0	0	5777	3477	9254	57040	52202	109242
Dungarpur	5599	5052	10651	81253	66926	148179	0	0	0	11031	7744	18775	97883	79722	177605
Hanumangarh	2719	2853	5572	42515	42191	84706	345	256	601	16653	11429	28082	62232	56729	118961
Jaipur	24633	26982	51615	95267	102157	197424	8510	6708	15218	49218	35814	85032	177628	171661	349289
Jaisalmer	1365	1088	2453	30805	26628	57433	248	190	438	3929	1579	5508	36347	29485	65832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jalore	2358	2490	4848	99958	88014	187972	114	70	184	6279	2873	9152	108709	93447	202156
Jhalawar	3211	3718	6929	52121	51013	103134	0	0	0	11758	7249	19007	67090	61980	129070
Jhunjhunu	2975	3386	6361	39270	41953	81223	139	484	623	19843	12479	32322	62227	58302	120529
Jodhpur	11189	12067	23256	114024	111054	225078	3371	6025	9396	34850	21710	56560	163434	150856	314290
Karoli	3916	3980	7896	52818	55760	108578	0	0	0	23103	12654	35757	79837	72394	152231
Kota	7010	8040	15050	25669	28333	54002	188	144	332	34705	27112	61817	67572	63629	131201
Nagour	8729	6812	15541	186117	145213	331330	1566	1234	2800	27841	20434	48275	224253	173693	397946
Pali	7384	7833	15217	68792	63041	131833	221	214	435	29294	16458	45752	105691	87546	193237
Rajsamand	1560	1575	3135	42964	41820	84784	135	121	256	11275	7091	18366	55934	50607	106541
s.madhopur	1591	1667	3258	36927	39135	76062	197	132	329	17097	10503	27600	55812	51437	107249
S.Ganganagar	3672	3781	7453	51369	49035	100404	1584	937	2521	18134	12782	30916	74759	66535	141294
Sikar	14520	11112	25632	99693	104913	204606	2097	1014	3111	48654	33215	81869	164964	150254	315218
Sirohi	5659	3893	9552	60885	40384	101269	0	0	0	9901	10037	19938	76445	54314	130759
Tonk	5065	5685	10750	33348	34071	67419	0	0	0	14614	8849	23463	53027	48605	101632
Udaipur	6596	7929	14525	125802	104791	230593	1972	1873	3845	15980	14528	30508	150350	129121	279471
GRAND TO-TAL	**173557**	**178314**	**351871**	**228446**	**2062389**	**4270835**	**34640**	**32103**	**66743**	**609587**	**405317**	**1014904**	**3026230**	**2678123**	**5704353**

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में विज्ञान संकाय

333. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार अब कब तक उक्त विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले की तहसील तिजारा मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में विज्ञान विषय के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण तथा वित्तीय प्रावधान सीमित होने के कारण से रा.बा.उ.मा.वि. तिजारा में विज्ञान संकाय प्रारम्भ नहीं की गयी है।

(2) वर्तमान में उक्त विद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने के प्रस्ताव विचारधीन नहीं है। भविष्य में, प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय मापदण्डों के आधार पर विज्ञान संकाय आरम्भ करने पर विचार किया जा सकेगा।

नदबई (भरतपुर) के विद्यालयों में रिक्त पद

334. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

नदबई (भरतपुर) क्षेत्र में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, सैकण्डरी विद्यालय एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में अध्यापक/द्वितीय ग्रेड अध्यापक एवं प्राध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? इन पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

नदबई (भरतपुर) क्षेत्र में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार अध्यापकों के पद रिक्त हैं:-

1. प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) 12

(शिक्षा मंत्री)

2. वरिष्ठ अध्यापक 78

3. तृतीय श्रेणी अध्यापक 119

रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने भरे जा सकेंगे।

वाटर हार्वेस्टिंग योजनान्तर्गत जिला बूंदी में निर्माणाधीन एनीकट

335. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के अन्तर्गत बूंदी जिले में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी लागत के कितने-कितने एनीकट स्वीकृत किये गये और इनमें से कितने एनीकट अधूरे हैं तथा कितनों पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा कितना बजट स्वीकृत किया गया था ? उन स्वीकृत एनीकटों पर अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई व कितनी राशि शेष है और उक्त स्वीकृत एनीकटों का कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल संसाधन विभाग द्वारा बूंदी जिले में वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के अन्तर्गत प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में विधानसभावार स्वीकृत एनीकट मय अधूरे एवं जिन पर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुअर, का विवरण प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत बूंदी जिले में वर्षवार स्वीकृत बजट एवं व्यय का विवरण प्रपत्र-'ब' पर एवं शेष रहे कार्यो को प्रारम्भ करने की स्थिति का विवरण प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

प्रपत्र-'अ'

बूंदी जिले में वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के अन्तर्गत नाबार्ड पोषित प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में प्रत्येक विधानसभावार स्वीकृत एनीकट मय अधूरे एवं जिन पर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ, का विवरण

क्र. सं.	क्र.सं.	तहसील	अनुमानित लागत	व्यय राशि माह 1/2007 तक	वर्तमान स्थिति	शेष राशि
1	2	3	**4**	**5**	**6**	**7**
प्रथम फेज						
विधान सभा क्षेत्र बूंदी						
1.	दुर्गा की नाडी एनीकट	बूंदी	9.90	7.45	कार्य पूर्ण	
2.	जोगिया देह एनीकट	बूंदी	9.90	9.63	कार्य पूर्ण	
		योग:-	**19.80**	**17.08**		
विधान सभा क्षेत्र नैनवां						
3.	जजावर एनीकट	नैनवां	9.90	5.41	कार्य पूर्ण	
4.	लक्ष्मीपुरा एनीकट	नैनवां	9.90	5.09	कार्य पूर्ण	
5.	बम्बोरी एनीकट	बूंदी	7.70	0.07	निविदा प्रक्रिया में	7.63
6.	मानपुरा एनीकट	नैनवां	9.90	5.57	कार्य पूर्ण	
7.	किरणीया एनीकट	नैनवां	9.35	7.14	कार्य पूर्ण	
8.	नन्दपुरा एनीकट	बूंदी	7.15	0.06	निविदा प्रक्रिया में	7.09
		योग:-	**53.90**	**23.34**		**14.72**

1	2	3	4	5	6	7
विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली						
9.	करगजपुरा एनीकट	हिण्डोली	9.90	6.68	कार्य पूर्ण	
10.	रोशडा खाल पर (घोवडा एनीकट)	हिण्डोली	4.95	3.86	कार्य पूर्ण	
		योग	**14.85**	**10.54**		
विधान सभा क्षेत्र केशोराय पाटन						
11.	छॉवछ एनीकट	के.पाटन	11.00	5.52	कार्य पूर्ण	
12.	जलोदा एनीकट	के.पाटन	11.00	5.62	कार्य पूर्ण	
13.	देवजी एनीकट	के.पाटन	8.80	4.20	कार्य पूर्ण	
14.	डापरा एनीकट	इन्द्रगढ	11.00	7.69	कार्य पूर्ण	
15.	एनीकट निर्माण झरनियां	के.पाटन	11.00	5.27	कार्य पूर्ण	
16.	एनीकट निर्माण गुंथा	के.पाटन	11.00	7.27	कार्य पूर्ण	
17.	एनीकट निर्माण घाट का बराना	के.पाटन	11.00	11.01	कार्य पूर्ण	
18.	गोठडा एनीकट	के.पाटन	9.35	7.21	कार्य पूर्ण	
		योग:-	**84.15**	**53.79**		
		प्रथम फेज का योग:-	**172.70**	**104.75**		**14.72**
द्वितीय फेज						
विधान सभा क्षेत्र बूंदी						
1	राय का खाल एनीकट	बूंदी	11.00	7.96	कार्य पूर्ण	
		योग:-	**11.00**	**7.96**		

1	2	3	4	5	6	7
विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली						
2.	एनीकट निर्माण (खैरूना)	बूंदी	5.00	**0.11**	प्रगति पर	4.84
3.	कंजर कोलोनी आदर्श रामनगर के छोटे तालाब की खुदाई एवं निर्माण कार्य	बूंदी	5.00	**3.51**	कार्य पूर्ण	
4.	रोशन्दा एनीकट	हिण्डोली	22.00	**17.22**	कार्य पूर्ण	
5.	भूत्या का धोकडा एनीकट	हिण्डोली	22.00	**14.51**	कार्य पूर्ण	
6.	शमशान के पास एनीकट	हिण्डोली	15.00	**10.37**	कार्य पूर्ण	
7.	मेज नदी पर एनीकट	हिण्डोली	27.50	**7.27**	प्रगति पर	
8.	करजूना एनीकट	हिण्डोली	22.00	**6.33**	प्रगति पर	
		योग:-	**118.50**	**59.32**		**40.79**
विधान सभा क्षेत्र नैनवां						
9.	धानुगांव का खाल एनीकट	नैनवां	18.00	0.11	निविदा प्रक्रिया में	17.89
10.	सुर्या एनीकट	नैनवां	33.00	16.37	कार्य पूर्ण	
11.	कालानला एनीकट प्रथम	नैनवां	13.00	0.03	प्रगति पर	12.79
12.	टोपा का खाल पर एनीकट	नैनवां	3.60	2.09	कार्य पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
13.	बरेल माता का स्थान	बूंदी	8.00	7.08	कार्य पूर्ण	
14.	बाला का तालाब एनीकट	नैनवां	8.00	-	तकनीकी तखमीना तैयार किया जा रहा है	8.00
15.	उणा की खाली पीली ढहर के पास	नैनवां	8.00	-	निविदा प्रक्रिया में	8.00
16.	चमार की भट्टी	नैनवां	8.00	-	निविदा प्रक्रिया में	8.00
17.	रामझर	बूंदी	8.00	-	तकनीकी तखमीना तैयार किया जा रहा है	8.00
		योग:-	**107.60**	**25.68**		**62.86**
विधान सभा क्षेत्र केशोराय पाटन						
18.	चाचोलिया की झौपडियां में मीणी की खाल पर श्रीकिशोर मीणा की नाडी के पास	के.पाटन	20.00	13.10	कार्य पूर्ण	
19.	मैनोली एनीकट	के.पाटन	20.00	16.25	कार्य पूर्ण	
20.	दुर्जन एनीकट	के.पाटन	12.00	13.00	कार्य पूर्ण	
21.	समदपुरिया एनीकट	के.पाटन	18.00	5.27	प्रगति पर	
22.	माईजा	के.पाटन	18.00	15.76	कार्य पूर्ण	12.73
		योग:-	**88.00**	**63.38**		12.73

1	2	3	4	5	6	7
विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा						
23.	कमलेश्वर महादेव एनीकट	इन्द्रगढ	17.00	0.01	निविदा प्रक्रिया में	16.99
24.	लाखेरी पम्प एनीकट	के.पाटन	33.00	-	ज.स्वा.अभि. विभाग द्वारा अधिक क्षमता का एनीकट निर्माण की योजना प्रस्तावित है ।	निरस्त करने हेतु निवेदन किया जा रहा है।
25.	केसरिया नाला एनीकट	इन्द्रगढ	13.00	-	भू-संरक्षण विभाग द्वारा उक्त स्थान के नजदीक एनीकट निर्माण कर दिया गया हैं।	निरस्त करने हेतु निवेदन किया जा रहा है।
		योग :-	**63.00**	**0.01**		
		फेज द्वितीय योग:-	**388.10**	**156.35**		
		फेज-प्रथम एवं द्वितीय का योग:-	**560.80**	**261.10**		

नोट: प्रथम फेज के क्रम संख्या 5 एवं 8 के एनीकट का कार्य निविदा स्वीकृति एवं आवश्यक वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । फेज द्वितीय के क्रम संख्या 9, 15, 16, एवं 23 के कार्य निविदा स्वीकृति एवं आवश्यक वित्तिय संसाधन की उपलब्धता अनुसार प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है तथा क्रम संख्या 14 एवं 17 के एनीकट के कार्यो का तखमीने का कार्य प्रगति पर है । स्वीकृति एवं आवश्यक वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रपत्र—'ब'

बूंदी जिले में वाटर हावेस्टिंग स्कीम के अन्तर्गत एनीकट निर्माण हेतु आवंटित बजट व व्यय की सूची

क्र. सं.	वर्ष	आवंटित बजट लाखों में	कुल व्यय लाखों में	विशेष विवरण
1	2004-05	15.57	6.76	
2	2005-06	92.00	92.00	
3	2006-07	170.00 माह 1/07 तक आबंटित बजट	163.18	माह 1/07 तक का व्यय
कुल व्यय राशि:-		**277.57**	**261.94**	

चम्बल लिफ्ट परियोजना से पांचना बांध को जलापूर्ति

336. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली में चम्बल से लिफ्ट द्वारा पानी को पांचना बांध में छोड़ने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाया गया था? यदि हां, तो कब तथा उसके अब तक क्या नतीजे रहें ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त योजना कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) वर्तमान में करौली में चम्बल नदी से पानी लिफ्ट कर पांचना बांथ में छोड़ने की योजना पर अनुसंधान का कार्य प्रगति पर हैं।

(2) जी नहीं ।

(3) अनुंसधान के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर विस्तृत योजना का प्रस्ताव बनाया जावेगा जिसकी स्वीकृति एवं आवश्यक वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार ही कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा ।

वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी/निदेशक, पशुपालन के पदों का वेतनमान

337. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 1अप्रेल, 2001 से भेड़ से व ऊन विभाग का पशुपालन विभाग में विलीनीकरण कर दोनों विभागों के प्रचलित सेवा नियमों को समाप्त कर नव सृजित विभाग के अनुरुप सेवा नियम बना दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त सेवा नियमों के अनुसार पशुपालन विभाग के सभी संवर्गो की पदोन्नतियां की जा चुकी हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पशु चिकित्साधिकारी एवं वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी का वेतनमान 8000-13500 है? यदि हां, तो क्या सरकार इस वेतन विसंगति को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी से निदेशक पशुपालन विभाग के मध्य सभी पदों की वेतनमान विसंगति को दूर करने के लिये गठित यतीन्द्र सिंह कमेटी की अनुशंसा को क्या सरकार लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1.4.2001 से भेड व ऊन विभाग का पशुपालन विभाग में विलय के फलस्वरूप पशु पालन विभाग के सेवा नियमों में परिवर्तन/परिवर्द्वन किया जाना आवश्यक होने के कारण नियमों में संशोधन किया जाना प्रक्रियाधीन है । सेवा नियमों में यथोचित संशोधन उपरान्त ही पदोन्नतियां की जानी सम्भव होगी ।

(2) जी हां। श्री यतीन्द्र सिंह वेतन विसंगति निराकरण समिति की रिपोर्ट अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(3) श्री यतीन्द्र सिंह वेतन विसंगति निराकरण समिति की रिपोर्ट अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

सहकारी बैंक कर्मियों के वेतन समझौते की क्रियान्विति

338. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्यों सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सहकारी बैंकों के अधिकारी/कर्मचारी का वेतन समझौता काफी समय से लम्बित है ? यदि हां, तो सरकार कब तक समझौता लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। सहकारी बैंकों के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन समझौते हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.07.2006 को प्रशासक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथाशीघ्र वेतन समझौते संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

शिवशंकर कॉ-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, जयपुर का अंकेक्षण

339. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:-

(1) शिवशंकर कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, जयपुर (पंजीयन संख्या 2690/एल) का पंजीयन कब हुआ? पंजीयन के समय उक्त समिति के कार्यकारिणी के सदस्य एवं अध्यक्ष कौन-कौन थे? उक्त समिति की कार्यकारिणी के चुनाव कब-कब करवाये गये एवं वर्तमान में कार्यकारिणी में कौन-कौन सदस्य हैं? पंजीयन से अब तक के सदस्यों के नाम, पद, पता एवं पेशे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त समिति का अंकेक्षण कब-कब किस-किस के द्वारा करवाया गया? अंकेक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गई? यदि अंकेक्षण नहीं करवाया गया तो क्यों ? अब सरकार समिति के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिये कब तक अंकेक्षण करवाने का विचार रखती? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति द्वारा आवासीय योजनाओं में गम्भीर अनियमिततायें की गई हैं तथा उसकी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त समिति में प्रशासक की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(श्री मंगला राम गोदारा)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति की कार्यकारिणी का सदस्य ''नाबार्ड'' बैंक में कार्यरत है ? यदि हां, तो कौन ?

उत्तर

(1) शिवशंकर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पंजीयन क्रमांक 2690/एल का पंजीयन दिनांक 04.11.1972 को हुआ है । पंजीयन के समय उक्त समिति के कार्यकारणी सदस्य एवं अध्यक्ष निम्न थे:-

1.	श्री पन्नालाल पुत्र श्री लादुराम	अध्यक्ष
2.	श्री रामलाल पुत्र श्री नारायण	मंत्री
3.	श्री गणेशराम पुत्र श्री गोदूराम	कोषाध्यक्ष
4.	श्री महादेव पुत्र श्री नन्दाराम	उपाध्यक्ष
5.	श्री मोहम्मद पुत्र श्री पलदार खां	मा. सदस्य
6.	श्री प्रहलाद पुत्र श्री सदा	मा. सदस्य
7.	श्री मूलचन्द पुत्र श्री हरबक्श	मा. सदस्य
8.	श्री टीकम पुत्र श्री मांगीलाल	मा. सदस्य

उक्त समिति की कार्यकारणी के हुए चुनाव, कार्यकारिणी के सदस्यों तथा पंजीयन से अब तक के सदस्यों के नाम, पद, पता एवं पेशे सहित विवरण निम्न प्रकार है:-

चुनाव दिनांक	नाम व पिता का नाम	पद	पता/पेशा
06.02.1979	श्री पन्नालाल	अध्यक्ष	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री रामलाल	मंत्री	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री बालूराम	उपाध्यक्ष	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री गणेशराम	कोषाध्यक्ष	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री टीकाराम	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।

(सहकारिता मंत्री)

चुनाव दिनांक	नाम व पिता का नाम	पद	पता/पेशा
	श्री मोहम्मद	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री प्रहलाद	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री महादेव	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
22.08.1984	श्री नाथूराम पुत्र श्री गंगाराम	अध्यक्ष	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री रामलाल पुत्र श्री भैरीलाल	उपाध्यक्ष	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री गोपाललाल पुत्र श्री नाथूराम	मंत्री	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री बाबूलाल पुत्र श्री नानगराम	कोषाध्यक्ष	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री बालूराम पुत्र श्री मांगीलाल	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री यासीन खां पुत्र श्री अब्दुल करीम	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री मजीद पुत्र श्री अब्दुल करीम	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री नैनूराम	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।

(सहकारिता मंत्री)

चुनाव दिनांक	नाम व पिता का नाम	पद	पता/पेशा
29.12.1988	श्री मोहनलाल पुत्र श्री भौरीलाल	अध्यक्ष	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री सेडूराम पुत्र श्री रामलाल	मंत्री	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री घनश्याम पुत्र श्री भागचन्द्र	कोषाध्यक्ष	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोविन्दराम	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री शंकरलाल पुत्र श्री नानगराम	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कल्याण सहाय	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सोहनलाल	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
05.11.1993	श्री सोहनलाल पुत्र श्री गोविन्द नारायण	अध्यक्ष	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री नारायण पुत्र श्री आर.एस. मीणा	मंत्री	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।

सहकारिता मंत्री)

चुनाव दिनांक	नाम व पिता का नाम	पद	पता/पेशा
	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री भुराराम	कोषाध्यक्ष	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री मनमोहन पुत्र श्री बालचन्द	उपाध्यक्ष	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	हेमलता पुत्र श्री एस.आर. मीणा	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्रीमती नाथी पत्नि श्री भौरीलाल	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्री शंकरलाल पुत्र श्री रामसुख	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।
	श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री सेडूराम	सदस्य	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पता व पेशा उपलब्ध नहीं है।

इसके पश्चात कार्यालय के आदेश क्रमांक 338-46 दिनांक 15.01.1996 द्वारा उक्त समिति में प्रशासक एवं आदेश क्रमांक 392-96 दिनांक 27.01.2004 के द्वारा अवसायक नियुक्त किया गया। इसके बाद विभागीय अंकेक्षक द्वारा समिति की ऑडिट रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर समिति को अवसायन से आदेश क्रमांक 678-84 दिनांक 15.02.2006 द्वारा मुक्त कर दिया गया एवं वर्तमान में प्रशासन नियुक्त है।

(2) उक्त समिति का करवाया गया अंकेक्षण, अंकेक्षण में पाई गई कमियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(सहाकारिता मंत्री)

क्र. सं.	ऑडिट वर्ष	ऑडिट अवधि	ऑडिटर का नाम	अंकेक्षण में कमियों/ आक्षेप
1.	1976-77	01.07.1976 से 30.06.1977	श्री लक्ष्मण लक्ष्मी चन्दानी	निर्वाचन कराये जाने संबंधी आक्षेप, आम सभा नहीं बुलाई गई, सदस्य एवं हिस्सा रजिस्टर अपूर्ण पाये गये।
2.	1977-78	01.07.1977 से 30.06.1978	श्री लक्ष्मण लक्ष्मी चन्दानी	प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन नहीं हुआ, गत ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति नहीं की गई, हिस्सा रजिस्टर प्रचलित नहीं है, बैक की पास बुक उपलब्ध नहीं करवाई गई, कुल 77 सदस्यों में 72 सदस्यों को प्लाट दिये गये-पांच सदस्यों को प्लाट आबंटित नहीं किये गये।
3.	1978-79	01.07.1978 से 30.06.1979	श्री रघुवीर शरण	सहकारी अधिनियम एवं नियम समिति के रेकार्ड में उपलब्ध नहीं है, गत ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति नहीं की गई, सदस्य रजिस्टर अपूर्ण है, हिस्सा रजिस्टर प्रचलित नहीं है, वार्षिक नक्शे की प्रति समिति रेकार्ड में उपलब्ध नहीं बताई।
4.	1979-80	01.07.1979 से 30.06.1980	श्री रघुवीर शरण	वर्ष 78-79 में अंकित आक्षेपों की पुनरावृति वर्ष 79-80 में की गई है।

(सहकारिता मंत्री)

क्र. सं.	ऑडिट वर्ष	ऑडिट अवधि	ऑडिटर का नाम	अंकेक्षण में कमियां/ आक्षेप
5.	1980-81	01.07.1980 से 30.06.1981	श्री बिहारीलाल शर्मा	अनुपालना रिपोर्ट भिजवाई जावे, बैठकें नियमानुसार नहीं बुलाई गई, सदस्य रजिस्टर अपूर्ण पाया गया, रोकड़ पोता राशि बैंक में जमा कराई जावे, भूखण्ड आबंटन रजिस्टर प्रचलित कर रेकार्ड में रखा जावे।
6.	1981-82	01.07.1981 से 30.06.1982	श्री गोरहरी बंसल	गत आक्षेपों की पूर्ति नहीं की गई, स्थाई सामान रजिस्टर प्रचलित नहीं है, बैक की पास बुक उपलब्ध नहीं कराई गई, सदस्यों को प्रमाण पत्र दिये गये।
7.	1982-83	01.07.1982 से 30.06.1983	श्री गोरहरी बंसल	गत ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति नहीं की गई, सदस्य रजिस्टर अपूर्ण है, खाता बही अपूर्ण पाई गई, व्यक्तिगत सदस्यों की सूची उपलब्ध न होने से सन्तुलन चित्र में दर्शाई गई राशि की पुष्टि नहीं होती है।
8.	1983-84	01.07.1983 से 30.06.1984	श्री मंगलराम शर्मा	गत आक्षेपों की पूर्ति नहीं की गई, प्रबन्धकारिणी एवं आमसभा की बैठकें नियमानुसार नहीं बुलाई गई, हिस्सा रजिस्टर प्रचलित नहीं किया गया, रोकड बैंक में जमा कराई जावे।

(सहकारिता मंत्री)

क्र. सं.	ऑडिट वर्ष	ऑडिट अवधि	ऑडिटर का नाम	अंकेक्षण में कमियां/ आक्षेप
9.	1984-95	01.07.1984 से 31.03.1995	श्री देशराज यादव	ऑडिट अवधि में समिति का कार्यक्षेत्र केवल जयपुर शहर तक ही सीमित था परन्तु समिति द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर सांगानेर, आमेर तथा झोटवाड़ा क्षेत्र में योजनायें सृजित की गई हैं, समिति स्तर पर स्पष्टीकरण चाहा जावे, समिति द्वारा एक ही परिवार में एकाधिक भूखण्ड एवं एक ही सदस्य को एक से अधिक भूखण्ड दिये गये हैं, समिति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण चाहा जांवे, समिति द्वारा ऑडिट अवधि में भूमि विकास में किया गया व्यय, रोड निर्माण, पत्थर गढी, भूमि समतल आदि का खर्चा बताया है परन्तु समिति ने न तो टेण्डर/निविदायें आमंत्रित की हैं न ही लैण्ड डिमार्केशन किसी सर्टिफाईड एक्सपर्ट से कराया है समिति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किये जावें, 7299 सदस्यों की सूची नहीं दी गई है, ऑडिट अवधि में समिति द्वारा क्रय की गई भूमि के

(सहकारिता मंत्री)

क्र. सं.	ऑडिट वर्ष	ऑडिट अवधि	ऑडिटर का नाम	अंकेक्षण में कमियां/ आक्षेप
				इकरारनामें अथवा अनुबन्ध पत्र की प्रतियां ऑडिट रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं की है, समिति स्तर से पूर्ति अपेक्षित है, समिति द्वारा काटी गई योजनाओं का मानचित्र भी संलग्न कर प्रस्तुत नहीं किये गये है ।
10.	01.04.199 से 2006	01.04.1995 से 31.03.2006	मै. कौशिश अग्रवाल एण्ड कम्पनी को आबंटन किया हुआ है लेकिन रिकार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण ऑडिट नहीं हुआ । रिकार्ड प्राप्ति हेतु राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम/ नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । रिकार्ड प्राप्त होते ही शीघ्र ऑडिट करवा दिया जायेगा ।	

(3) इस समिति के संबंध में विभाग को अभी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर कार्यालय स्तर पर कार्यवाही जारी है एवं वर्तमान में प्रशासक नियुक्त है ।

(4) जी नहीं ।

जिला सहकारी भूमि विकास बैंक उदयपुर की एकमुश्त समझौता योजना में लाभान्वित कृषक

340. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सहकारी भूमि विकास बैंक उदयपुर ने चालू वित्तीय वर्ष में कितना-कितना ऋण किस-किस मद में किस-किस व्यक्ति को दिया ? विवरण सूची सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ऋण वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

लागू की गई थी ? यदि हां, तो कितने किसानों या ऋणी को इसका लाभ मिला ? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. उदयपुर द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में फरवरी 2007 तक विभिन्न मदों में 369 व्यक्तियों को 469.33 लाख का ऋण वितरण किया गया है । विवरण सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है ।

(2) जी हां। उदयपुर सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा वर्ष 2004-05 में एकमुश्त समझौता योजना के तहत 513 ऋणियों को 42,00,993.00 लाख की राहत प्रदान कर लाभान्वित किया गया । विवरण सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है ।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फुलेरा की खादी ग्रामोद्योग इकाइयों को अनुदान/सहायता

341. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग/बोर्ड द्वारा खादी व अन्य ग्रामोद्योग इकाइयों को किस-किस प्रकार की सहायता स्वीकृत की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत 05 वर्षों में जयपुर जिले में कितने व्यक्तियों/इकाइयों को कितनी राशि की सहायता दी गई ? विधान सभा क्षेत्रवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2000-01 से 28 फरवरी, 2007 तक किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं/इकाइयों से किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी राशि की सहायता/अनुदान के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तथा उनमें से किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं/इकाइयों को कितनी-कितनी राशि की सहायता/अनुदान का भुगतान किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) वर्तमान में उक्त क्षेत्र के किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं/इकाइयों

(श्री नवरतन राजोरिया)

को अनुदान/सहायता दिये जाने के प्रस्ताव लम्बित हैं ? लम्बित प्रस्तावों पर कब तक सहायता/अनुदान स्वीकृत कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भारत सरकार के कृषि व ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की 'ब्याज सहायता क्षमता प्रमाण-पत्र योजना' के अन्तर्गत खादी संस्था/समितियों को सहायता स्वीकृत की जाती है । ग्रामोद्योग इकाइयों को 'मार्जिन-मनी योजना' (आर.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत सहायता स्वीकृत की जाती हैं। ब्याज सहायता क्षमता प्रमाण-पत्र योजनान्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा खादी संस्थाओं को बैंकों से ऋण स्वीकृत कराया जाता है । उक्त ऋण पर बैंक द्वारा अपनी प्रचलित ब्याज दर वसूल की जाती है । वसूल की गई ब्याज दर का 4 प्रतिशत संस्था स्वयं वहन करती है । शेष ब्याज दर का भुगतान सहायता के रूप में आयोग द्वारा बैंकों को किया जाता है ।

मार्जिन-मनी योजना में अन्तर्गत 20 हजार तक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी परियोजना, जिसकी लागत 25 लाख रुपये तक हो, बैंक के माध्यम से खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी नकारात्मक सूची को छोड़कर स्थापित की जा सकती है । इस योजना के तहत व्यक्तिगत (कामगार/उद्यमी), संस्थायें, सहकारी समितियां एवं न्यास, पात्रता रखते हैं। (साझेदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां, संयुक्त उद्यमी, संयुक्त ऋणी, को आबलिगेटर अथवा एच.यू.एफ. इस योजना के पात्र नहीं है) इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के उद्यमी को परियोजना लागत की 10 प्रतिशत राशि स्वयं को निवेश करनी होगी । अन्य वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों/संस्थाओं तथा पर्वतीय सीमावर्ती व जनजाति क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत की 5 प्रतिशत राशि स्वयं को निवेश करनी होगी ।

योजनान्तर्गत मार्जिन-मनी (अनुदान) 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए सामान्य वर्ग हेतु 25 प्रतिशत की दर से तथा अन्य वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/महिला/

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

शारिरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों/संस्थाओं तथा पर्वतीय सीमावर्ती व जनजाति क्षेत्रो के आवेदकों के लिए 30 प्रतिशत देय है । परियोजना की शेष लागत के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन-मनी देय है ।

इसके अतिरिक्त राज्य बोर्ड द्वारा राज्य आयोजना बजट के माध्यम से भी खादी व ग्रामोद्योग इकाइयों को निम्न प्रकार से सहायता स्वीकृत की जाती है ।

1. खादी

(क) रिवाल्विंग फण्ड फार डवलपमेंट फार खादी :-

नवीन परिष्कृत संरजाम जैसे अम्बर चर्खा, ताना मशीन, कर्घा तथा ट्विस्टिंग मशीन इत्यादि खरीदने हेतु यह योजना लागू है जिसमें सूती/पोली खादी हेतु प्रति इकाई 7.28 लाख रुपये अधिकतम राशि तथा ऊनी खादी हेतु 12.75 लाख रुपये अधिकतम राशि निर्धारित है उपयोग की गई राशि का 25 प्रतिशत अनुदान/सहायता देय है । शेष राशि ऋण के रूप में 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 समान छः प्रतिशत माही किश्तों में अग्रिम चैक द्वारा वसूल की जायेगी।

(ख) रिविटिलाइजेशन एण्ड स्टेइन्थनिंग आफ 'सी' केटेगरी खादी इन्सटीट्यूशन :-

इस योजना में 'सी' श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली ऐसी संस्थाएं जिनकी समस्त पूंजी अन्यत्र उपयोग में लेने के कारण कार्यकारी पूंजी का अभाव है इन संस्थाओं को 13.00 लाख रुपये ऋण व 1.00 लाख रुपये अनुदान/सहायता अधिकतम देय है। ऋण राशि 4 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रथम किश्त की भुगतान दिनांक से 3 वर्ष पश्चात छः माही 10 समान किश्तों मे वसूल किया जाना निश्चित है।

2. **ग्रामोद्योग**

ग्रामीण क्षेत्रों में ''युवास्वरोजगार योजना'' अन्तर्गत युवाओं को 2.00 लाख रुपये तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है जिसमें 20 प्रतिशत राशि बिना ब्याज के ऋण रूप में दी जाती है। 50 प्रतिशत ऋण 4.50 प्रतिशत ब्याज की दर से एवं 30 प्रतिशत ऋणों की सहभागिता योजना में होती है।

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

राज्य बोर्ड द्वारा आयोजना बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 2.00 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की जाती है। योजना में 20 प्रतिशत राशि बिना ब्याज के ऋण रूप में एवं 80 प्रतिशत राशि 4.50 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण के रूप में दी जाती है।

(2) गत पांच वर्षों में जयपुर जिले में कुल 578 व्यक्तियों/इकाइयों को 533.05 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत कर भुगतान किया गया। वर्षवार तथा विधान सभावार विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2000-01 से 28 फरवरी, 07 तक कुल 51 आवेदन पत्र व्यक्तियों/इकाइयों से सहायता अनुदान के लिए प्राप्त हुये हैं। जिनमें से 38 व्यक्ति/इकाइयों को (क्रमांक 1 से 38 तक) सहायता/अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में उक्त क्षेत्र के अनुदान/सहायता के 13 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। जिनमें 8 के प्रस्ताव नोडल बैंकों में भुगतान हेतु भिजवाये जा चुके हैं। शेष 5 प्रकरण माह जनवरी 2007 में स्वीकृत हुए हैं। उनके सहायता क्लेम बैंकों से प्राप्त कर सहायता नोडल बैकों से दिलवाने का प्रयास किये जा रहे हैं। लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

गत 5 वर्षों में जयपुर जिले में दी गई सहायता राशि का विधानसभावार व वर्षवार विवरण

(राशि लाख रुपये)

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	वर्ष 2001-02		वर्ष 2002-3		वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		योग	
		इकाई सं.	राशि	इकाई सं.	राशि	इकाई सं.	राशि	इकाई सं.	राशि	इकाई सं.	राशि	इकाई सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सांगानेर	59	18.18	33	24.14	8	16.23	2	2.00	3	4.52	105	65.07
2	आमेर	28	51.42	12	31.08	24	60.21	12	8.97	18	32.57	94	184.25
3	बस्सी	20	25.4 8	12	21.40	8	16.72	7	13.39	5	11.70	52	88.69
4	जमवारामगढ	5	6.30	10	5.63	1	1.63			2	0.69	18	14.25
5	फागी	32	3.58	67	14.65	18	9.95	3	1.69	19	15.12	139	44.99
6	दूदू	7	1.00	1	0.55	5	9.10	4	0.72	11	9.36	28	20.73
7	फुलेरा	11	8.78	5	1.71	5	6.85	6	4.43	5	1.27	32	23.04
8	चौमूं	17	23.61	13	10.18	6	5.18	4	5.38	7	8.58	47	52.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	विराटनगर	11	3.16	8	3.50	13	15.13	1	0.15	16	9.34	49	31.28
10	कोटपूतली	2	0.24	2	0.96			1	3.00	3	0.98	8	5.18
11	जयपुर	1	0.14			2	0.45	2	1.05	1	1.00	6	2.64
12	हवामहल				शहरी क्षेत्र होने से आर ई.जी.पी. योजना लागू नहीं है ।								
13	बनीपार्क				शहरी क्षेत्र होने से आर ई.जी पी. योजना लागू नहीं है ।								
14	किशनपोल				शहरी क्षेत्र होने से आर ई.जी.पी. योजना लागू नहीं है ।								
15	जौहरी बाजार				शहरी क्षेत्र होने से आर ई.जी.पी. योजना लागू नहीं है ।								
	योग	**193**	**141.89**	**163**	**113.80**	**90.00**	**141.45**	**42.00**	**40.78**	**90.00**	**95.13**	**578**	**533.05**

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2000-01 से 28 फरवरी, 07 तक सहायता/अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण

क्र.सं.	नाम उद्यमी/इकाई	ग्राम	उद्योग	सहा./अनु. राशि	स्वीकृति वर्ष
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	बनवारी लाल/सुखाराम रैगर	कवरासा	लुहारी	30,000.00	2000-01
2	विनोद कुमार/मदन लाल जांगिड	हिमोनियां	सुथारी	9,000.00	2000-01
3	बाबूलाल/विरदा राम यादव	पंचकोढियां	भारतीय-मिठाई	37,500.00	2000-01
4	मोहम्मद अली/हेदर अली	हिमोनियां	साईकिल मरम्मत	9,000.00	2000-01
5	मोतीराम/उदा राम रैगर	डूंगरी खुर्द	चर्म जूता	12,000.00	2001-2002
6	नन्दकिशोर/हनुमान कुमावत	ईटावा	साबुन	54,300.00	2001-2002
7	रामगोपाल/अन्नीलाल गोनोडियां	भादवा	साबुन	249,250.00	2001-2002
8	नामरायण लाल/नन्दाराम	डूंगरी कलां	साबुन	42,750.00	2001-2002
9	ओमप्रकाश/नानगराम	इरोलाव	सुथारी	30,000.00	2001-2002
10	मुकेश कुमार/बजरंग लाल	भागावांस	सुथारी	60,000.00	2001-2002
11	कैलाश चन्द/जगदीश सोनी	भागावांस	ज्वैलरी	15,000.00	2001-2002
12	कमला देवी/ओम प्रकाश शर्मा	बासडी खुर्द	कॉफी उद्योग	276,600.00	2001-2002
13	ममता/पुरूषोतम गुप्ता	करणसर	कॉफी उद्योग	30,000.00	2001-2002

1	2	3	4	5	6
14	मीरादेवी/कन्हैयालाल स्वामी	डूंगरसिंह का बांस	रेडिमेड गारमेन्ट	45,000.00	2001-2002
15	बाबू लाल/मुरलीधर यादव	बधाल	ढाबा	45,000.00	2001-2002
16	शौभाराम/भूराराम कुम्हार	ईटावा	कुम्हारी	6,000.00	2002-03
17	गोपाल कृष्ण/नन्दलाल	लालासर	रेडिमेड गारमेन्ट	12,000.00	2002-03
18	सतीश चन्द्र/मदन लाल	हिमोनियां	लुहारी	15,000.00	2002-03
19	यादराम/रामदेव	ईरोलाव	लुहारी	48,000.00	2002-03
20	शंकरलाल/रतन लाल सौनी	भागावांस	ज्वेलरी	90,000.00	2002-03
21	रवि/श्रीकृष्ण विजयवर्गीय	हरसोली	ईट भट्टा	250,000.00	2003-04
22	रामस्वरूप/भूरा यादव	ईटावा	मुर्गीदाना	95,000.00	2003-04
23	राजेश/केलाश जैन	हिमोनियां	ग्वारगम	250,000.00	2003-04
24	चन्दभान/मालीराम वर्मा	रामजीपुरा खुर्द	भारतीय-मिठाई	30,000.00	2003-04
25	कमलेशराम/कृष्ण शर्मा	भोजपुरा कला	मसाला उद्योग	60,000.00	2003-04
26	मोहन लाल/गोमाराम जाट	खीरवा	वर्मीकम्पोस्ट	85,650.00	2004-05
27	गणेशराम/रामप्रसाद यादव	खेडीमिल्क	वर्मीकम्पोस्ट	88,650.00	2004-05
28	पोखर मल/मांगुराम	पंचकोढियां	वर्मीकम्पोस्ट	88,650.00	2004-05
29	श्रवणलाल/हनुमान कुमावत	भादवा	भारतीय-मिठाई	60,000.00	2004-05
30	गुलाब देवी/प्रहलाद वर्मा	प्रतापपुरा	सिलाई कार्य	60,000.00	2004-05
31	सीता देवी/गोपाल शर्मा	रामजीपुरा खुर्द	सिलाई कार्य	60,000.00	2004-05
32	रामगोपाल/जीवनराम कुमावत	काजीपुरा	स्टोन आर्ट	39,000.00	2005-06

1	2	3	4	5	6
33	मंगलाराम/छोटूराम जाट	खण्डेल	जैविक खाद	30,000.00	2005-06
34	मोरी देवी/पेमाराम जाट	ईटावा	जैविक खाद	29,700.00	2005-06
35	सागर मल/तुलसाराम जाट	सतवाडी खुर्द	जैविक खाद	-	2005-06
36	भागीरथ मल/हनुमान धोबी	भैसलावा	सिलाई	28,500.00	2005-06
37	दौलत कुमार/कन्हैया लाल शर्मा	काबरों का बांस	साबुन	10,250.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
38	लालाराम/जयराम कुमावत	गोकुलपुरा	वर्माकम्पोस्ट	93,000.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
39	बुद्धाराम/कानाराम	लालासर	वर्माकम्पोस्ट	37,500.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
40	मालीराम/बोदुराम	लालासर	वर्माकम्पोस्ट	24,375.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
41	रामदेव/चुराराम	लालासर	वर्माकम्पोस्ट	32,795.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
42	मांगुराम/चुराराम	ईटावा	वर्माकम्पोस्ट	35,092.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
43	मोहन लाल/बक्शा राम	भधाल	वर्माकम्पोस्ट	38,662.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
44	रामेश्वर/बक्शा राम	भधाल	वर्माकम्पोस्ट	38,662.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
45	मुरलीधर/बक्शा राम	भधाल	वर्माकम्पोस्ट	38,662.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
46	प्रभाती लाल/तुलसा राम	भधाल	वर्माकम्पोस्ट	35,062.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
47	महादेव/रामदेव	डूंगरीकाबांस	वर्माकम्पोस्ट	23,400.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
48	मोहन लाल/ नन्दराम	सुकालपुरा	वर्माकम्पोस्ट	93,735.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
49	रामुराम/ लिखमा राम	दीपपुरा	वर्माकम्पोस्ट	93,735.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
50	नारायण/कुम्भाराम	भोजपुरा कला	वर्माकम्पोस्ट	30,000.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक
51	किशन लाल/ रामु लाल	सुकालपुरा	वर्माकम्पोस्ट	35,062.00	2006-07, 28 फरवरी 07 तक

परिशिष्ट-3

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2006-07 में 20 फरवरी, 07 तक सहायता/अनुदान हेतु लम्बित प्रकरणों की सूची

क्र.सं.	नाम उद्यमी/इकाई	ग्राम	उ़द्योग	राशि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	बुद्धाराम/कानाराम	लालासर	वर्माकम्पोस्ट	37500.00	2006-07
2	मालीराम/बोदुराम	लालासर	वर्माकम्पोस्ट	24,375.00	2006-07
3	रामदेव/चुराराम	लालासर	वर्माकम्पोस्ट	32,795.00	2006-07
4	मांगुराम/चुराराम	ईटावा	वर्माकम्पोस्ट	35,092.00	2006-07
5	मोहन लाल/बक्शा राम	भधाल	वर्माकम्पोस्ट	38,662.00	2006-07
6	रामेश्वर/बक्शा राम	भधाल	वर्माकम्पोस्ट	38,662.00	2006-07
7	मुरलीधर/बक्शा राम	भधाल	वर्माकम्पोस्ट	38,662.00	2006-07
8	प्रभाती लाल/तुलसा राम	भधाल	वर्माकम्पोस्ट	35,062.00	2006-07
9	महादेव/ रामदेव	डूंगरीकाबांस	वर्माकम्पोस्ट	23,400.00	2006-07
10	मोहन लाल/नन्दाराम	सुकालपुरा	वर्माकम्पोस्ट	93,735.00	2006-07
11	रामुराम/लिखमा राम	दीपपुरा	वर्माकम्पोस्ट	93,735.00	2006-07
12	नारायण/कुम्भाराम	भोजपुरा कला	वर्माकम्पोस्ट	30,000.00	2006-07
13	किशन लाल/रामु लाल	सुकालपुरा	वर्माकम्पोस्ट	35,062.00	2006-07

आयुर्वेदिक रसायनशालाओं में निर्मित औषधियां

342. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में रसायनशालाएं कहां-कहां हैं और उनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? वर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रसायनशालाओं में क्या-क्या औषधि निर्माण होती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के आयुर्वेदिक अस्पतालों में क्या-क्या दवाइयां वितरित की जाती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है ? श्रेणी व स्थानवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है?यदि हां, तो इस संबंधी कार्य-योजना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वेद विभागान्तर्गत चार रसायनशालाएं संचालित हैं, जिनका विवरण मय स्वीकृत पदों के परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विभागीय रसायनशालाओं में निर्मित किये जाने वाली आयुर्वेद व यूनानी औषधियों की सूची परिशिष्ट-ख में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विभागीय रसायनशालाओं में निर्मित औषधियों के साथ-साथ, जो अन्य औषधियां, आयुर्वेद चिकित्सालयों/औषधालयों को वितरित की जाती हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-ग में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) राज्य में वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 3595 चिकित्सालय व औषधालय तथा 6 चल चिकित्सा इकाइयां संचालित व स्वीकृत है, जिनकी श्रेणी वार व जिले वार संख्या सूची परिशिष्ट-घ में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। इस सम्बन्धी कार्य योजना निम्न प्रकार है:-

1. नवीन औषधालय खोलना

2. रिक्त पदों को नवीन नियुक्ति से भरना।

3. औषधालय भवनों का निर्माण व मरम्मत करना।

(आयुर्वेद मंत्री)

4. औषधालयों को यंत्र शस्त्र उपलब्ध करना।

5. औषधालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

परिशिष्ट-क

आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्तमान में निम्न 4 रसायनशालायें संचालित हैं -

1- राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर

2- राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, भरतपुर

3- राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, जोधपुर

4- राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर

उक्त विभागीय रसायनशालाओं में स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.		**रसायनशाला वार स्वीकृत पद**			
	पद नाम	**अजमेर**	**भरतपुर**	**जोधपुर**	**उदयपुर**
1	प्रभारी अधिकारी	1	1	1	1
2	सहायक प्रभारी	4	2	2	2
3	कार्यालय सहायक	1	-	-	-
4	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	1	1
5	वरिष्ठ लिपिक	3	1	1	2
6	कनिष्ठ लिपिक	8	3	4	3
7	मैकेनिक ग्रेड-I	1	-	-	-
8	यांत्रिक/कनिष्ठ यांत्रिक	1	1	1	1
9	मशीन मैन	1	-	1	-
10	वाहन चालक	1	-	1	-
11	हैडमेट	-	-	1	1
12	खलासी	1	-	1	1
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	2	2	3
14	श्रमिक	36	17	14	26

परिशिष्ट-ख

विभागीय रसायनशालाओं में निर्मित होने वाली औषधियों की

रसायनशाला वार सूची-

राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला भरतपुर

1-संजीवनी वटी 2-चन्द्रप्रभावटी 3-गोदन्ती भस्म 4-कृष्ण मरहम 5-जात्यादि तैल 6-शंख भस्म 7-कपर्द भस्म 8-शुभ्रा भस्म 9- बालसुधा 10-शतावारी चूर्ण 11- धृताष्मपिष्टी 12-शुक्ति भस्म

राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला जोधपुर

1. तालीसादि चुर्ण 2. अमलकी चूर्ण 3. लवणभास्कर चूर्ण 4. अग्निसंदीपन चूर्ण 5. जन्म घूटी क्वाथ 6. नागकेशर चूर्ण 7. पिप्पली चूर्ण 8. अश्वगंध चूर्ण 9. दद्रुदावानल 10. शोथहर क्वाथ 11. दशनसंस्कार चूर्ण 12. बिल्वगिरी चूर्ण 13. मधुयष्टि चूर्ण

राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला उदयपुर

1. कर्पूर रस 2. रस माणिक्य 3. लवंगादि वटी 4 गोजिव्हादिक्वाथ 5. वेदनानाशक 6. नेत्र बिन्दु 7. अर्क विसूचिकांतक 8. अर्जुनत्वक चूर्ण 9. दद्रुदावानल 10. शोथहर क्वाथ 11. पामाहर योग 12. अर्कसौफ 13. ईसबगोल भूसी

राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर

आयुर्वेद औषधियां

1. आनन्दभैरव रस 2. तिन्दुक वटी 3. कर्पूरधारा 4. विषमज्वरारिवटी 5. कुटकीचिरायता चूर्ण 6. हरीतकी चूर्ण 7. विभीतक चूर्ण 8. दशागलेप 9. शुत्र गन्धक 10. अर्कवटी 11. श्वेत पर्पटी 12. पथ्यादि चूर्ण

यूनानी औषधियां-

1. हब्बे करंवजा 2. हब्बे जिकुनफस, 3. हब्बे हाजिम, 4. हब्बे रसोत 5. हब्बे जिमादस्याह, 6. हब्बे डब्बा एतफाल 7. सफूफ हाबिसेदम 8. सफूफ तीन 9. सफूफ अक्सिरेजिगर 10. सफूफ मुदिर 11. सफूफ चुटकी 12. शर्बत बनफशा 13. लउक बेहदाना 14. तवीख फसादे खून 15. मरहम सफेद काफूरी 16. रोगने दर्द 17 मरहम नींब 18. जौशान्दा

परिशिष्ट–ग

विभागीय आयुर्वेद चिकित्सालयों/औषधालयों को वितरित की जाने वाली औषधियों की सूची

क्रम संख्या	नाम औषधि	क्रम संख्या	नाम औषधि
1-	कामदूधा रस	13-	गोक्षुरादि गुग्गलु
2-	चन्द्रामृत रस	14-	शंख वटी
3-	सर्पगन्धा मिश्रण	15-	ककायन वटी
4-	सिंहनाद गुग्गलु	16-	पूनर्वादि मण्डूर
5-	कैशौर गुग्गलु	17-	शिरसूलादि वज्र रस
6-	कृमिमुदगर रस	18-	लघुविषगर्भ तैल
7-	दाडिमाष्टक चूर्ण	19-	हिग्वाष्टिक चूर्ण
8-	आयुष-64	20-	योगराज गुग्गलु
9-	श्वासकुठार रस	21-	अग्नितुण्डी वटी
10-	लक्ष्मीविलास रस (नार)	22-	गोदन्ती मिश्रण
11-	सूतशेखर रस सादा	23-	हरिद्राखण्ड
12-	कचनासर गुग्गलु	24-	पुष्यानुंग चूर्ण

नोट 1. उक्त औषधियों के अतिरिक्त विभागीय रयासनशालाओ में निर्मित की जाने वाली आयुर्वेद औषधियां भी औषधालयों/चिकित्सालयों में वितरित की जाती है।

2. इसके अतिरिक्त वर्णोपचार के लिये कोटन, बेण्डेज, ऐडिसिव प्लास्टर, आदि भी वितरित की जाती है।

परिशिष्ट–घ

राज्य में संचालित व स्वीकृति विभागीय आयुर्वेद चिकित्सालयों, औषधालयों, चल चिकित्सा इकाइयों की जिलेवार संख्या-दिनांक 1.3.07 की स्थिति

क्रम सं.	नाम जिला	अ-श्रैणी चिकित्सालय (शैय्यायुक्त)	बी-श्रैणी औषधालय	चल चिकित्सा इकाई	योग
1.	अजमेर	8	124	1	133

1	2	3	4	5	6
2.	अलवर	4	174	-	178
3.	बांसवाडा	2	116	1	119
4.	बारां	2	56	-	58
5.	बाड़मेर	1	90	-	91
6.	भरतपुर	5	127	-	132
7.	भीलवाड़ा	5	180	-	185
8.	बीकानेर	1	100	1	102
9.	बूंदी	1	60	-	61
10.	चित्तौड़गढ़	4	127	-	131
11.	चुरू	5	108	-	113
12.	दौसा	-	99	-	99
13.	धौलपुर	2	50	-	52
14.	डूंगरपुर	4	111	-	115
15.	श्रीगंगानगर	1	83	1	85
16.	हनुमानगढ़	2	89	-	91
17.	जयपुर-अ क्षेत्र	4	153	-	157
18.	जयपुर-ब क्षेत्र	5	133	-	138
19.	जैसलमेर	1	32	1	34
20.	जालौर	3	67	-	70
21.	झालावाड़	3	75	-	78
22.	झुंझुनूं	2	150	-	152
23.	जोधपुर	4	117	-	121
24.	कोटा	1	55	1	57
25.	करौली	1	76	-	77
26.	नागौर	7	147	-	154
27.	पाली	5	132	-	137
28.	राजसमन्द	1	92	-	93
29.	सीकर	5	153	-	158

1	2	3	4	5	6
30.	सवाई-माधोपुर	2	83		85
31.	सिरोही	2	60		62
32.	टोंक	2	98		100
33.	उदयपुर	4	179		183
	योग:-	**99**	**3496**	**6**	**3601**

सेंगाल धोरा-हंसासर (नोखा) सड़क का डामरीकरण

343. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी नोखा द्वारा नोखा तहसील में सेंगाल धोरा से हंसासर सहित कुछ डामर सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भिजवाये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों की स्वीकृति नहीं भेजी जा रही है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उक्त स्वीकृति जारी कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति नोखा द्वारा सेंगाल धोरा से हंसासर सहित सड़कों का प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया है अपितु मण्डी समिति द्वारा निम्न सड़कों के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं:-

क्र. स.	**सड़क का नाम**	**लम्बाई (कि.मी.)**	**अनु. लागत (लाख रु.)**
1	सं.स. गजरुपदेसर से मोरखाना फॉटा	2.00	24.00
2	सं.स. बनियों फॉटा से लालासर	4.50	54.00
3	सं.स. जसरासर बस स्टैण्ड से जसनाथजी का मन्दिर	0.5	6.00
4	सं.स. कक्कू से सेंगाल धोरा	10.50	126.00

(कृषि विपणन मंत्री)

(2) जी नहीं। मण्डी समिति के पास सड़क मद में उपलब्ध बचत के अनुसार सड़कों की प्राथमिकता भिजवाने हेतु सूचना चाही गई है। प्राथमिकताएं प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि उपज मण्डी सचिवों के रिक्त पद

344. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य की कौन-कौनसी मण्डियों में मण्डी सचिवों के पद कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि विपणन विभाग व मण्डी कर्मचारियों के लिए उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कोटा आरक्षित है? यदि हां, तो कितना ? वर्तमान में जे.एम.ओ. (कृ.वि.अ.) के कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता क्या है? क्या उक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने वाले कर्मचारी भी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों में सचिवों के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। कृषि विपणन विभाग व मण्डी समिति कर्मचारियों के लिए कनिष्ठ विपणन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु 25 प्रतिशत कोटा आरक्षित है। कनिष्ठ विपणन अधिकारी के 84 पद रिक्त हैं।

(3) कनिष्ठ विपणन अधिकारी के रिक्त 84 पदों पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को दिनांक 22.2.2007 को प्रेषित की जा चुकी है। प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी अपेक्षित है।

(4) कनिष्ठ विपणन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता निम्नानुसार है:-

1. बी.एस.सी. (कृषि) 2. बही.काम 3. बी.ए. विद इकनोमिक्स कर्मचारी

(कृषि विपणन मंत्री)

जिन्हें कनिष्ठ विपणन अधिकारी के पद पर समायोजित/मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है तथा जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं का विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री सुभाष मेहता जी.ए.डी. से आमेलन
2. श्री अरूण कुमार मुखर्जी जी.ए.डी. से आमेलन
3. श्री नरेन्द्र कुमार पाटोदिया जी.ए.डी. से आमेलन
4. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पर्यवेक्षक के पद से पदोन्नति
5. श्री अचल सिंह चौधरी पर्यवेक्षक के पद से पदोन्नति
6. श्री हरिराम जोशी पर्यवेक्षक के पद से पदोन्नति
7. श्री निर्मल कुमार शर्मा पर्यवेक्षक के पद से पदोन्नति

परिशिष्ट "अ"

राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में सचिव के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	मण्डी समिति	श्रेणी	रिक्त दिनांक
1.	विजयनगर	B	6.3.2007
2.	देवली	B	15.7.2006
3.	भरतपुर	A	30.12.2006
4.	कांमा	D	1.6.2006
5.	फतेहपुर	C	11.9.2001
6.	सुरजगढ़	D	1.8.2000
7.	डेगाना	C	1.8.2006
8.	श्रीविजयनगर	B	15.7.2006
9.	गजसिंहपुर	B	1.1.2003
10.	अनुपगढ़	B	15.7.2006
11.	घड़साना	B	1.2.2007
12.	केसरीसिंहसर	B	14.7.2005
13.	रिडमलपुर	D	19.7.2004
14.	संगरिया	B	30.9.2004

क्र. सं.	मण्डी समिति	श्रेणी	रिक्ति दिनांक
15.	सादुलशहर	B	18.8.2004
16.	पीलीबंगा	A	15.7.2006
17.	भादरा	D	14.7.2005
18.	रावतसर	B	13.9.2006
19.	सादुलपुर	C	15.7.2006
20.	रतनगढ़	C	15.7.2006
21.	डूंगरगढ़	D	15.7.2006
22.	इटावा	B	2.2.2007
23.	छबड़ा	A	13.2.2007
24.	अटरू	C	1.2.2002
25.	इकलेरा	C	19.4.2006
26.	हिण्डौन	B	29.1.2007
27.	केसोरायपाटन	C	4.5.2006
28.	सुमेरगंज	D	15.7.2005
29.	उदयपुर	A	15.7.2006
30.	डूंगरपुर	D	26.7.2003
31.	बांसवाड़ा	D	2.2.2007
32.	चित्तौड़गढ़	C	21.8.2006
33.	निम्बाहेडा	B	9.10.2004
34.	बडीसादडी	C	1.10.2006
35.	आबूरोड़	D	19.2.2007
36.	पीपाड़सिटी	D	21.7.2004
37.	बाड़मेर	A	1.11.2006
38.	बालोतरा	C	15.7.2006
39.	जैसलमेर	C	1.7.2003
40.	जालोर	D	16.10.2006
41.	जोधपुर (फ.स.)	A	14.7.2005
42.	श्रीगंगानगर (फ.स.)	B	1.1.2007
43.	बीकानेर (फ.स. व ऊन)	A	28.2.2007
44.	अजमेर (फ.स.)	C	14.2.2007
45.	बिजोलिया	D	25.11.2004
46.	उदयपुर (फ.स.)	D	7.1.2006

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-175 की नीति की प्रति)

Govt. of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Ministry & Monitoring Section)

No.RW/NH-28030/1/2001-P&M the 13th July, 2001

To,

The Chief Secretary
(All State Government/UTs)

Subject:- Formulation of State Sector Road Development Programme to be financed from the Central Road Fund.

Sir,I am directed to state that guidelines for formulation of above mentioned Road Development Programme were earlier circulated vide Ministry's letter number RW/NH-28030/40/2000-OR dated the 13th October, 2000 and 13th December 2000. The matter has been reviewed and it has been decided to further simplify procedure for approval to the works out of this fund. Thus in supersession of earlier guidelines, the following procedure/instructions may be followed:

2. For utilisation of funds priority may be assigned to already sanctioned projects under earlier CRF scheme. Thereafter, the accruals shall be tilized for new works to be sanctioned in the following manner.

3. All State roads including State Highways, Major District roads and other roads of importance can be taken up under this programme. The state Government can also consider urban roads for inclusion in the programme. It may, however, be noted that roads which are classified as rural roads are not to be included in this programme. For Rural Roads the funds are being provided under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna (PMGSY).

4. Types of works to be considered in this programme shall comprise of the following

* Construction of missing bridges, cross drainage works, rehabilitation of bridges, widening to 2 lanes, strengthening of weak pavement sections.
* Improvement of Riding Quality/Periodic Renewal of selected stretches of SH/MDR.
* Engineering aspects of road safety works covering improvement of traffic junction, road marking, signaling, construction of subways and

over bridges, construction of parking lay-byes, bus sheds, Highway Patrolling Scheme etc.

* Research and Development and development of data base.
* Training of Highway Engineers and construction of professional organisations like Indian Roads Congress. Indian National Group of IABSE and NITHE etc.
* Construction of bypasses, parallel service roads along National Highways/State Highways in built up areas may be considered in exceptional cases.

However, the estimates for land acquisition will not be considered under CRF.

5. Proposals should cover sufficient length of road and should generally be covering at least 10Km length, unless the requirement for connecting two places is less than 10Km. Proposals shall include only those works where land is available without any encumbrance. This is to ensure that there is no delay in starting the works. Cost of each work should be based on actual requirements and realistic cost estimates based on the current Schedule of Rates.

6. The State Government should send a list of projects to be taken up. The proposals should be shown on the state map indicating district boundaries and various types of roads i.e. NH, SH, MDR & ODR in different colours. The projects should be identified with a view to have a balanced development of the road network in the entire State, Particulars to be furnished for each project shall include :

a) Name of the work.
b) An index map showing the area and the proposed road/bridge/ improvement wroks.
c) Scope of the work including specification to be adopted on brief.
d) Category of the road proposed to be improved; whether State Highway or Major District Road etc.
e) Length.
f) Estimated Cost of the Project based on the current Schedule of Rates.
g) Probable starting date.
h) Target date of completion.
i) A certificate regarding availability of the entire land needed for the project.

7. The standards, design and specification of the works to be proposed are to follow the relevant IRC/MOST Guidelines, Codes, Specification and the period of the completion of projects is not to exceed 24 months including period of tendering.

8. This Ministry will accord its administrative approval for the proposals. Technical approval and financial sanction of the proposals are to be accorded by the State/UT concemed.

9. No excess in the cost beyond 10% of the amount administratively approved for that proposal will be permissible. Any excess over 10% will have to be arranged by States from their own resources. No revised estimate will be considered in this scheme.

10. No agency charges will be payable for the execution of works included in the programme.

11. Future routine maintenance and upkeep of the projects after completion will be responsibility of the State/UT concerned.

12. State/UT will have to ensure that individual project(s) are technically approved. Financially sanctioned and awarded within a period of four months from the date of administrative approval of work, failing which the work will be deemed to have been deleted from the programme. In any case, time schedule as given in para 7 is to be strictly compiled with.

13. Audit shall admit expenditure on the basis of technically approved and financially sanctioned estimate by the competent State/UT authority.

14. The State/UT has to submit quarterly yearly progress reports of all the works sanctioned from the CRF for the quarter ending June, September, December and March every year as per perform enclosed (Annex-1). The progress report should reach this Ministry not later than one month from the date of ending of each quarter.

15. The State Government will be required to furnish utilisation certificate as per Annex II along with the quarterly progress report. Further installment of funds will be released to the extent of expenditure incurred as per utilization certificate.

16. The total cost of Schemes to be approved shall be limited to ensure that the bank of sanction at any point of time does not exceed two times the annual accrual for the State/UT.

Yours faithfully,
(U.S. TIWARI)
Deputy Secretary to the Government of India

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

लूणी क्षेत्र के ग्रामीण विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग की पढ़ाई विषयक

मान्यवरजी,

''नींव'' बिना भवन नहीं, शिक्षा बिना जीवन नहीं''। शिक्षा द्वारा मनुष्य के जीवन व व्यक्तित्व का निर्माण होता है । शिक्षा ही मनुष्य को जीवन को जीने की कला सिखाती है ।

आज का युग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर व वाणिज्य का युग है । सरकारी विद्यालयों में इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का परम दायित्व है । आज के विद्यार्थी कल का भविष्य है तथा अपनी शिक्षा व संस्कार से देश व प्रदेश के विकास व नव निर्माण में अपना योगदान करेंगे । विज्ञान, वाणिज्य, कम्प्यूटर व प्रौद्योगिकी की शिक्षा वर्तमान में शहरों के प्रत्येक विद्यालयों में उपलब्ध है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में मात्र कला वर्ग की ही सुविधा उपलब्ध है । मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में लगभग 17-18 सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं । इन में से सिर्फ 2 स्कूलों (लूणी व गुड़ा विश्नोईयान) में विज्ञान वर्ग व वाणिज्य वर्ग की सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जा रही है । बाकी के किसी भी विद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के किसानों, मजदूरों, SC/ST व दलित परिवारों के विद्यार्थियों को वाणिज्य व विज्ञान वर्ग (गणित व जीव) की पढ़ाई करने हेतु जोधपुर शहर आना पड़ता है । जोधपुर शहर की पढाई अत्यधिक महंगी होने के कारण आम विद्यार्थियों के बस की बात नहीं है। यदि यही सुविधा विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में उपलब्ध करवा दी जायें तो विद्यार्थी अपनी रूचि का विषय चयन कर आगे की पढाई भी जारी रख सखें ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के रा.उ.मा. .विद्यालय दुन्दाड़ा, डोली, झंबर सालावास, लूणावास कलां, धंवा, पालासनी, लाम्बा, रावर, बाला, आदि में वाणिज्य व विज्ञान (गणित व जीव) वर्ग की सुविधा आगामी शिक्षा सत्र से

उपलब्ध करवाया जाना अत्यन्त ही आवश्यक, न्यायोचित व जनहित में जरूरी है ।

भवदीय,

जोगाराम पटेल

(लूणी)

कनिष्ठ विशेषज्ञ (फिजिकल मेडीसन एवं रिहेबिलिटेशन) के पद सृजित करवाने बाबत

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के प्रत्येक सेटेलाइट एवं जिला स्तरीय चिकित्साल जहां विकलांग प्रमाण-पत्र बनाने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, में चिकित्साधिकारी के एक पद को क्रमोन्नत कर कनिष्ठ विशेषज्ञ रिहेबिलिटेशन का पद सृजित कर इस विशेषता प्राप्त चिकित्सकों एवं राज्य के विकलांगों को न्याय प्रदान करवाया जावे। इस सम्बन्ध में मेरा निम्नानुसार निवेदन है :-

(1) सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा वर्ष 1984 में प्रथम बार एम.डी. पी.एम. एण्ड आर. का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था तथा अब तक 36 चिकित्सक इस विशेषज्ञता में एम0डी0 कर चुके है जिनमें 10 चिकित्सा राजस्थान की राजकीय सेवा में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत है । यद्यपि ये सभी चिकित्सक 10000/- प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं जो कि कनिष्ठ विशेषज्ञ पद के मूल वेतन से अधिक है, परन्तु राजकीय सेवा में कनिष्ठ विशेषज्ञ पद के मूल वेतन से अधिक है, परन्तु राजकीय सेवा में कनिष्ठ विशेषज्ञ पी.एम.एण्ड आर. का कोई पद स्वीकृत नहीं होने के कारण इस विशेषज्ञता के चिकित्सक जिला या इससे कम स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर सामान्य चिकित्साधिकारी का कार्य कर रहे हैं।

इन परिस्थितियों में उक्त विशेषज्ञता हासिल चिकित्साधिकारियों को इनकी विशेषज्ञता का लाभ राज्य की जनता एवं नि:शक्तजनों को नहीं मिल पा रहा है ।

(2) सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक जिला चिकित्सालय एवं जयपुर के सभी सेटेलाइट चिकित्सालयों में राज्य सरकार द्वारा नि:शक्तजनों

को विकलांगता प्रमाण-पत्र देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । परन्तु रिहेबिलिटेशन मेडीसन के विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में इन विकलांगों को अनेक असुविधाओं को सामना करना पड़ता है इसके साथ ही विकलांग लोगों को अपने उपचार हेतु अपने निवास से दूर राज्य के मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित चिकित्सालयों में जाना पड़ता है जो काफी असुविधाजनक होता है । इसके साथ ही मेडीकल कालेजों के चिकित्सालयों पर भी वेवजह कार्यभार बढ जाता है ।

(3) सेटेलाइट एवं जिला चिकित्सालयों में इस विशेषज्ञता की आधारभूत सुविधाऐं भी उपलब्ध हैं तथा कुछ चिकित्सालयों में तो फिजियोथेरेपिस्ट के पद भी स्वीकृत है ।

अत: मेरा सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि जिन चिकित्सालयों में विकलांग प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध है वहां एक चिकित्साधिकारी के पद को क्रमोन्नत कर कनिष्ठ विशेषज्ञ रिहेबिलिटेशन का पद सृजित कराया जावें। इसमें राज्य सरकार पर तात्कालिक वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा तथा राज्य के गरीब एवं असहाय विकलांगों को आधुनिक तकनीक एवं ईलाज की सुविधा अपने निवास स्थान के समीप जिला एवं सेटेलाईट चिकित्सालयों में ही प्राप्त हो सकेगी, साथ ही इन विशेषज्ञता हासिल चिकित्सकों को अपनी विशेषज्ञता से कार्य करने का सही अवसर प्राप्त हो सकेगा ।

भवदीय,

डा. सुरेश चौधरी

(भादरा)

प्रत्येक खेत को रास्ता दिये जाने विषयक

राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्ष के कार्याकाल में राजस्व विभाग द्वारा कई लोककल्याणकारी एवं किसानों के हित में निर्णय लिये गये है । जो निश्चित रूप से सराहनीय है । परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि राजस्व न्यायालयों में चल रहे विवादों में ''रास्तों का विषय'' आपसी विवाद के मुख्य कारणों में से एक है । इस विषय में राजस्व मंत्री उचित एवं आवश्यक निर्णय लें ये आज की आवश्यकता है ।

परम्परागत समय से रास्ते मौके पर उपलब्ध होते हुए भी रिकार्ड में

दर्ज नहीं होने के कारण सम्बन्धित खातेदारों द्वारा मनमर्जी से इन रास्तों को बन्द कर दिया जाता है, जिससे अन्य काश्तकारों को परेशानी हो जाती है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1995 के सेक्शन 251 में इस प्रकार से पूर्व में चल रहे रास्तों को बन्द करने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को रास्ते खुलवाने के अधिकार प्रदान किये गये हैं, लेकिन राजनैतिक एवं अन्य कारणों के चलते ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही किया जाना असम्भव होता है इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो पाता है इस प्रकार के मामलों में प्रभावी सुधार की आवश्यकता है।

खेतों के आपसी विभाजन के समय भी पूर्व में सम्बन्धित राजस्व न्यायालय द्वारा रास्तों सम्बन्धी खुलासा नहीं किये जाने के कारण भी सह खातेदारों में विभाजन के बाद आपसी विवाद शुरू हो जाते हैं जो राजस्व न्यायालयों में वादों की संख्या में वृद्धि करते हैं।

किसी भी खातेदार को रास्ते की आवश्यकता हो तब सम्बन्धित काश्तकार को रास्ता दिलाये जाने सम्बन्धित अधिकार राजस्व न्यायालयों के पास नहीं है। अत: एक्ट में संशोधन कर जिस काश्तकार से रास्ते हेतु जमीन ली जावें उसको भूमि की वास्तविक दर से अधिक राशि दी जाकर भी रास्ता दिलाये जाने बाबत प्रावधान किया जा सकता है। रास्ता कहां से दिया जाना उचित होगा ये निर्णय सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं तहसील के अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर भी किया जा सकता है।

वर्तमान में परम्परागत समय से चले आ रहे रास्तों का रिकार्ड में अंकन करवाया जाना भी आवश्यक है। जिसके लिए भूमिधारकों व सम्बन्धित ग्राम पंचायत की कमेटी का गठन कर इस प्रकार के रास्तों का रिकार्ड में अंकन किये जाने बाबत एक्ट में संशोधन की पूर्ण आवश्यकता है। प्रत्येक खेत का अधिकारिक रास्ता हो यह संपूर्ण राजस्थान के किसानों की एक महती आवश्यकता है और इस संबंध में किया गया निर्णय राजस्थान के सभी किसानों को राहत पहुंचायेगा साथ ही राजस्व न्यायालयों में भी चल रहे इन वादों का भी निस्तारण होगा और वादों में भी कमी आयेगी। सरकार को इस पर गम्भीर विचार कर शीघ्र निर्णय लेना चाहिये।

टीकम चन्द कान्त

(सिवाना)

इसरदा बांध (जिला सवाईमाधोपुर) के ओवरफलो होने वाले पानी को ढील व मोरेल बांध में भराव दिये जाने बाबत

महोदय,

गत दिनों सवाईमाधोपुर व दौसा जिले के किसानों द्वारा किसान संघर्ष समिति का गठन कर सरकार व सम्बन्धित अधिकारियों को ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण बीसलपुर बांध से बहुत भारी वर्षाती पानी की निकास की गई अब बीसलपुर बांध के नीचे बनास नदी पर ही इसरदा बांध पेयजल योजना हेतु निर्माणाधीन है । इस सम्बन्ध में जिला सवाई माधोपुर भी तहसील बौली मलारान हेतु डूंगर बामनवास व दौसा जिले की लालसोट तहसील की आम जनता व किसानों की निम्नलिखित मांग को लेकर क्षेत्र की जनता आन्दोलन कर रही है । इस पर समय रहते सरकार में गहनता से विचार नहीं किया तो यह आन्दोलन गम्भीर रूप ले सकता है

1. वर्तमान में निर्माणाधीन इसरदा बांध से जिला सवाई माधोपुर के कितने ग्रामों को पेयजल पानी आपूर्ति प्रस्तावित है या नहीं**?**

2. इस बांध से वर्षात के अधिक आवश्यक पानी को रोककर बांध से केवल मात्र 10 कि.मी. दूर ढील बांध को भरने व मोरेल बांध को भरने जिससे इन बाधों से किसानों को सिंचाई का पानी व पेयजल भी सुलभ हो सके तथा घट रहा जल स्तर में सुधार हो सके इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है स्पष्ट करने की कष्ट करें।

भवदीय

हीरालाल मीणा

(बामनवास)

पांचना गांव के किसानों को लिफ्ट दुग्दा पानी देने विषयक

विषयान्तर्गत करौली जिले के पांचना बांध के पानी से आसपास के दर्जनों गांवों को कृषि की सिंचाई के लिये पानी के उपयोग हेतु हजारों लोगों ने 2005 में किसानों ने आन्दोलन किया था ! जिसे खतम कराने के लिये मै भी मौके पर गया और माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार बांध के आसपास के दर्जनो गॉव के लोगों को कृषि की सिचाई के उपयोग हेतु पानी लिफ्ट द्वारा उपलब्ध कराने के लिये आश्वासन दिये जाने पर आन्दोलन समाप्त किया गया

था ! लेकिन आज तक इन्हें लिफ्ट द्वारा द्वारा पानी उपलब्ध कराने की कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण इनके द्वारा वर्ष 2006 में भी आन्दोलन किया है।

मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि पांचना गांव के आस पास के दर्जनो किसानों की जमीन बांध में गई है इसलिये इनका बांध के पानी पर हक बाजिब है। अत: इन किसानो को लिफ्ट द्वारा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जावे।

भवदीय

हरज्ञान सिंह गुर्जर

(महुआ)

सार्वजनिक चिकित्सालय डूंगरपुर को ''ए'' श्रेणी में कराने हेतु

महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र डूंगरपुर जिला मुख्यालय है। डूंगरपुर जिले के चाल विधान सभा क्षेत्र हैं वे सभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं इससे यह साफ है कि डूंगरपुर जिला संपूर्ण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं जहां चिकित्सा सुविधा हेतु एक मात्र बड़ा अस्पताल है वह भी ''बी'' श्रेणी का है । डुंगरपुर शहर की आबादी भी लगभग 45000 हैं जिसके मुकाबले चिकित्सा सुविधा अपर्याप्त है। लोगों को सूविधा के अभाव में इलाज कराने गुजरात जाना पडता हैं । सरकार द्वारा समय-समय पर आश्वासन देनेके बाद भी अभी तक इस जनजाति जिले को अछुता रखा है।

आधारभूत संविधाओं के अभाव में गरीब लोगों को इस अस्पताल में पुरी सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से अकाल मुत्यु का सामना करना पडता है । अभी मात्र 150 बेड का अस्पताल है जबकि जिला मुख्यालय है। ऐसी स्थिति में यहां सभी बिमारों को ईलाज हेतु पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है । अभी भी अस्पताल में चिकित्सकों का अभाव है । कई पद रिक्त पड़े हैं। विषय विशेषज्ञों का नितान्त अभाव है।

हाल ही विधान सभा के उप चुनाव के दौरान सरकार के कई मंत्रियों ने भी सार्वजनिक रूप से डूंगरपुर के अस्पताल को ''ए'' श्रेणी करने का आश्वासन दे रखा है । मुझे आशा है कि सरकार इस जिले की लगभग 12

लाख जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस अस्पताल को ''ए'' श्रेणी का कर आम लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की महती कृपा करेंगी ।

धन्यवाद।

भवदीय,

पूंजी लाल परमार

(डूंगरपुर)

सत्र 2001-2002 से मदरसों में शिक्षण कार्य कर रहे मदरसा पैराटीचर्स के प्रारम्भिक प्रशिक्षण व बकाया मानदेय दिलवाने के क्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान में मदरसों में सत्र 2001-2002 से मदरसा पैराटीचर्स अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। ये मदरसे राजस्थान वक्फ बोर्ड से पंजीकृत है । शिक्षा सत्र 2001-2002 से नियुक्ति के बाद से 129 पैराटीचर्स को प्रारम्भिक प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है न ही इन्हें गत पांच वर्षो से मानदेय दिया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी । उक्त सिविल रिट पिटिसन (डी.बी.) 6892/04 पर दिसम्बर 2005 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने पैराटीचर्स के पक्ष में फैसला दे दिया । माननीय उच्च न्यायालय ने सम्बन्धित विभाग व सरकार को इन 129 मदरसा पैराटीचर्स को जो सत्र 2001-2002 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, के प्रशिक्षण की व्यवस्था अनिवार्यतः शीघ्रताशीघ्र करने व एक माह में इनका बकाया मानदेय भुगतान करने के निर्देश दिये थे ।

उक्त पैराटीचर्स मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दुनियावी शिक्षा देने जैसा पुनीत कार्य कर रहे हैं ।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के बावजूद भी सरकार व सम्बन्धित विभाग ने न तो इनके प्रारम्भिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की न ही मानदेय का भुगतान किया। जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को एक साल का समय बीत गया है ।

अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी व सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त मदरसा पैराटीचर्स का 5 वर्षों का मानदेय था प्रशिक्षण दिलवाया जाये।

भवदीय,

मो. माहिर आजाद

(नगर)

श्री रोहतास सिंह जाति भापर के साथ हो रहे अन्याय विषयक

महोदय,

निवेदन है कि श्री रोहतास जाति नि. भापर जिला झुंझुनूं में इस गरीब व्यक्ति को उसकी स्वयं की जमीन व कुएं पर से उनके भाई हनुमान व दूसरे भाई व भाई के बच्चों ने मिलकर खेत से निकाल दिया और उसके खेत में नाजायज खेती कर रहे हैं। और वह गरीब व्यक्ति कलक्टर व एस पी को भी ज्ञापन दे चुका है उसकी जमीन पर और उनके बच्चे भुख से पीड़ित हैं उनके परिवार के व्यक्ति मेरे पास आये थे कि हम भुख से पीड़ित है मेरे खेत में गेहुं व सरसों बो रखी है नही तो मुझे खेत में घुसने दे रहे हैं। मैं इस स्वतंत्र भारत का नागरिक होते हुए आज भी सच्ची न्याय के लिए तरस रहा हूं। मुझे अगर न्याय नहीं मिली तो भूख से विवश होकर न्याय के अभाव में आत्म हत्या करनी पड़ेगी कृपया मुझे मेरे खेत में बोई हुई फसल काटने की पुलिस द्वारा सहायता करवाई जावे। और मेरे खेत में तार बंधी करवाने का आदेश दिलवाये। जिससे मुझ जैसा गरीब व्यक्ति आपकी सरकार में न्याय पा संकू और चार बच्चों का पेट भर सकूं यह सत्य से दूर हो तो मैं दोषी हूं। परन्तु मेरे साथ अन्याय हो रही है। मेरे विधायक के सामने गुहार कर रहा हूं।

अतः इस गुहार को मैं राज्य सरकार की सबसे बड़ी पंचायत में रख कर गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने की अर्दास्त कर रहा हूं।

भवदीय,

श्रवण कुमार

(पिलानी)

जोधपुर शहर चिकित्सा व्यवस्था के विस्तार के सम्बन्ध में

महोदय जी,

जोधपुर में मेडीकल कालेज की स्थापना सन् 1965 में की गई थी उस समय शहर के दोनों मुख्य अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल व उम्मेद

अस्पताल को इस कालेज से सम्बद्ध किया गया था। इसमें से उम्मेद अस्पताल मुख्य रूप से महिला अस्पताल ही था। बाद में इसमें शिशु रोग विभाग भी खोला गया था। मेडीकल कॉलेज का अभी तीसरा अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल बाद में बना और उस समय यही योजना थी कि यह अस्पताल ही मुख्य रूप से मेडीकल कॉलेज के लिए होगा और इसमें सभी विभाग होंगे।

उम्मेद अस्पताल की स्थापना तत्कालीन महाराजा उम्मेदसिंहजी द्वारा 1936 में की गई थी और आज इसमें 600 बेड है जो कि मुख्यतया महिला व शिशु रोगों के लिए है। इन 70 सालों में जोधुपर शहर व जोधपुर संभाग की आबादी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। यह अस्पताल न केवल जोधपुर शहर वरन् पूरे जोधपुर संभाग में एक मात्र महिला व शिशु रोग अस्पताल है। बढ़ती आबादी के कारण इस अस्पताल में रोगियों का दबाव रहता है परन्तु जगह की कमी के कारण अब इसमें और शय्याओं का विस्तार संभव नहीं है। मेरा आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि सम्भाग वासियों की आवश्यकता को देखते हुए मथुरादास माथुर अस्पताल में महिला व शिशु रोगों के विभाग खोले जायें और इन रोगों के दो वार्ड भी वहां स्थापित किये जायें। इस अस्पताल में विस्तार की अपार संभावनाएँ है अत: इन वार्डो को खोलने में यहां कोई असुविधा नहीं होगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहुंगी कि जयपुर शहर में तीन जनाना अस्पताल हैं जबकि जोधपुर में एकमात्र यही अस्पताल है जो कि 70 वर्ष पहले खोला गया था और इस अस्पताल में पूरे पश्चिमी राजस्थान के रोगी आते हैं। अत: महिलाओं एवं शिशुओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की बहुत आवश्यकता है।

इसके साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि रोगियों की समुचित जांच के लिए उम्मेद अस्पताल में तीन और सोनोग्राफी मशीन व मथुरादास माथुर अस्पताल में एक नई सी.टी. स्केन मशीन भी तुरन्त स्थापित की जाय।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि शहरवासियों की चिकित्सा सुविधाओं में गुणात्मक सुधार लाने एवं बड़े अस्पतालों पर रोगियों का दबाव कम करने हेतु शहर की नवचौकिया व ह्युसन मण्डी डिस्पेन्सरी व महिलाओं व महिलाबाग अस्पताल को क्रमौन्नत किया जाय। महिलाबाग अस्पताल में सेटलाईट अस्पताल की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायें जिसकी घोषणा वर्ष 2006-07 के बजट में की जा चुकी है। वहीं नवचौकिया व ह्युसन मण्डी को बीस शैय्याओं वाले अस्पताल की सुविधा प्रदान की जाय। यहॉं पर खाली पड़े

चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों के पद भी भरे जायें। महिलाबाग अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलॉजी) का कोई पद नहीं है। जबकि आज बिना मल-मूत्र-खून की जांच के इलाज संभव नही होता है। अत: महिलाबाग अस्पताल में तुरन्त ही एक पद वरिष्ठ विशेषज्ञ (पेथोलाजी) का सृजन किया जाकर जनता को राहत प्रदान करें।

मेरा माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से यह भी निवेदन है कि जोधपुर में कार्डिक थोरेसिक सर्जन की नियमित व्यवस्था नहीं है। जबकि यहां पर पूरे पश्चिमी संभाग से रोगी आते हैं। अत: जोधपुर में कार्डिक सर्जन का पद तुरंत भरा जाय।

सधन्यवाद।

सूर्यकान्ता व्यास

(जोधपुर)

नाथड़ाऊ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नामकरण में संशोधन हेतु

महोदय जी,

मै आपको मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बालेसर की ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के किये गये नामकरण के बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि इस विद्यालय का नामकरण श्री मगाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किया गया। नामकरण पश्चात् स्थानीय सरपंच एवं स्थानीय ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत में विद्यालय नामकरण में संशोधन बाबत विभिन्न तर्क देते हुए प्रस्ताव पारित कर विद्यालय का पुन: नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाथड़ाऊ करवाने का निवेदन किया है जो इस प्रकार है:-

ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ की तत्कालीन सरपंच श्रीमती मोहनी देवी अशिक्षित होने के कारण उनको धोखे में रखकर श्री मगाराम के पुत्र ने पंचायत का अनापति प्रमाण-पत्र लेकर श्री मगाराम को शहीद बताकर विद्यालय का नामकरण करवाया था, जबकि वास्तविक स्थिति में श्री मगाराम की मृत्यु बीमारी से हुई थी।

विद्यालय नामकरण व्यक्ति श्री मगाराम व उसका परिवार न तो राजस्व गांव नाथड़ाऊ का निवासी है, न ही इनका राजस्व गांव नाथड़ाऊ में

राशनकार्ड बना हुआ है और न ही राजस्व गांव नाथड़ाऊ की मतदाता सूची में इनका व इनके परिवार का नाम है।

विद्यालय का निर्माण राजकीय एवं ग्रामवासियों के सहयोग से हुआ है न कि किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से।

ग्राम नाथड़ाऊ में अनेक शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानी परिवार निवास कर रहे हैं।

विद्यालय नामकरण की जानकारी स्थानीय ग्रामवासियों के होते ही उन्होंने नामकरण के विरूद्ध ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित कर आपत्ति श्रीमान् जिला कलक्टर के समक्ष दर्ज करवाई थी।

पंचायत के स्थानीय निवासी, शहीद एवं स्वतन्त्रता सेनानी के परिवारों ने यह सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित कर यह तय किया है कि इस विद्यालय का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम से न होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाथड़ाऊ ही रखा जावे।

इस संबंध में पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जोधपुर के पंत्राक जिशिअ/माध्य/जोध/सा. द/वि.नाम/नाथड़ाऊ/2006/317-20 दिनांक 03.05.2006 के द्वारा विद्यालय नामकरण संशोधन हेतु सम्पूर्ण प्रकरण निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भिजवाया जा चुका है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त वर्णित तथ्यों पर गौर फरमाते हुए श्री मगाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाथड़ाऊ के नामकरण में संशोधन कर पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाथड़ाऊ करवाकर स्थानीय शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मान प्रदान करवाने का श्रम करावें।

सद्‌भावी
बाबूसिंह राठौड़
(शेरगढ़)

ईस्ट वेस्ट कारीडोर (नेशनल हाइवे-76) के चारलेन निर्माण कार्य में पीली मिट्टी की आपूर्ति हेतु ठेकेदारों द्वारा चरागाह भूमि व तालाबों का स्वरूप नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा बाबत

मान्यवर,

कोटा व बारां जिले में नेशनल हाइवे-76 को चारलेन सड़क बनाने का

कार्य प्रगति पर है । इस कार्य में बड़ी मात्रा में पीली मिट्टी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ठेकेदारों द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्रामसेवक, पटवारी व राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से चरागाह जमीन का स्वरूप सदा के लिए नष्ट किया जा रहा है । जिला प्रशासन को इस सम्बन्ध में सचेत किया जा चुका है । राज्य सरकार के जल अभियान को ध्यान में रखकर आवश्यकता थी कि प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में पुराने तालाबों के अतिक्रमण को दूर करके उनमें से एक योजनाबद्ध तरीके से मिट्टी निकाली जाती । इससे काली मिट्टी को तालाब की पाल पर जमाया जाना चाहिए तथा तालाब के स्वरूप को बनाये रखकर अतिक्रमण हटाकर पीली मिट्टी निकालकर उसे गहरा करवाया जा सकता है । प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है व ठेकेदार पंचायत की मिलीभगत से तालाबों में जगह-जगह 40 से 50 फुट गहरे गढ्डे करके तालाब का स्वरूप ही बिगाड़ रहे हैं । जल अभियान का मखौल कोटा जिले में देखा जा सकता है । आवश्यकता है कि इस नकारात्मक कार्यवाही को सकारात्मक रूप प्रदान किया जावे तथा प्रशासन की देखरेख में तालाबों का अतिक्रमण हटाकर उनको नियोजित रूप से गहरा करवाया जावे जिससे जल का संरक्षण भी होगा तालाब का सुदृढ़ीकरण भी होगा व अतिक्रमण भी बिना किसी खर्चे के मुक्त हो जावेगा । यह समूचा कार्य जिला कलक्टर की निगरानी में किया जावें । इसके नहीं होते यदि सरकार जल अभियान चलाने की बात भी करता है तो उसका क्या औचित्य होगा ? ग्राम कराडिया, पोलाई की चरागाह भूमि को सरपंच व स्थानीय पटवारी ने व्यक्तिगत लाभ के कारण सदा के लिए नष्ट किया जा चुका है जो अपने पद का दुरूपयोग है । इसी प्रकार ग्राम सीमल्या, मण्डोला, पोलाई, गढेपान के तालाबो में बड़े-बड़े गढडे करके तालाब का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है। आवश्यकता है कि सुनियोजित तरीके से प्रशासन की देखरेख में तालाब का स्वरूप बनाकर गहरा किया जावें । भविष्य में जहां से भी मिट्टी खोदी जावे उस पर जिला प्रशासन निगरानी रखे तथा जल अभियान व सरकार की सौच को ध्यान में रखकर कार्य करवायें ।

भरत सिंह

(दीगोद)

गंगनहर प्रणाली के नहरों के किनारे काटे गये पेड़ों के स्थान पर नये वृक्षारोपण के सम्बन्ध में

महोदय,

गंगनहर प्रणाली के नहरों का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है । तथा इस दौरान नहरों पर परिपक्व एवं गिरे हुए पेड़ों के नाम पर सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रुपयों के पेड मिलाकर दिये । किन्तु काटे गये पेडो के स्थान पर एक भी पेड़ नहीं लगाया गया । इसके पूरे गंगनहर क्षेत्र में पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जो कि राज्य सरकार की नीति के विपरीत है मेरे ध्यान में यह भी आया है कि नहरो पर वृक्षारोपण के लिए वन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग से निरन्तर राशि की मांग की जा रही है । तथा सिंचाई विभाग द्वारा राज्य सरकार से बजट आवंटन हेतु मांग को जा रही है । किन्तु लम्बे समय से प्रकरण उच्च स्तर पर लम्बित रहने के कारण नहरें वृक्षारोपण के अभाव में विरान पड़ी हैं क्षेत्र में पर्यावरण दूषित होने के साथ-साथ मानसून भी प्रभावित होगा । बजट आबंटन को लेकर अन्तर विभागीय प्रकरण का तत्काल निस्तारण के लिए उचित होगा कि बजट सीधे वन विभाग को आबंटित कर वृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ करवाया जावे । सिंचाई विभाग द्वारा वृक्षों को नीलामी कर राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है । अत: सिंचाई विभाग के माध्यम से बजट वन विभाग को उपलब्ध कराने से अनावश्यक विलम्ब हो रहा है ।

भवदीय,

लालचन्द मेघवाल

(रायसिंहनगर)